एनएचपीसी
NHPC

35वीं वार्षिक रिपोर्ट
2010-2011

निगम का दृष्टिकोण

पर्यावरण के प्रति पूर्णतः सचेत रहते हुए जल विद्युत तथा जल संसाधनों का स्थायी विकास करने वाला विश्वस्तरीय, बहुविध एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- जल विद्युत एवं बहुविध व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचालन कम लागत पर और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तौर-तरीके अपनाते हुए तथा सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए करना।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा ज्ञान-विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना।
- नवीन अनुसंधान व विकास के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धति को अपनाना।
- कारपोरेट शासन की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा सशक्त निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य आधारित प्रबंधन व्यवस्था अपनाना।
- आंतरिक निधि जुटाकर तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम धन की व्यवस्था करना।

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मण्डल ____ 3

कारपोरेट रूपरेखा ____ 4

महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (10 वर्ष) ____ 6

अध्यक्षीय वक्तव्य ____ 9

निदेशकों का विवरण ____ 13

निदेशकों की रिपोर्ट ____ 17

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ____ 63

वार्षिक लेखे ____ 68

समेकित

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ____ 109

वित्तीय विवरण ____ 110

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट ____ 148

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ____ 157

वित्तीय विवरण ____ 160

एलडीएचसीएल

निदेशकों की रिपोर्ट ____ 180

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ____ 188

वित्तीय विवरण ____ 190

45 मेगावाट निम्मो बाजगो जलविद्युत परियोजना (जम्मू व कश्मीर) - बांध स्थल

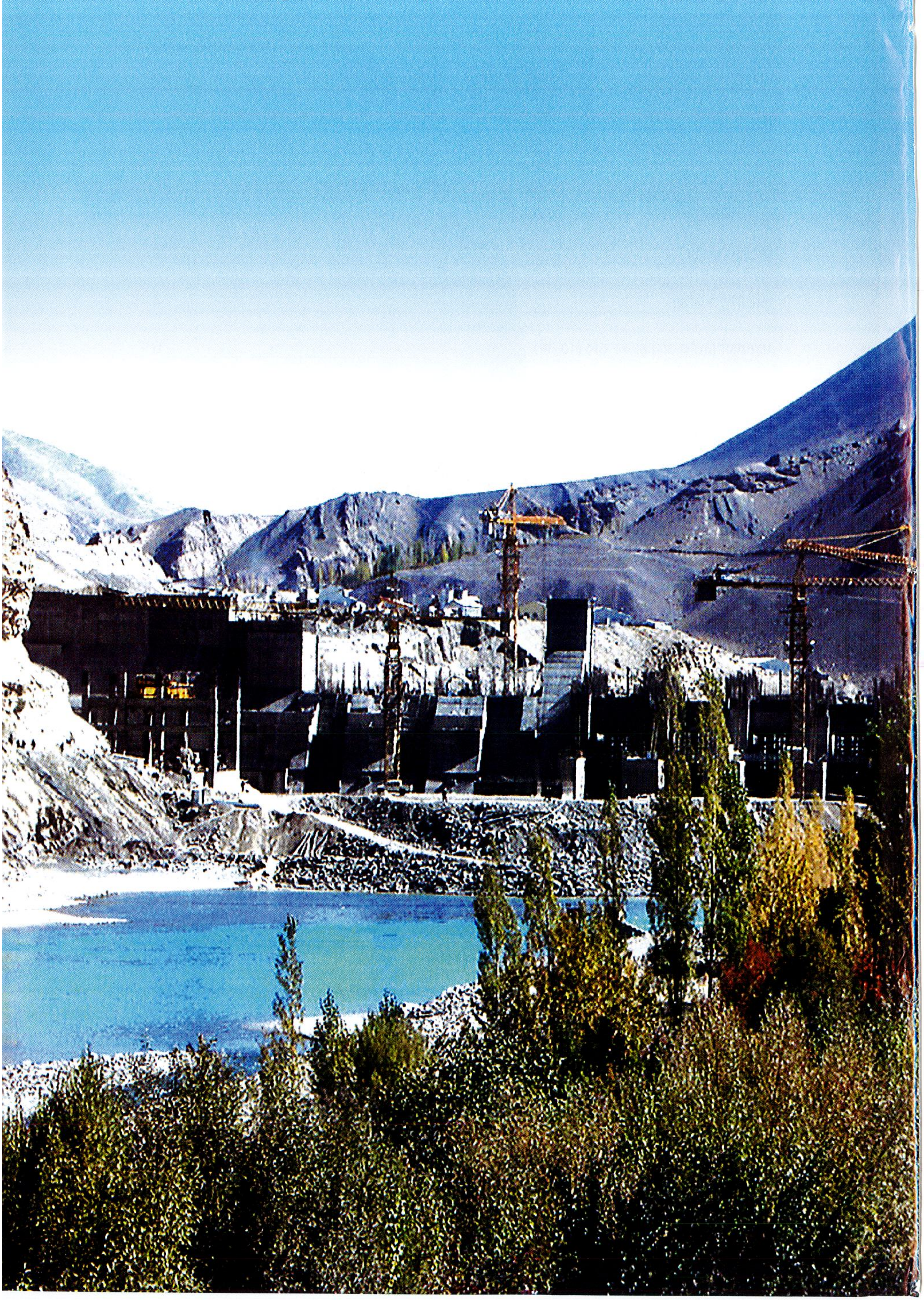

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशक मंडल

निदेशक मण्डल
31.08.2011 को

श्री. ए. बी. एल. श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री डी. पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)

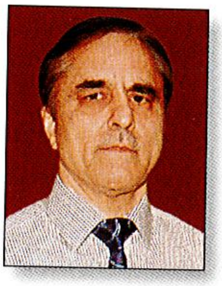

श्री जे. के. शर्मा
निदेशक (परियोजनाएं)

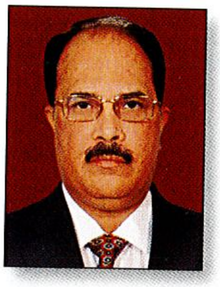

श्री राधेश्याम मीना
निदेशक (कार्मिक)

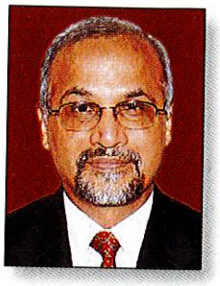

श्री राकेश जैन
सरकारी अंशकालिक निदेशक

श्री सुधीर कुमार
सरकारी अंशकालिक निदेशक

श्री के. धर्मराजन
स्वतंत्र निदेशक

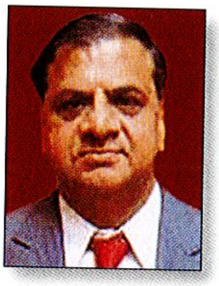

श्री. ए. गोपालकृष्णन
स्वतंत्र निदेशक

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003
हरियाणा

कारपोरेट कार्यालय
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003
हरियाणा

कंपनी सचिव
श्री विजय गुप्ता

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.
प्लाट नं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर,
माधपुर, हैदराबाद-500081
फो. : 040-23420815 से 824
ई-मेल : **einward.rts@karvy.com**
वेबसाइट : **www.karvycomputershare.com**
मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लि.(बांड के लिए)
बी-106, सेक्टर-21,
नोएडा ए-201301 (उत्तर प्रदेश)
फो. : 0120-4015880
ई-मेल : **info@rcmcdelhi.com**

शेयर सूचीबद्ध
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

डिपॉजिटरीज
नेशनल सेक्यूरीटीज डिपॉजिटरी लि.
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लि.

वैधानिक लेखा-परीक्षक
मैसर्स एसबीजी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
ई-27, कमला नगर,
दिल्ली-110017

मैसर्स बवेजा एंड कौल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
15बी/बी, प्रथम तल
गांधी नगर एक्सटेंशन,
जम्मूतवी (जे एंड के)-180004

मैसर्स सिंधी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
एमेराल्ड हाउस, चौथा तल
1-बी, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट
कोलकाता- 700 001
पश्चिम बंगाल

मैसर्स ए. केयेस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
231, कमलालय सेंटर (द्वितीय एवं तृतीय तल)
156ए, लेनिन सरणी
कोलकाता- 700 013

मैसर्स तिवारी एंड असोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
टी-8, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110 016

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
डच्च बैंक
एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ भूटान
स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
आईडीबीआई लि.
एचडीएफसी बैंक लि.

श्री विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

कारपोरेट रूपरेखा

वित्तीय		2010-11	2009-10	2008-09
बिक्री	**	4046.59	4218.90	2671.85
विविध आय	@	885.52	673.19	589.64
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर से पूर्व लाभ	$	4208.73	3892.41	2201.76
ब्याज तथा मूल्यह्रास के पश्चात लाभ		2878.43	2402.08	1178.34
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर के पश्चात लाभ		2166.67	2090.50	1075.22
लाभांश		738.04	676.54	325.00
आरक्षित तथा अधिशेष (संचित)		12283.15	10972.45	6798.13
निगम के स्वामित्व वाली				
सकल अचल परिसंपत्तियां		22874.92	21302.37	21460.08
मूल्यह्रास		5774.04	4907.44	3816.27
निवल अचल परिसंपत्तियां		**17100.88**	**16394.93**	**17643.81**
चालू पूंजीगत कार्य		15797.03	12802.50	9401.77
निर्माण भण्डार तथा अग्रिम		1325.42	1222.52	1096.85
निवेश		5399.50	4394.05	2793.60
वर्तमान परिसंपत्तियां निवल		1098.20	3903.95	605.76
पश्च लेखन न किया गया विविध व्यय		-	-	2.33
		40721.03	**38717.95**	**31544.12**
निगम द्वारा देय				
निवल मूल्य				
- शेयर पूंजी		12300.74	12300.74	11182.49
- आरक्षित		12283.15	10972.45	6798.13
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के रूप में अग्रिम तौर पर प्राप्त आय		1406.55	1437.44	1329.47
ऋण		14569.26	13868.22	12234.03
स्थगित कर देयता (निवल)		161.33	139.10	-
		40721.03	**38717.95**	**31544.12**

प्रचालन कार्य-निष्पादन	2010-2011	2009-2010	2008-2009
उत्पादन (एम.यू.)	18604	16960	16689
मशीन उपलब्धता (%)	85.20	84.10	93.61
बिक्री (करोड़ रुपए में)	4046.59	4218.90	2671.85
जनशक्ति (संख्या)	11420	11712	12028

** बिक्री टैरिफ समायोजन और मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के पश्चात निवल है।

@ संविदाओं के प्रति प्राप्तियां शामिल हैं

$ पूर्वावधि समायोजन के पश्चात

(करोड़ रुपये में)

2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
2243.73	1754.12	1614.11	1449.98	1276.09	1172.23	1221.00
911.77	433.38	359.55	393.80	551.69	302.96	330.40
2201.93	1610.04	1454.71	1438.86	1477.37	1153.39	1183.50
1146.65	1087.74	812.16	777.53	643.48	555.00	513.10
1004.09	924.80	742.75	684.58	621.38	510.50	470.90
300.00	278.00	223.00	140.00	120.00	75.00	50.00
6093.34	5367.05	4709.89	4168.49	3594.27	3065.70	2598.50
20639.51	12943.64	12755.52	10876.28	10342.71	8280.95	8113.50
3262.66	2850.92	2527.83	2148.20	1882.95	1672.19	1526.70
17376.85	**10092.72**	**10227.69**	**8728.08**	**8459.76**	**6608.76**	**6586.80**
6318.64	11399.92	8844.19	8787.19	6975.83	7078.00	5218.30
1077.34	856.43	778.95	770.14	805.55	621.74	525.50
3049.22	3322.75	3832.81	3769.43	3660.87	2415.66	1965.00
713.03	-345.60	-225.34	138.69	107.76	1889.77	1512.20
0.34	25.80	24.55	1.18	0.71	1.20	2.00
28535.42	**25352.02**	**23482.85**	**22194.71**	**20010.48**	**18615.13**	**15809.80**
11182.49	11207.04	10576.09	9933.27	8629.03	7240.61	6345.70
6093.34	5367.05	4709.89	4168.49	3594.27	3065.70	2598.50
1303.26	1245.98	1030.18	1071.15	939.40	801.06	648.40
9956.33	7531.95	7166.69	7021.80	6847.78	7507.76	6217.20
-	-	-	-	-	-	-
28535.42	**25352.02**	**23482.85**	**22194.71**	**20010.48**	**18615.13**	**15809.80**

2007-2008	2006-2007	2005-2006	2004-2005	2003-2004	2002-2003	2001-2002
14813	13049	12567	11286	11046	9863	8912
96.13	94.11	98.16	95.30	96.82	96.62	96.86
2243.73	1754.12	1614.11	1449.98	1276.09	1172.23	1221.00
12341	12768	13118	13470	13648	13017	13054

महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (10 वर्ष)

वित्तीय			2010-11	2009-10	2008-09
क	ऊर्जा की बिक्री	$	3999.63	4326.87	2698.06
ख	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम		(46.96)	107.97	26.21
ग	अन्य आय (निर्माण तथा परामर्शी प्राप्ति शामिल है)	#	885.52	673.19	589.64
घ	**कुल आय (क)-(ख)+(ग)**		**4932.11**	**4892.09**	**3261.49**
ङ	उत्पादन एवं अन्य व्यय (निर्माण तथा संविदा व्यय शामिल हैं)		723.38	999.68	1059.73
च	**सकल अंतर (घ)-(ङ)**		**4208.73**	**3892.41**	**2201.76**
छ	मूल्यह्रास		916.74	1033.25	518.24
ज	**सकल लाभ (च)-(छ)**		**3291.99**	**2859.16**	**1683.52**
झ	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार		413.56	457.08	505.18
ञ	**निवल लाभ (ज)-(झ)**		**2878.43**	**2402.08**	**1178.34**
ट	कर		711.76	311.58	103.12
ठ	**कर पश्चात निवल लाभ (ञ)-(ट)**		**2166.67**	**2090.50**	**1075.22**
ड	**उत्पादित आंतरिक संसाधन (छ)+(ठ)+(ख)**		**3036.45**	**3231.72**	**1619.67**
ढ	प्राधिकृत पूंजी		15000.00	15000.00	15000.00
ण	प्रदत्त इक्विटी पूंजी	**	12300.74	12300.74	11182.49
त	आरक्षित तथा अधिशेष		12283.15	10972.45	6798.13
थ	ऋण निधि		14569.26	13868.22	12234.03
द	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम में प्राप्त आय (ककघ)		1406.55	1437.44	1329.47
ध	सकल अचल परिसंपत्तियां		22874.92	21302.37	21460.08
न	मूल्यह्रास		5774.04	4907.44	3816.27
प	**निवल अचल परिसंपत्तिया (ध)-(न)**		**17100.88**	**16394.93**	**17643.81**
फ	चाल पूंजीगत कार्य		15797.03	12802.5	9401.77
ब	निर्माण भण्डार तथा अग्रिम		1325.42	1222.52	1096.85
भ	निवेश		5399.50	4394.05	2793.60
म	कार्यशील पूंजी		1098.20	3903.95	605.76
य	बट्टेखाते में नहीं डाला गया विविध व्यय		-	-	2.33
कक	**नियोजित सकल पूंजी (प)+(फ)+(ब)+(भ)+(म)**		**40721.03**	**38717.95**	**31541.79**
कख	**निवल मूल्य (ण)+(त)-(य)**		**24583.89**	**23273.19**	**17978.29**
कग	विद्युत स्टेशन में मालसूची उपभोग		3.94	4.28	8.92
कघ	**मूल्यवर्धन (क)-(ख)-(कग)**		**4042.65**	**4214.62**	**2662.93**

$ टैरिफ समायोजन, व्हीलिंग प्रभार तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान शामिल है

** इक्विटी में समायोयन योग्य शेयर जमा तथा भारत सरकार की निधि शामिल है

संविदाओं के प्रति प्राप्तियां शामिल हैं

	अनुपात	2010-11	2009-10	2008-09
1	नियोजित सकल पूंजी पर प्रतिफल (ज)/(कक)	8.08%	7.38%	5.34%
2	निवल मूल्य पर प्रतिफल (ठ)/(कख)	8.81%	8.98%	5.98%
3	नियोजित सकल पूंजी पर निवल बिक्री ((क)-(ख))/(कक)	9.94%	10.90%	8.47%
4	निवल बिक्री पर मूल्यवर्धन (कघ)/((क)-(ख))	99.90%	99.90%	99.67%
5	ऋण तथा इक्विटी अनुपात (थ)/((ण)/(त))	0.59	0.60	0.68
6	निवल बिक्री पर निवल लाभ (ठ)/((क)-(ख))	53.54%	49.55%	40.24%

(करोड़ रुपये में)

2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
2301.00	1969.93	1661.99	1581.73	1414.43	1324.86	1349.60
57.27	215.81	47.88	131.75	138.34	152.63	128.60
911.77	433.38	359.55	393.80	551.69	302.96	330.40
3155.50	**2187.50**	**1973.66**	**1843.78**	**1827.78**	**1475.19**	**1551.40**
953.57	577.46	518.95	404.92	350.41	321.80	367.90
2201.93	**1610.04**	**1454.71**	**1438.86**	**1477.37**	**1153.39**	**1183.50**
443.74	290.55	269.57	248.97	208.14	140.36	231.60
1758.19	**1319.49**	**1185.14**	**1189.89**	**1269.23**	**1013.03**	**951.90**
611.54	231.75	372.98	412.36	625.75	458.03	438.80
1146.65	**1087.74**	**812.16**	**777.53**	**643.48**	**555.00**	**513.10**
142.56	162.94	69.41	92.95	22.10	44.50	42.20
1004.09	**924.80**	**742.75**	**684.58**	**621.38**	**510.50**	**470.90**
1505.10	**1431.16**	**1060.20**	**1065.30**	**967.86**	**803.49**	**831.10**
15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	10000.00	7000.00
11182.49	11207.04	10576.09	9933.27	8629.03	7240.61	6345.70
6093.34	5367.05	4709.89	4168.49	3594.27	3065.70	2598.50
9956.33	7531.95	7166.69	7021.80	6847.78	7507.76	6217.20
1303.26	1245.98	1030.18	1071.15	939.40	801.06	648.40
20639.51	12943.64	12755.52	10876.28	10342.71	8280.95	8113.50
3262.66	2850.92	2527.83	2148.20	1882.95	1672.19	1526.70
17376.85	**10092.72**	**10227.69**	**8728.08**	**8459.76**	**6608.76**	**6586.80**
6318.64	11399.92	8844.19	8787.19	6975.83	7078.00	5218.30
1077.34	856.43	778.95	770.14	805.55	621.74	525.50
3049.22	3322.75	3832.81	3769.43	3660.87	2415.66	1965.00
713.03	-345.60	-225.34	138.69	107.76	1889.77	1512.20
0.34	25.80	24.55	1.18	0.71	1.20	2.00
28535.08	**25326.22**	**23458.30**	**22193.53**	**20009.77**	**18613.93**	**15807.80**
17275.49	**16548.29**	**15261.43**	**14100.58**	**12222.59**	**10305.11**	**8942.20**
6.15	6.56	12.02	7.73	2.67	2.65	6.90
2237.58	**1747.56**	**1602.09**	**1442.25**	**1273.42**	**1169.58**	**1214.10**

2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
6.16%	5.21%	5.05%	5.36%	6.34%	5.44%	6.02%
5.81%	5.59%	4.87%	4.85%	5.08%	4.95%	5.27%
7.86%	6.93%	6.88%	6.53%	6.38%	6.30%	7.72%
99.73%	99.63%	99.26%	99.47%	99.79%	99.77%	99.43%
0.58	0.45	0.47	0.50	0.56	0.73	0.70
44.75%	52.72%	46.02%	47.21%	48.69%	43.55%	38.57%

390 मेगावाट दुलहस्ती पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) - बांध

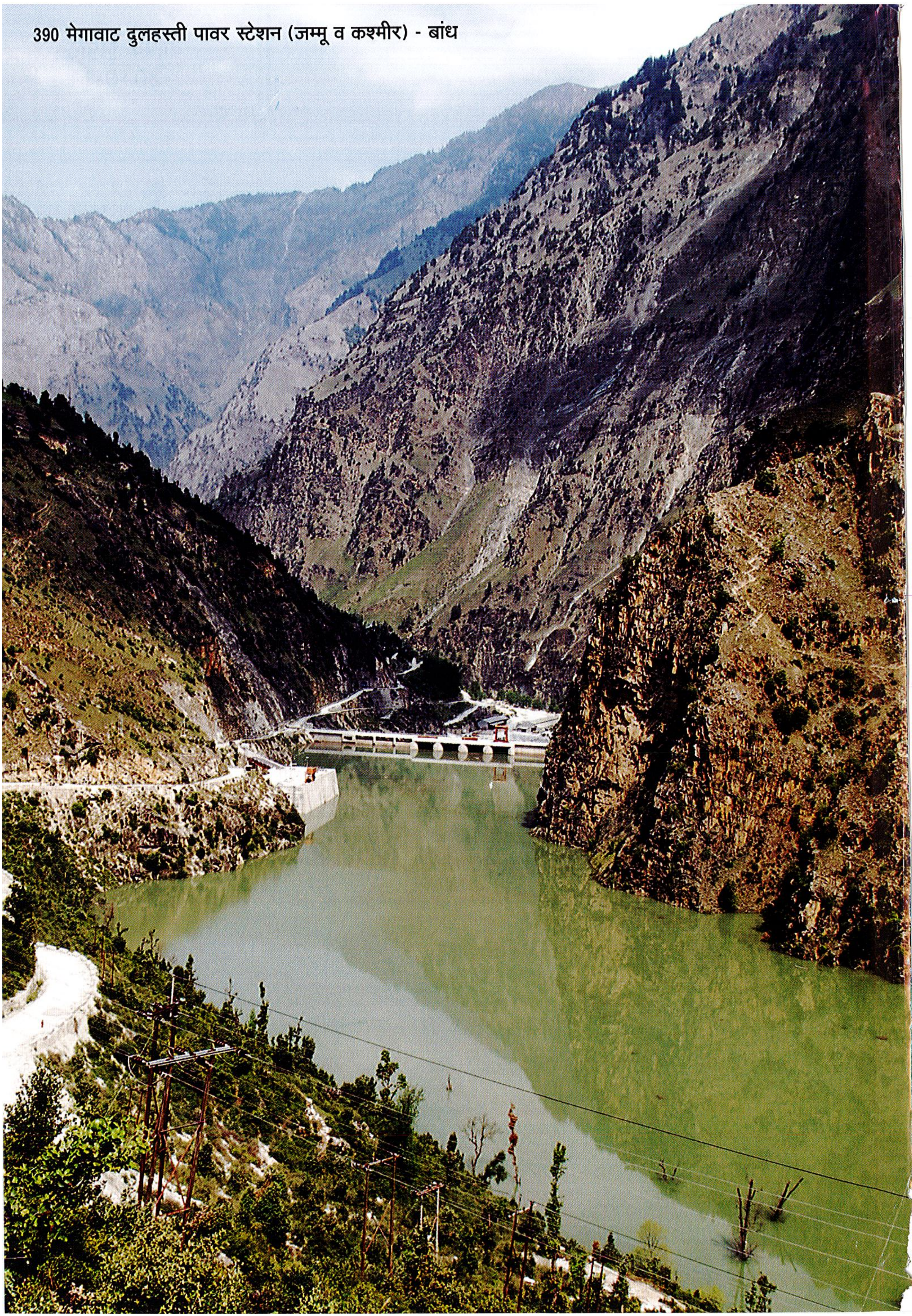

एनएचपीसी लिमिटेड

अध्यक्षीय वक्तव्य

अध्यक्षीय वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

मैं कंपनी की पैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही आपको भेजी जा चुकी हैं। मैं उन्हें आपकी अनुमति से पढ़ लिया गया मानता हूं।

मुझे 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2010-11 के दौरान एनएचपीसी ने शानदार प्रगति की है, जिससे हम भारतीय जल विद्युत क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे हैं। इस अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने असंख्य चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद सराहनीय निष्पादन किया है।

क्षेत्रगत पृष्ठभूमि

हमारे देश में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत किफायती एवं व्यवहार्य 1,48,700 मेगावाट जल विद्युत के दोहन की व्यापक संभावनाएं हैं। इस विपुल संभावना में से अभी तक 38,106 मेगावाट जल विद्युत का विकास किया जा सका है और विभिन्न विकासकर्ताओं द्वारा कुल 15,226 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं विकासाधीन हैं। इस प्रकार, करीब 64 प्रतिशत जल विद्युत का दोहन किया जाना अभी बाकी है। अभी तक दोहित न किए जा सके ये शेष संसाधन जल विद्युत विकासकर्ताओं के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराते हैं।

भारतीय विद्युत परिदृश्य

भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्तमान स्तर करीब 177 जीडब्ल्यू (2011 के दौरान) से 2022 तक बढ़कर करीब 512 जीडब्ल्यू हो जाने की संभावना है। इसके समानांतर ऊर्जा और इसकी चरम (पीक) मांग भी वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाएगी और 17वीं इलेक्ट्रिक पॉवर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट, के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ऊर्जा की मांग बढ़कर 14 लाख मिलियन यूनिट और चरम मांग 218 जीडब्ल्यू तथा 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ऊर्जा की मांग 19 लाख मिलियन यूनिट और पीक मांग 298 जीडब्ल्यू पर पहुंच जाने का अनुमान है। भारत में ताप जैसे अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में जल विद्युत उत्पादन का स्तर अत्यंत कम है और वर्तमान में कुल संस्थापित क्षमता में इस क्षेत्र का योगदान मात्र 21.5 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त बढ़ते हुए पर्यावरणीय सरोकारों, घरेलू कोयले की गुणवत्ता और उपलब्धता, कचरा निपटान सम्बन्धी मुद्दों और परमाणु ऊर्जा से जुड़े उच्चतर जोखिम जैसे कारणों को देखते हुए देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में अन्य सह-विद्यमान ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण हैं और यह भी जरूरी है कि उनकी उत्पादन प्रक्रियाओं में अपेक्षित सुधार लाया जाए।

उच्च रूपांतरण सक्षमता के संदर्भ में जल विद्युत में कई लाभ अंतर्निहित हैं, जैसे प्रचालन में लचीलापन, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, महंगाई से मुक्त ऊर्जा, और ग्रिड प्रणाली को विश्वसनीयता एवं स्थिरता प्रदान करने की इसकी क्षमता। ये सभी जल विद्युत की ऐसी विशेषताएं हैं, जो इसे देश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का सर्वाधिक व्यवहार्य विकल्प सिद्ध करती हैं। भारतीय संदर्भ में अन्य उपलब्ध संसाधनों में जल विद्युत को सर्वाधिक विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल विकल्प समझते हुए भारत सरकार की 2008 की जल विद्युत नीति के अनुसार यह उम्मीद की जा रही है कि जल विद्युत उत्पादन क्षमता वर्तमान 38.10 जीडब्ल्यू (जुलाई, 11 के दौरान) से बढ़कर 2022 तक 112 जीडब्ल्यू हो जाएगी।

एनएचपीसी का विजन

एनएचपीसी का विजन पर्यावरण के प्रति सचेत रहते हुए जल विद्युत और जल संसाधनों के स्थायी विकास के लिए एक विश्वस्तरीय, विविधतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने का है। इस मिशन को हासिल करने के प्रयासों के अंतर्गत एनएचपीसी ने 2022 के अंत तक परवर्ती योजना अवधियों में 13,000 मेगावाट से अधिक क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह क्षमता अभी तक हासिल की गई 5,295 मेगावाट क्षमता के अतिरिक्त होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनएचपीसी ने विभिन्न राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के साथ संयुक्त उद्यम कायम करने के लिए समझौते किए हैं और साथ ही स्वयं की निर्माण क्षमताओं को बढ़ाया है। यह इस बात का प्रमाण है कि कम्पनी सभी उपलब्ध साधनों के जरिये जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध हैं।

वित्तीय निष्पादन

मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि आपकी कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो कर पश्चात 2,166.67 करोड़ रुपये दर्ज हुआ हैं। वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी की बिक्री 4,046.59 करोड़ रुपये रही। यह अत्यंत संतोष की बात है कि वर्ष के दौरान हमने शत-प्रतिशत बिक्री वसूली हासिल की जबकि पिछले वर्ष हम 97 प्रतिशत हासिल कर पाये थे।

विद्युत उत्पादन

आपकी कंपनी ने 2010-11 के दौरान विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय निष्पादन किया और स्वयं के पावर स्टेशनों से 18606 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया, जो 'उत्कृष्ट' रेटिंग के निर्धारित 18000 मिलियन यूनिट उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य से अधिक है। इस प्रकार पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान बिजली उत्पादन 9.69 प्रतिशत अधिक रहा है।

क्षमता संवर्द्धन

एनएचपीसी परिवार के लिए 29 सितम्बर, 2010 का दिन वह गौरवपूर्ण दिन था, जब माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री सुशीलकुमार शिन्दे ने जम्मू-कश्मीर में एनएचपीसी का 120 मेगावाट संस्थापित क्षमता का सेवा-II पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। सेवा-II चालू होने के साथ ही कम्पनी द्वारा संचालित 14 पावर स्टेशनों से एनएचपीसी की संस्थापित क्षमता बढ़कर 5,295 मेगावाट हो गई, जिसमें एनएचपीसी और मध्यप्रदेश सरकार की अनुषंगी कंपनी, एनएचडीसी लिमिटेड की 1,000 मेगावाट क्षमता की इंदिरासागर और 520 मेगावाट की ओंकारेश्वर परियोजनाओं का योगदान भी शामिल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएचपीसी ने तीन परियोजनाओं (सिक्किम में 510 मेगावाट की तीस्ता-V जम्मू कश्मीर में 120 मेगावाट की सेवा-II और मध्यप्रदेश में एनएचडीसी की 520 मेगावाट की ओंकारेश्वर) के माध्यम से अपनी ऊर्जा क्षमता में 1150 मेगावाट की बढ़ोतरी की है। एनएचपीसी वर्तमान में जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगी है, जिनकी संयुक्त संस्थापित क्षमता 4,502 मेगावाट है। 5,965 मेगावाट संयुक्त क्षमता की सात नई परियोजनाएं मंजूरी और अनुमोदन के चरणों में हैं। आगामी परियोजनाओं के चालू हो जाने पर एनएचपीसी 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9,500 मेगावाट क्षमता वाली कंपनी बन जाएगी।

संयुक्त उद्यम

आपकी कंपनी सक्रिय रूप से व्यापार विकास में लगी है और व्यापार की रूपरेखा के विस्तार के लिए उसने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल 4,006 मेगावाट बिजली क्षमता की आठ परियोजनाएं संयुक्त उद्यमों के रूप में कार्यान्वित की जानी हैं। मणिपुर में 66 मेगावाट की लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना के निष्पादन हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है, जिसमें 74 प्रतिशत हिस्सेदारी एनएचपीसी की और 26 प्रतिशत मणिपुर सरकार की है। जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी घाटी में कुल 2,120 मेगावाट विद्युत क्षमता की तीन परियोजनाएं संचालित करने के लिए एक अन्य संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड का गठन किया गया है, जिसमें एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी की हिस्सेदारी क्रमशः 49 : 49 : 2 के अनुपात में है। मणिपुर में 1,500 मेगावाट की तिपाईमुख जल विद्युत बहुउद्देश्यीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एसजेवीएन लिमिटेड और मणिपुर सरकार के साथ हिस्सेदारी में बनायी गई एक अन्य संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का काम अग्रिम चरण में है, जिसमें एनएचपीसी, एसजेवीएनएल और मणिपुर सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 69, 26 और 5 प्रतिशत है। एनएचपीसी ने उड़ीसा सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित कंपनी उड़ीसा में महानदी नदी पर तीन जल विद्युत परियोजनाएं सिंडोल-I, II और III कार्यान्वित करेगी, जिनकी कुल क्षमता 320 मेगावाट की होगी। संयुक्त उद्यम कंपनी में एनएचपीसी की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत होगी।

नये क्षेत्रों में पदार्पण

एनएचपीसी जल विद्युत के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका बनाए रखने और अपने व्यापार क्षेत्र के विस्तार के प्रति भी वचनबद्ध है। कंपनी अपनी अनुषंगी, एनएचडीसी के ज़रिए ताप विद्युत व्यापार के क्षेत्र में भी प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, जिसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा खंडवा जिले में 1,320 मेगावाट की रीवा ताप विद्युत परियोजना का काम सौंपा गया है। आपकी कंपनी जम्मू-कश्मीर के बिड्डा जिले में सलाल पावर स्टेशन के निकट एक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी प्रक्रिया में है। आने वाले वर्षों में अक्षय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्षमता बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है।

परामर्शी सेवाएं और व्यापार विकास

जल विद्युत विकास के लिए एनएचपीसी के पास उपलब्ध विशेषज्ञता का इस्तेमाल भूटान, म्यांमार, और तजाकिस्तान जैसे देशों में किया जा रहा है। एनएचपीसी को भूटान में 670 मेगावाट क्षमता की चमखरचू-I और 1,800 मेगावाट की कुरी गोंगरी जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। एनएचपीसी को भूटान में 720 मेगावाट की मांगदेचू जल विद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग एवं डिजाइन परामर्शदाता भी नियुक्त किया गया है। आपकी कंपनी को म्यांमार में 1200 मेगावाट की तमंथी और 642 मेगावाट की श्वेजाये जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। एनएचपीसी ने 23 मई, 2011 को नई दिल्ली में जल विद्युत के क्षेत्र में सहयोग के लिए रूस की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन कंपनी, जेएससी रूस हाइड्रो के साथ समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता जल विद्युत विकास और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में दोनों कंपनियों के परस्पर हित लाभ के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को देखते हुए किया गया है। इससे एनएचपीसी को नयी प्रौद्योगिकी और व्यापार के नए अवसर प्राप्त करने और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने में मदद मिलेगी।

पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू

मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एनएचपीसी ने पर्यावरण के प्रति अपनी सुदृढ़ प्रतिबद्धता बनाए रखी है और कम्पनी विद्युत क्षेत्र में सरकार के हरित अभियान का नेतृत्व कर रही है। कम्पनी अपनी परियोजनाओं को पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निष्पादित और प्रचालित करने को विशेष महत्व देती है। पर्यावरण पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ने की स्थिति में एनएचपीसी क्षतिपूरक उपायों से दुष्प्रभाव को कम करने पर ध्यान देती है। आपकी कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी को अत्यंत गंभीरता से समझती है। यही वजह है कि कंपनी परियोजना प्रभावित परिवारों में विशेष रुचि रखती है। कंपनी की नीति के अंतर्गत 2007 की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में प्रस्तावित सुविधाओं से अधिक लाभ प्रदान किए गए हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़क निर्माण

आपकी कंपनी राष्ट्र निर्माण के प्रति हमेशा समर्पित रही है और देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बिजली प्रदान करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत एनएचपीसी ने 31.08.2011 को 8,742 यूई/डीई गांवों के विद्युतीकरण का काम पूरा किया और 16.72 लाख बीपीएल कनेक्शन प्रदान किए। एनएचपीसी आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लेह और कारगिल जिलों में 66 केवी ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण भी कर रही है। आपकी कंपनी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार राज्य के 6 जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव का काम भी सौंपा गया है। एनएचपीसी ने अभी तक 1195 करोड़ रुपए की लागत से 2326 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

स्वच्छ विकास व्यवस्था (सीडीएम)

जलवायु परिवर्तन संबंधी यूनाइटिड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के सीडीएम यानी क्लीन डिवेलॅपमेंट मैकेनिज्म के कार्यकारी बोर्ड ने एनएचपीसी की स्वच्छ विकास व्यवस्था (सीडीएम) के अंतर्गत कंपनी की जल विद्युत परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने के उपरांत जम्मू कश्मीर में 45 मेगावाट की निम्मो-बाजगो और 44 मेगावाट की चुटक परियोजनाओं को पंजीकृत किया है। स्वैच्छिक उत्सर्जन कमी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचपीसी की 510 मेगावाट के तीस्ता-V पावर स्टेशन को सफलता पूर्वक (वीईआर) योजना के अन्तर्गत चुना गया है ।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी राजभाषा के विकास को विशेष महत्व देती है। इसका प्रमाण कंपनी के सभी कार्यालयों में दैनिक कामकाज में राजभाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 14.09.2011 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने एनएचपीसी को 'क' क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राजभाषा कार्यान्वयन में विशिष्ट योगदान के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिए "प्रथम पुरस्कार" से सम्मानित किया। केन्द्र सरकार में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है।

मानव संसाधन

एनएचपीसी की वास्तविक शक्ति इसके 11,350 सुदृढ़ कुशल कार्मिकों में निहित है, जो जल विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइनिंग और निष्पादन तथा उनके परिचालन और रखरखाव संबंधी कार्यों में निपुण हैं। आपकी कंपनी कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आदर्श कार्य वातावरण के निर्माण के लिए आपकी कंपनी ने मानव संसाधन संबंधी अनेक उपाय किए हैं और अपने कर्मचारियों के लिए कार्य एवं जीवन के बीच पूर्ण संतुलन कायम किया है। कंपनी की सुदृढ़ मानव संसाधन नीति प्रणाली को नया रूप दिया गया ताकि संगठन की आवश्यकताएं पूरी की जा सके और भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन/अनुलाभों में संशोधन किया गया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अद्यतन प्रवृत्तियों और तकनीकों से अवगत कराने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। पिछले वर्ष पावर स्टेशनों के संचालन और रखरखाव के बारे में सभी स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए 98 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। हमने पिछले वर्ष उत्कृष्ट औद्योगिक संबंध बनाए रखे, जिससे एक भी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ। आपकी कंपनी भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के प्रति भी समर्पित है और कंपनी ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरूणाचल प्रदेश में अभी तक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)/

व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रम (वीटीआईपी)/उत्कृष्ट केन्द्र कार्यक्रम के माध्यम से 11 आईटीआई संस्थानों को गोद ले रखा है।

आई टी पहल

आपकी कंपनी स्वयं को एक गतिशील, सुदृढ़ और आधुनिक संगठन बनाने के निरंतर प्रयास कर रही है। विशेषज्ञता पूर्ण उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) प्रणाली के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उपायों को कंपनी के सभी कार्यालयों में सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया गया है। इससे निर्मित परिसंपत्तियों के उपयोग के कारगर प्रबंधन और निर्माण परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन में मदद मिली है और परिणामस्वरूप संगठन की गुणवत्ता और लाभ में इजाफा हुआ है।

सीएसआर पहल

आपकी कंपनी ने लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नयी व्यापक सीएसआर नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत लाभ का 0.5 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है। इन गतिविधियों में परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में हर्बल पार्कों का निर्माण, वन-रोपण, चिकित्सा/टीकाकरण शिविरों का आयोजन, शैक्षिक संस्थानों का उन्नयन/निर्माण, परिधीय क्षेत्रों का विकास, खेलों/सांस्कृतिक उत्सवों, मेलों आदि का आयोजन, महिलाओं का सशक्तीकरण और अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना, आदि शामिल हैं। इस वर्ष के समझौता-ज्ञापन का लक्ष्य स्थानीय महिलाओं का उत्थान और उन्हें अधिकारिता प्रदान करने के उपाय करना है ताकि उन्हें परिवार की मदद करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अंतर्गत उन्हें कुछ ऐसी गतिविधियों में संलग्न किया जाएगा, जिससे वे परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें। आपकी कंपनी का प्रयास है कि जरूरतमंदों की मदद की जाए और साथ ही समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति वचनबद्धता का भी निर्वाह किया जाए।

पुरस्कार एवं सम्मान

मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा के विकास की दिशा में एनएचपीसी के सतत प्रयास किसी से छिपे नहीं रहे हैं और उद्योग जगत में विभिन्न मंचों पर आपकी कंपनी ने अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी कंपनी को कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विशिष्ट कार्य के लिए 'सामाजिक एवं सामुदायिक प्रभाव' से संबद्ध विद्युत निकाय परिषद द्वारा 'इंडिया पावर अवार्ड 2010' से सम्मानित किया गया है। एनएचपीसी को दूसरे बुनियादी ढांचा उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जुटाने वाले सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। एनएचपीसी को दून एंड ब्रैडस्ट्रीट रोल्टा कारपोरेट अवार्ड 2010 के अवसर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में उसके योगदान के लिए विद्युत क्षेत्र की सर्वोच्च कंपनी के रूप में भी मान्यता प्रदान की गयी और उसे दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल द्वारा गैर-विनिर्माण मिनी-रत्न श्रेणी के अंतर्गत "जेन्टल जाइन्ट्स अवार्ड" से भी सम्मानित किया गया। एनएचपीसी को 'सामाजिक दायित्व' श्रेणी के अंतर्गत 'सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड 2011' भी प्रदान किया गया।

आभार

मैं माननीय विद्युत मंत्री, विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत), संयुक्त सचिव (हाइड्रो) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के प्रति इस बात के लिए अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने कंपनी को व्यापक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। मैं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और योजना आयोग के अधिकारियों के मार्ग दर्शन एवं प्रोत्साहन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं अन्य संगठनों, जैसे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह, रक्षा, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और विद्युत बोर्डों एवं वितरण कंपनियों सहित राज्य सरकारों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के निरंतर सहयोग के लिए भी उनका आभारी हूं। मैं अपने निवेशकों, बैंकरों और ऋणदाताओं द्वारा कंपनी में व्यक्त किए गए भरोसे के लिए उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं।

मैं बोर्ड के अपने सहयोगियों के बहुमूल्य योगदान की भी सराहना करना चाहूंगा, जो उच्चतर उपलब्धियां हासिल करने में एनएचपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

मैं एनएचपीसी के सभी कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विकास और उसके भविष्य के निर्माण में अदा की गयी प्रतिबद्ध और समर्पित भूमिका के प्रति भी आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि हमें अपनी निष्पादन उत्कृष्ट बनाए रखने में प्रत्येक और हरेक का समर्थन एवं मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा।

ए. बी. एल. श्रीवास्तव
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 19 सितम्बर, 2011

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशकों का विवरण

निदेशकों का विवरण

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव (डीआईएन : 01601682) आयु 56 वर्ष, हमारे **निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** हैं। आप व्यापार वित्त और कामर्स में स्नाकोत्तार डिग्री धारक हैं। आप इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सदस्य भी हैं।

श्री श्रीवास्तव ने एनएचपीसी के विकास और उसकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। आप परियोजना वित्त पोषण के दायित्व का निर्वाह करते रहे हैं, जिसमें संसाधन जुटाना, वित्तीय पुनर्व्यवस्थापन और घेरलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से धन उगाहना तथा उसका अनुकूलतम उपयोग करना शामिल है। श्री श्रीवास्तव समुचित विभागीय नियंत्रण प्रणालियां तैयार करने में सक्रिय रहे हैं जिससे एनएचपीसी कारपोरेट अभिशासन पद्धतियों को अपनाने में सक्षम रही है।

एनएचपीसी में आने से पहले श्री श्रीवास्तव ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) में विभिन्न पदों पर काम किया। वे आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के बोर्ड में भी रह चुके हैं। श्रीयुत श्रीवास्तव मई 2008 से पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं।

श्री श्रीवास्तव आरईसी और एनएचपीसी लिमिटेड, दोनों के विनिवेश कार्यक्रम में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार स्पेशल अचीवर अवार्ड-2010 प्राप्त करने वालों में शामिल हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी विशिष्ट व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए दिया गया। श्रीयुत श्रीवास्तव 1.1.2011 से एनएचपीसी और साथ में इसकी अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड (मध्यप्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम) के सीएमडी का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाले हुए हैं। वे लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (मणिपुर सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम) के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने फरवरी, 2008 में निदेशक (वित्त) के रूप में एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार संभाला।

श्री डी. पी. भार्गव

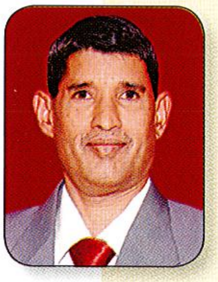

श्री डी. पी. भार्गव (डीआईएन : 01277269) आयु 55 वर्ष, हमारे **निदेशक (तकनीकी)** हैं। वे अनेक गतिविधियों के प्रभारी हैं, जिनमें निर्माणाधीन परियोजनाओं के डिजाइन और इंजीनियरी, वाणिज्यिक, परामर्शी एवं व्यापार विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, पावर स्टेशनों का निरीक्षण, प्रचालन और रखरखाव संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।

श्री भार्गव रुड़की विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक हैं। आपको जल विद्युत क्षेत्र में लगभग 33 वर्षों का अनुभव है। श्री भार्गव ने सतजुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाथपा झाकड़ी जल विद्युत केन्द्र में काम किया है और वे एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। श्री भार्गव ने एनएचपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में भी काम किया है। आपने 26 मार्च, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री जे. के. शर्मा

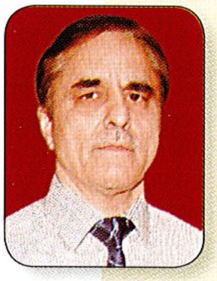

श्री जे. के. शर्मा (डीआईएन : 00387785) आयु 53 वर्ष, हमारे **निदेशक (परियोजनों)** हैं। आप वर्तमान में परियोजनाओं के निर्माण, सर्वेक्षण और अन्वेषण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) और निर्माण उपस्कर आयोजना (सीईपी) के प्रभारी हैं।

श्री शर्मा इंदौर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री धारक हैं। आप अमेरिकी सिविल इंजीनियरी सोसायटी के एक सदस्य हैं। आप इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एंड चार्टर्ड इंजीनियर्स, इंडिया के भी सदस्य हैं। आपको भारत तथा विदेश में मुख्य रूप से जल विद्युत के क्षेत्र में 31 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

एनएचपीसी में कार्य भार ग्रहण करने से पहले आपने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में निदेशक (सिविल) के रूप में काम किया है। आप राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार और मदर टेरेसा उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। आपने 10 अप्रैल, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री राधेश्याम मीना

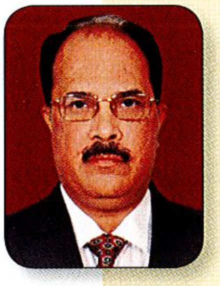

श्री राधेश्याम मीना (डीआईएन : 00149956) आयु 54 वर्ष, हमारे **निदेशक (कार्मिक)** हैं। वर्तमान में आप मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, राजभाषा, विधि, कारपोरेट संचार, सम्पदा और सुविधा प्रबंधन सेवाओं के प्रभारी हैं।

श्री मीना मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक तथा इदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता के साथ व्यापार विकास में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। उन्हें विद्युत क्षेत्र के 30 वर्ष के अनुभव सहित 31 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

हमारी कंपनी में श्री मीना का यह दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले उन्होंने 1 मई, 1981 से 18 नवम्बर, 1991 तक इस कंपनी में काम किया था। एनएचपीसी छोड़ कर उन्होंने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यभार संभाल लिया था। 18 दिसम्बर 1998 को उन्होंने फिर से एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण किया। एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री मीना ने कार्यपालक निदेशक (परामर्शी एवं व्यापार विकास) और कार्यपालक निदेशक, क्षेत्र-III, कोलकाता के रूप में सेवाएं प्रदान कीं। आपने 28 अप्रैल, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री राकेश जैन

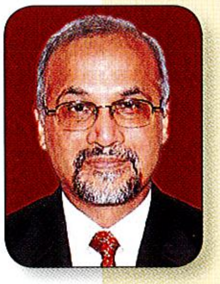

श्री राकेश जैन (डीआईएन : 02682574) आयु 54 वर्ष, हमारे **एक सरकारी अशंकालिक निदेशक** हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं। श्री जैन इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट्स सर्विस (1981) के अधिकारी हैं। वर्तमान में वे विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए) हैं। वे विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक हैं।

विद्युत मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री जैन महानिदेशक (लेखा, अधिकार, शिकायत और सूचना प्रणाली), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में प्रधान निदेशक, महालेखाकार (एजी) (लेखा परीक्षा), राजस्थान, एजी (एई-11), मध्यप्रदेश, प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा), रांची और प्रधान लेखा-परीक्षक निदेशक, भारतीय दूतावास, वाशिंगटन, अमरीका, सहित विभिन्न पदों पर काम कर चुके है। आपने 29 सितम्बर, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री सुधीर कुमार

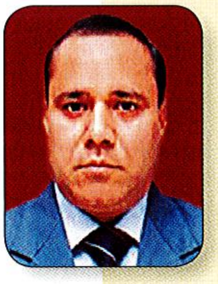

श्री सुधीर कुमार (डीआईएन : 02669103) आयु 55 वर्ष, हमारे **एक सरकारी अशंकालिक** निदेशक हैं। आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं। आप 1982 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए और आपको बिहार काडर आवंटित किया गया। रांची के विकास उपायुक्त और दुमका के उपायुक्त के रूप में आपने भारत सरकार के 10 लाख कुंए निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धन जन-जातीय लोगों के लिए 'जल है जान है' कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 50,000 से अधिक सिंचाई कुंओं एवं तालाबों, सैकडों रोक बांधें और सिंचाई स्कीमों का निर्माण किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट, सीतामढ़ी, उपायुक्त धनबाद, और वाणिज्य कर आयुक्त, झारखंड के रूप में काम करते हुए भी श्री कुमार की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं।

रेलवे मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में श्री कुमार ने वित्तीय दृष्टि से रेलवे का काया-कल्प करने में मंत्री की विशेष सहायता की। उनके प्रयासों के फलस्वरूप जो रेलवे एक समय अनन्त ऋण के जाल में फंसा हुआ था, वह देश में सबसे अधिक धन कमाने वाले संगठनों में शामिल हो गया।

श्री कुमार को 2008 में ऑल इंडिया मैनेजमेंट ऐसोसिएशन द्वारा लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति में ऐतिहासिक उलट-फेरे के लिए उन्हें नई दिल्ली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा 2007 के लिए निदेशक के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपने 21 अक्टूबर, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री के. धर्मराजन

श्री के. धर्मराजन (डीआईएन : 02322767) आयु 67 वर्ष, हमारे **स्वतंत्र निदेशक** हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेन कॉलेज से भौतिकी में मास्टर डिग्री तथा पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय, यूएसए से ऊर्जा प्रबंधन एवं नीति में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत्त सदस्य के रूप में आपको ऊर्जा, वित्त, प्रशासन, व्यापार एवं वाणिज्य, शहरी शासन एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ 45 वर्षों का विविध अनुभव है। आपने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, तमिलनाडु सरकार के वाणिज्य कर विभाग सहित केन्द्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर काम किया है। आपने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के महानिदेशक और दिल्ली सरकार की संपत्ति कर सुधार संबंधी विशेषज्ञ समिति और दिल्ली में कर से संबद्ध हार्डशिप एवं ऐनोमली समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वर्तमान में आप दिल्ली नगर निगम में सुधारों से संबद्ध विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं। आपने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, विश्व बैंक, एशिया-प्रशांत विकास केन्द्र और बहुपक्षीय/राष्ट्रीय स्तर के अन्य संगठनों के लिए अनेक परामर्शी कार्य भी शुरू किए हैं। आपने 3 सितम्बर, 2008 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया। आपका कार्यकाल 2 सितम्बर, 2011 को समाप्त हो रहा है।

श्री ए. गोपालकृष्णन

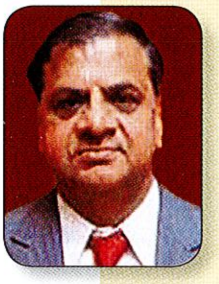

श्री ए. गोपालकृष्णन (डीआईएन : 02880344) आयु 59 वर्ष, हमारे **स्वतंत्र निदेशक** हैं। आप सनदी लेखाकारों की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक अत्यंत प्रतिष्ठित संगठन मैसर्स वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी में वरिष्ठ पार्टनर हैं, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। आपने मई, 1974 में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सी ए फाइनल परीक्षा में 13वां और सी ए इंटरमीडिएट में 36वां स्थान प्राप्त किया था। आप भारतीय उद्योग परिषद की राज्य परिषद, केरल क्षेत्र और कराधान अध्ययन केन्द्र तिरुवनंतपुरम के सदस्य रहे हैं। आप एर्नाकुलम के चिन्मय मिशन एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट नाम के शैक्षिक न्यास के साथ मुख्य सेवक के रूप में सम्बद्ध रहे हैं। आप चिन्मय विद्यालय, कोट्टायम के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। आप इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया की कोटट्ायम शाखा के अध्यक्ष (1999-2000) भी रह चुके हैं। श्री कृष्णन सी ए इंटरमीडिएट और सी ए फाइनल की कोचिंग बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रशिक्षक भी रहे हैं। आप वर्ष 2007-08 के लिए सीआईआई केरल क्षेत्र के आर्थिक मामलों और कराधान पैनल के संयोजक और दिसम्बर 2009 तक देना बैंक के निदेशक तथा देना बैंक बोर्ड की लेखा-परीक्षक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं।

श्री ए. गोपालकृष्णन विभिन्न विषयों पर लेख आदि लिखते रहे हैं और आईसीएआई जैसे व्यावसायिक निकायों द्वारा आयोजित सम्मेलनों और सेमिनारों में निबंध प्रस्तुत कर चुके हैं। आपने 15 दिसम्बर, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

60 मेगावाट रंगीत पावर हाऊस (सिक्किम)

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण

एनएचपीसी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन की 35वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

1. **वित्तीय निष्पादन**

31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को सारणी 1 में सार रूप में दर्शाया गया है।

सारणी 1

वित्तीय विशिष्टताएं **(रु.करोड़ में)**

विवरण	2010-11	2009-10
बिक्री	3999.63	4261.18
मूल्यहास, ब्याज और कर-पूर्व लाभ	4208.73	3878.03
मूल्यहास	916.74	1018.87
मूल्यहास के उपरान्त परन्तु ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	3291.99	2859.16
ब्याज एवं वित्त प्रभार	413.56	457.08
मूल्यहास और ब्याज के उपरान्त परन्तु कर से पूर्व लाभ	2878.43	2402.08
कर	711.76	311.58
मूल्यहास, ब्याज और कर-उपरान्त लाभ	2166.67	2090.50
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि लेखे का अधिशेष	3150.50	1963.66
बांड विमोचन रिजर्व से पश्च लिखित राशि	14.25	14.25
स्व बीमा रिजर्व से पश्च लिखित राशि	0.04	-
लाभांश पर कर-पश्च लिखित	1.80	3.98
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	5333.26	4072.39
विनियोजन		
बांड विमोचन रिजर्व को अंतरण	100	100
स्व-बीमा निधि को अंतरण	39.31	32.99
अंतरिम लाभांश	-	-
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	738.04	676.54
प्रस्तावित लाभांश पर कर	119.73	112.36
रिजर्व एवं अधिशेष में अग्रेनीत बकाया राशि	**4336.18**	**3150.50**

2. **विद्युत उत्पादन**

देश के विभिन्न भागों में स्थित और प्रचालित एनएचपीसी के 12 पावर स्टेशनों ने 2010-11 के दौरान 18606 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया। यह उत्पादन समझौता ज्ञापन में दिए गए 18000 मि.यू. के लक्ष्य से 606 मि.यू. अधिक रहा, जिसके लिए एनएचपीसी को **'उत्कृष्टता'** की श्रेणी में रखा गया है। पिछले वर्ष के उत्पादन के मुकाबले वर्ष 2010-11 में विद्युत का उत्पादन 9.70 प्रतिशत अधिक रहा है। वर्ष के दौरान 120 मेगावाट के सेवा-II पावर स्टेशन (3x40=120 मेगावाट) को सितंबर 2010 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। आपकी कंपनी के समग्र विद्युत उत्पादन में इस परियोजना का योगदान 363 मि. यू. का रहा है।

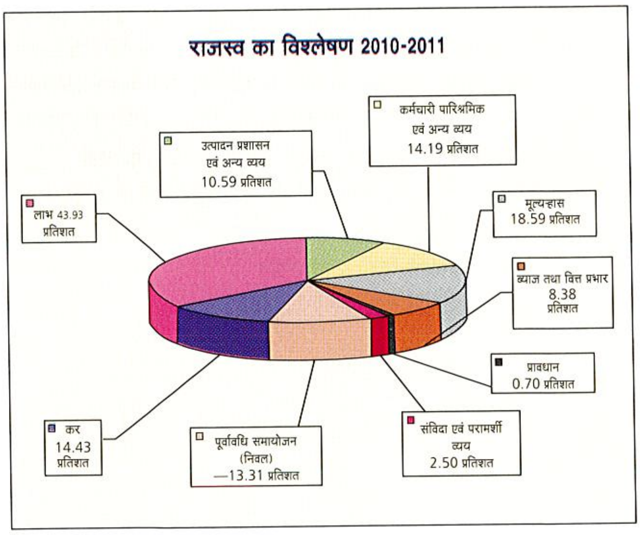

3. **प्रस्तावित लाभांश :**

आपके निदेशकों ने वर्ष 2010-11 के लिए रु. 0.60 प्रति शेयर लाभांश (कर को छोड़कर) की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के बाद किया जायेगा। वर्ष के लिए लाभांश का कुल भुगतान रु.738.04 करोड़ बैठता है, जो कर उपरान्त 34.06 प्रतिशत लाभ दर्शाता है।

4. **पूंजीगत ढांचा**

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की चुकता पूंजी रु. 12300.74 करोड़ रही है।

5. **वर्तमान में जारी परियोजनाओं की स्थिति**

वर्ष के दौरान कंपनी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें भूवैज्ञानिक बाधों, प्राकृतिक आपदाएं और स्थानीय समस्याएं शामिल थीं,

किन्तु, निर्माण गतिविधियां बेहतर गति से जारी रहीं और परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में आपकी कंपनी 4502 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगी है, जिनका विवरण सारणी 2 में दिया गया है। छह परियोजनाएं ऐसी हैं जो निर्माण के अग्रिम चरणों में पहुंच गई हैं। ये हैं : तीस्ता लो डैम- III, उड़ी- II, चमेरा- III, निम्मो बाजगो, चुटक और पार्बती-III-

सारणी 2 : निर्माणाधीन जल विद्युत परियोनाओं का ब्यौरा

जल विद्युत परियोजनाएं	राज्य	प्रस्तावित संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
तीस्ता लो डैम- III	पश्चिम बंगाल	132
उड़ी- II	जम्मू-कश्मीर	240
चमेरा- III	हिमाचल प्रदेश	231
तीस्ता लो डैम- IV	पश्चिम बंगाल	160
निम्मो बाजगो	जम्मू-कश्मीर	45
पार्बती-III	हिमाचल प्रदेश	520
पार्बती-II	हिमाचल प्रदेश	800
चुटक	जम्मू-कश्मीर	44
सुबानसिरी लोवर	असम/अरुणाचल प्रदेश	2,000
किशनगंगा	जम्मू-कश्मीर	330
कुल		4,502

6. **वाणिज्यिक निष्पादन**

आपकी कंपनी का वाणिज्यिक निष्पादन अत्यंत संतोषजनक रहा है। कंपनी ने शुल्क प्रभारों का शत प्रतिशत बिक्री वसूली का लक्ष्य हासिल किया जबकि पिछले वर्ष 97 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ था।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आयोग (सीईआरसी) ने विनियमों के अंतर्गत शुल्क निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें अधिसूचित की हैं, जो 1 अप्रैल, 2009 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू हैं। सभी 12 पावर स्टेशनों के संदर्भ में याचिकों दायर की जा चुकीं हैं और तीन पावर स्टेशनों के लिए शुल्क की दरें पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं।

7. **परियोजना प्रबंधन :**

कारपोरेट कार्यालय में एक ऑन लाइन परियोजना निगरानी केन्द्र की स्थापना की गयी है ताकि वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा सके और निर्माणाधीन परियोजनाओं में महत्वपूर्ण ठिकानों पर लगाए गए कैमरों से लाइव वीडियो फीड्स उपलब्ध कराए जा सकें। इससे भौतिक आधार पर आंकड़ो और वित्तीय प्रगति का विश्लेषण किया जा सकता है।

8. **नई स्कीमें**

स्वीकृति/अनुमोदन चरण के अंतर्गत परियोजनाएं

स्वीकृति/अनुमोदन चरण के अंतर्गत परियोजनाओं का विवरण सारणी-3 में दिया गया है।

भावी विस्तार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आपकी कंपनी की सात परियोजनों अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। इन सात परियोजनाओं के अतिरिक्त 3620 मेगावाट की दो परियोजनाएं राज्य सरकार/सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के ज़रिए निष्पादित की जायेंगी।

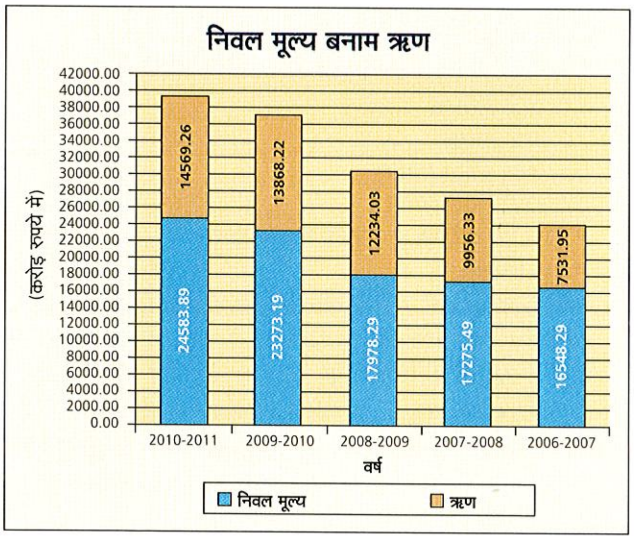

सारणी 3 : स्वीकृति/अनुमोदन चरण के अंतर्गत परियोजनाएं

एनएचपीसी द्वारा अकेले निष्पादित की जाने वाली परियोजनाएं

क्र.स.	परियोजना का नाम	क्षमता
1	कोटली भेल I-ए उत्तराखंड	195 मेगावाट
2	कोटली भेल I-बी उत्तराखंड	320 मेगावाट
3	कोटली भेल II उत्तराखंड	530 मेगावाट
4	तीस्ता IV,-सिक्किम	520 मेगावाट
5	दिबांग, अरुणाचल प्रदेश	3,000 मेगावाट
6	तवांग-I, अरुणाचल प्रदेश	600 मेगावाट
7	तवांग-II, अरुणाचल प्रदेश	800 मेगावाट
कुल		5965 मेगावाट

क्र.स.	परियोजना का नाम	क्षमता
संयुक्त उद्यम कंपनी		
*8	पकल दूल और अन्य, जम्मू-कश्मीर	2120 मेगावाट
9	तिपाईमुख, मणिपुर	1500 मेगावाट
कुल		**3620 मेगावाट**
समग्र योग		**9585 मेगावाट**

* जम्मूकश्मीर राज्य में चेनाब घाटी में पकल दूल और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एनएचपीसी ने जून, 2011 में एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट (प्रा.) लि. की स्थापना की है, जिसकी कुल संस्थापित क्षमता करीब 2100 मेगावाट की होगी। चेनाब घाटी परियोजनाओं में इक्विटी शेयर पूंजी में एनएचपीसी, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम और पीटीसी इंडिया का योगदान 49:49:2 के अनुपात में होगा।

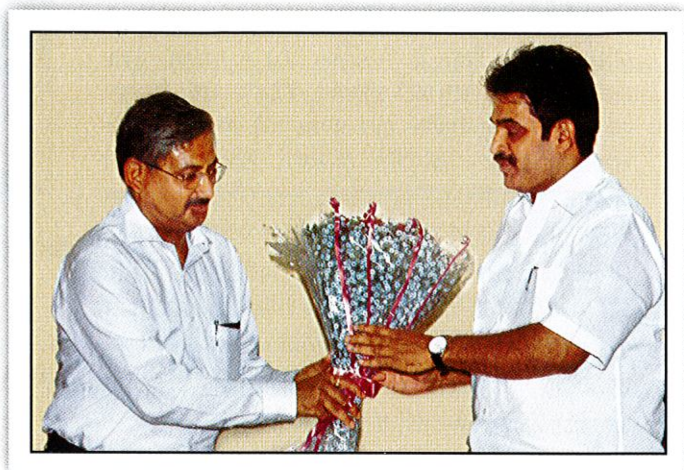

श्री के. सी. वेणुगोपाल, माननीय केंद्रीय विद्युत राज्यमंत्री का एनएचपीसी मुख्यालय दौरा

9. डीपीआर/एफआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने 2155 मेगावाट क्षमता की पांच परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर्स), व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर्स) तैयार करने और उनके सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का काम शुरू किया है। ये परियोजनाएं मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं। विवरण सारणी 4 में दिया गया है।

सारणी 4 : डीपीआर्स, एफआर्स, और सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

क्र.स.	परियोजनाएं	क्षमता
1	बरसर, जम्मू-कश्मीर	1,020 मेगावाट
2	चुंगर चल, उत्तराखंड	240 मेगावाट
3	गरबा तवाघाट, उत्तराखंड	630 मेगावाट
4	करमोली लूमटी तुली, उत्तराखंड	55 मेगावाट
5	लाचेन, सिक्किम	210 मेगावाट
	कुल	**2155 मेगावाट**

10. वैश्विक प्रयास

2020 तक 10,000 मेगावाट जल विद्युत विकास के लिए भारत-भूटान सहयोग के बारे में एक 'कार्य योजना' के अंतर्गत वर्ष के दौरान निम्नांकित गतिविधियों को अंजाम दिया गया :

भूटान में चमखरचु-I जल विद्युत परियोजना (670 मेगावाट) और कुरी गोंगरी जल विद्युत परियोजना (1800 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम विद्युत मंत्रालय द्वारा एनएचपीसी को सौंपा गया।

मार्च 2010 में एनएचपीसी और भूटान की शाही सरकार के ऊर्जा विभाग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भूटान की मंगदेचू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) की निर्माण-पूर्व गतिविधियों के लिए इंजीनियरी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने निम्नांकित परामर्शी सेवाएं प्रारंभ कीं :-

- विदेश मामले मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्शी कार्यों के रूप में म्यांमार में 1200 मेगावाट की तामंथी और 642 मेगावाट की श्वेज़ए जल विद्युत परियोजना और बहुउद्देश्यीय

एनएचपीसी एवं जेएससीआरयूएस हाइड्रो के बीच समझौता ज्ञापन

परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त अन्वेषण किया गया और अद्यतन डीपीआर्स (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की गईं।

- तजाकिस्तान में वारज़ोब-। जल विद्युत परियोजना। विदेश मामले मंत्रालय, भेल और एनएचपीसी के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत इसका आरएमयू कार्य एनएचपीसी को सौंपा गया है।

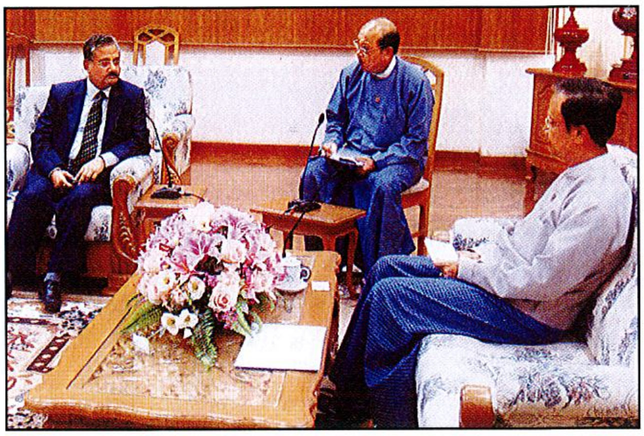

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा म्यांमार का दौरा

11. परामर्शी एवं व्यापार विकास सेवाएं

एनएचपीसी जल विद्युत के निम्नांकित क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रही है-नदी घाटी अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य, डिजाइन एवं इंजीनियरी, भू-वैज्ञानिक और भू-तकनीकी अध्ययन, जलीय क्षणभंगुरता अध्ययन (हाइड्रोलिक ट्रैन्सिॲन्ट स्टॅडीज), जलविज्ञान अध्ययन, संविदा प्रबंधन, निर्माण प्रबंधन, उपस्कर नियोजन, भूमिगत निर्माण, परीक्षण प्रारंभ करने और प्रचालन एवं रखरखाव।

आपकी कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रमुख परामर्शी कार्यों में केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों, जैसे राज्य विद्युत बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से मिलने वाले कार्य शामिल हैं।

एनएचपीसी जल विद्युत के क्षेत्र में परामर्शदाता संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों और केन्द्रीय जल आयोग के साथ पंजीकृत है।

12. आरजीजीवीवाई-ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं

आपकी कंपनी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा) में फैले 27 जिलों में करीब 2900 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं संचालित कर रही है।

इस काम के अंतर्गत 29709 गांवों (9504 गैर-विद्युतीकृत/पुनः अविद्युतीकृत यानी यूई/डीई और 20205 आंशिक विद्युतीकृत) का विद्युतीकरण और 20.49 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को विद्युत के कनेक्शन प्रदान करना शामिल है।

2010-11 के दौरान एनएचपीसी ने 2667 यूई/डीई गांवों के विद्युतीकरण का काम पूरा किया और 7.48 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को विद्युत के कनेक्शन प्रदान किए। 31.03.2011 को यूई/डीई गांवों, पीई गांवों और बीपीएल कनेक्शनों की समग्र संख्या क्रमशः 8,632, 14,419 और 16.28 लाख थी।

आपकी कंपनी आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लेह और कारगिल जिलों में 66 केवी ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण भी कर रही है।

13. ग्रामीण सड़क परियोजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए एनएचपीसी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बिहार के 6 जिलों में बनाई जा रही इन सड़कों का रखरखाव आपकी कंपनी द्वारा किया जायेगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1921 करोड़ रुपये की लागत से 3517 किलोमीटर लम्बी 832 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

आपकी कंपनी ने अभी तक 818.93 करोड रुपए की लागत से 1,627 किलोमीटर लम्बी 333 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री जारबोन गैमलिन का स्वागत करते हुए

14. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

पिछले तीन वर्षों में ईआरपी के सभी मॉड्यूल्स निष्पादित करने के बाद संगठन के महत्वपूर्ण कार्य अब पूरी तरह आईटी सक्षम बन गए हैं, जिनमें निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रबंधन और पावर स्टेशनों के रखरखाव पर प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

आईटी पर बढ़ती निर्भरता की जरूरतें पूरी करने के लिए 50 से अधिक स्थानों पर आईटी और संचार ढांचे का उन्नयन किया गया है। संगठन की सभी सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य आईटी सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।

एनएचपीसी ने अपने स्वामित्व में आने वाली आईटी प्रणालियों और परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क स्थापित किया है ताकि उनका इस्तेमाल अनुकूलतम सुरक्षित ढंग से किया जा सके।

15. प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण के प्रति वचनबद्धता के हिस्से के रूप में आपकी कंपनी ने विभिन्न पावर स्टेशनों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। कंपनी ने सभी वर्गों के कर्मचारियों के कौशल एवं जानकारी को और बढ़ाने के लिए देश में प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के साथ प्रशिक्षण उद्यमों का भी विकास किया है। विद्युत क्षेत्र की मौजूदा और उभरती हुई, दोनों ही तरह की प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार एवं संचालित किए गए।

आरक्षण नीति की विशेषताओं और अजा/अजजा/अपिव श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अन्य अनिवार्य प्रावधानों के प्रति जागरूकता पैदा करने के बारे में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एनएचपीसी जेंटल जाइंट्स अवार्ड से सम्मानित

16. कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं/स्टेशनों/यूनिटों में औद्योगिक संबंध सद्‌भाव एवं सामंजस्य पूर्ण रहे। इस अवधि में हड़ताल या तालाबंदी की कोई घटना सामने नहीं आयी।

कामगारों के प्रतिनिधियों को, यथा संभव, निर्णय करने की प्रक्रिया में भागीदार बनने की अनुमति प्रदान की गई। वर्ष के दौरान द्वितीय वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएचपीसी कार्यकारियों के वेतनमान और वेतन संशोधित किए गए। कार्मिकों के वेतन संशोधन के बारे में उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। संगठित श्रेणी (कामगार) और असंगठित सुपरवाइजरी श्रेणी के संशोधित वेतन और वेतनमान 1.1.2007 से लागू कर दिए गए है।

औद्योगिक संबंधों, महिला कर्मचारियों, कर्मचारी कल्याण और विकलांग व्यक्तियों के बारे में विवरण प्रबंधन एवं विचार-विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

17. अनुसंधान एवं विकास

एनएचपीसी का अनुसंधान एवं विकास विंग विभिन्न क्षेत्रों में अनेक गतिविधियां संचालित कर रहा है।

यह विंग आत्म-निर्भरता में सुधार, आयात प्रतिस्थापन, समस्या-मुक्त प्रचालन, तीव्रतर निर्माण, सक्षमता अर्जन, नवाचार और लागत में कमी और अवशेष जीवन पूर्वानुमान की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है।

कंपनी के कुछ विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें अनुसंधान एवं विकास किया गया, के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :

- सलाल पावर स्टेशन में पेनस्टॉक का कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स (सीएफडी) विश्लेषण किया गया।
- हाइड्रो जेनरेटर टरबाइन के लिए सिल्ट प्रतिरोधी सामग्री के विकास की राष्ट्रीय अनुसंधान एव विकास परियोजना।
- अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी) संबंधी परियोजनाएं -उच्च हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत जल प्रभारित क्षेत्रों में सुरगें बनाना।

वार्षिक संवाददाता सम्मेलन

18. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर)

आपकी कंपनी परियोजना प्रभावित परिवारों की समस्याओं, चिंताओं और आकांक्षाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। इसलिए एनएचपीसी ने राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 की तर्ज पर स्वयं की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति 2007 तैयार की है।

आपकी कंपनी ने अपनी नीति में 'असुरक्षित' व्यक्तियों की परिभाषा में संशोधन किया है ताकि उनमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जा सके जो अक्षम, बेसहारा, अनाथ, विधवा, अविवाहित बालिकाओं, परित्यक्त महिलों या 50 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जा सके, जिन्हें तत्काल वैकल्पिक आजीविका प्रदान नहीं की गई अथवा प्रदान नहीं की जा सकती और जो परिवार के हिस्से के रूप में कवर नहीं किए गए। असुरक्षित व्यक्तियों को पुनःपरिभाषित करने के पीछे लक्ष्य यह है कि अधिक से अधिक प्रभावित लोगों को नीति के दायरे में लाया जा सके।

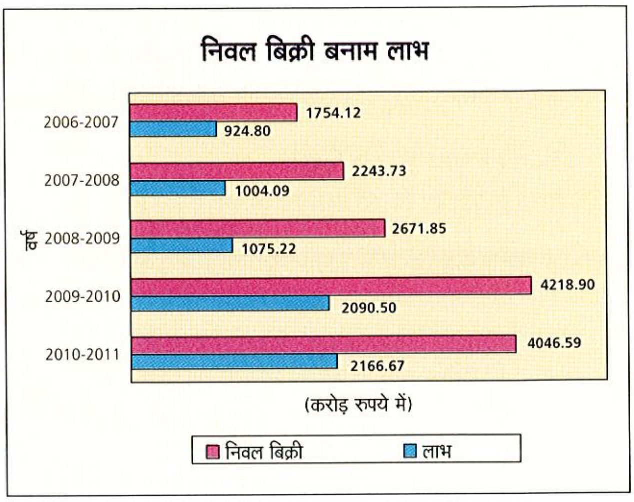

आपकी कंपनी राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 में प्रस्तावित लाभों से कुछ अधिक लाभ प्रदान करती है। यह नीति परियोजना प्रभावित परिवारों की भूमि, मकानों, अन्य संसाधनों, जीवन निर्वाह के साधन आदि की हानि से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन करती है। नीति में परियोजना प्रभावित और स्थानीय लोगों, दोनों के लिए आय के अवसर सृजित करने और उनकी चिंताएं दूर करने पर ध्यान दिया जाता है। आपकी कंपनी मुख्य रूप से परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देती है।

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति को उसकी मूल भावना के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन गतिविधियों के प्रभावकारी निष्पादन हेतु एक प्रचालनगत नियमावली तैयार की गयी है।

19. सतर्कता कार्यकलाप

सतर्कता प्रभाग ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली और कार्यों एवं खरीद के क्षेत्रों में अनेक निवारक/अनुकूलन संबंधी परिपत्र जारी किए ताकि नैतिकता और ईमानदारी के मूल्यों को प्रोत्साहित करते हुए बेहतर अभिशासन सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशा निर्देशों को कंपनी में पुनः प्रचारित किया गया ताकि उनके प्रति जागरूकता बनी रहे और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

आपकी कंपनी ने ट्रांसपेरेन्सीज इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

रुपए 15 करोड़ और रुपए 25 लाख मूल्य के निर्माण कार्यों और खरीद के लिए एक निष्ठा समझौता लागू किया जा रहा है, जिसका कार्यान्वयन केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हो रहा है।

20 जालसाज़ी निवारक नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी में जालसाजी निवारक नीति तैयार की गयी है और इसे लागू किया जा रहा है।

21 राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का कंपनी में अनुपालन किया गया। भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किए गए।

कारपोरेट कार्यालय और पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षण किए गए। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड (देहरादून) का राजभाषा निरीक्षण दूसरी संसदीय राजभाषा उपसमिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति ने हमारी कंपनी की राजभाषा प्रगति की सराहना की।

01 से 15 सितम्बर 2010 की अवधि में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा ज्योति' का विमोचन किया गया और हिन्दी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गयीं। राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहित और प्रचारित करने के लिए अखिल भारतीय हिन्दी कवि संम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान हिन्दी कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कक्षाएं भी आयोजित की गयीं।

वर्ष 2011-12 में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के साथ एनएचपीसी का समझौता ज्ञापन

फरीदाबाद में एनएचपीसी आवासीय परिसर में कर्मचारियों के बच्चों के लिए हिन्दी काव्य पाठ और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

एनएचपीसी को वर्ष 2008-09 के लिए भारत सरकार द्वारा "इंन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना" के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। एनएचपीसी को राजभाषा के कार्यान्वयन में विशिष्ट योगदान के लिए एनटीपीसी राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत 2008-09 के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड और प्रशस्ति पत्र तथा 2009-10 के लिए द्वितीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके अलावा आपकी कंपनी के तीन क्षेत्रीय कार्यालयों और एक पावर स्टेशन को भी राजभाषा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया।

आपकी कंपनी ने विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गयी 'विद्युत शब्दावली' के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

22 कारपोरेट संचार

जल विद्युत के विकास में एनएचपीसी की शक्ति और क्षमताओं के बारे में आम जनता में बेहतर जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कंपनी के प्रयासों और उपलब्धियों को समुचित रूप में उजागर किया गया।

आपकी कंपनी ने भारत और विदेश में विभिन्न प्रदर्शनियों, पॉवर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में खेलों से संबंधित गतिविधियों में हिस्सा लिया और '**स्वच्छ ऊर्जा जल ऊर्जा**' के संदेश का प्रसार किया।

एनएचपीसी के बारे में कारपोरेट फिल्मों और पर्यावरण के बारे में एक फिल्म का प्रदर्शन कई मंचों पर किया गया।

द्विमासिक पत्रिका एनएचपीसी न्यूज और मासिक विज्ञप्ति का इस्तेमाल आंतरिक संचार के कारगर साधनों के रूप में जारी रहा।

ऊर्जा संरक्षण दिवस 2010 के प्रचार के प्रयासों के हिस्से के रूप में एनएचपीसी के समन्वय से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इसका आयोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिंसी (बीईई) और विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया।

23 पुरस्कार एवं उपलब्धियां

2010-11 के दौरान, एनएचपीसी ने अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- भारतीय अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान के लिए एनएचपीसी को *दून एंड ब्रैडस्ट्रीट-रोल्टा कारपोरेट पुरस्कारों* में विद्युत क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट भारतीय कंपनी का सम्मान प्रदान किया गया।
- एनएचपीसी को वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के सृजन के लिए सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का सम्मान प्रदान किया गया।
- एनएचपीसी को दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल द्वारा गैर-विनिर्माण-मिनी रत्न श्रेणी के अतर्गत ***जेन्टल जाइंट्स अवार्ड*** प्रदान किया गया।
- कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत एनएचपीसी के विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए 'सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव' से संबंधित काउंसिल आफ पावर यूटिलिटीज ने कंपनी को 2010 का इंडिया पावर अवार्ड प्रदान किया।
- सामाजिक दायित्व श्रेणी के अंतर्गत कंपनी को 2011 का सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया।

24 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति एनएचपीसी की वचनबद्धता इसके कारपोरेट मिशन वक्तव्य से ध्वनित होती है, जिसमें कहा गया है 'परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं प्रचालन लागत की दृष्टि से किफायती, पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से करना'।

सीएसआर के बारे में लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप आपकी कंपनी ने एक नीति तैयार की है और स्वास्थ्य, शिक्षा, आसपास के क्षेत्रों के विकास, खेल एवं संस्कृति, रोजगार के अवसरों और पावर हाऊस तथा निर्माण परियोजनाओं के भीतर तथा आसपास रहने वाले समुदायों के लिए स्वच्छ पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सीएसआर से संबंधी अनेक उपाय लागू किए हैं।

वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के अन्य उपाय भी किए गए जिनमें औषधीय गुणों के साथ जड़ी-बूटी उद्यानों का निर्माण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, मत्स्य प्रबंधन, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, चिकित्सा शिविरों का आयोजन और ढांचागत विकास के उपाय शामिल हैं।

25 कारपोरेट अभिशासन

कारपोरेट पर एक अलग विवरण अनुपालन प्रमाणपत्र सहित निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में संलग्नक-1 में दिया गया है और इस रिपोर्ट पर प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट को संलग्नक-2 में दिया गया है।

26 सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न दस्तावेज/रिकार्ड अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए।

निवल बिक्री बनाम मूल्य संवर्द्धन

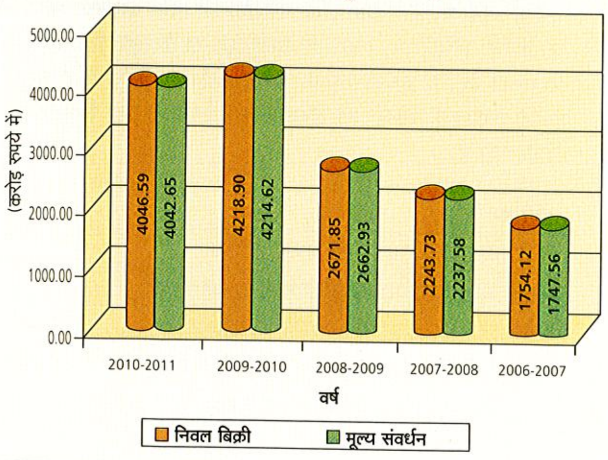

सूचना तक राष्ट्रव्यापी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पावर स्टेशन/परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय/यूनिट में सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गयी।

सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया गया और आवेदकों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई गयी। श्री एस के दुबे, मुख्य इंजीनियर, को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी निर्दिष्ट किया गया।

27 **ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय**

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1)(च), जिसे कंपनी (भंडार, निदेशक मंडल संबंधी विवरण का प्रकटीकरण) नियमावली, 1986, के साथ पढ़ा जाता है, के संदर्भ में अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय संबंधित जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के संलग्नक-3 में दी गयी है।

विवरण के लिए रिपोर्ट का संलग्नक-3 देखें।

आईआईटीएफ- 2010 में विद्युत मंत्रालय पेवेलियन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु रजत पदक

28 **कर्मचारियों के ब्योरे**

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क), जिसे कंपनी (कर्मचारियों के ब्योरे) नियमवाली, 1975 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत अपेक्षित सूचना रिपोर्ट के संलग्नक-4 में दी गयी है।

29 **लेखा परीक्षक**

वर्ष 2010-11 हेतु लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स एसबीजी एंड कंपनी, दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2010-11 के लिए कंपनी की शाखाओं के लेखा परीक्षक के रूप में बवेजा एंड कौल, तिवारी एंड असोशिएट्स, सिंघी एंड कपंनी और ए. कायेस एंड कंपनी की नियुक्ति की गयी।

30 **लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अनुसूची-24 में कंपनी ने विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की हैं, जो स्वतः स्पष्ट हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के जवाब तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को क्रमशः संलग्नक-5 और संलग्नक-6 में दिया गया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित कंपनी का समेकित वित्तीय विवरण संलग्नक-7 में दिया गया है।

31 **लागत लेखा परीक्षक**

लागत लेखांकन रिकार्ड (विद्युत उद्योग) नियमावली 2001 के अंतर्गत निर्धारित लागत लेखों का रखरखाव कंपनी के सभी केन्द्रों द्वारा 2002-03 से रखा जा रहा है। 2010-11 के लिए लागत लेखा-परीक्षा प्रगति पर है। लागत लेखा परीक्षक की निम्न लिखित फर्मो को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233-ख के तहत वित्त वर्ष 2010-11 के लिए प्रत्येक फर्म के सामने दर्शाए गए विद्युत केन्द्र के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखा-परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री प्रेमकुमार धूमल का स्वागत करते हुए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एनएचपीसी

फर्म का नाम	पावर स्टेशन का नाम
मैसर्स के. एल. जयसिंह एंड कंपनी, नोएडा	उड़ी-पावर स्टेशन और दुलहस्ती पावर स्टेशन
मैसर्स के. जी. गोयल एंड असोशिएट्स, नई दिल्ली	सेवा-II जल विद्युत परियोजना और चमेरा-I पावर स्टेशन
मैसर्स एस. के. आद्या एंड कंपनी, फरीदाबाद	धौलीगंगा पावर स्टेशन और टनकपुर पावर स्टेशन
मैसर्स जुगल के पुरी एंड असोशिएट्स, नई दिल्ली	बैरा स्यूल पावर स्टेशन एवं चमेरा-II पावर स्टेशन
मैसर्स डी दत्ता एंड असोशिएट्स, कोलकाता	लोकतक पावर स्टेशन और रंगित पावर स्टेशन
मैसर्स आर. एम. बंसल-कानपुर	सलाल पावर स्टेशन एवं तीस्ता-V पावर स्टेशन

वित्त वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तुत की गयी लागत लेखा परीक्षक रिपोर्ट का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं	पावर स्टेशन	लागत लेखा परीक्षक	सदस्यता संख्या	पता	लागत लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख	लागत लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख
1	उडी 1	के. एल. जयसिंह एंड कंपनी, लागत लेखाकार	1222	जे-7, सैक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा- 201301	9/27/2010	9/1/2010
2	दुलहस्ती	के. एल. जयसिंह एंड कंपनी, लागत लेखाकार	1222	जे-7, सैक्टर-11, जयसिंह हाउस, नोएडा-. 201301	9/27/2010	9/1/2010
3	सलाल	के. जी. गोयल एंड असोशिएट्स, लागत लेखाकार	10884	4-ए, पॉकेट-2, मिक्स हाउसिंग, न्यू कोंडली, मयूर विहार-3, नई दिल्ली- 110096	9/27/2010	9/2/2010
4	चमेरा-1	के. जी. गोयल एंड असोशिएट्स, लागत लेखाकार	10884	4-ए, पॉकेट-2, मिक्स हाउसिंग, न्यू कोंडली, मयूर विहार-3, नई दिल्ली- 110096	9/27/2010	9/2/2010
5	बैरा स्यूल	जुगल के. पुरी एंड असोशिएट्स, लागत लेखाकार	3703	के-19 (ग्राउंड फ्लोर) साउथ एक्सटेंशन भाग-2, नई दिल्ली - 110049	9/27/2010	9/8/2010
6	चमेरा-2	जुगल के. पुरी एंड असोशिएट्स, लागत लेखाकार	3703	के-19 (ग्राउंड फ्लोर) साउथ एक्सटेंशन भाग-2, नई दिल्ली - 110049	9/27/2010	9/8/2010
7	लोकतक	डी. दत्ता एंड असोशिएट्स, लागत लेखाकार	11633	58, क्रीक रो, कोलकाता - 700014	9/27/2010	9/13/2010
8	रंगित	डी. जी. एम. एंड असोशिएट्स, लागत लेखाकार	10223	64 बीबी गांगुली स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता -700012	9/27/2010	9/2/2010
9	तीस्ता-5	डी. जी. एम. एंड असोशिएट्स, लागत लेखाकार	10223	64 बीबी गांगुली स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोलकाता -700012	9/27/2010	9/2/2010
10	धौलीगंगा	एस. के. अडिया एंड कंपनी, लागत लेखाकार	765	1158/ सेक्टर- 14, फरीदाबाद - 121007, हरियाणा	9/27/2010	9/7/2010
11	टनकपुर	एस. के. अडिया एंड कंपनी, लागत लेखाकार	765	1158/ सेक्टर- 14, फरीदाबाद - 121007, हरियाणा	9/27/2010	9/7/2010

32 समेकित वित्तीय विवरण :

लेखांकन मानक एएस-21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण, जिसे असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन मानक एएस-23 और संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में लेखांकन मानक एएस-27 के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिपोर्ट में लेखा-परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अंतर्गत दिया गया है। होल्डिंग कंपनी का अनुषंगी कंपनी में हित संबंधी विवरण रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

33 अनुषंगी कंपनियां

आपकी कंपनी की दो अनुषंगी कंपनियां हैं - एनएचडीसी लिमिटेड और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड। इन कंपनियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रबंधन विचार-विमर्श रिपोर्ट में दी गयी है।

अनुषंगी कंपनियों - एनएचडीसी लिमिटेड और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, के लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे आपकी कंपनी के तुलन पत्रक से संबद्ध नहीं किए गए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र के अनुसार कोई भी शेयरधारक जो अनुषंगी कंपनियों से संबंधित इन रिपोर्टों को प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को पत्र लिख सकता है। यह जानकारी एनएचपीसी वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध है।

अनुषंगी कंपनियों के वार्षिक लेखे निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और संबद्ध अनुषंगी कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों में भी रखे जाएंगे। कंपनी द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण में इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

34 निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार निदेशक एतद द्वारा निम्न की पुष्टि करते हैं :

i) वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं।

iii) निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल-साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं; और

iv) निदेशकों ने "अनवरत संबंध" आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

35 निदेशक मंडल

पिछली रिपोर्ट के बाद एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस के गर्ग 31.12.2010 को सेवा निवृत हो गए। निम्नांकित स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल भी पूरा हो गया :

श्रीमती कोमल आनंद, स्वतंत्र निदेशक, 02.04.2011 से कंपनी के निदेशक पद से कार्य मुक्त हो गयीं।

श्री ए के मागो, स्वतंत्र निदेशक, 03.04.2011 से कंपनी के निदेशक पद से कार्य मुक्त हो गए।

श्री रमन सिद्धू, स्वतंत्र निदेशक, 07.04.2011 से कंपनी के निदेशक पद से कार्य मुक्त हो गए।

श्री आर जयसीलन, स्वतंत्र निदेशक, 23.04.2011 से कंपनी के निदेशक पद से कार्य मुक्त हो गए।

डॉ. कुरियाकोसे ममकूट्टम, स्वतंत्र निदेशक, 17.06.2011 से कंपनी के निदेशक पद से कार्य मुक्त हो गए।

बोर्ड की वर्तमान संरचना कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दी गयी है।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष कर विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारों, बैंकरों, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से मिले सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल कंपनी के वांछित लक्ष्यों को हासिल करने में ठेकेदारों, विक्रेताओं, परामर्शदाताओं और अन्य लोगों द्वारा दिए गए योगदान की भी सराहना करता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल विद्युत प्राप्त करने वाले लाभार्थियों, राज्य विद्युत बोर्डों तथा परामर्श कार्यों के लिए अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों की विशेष रूप से सराहना करता है।

निदेशक मंडल सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग हेतु उनकी विशेष सराहना करता है। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल एनएचपीसी के सभी कर्मचारियों के अथक प्रयासों, उनकी बहुमूल्य सेवाओं, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करता है। इन सभी संबद्ध पक्षों का सहयोग कंपनी की सफलता और उपलब्धियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(ए बी एल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 01601682

तारीख : 12.08.2011
स्थान : फरीदाबाद

संलग्नक-1

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. **अभिशासन संहिता पर कंपनी का विचार :**

कंपनी अभिशासन का आधार यह है कि प्रबंधन शेयरधारकों के अक्षुण्ण अधिकारों को इस रूप में स्वीकार करे कि वे कंपनी के वास्तविक मालिक हैं और उनकी स्वयं की भूमिका शेयरधारकों की ओर से न्यासी की है। यह वास्तव में मूल्यों के प्रति, नैतिकता के साथ कार्य व्यापार संचालित करने के प्रति, और किसी कंपनी के प्रबंधन में व्यक्तिगत और कारपोरेट निधि के बीच भेद समझने के प्रति प्रबंधन की वचनबद्धता है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के प्रावधानों को अपनाने के अलावा, हम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करते हैं। एनएचपीसी में, प्रबंधन का यह प्रयास रहा है कि हर समय सभी स्टॉकहोल्डरों के सर्वोत्कृष्ट हित में काम किया जाए और स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए कारपोरेट अभिशासन की बेहतर पद्धतियां अपनाई जों।

2. **निदेशक मंडल**

i) **बोर्ड का आकार :** एनएचपीसी कंपनी अधिनियम, 1956, की धारा 617 के अर्थों के तहत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 निदेशकों से कम तथा 15 से अधिक नहीं होगी, बशर्ते स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में बोर्ड की वास्तविक संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

ii) **बोर्ड का गठनः** वर्तमान में, कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड (निदेशक मंडल) में 13 निदेशक हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा सात स्वतंत्र निदेशक हैं। वर्ष के दौरान पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित निदेशकों के नाम तथा उनकी श्रेणी एवं बोर्ड की बैठक में उनकी उपस्थिति और सूचीबद्ध करार के तहत हुई लेखापरीक्षा समिति, अंशधारक शिकायत समिति बैठकों में निदेशकशिप एवं समिति स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

निदेशक का नाम	निदेशकों के सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड बैठकों की संख्या, जिनमें हिस्सा लिया	अंतिम एजीएम (22.09.10 को हुई) में उपस्थिति	31.03.2011 को धारित अन्य निदेशकशिप #		31.03.2011 को अन्य समितियों की संख्या, जिनकी सदस्यता धारित की हो	
				सार्वजनिक	निजी	अध्यक्ष	सदस्य
कार्यकारी निदेशक							
श्री एस के गर्ग*	11	10	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री ए बी एल श्रीवास्तव	13	13	हां	3	शून्य	शून्य	1
श्री डी पी भार्गव	13	13	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जे के शर्मा	13	13	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री आर एस मीना	13	13	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर कार्यकारी निदेशक							
श्री राकेश जैन	13	13	हां	4	शून्य	2	2
श्री सुधीर कुमार	13	7	नहीं	6	शून्य	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक							
श्री ए के मागो**	13	12	हां	2	शून्य	शून्य	1
सुश्री कोमल आनंद**	13	8	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री रमन सिद्धू**	13	8	नहीं	1	1	शून्य	1
श्री आर जयसीलन**	13	12	हां	1	शून्य	1	शून्य
डॉ. कुरियाकोस ममकूट्टम***	13	11	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री के धर्मराजन	13	9	नहीं	1	1	1	शून्य
श्री ए गोपालकृष्णन	13	12	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* श्री एस के गर्ग सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2010 से निदेशक पद से कार्य मुक्त हो गए। तदुनुरूप स्थिति और विवरण सेवा निवृत्ति की तारीख तक दिया गया है।

** श्री ए के मागो, सुश्री कोमल आनंद, श्री रमन सिद्धू और श्री आर जयसीलन की नियुक्ति की अवधि अप्रैल 2011 में पूरी हो गयी है।

*** डॉ. के ममकूट्टम की नियुक्ति की अवधि जून 2011 में पूरी हो गयी।

\# इस सारणी में उल्लिखित निदेशकों की निदेशकशिप में वैकल्पिक निदेशकशिप, बाहरी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत कंपनियों में निदेशकशिप को शामिल नहीं किया गया है।

कंपनी के निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है। निदेशकों की संक्षिप्त रूप रेखा वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गयी है।

iii) **निदेशकों की आयु सीमा और कार्य अवधि :** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि अथवा उम्मीदवार की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए होती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, सरकार द्वारा नामित निदेशक नामित करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी न रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सामान्यतः 3 वर्ष तक के लिए की जाती है।

iv) **गैर कार्यकारी निदेशकों का मुआवजा और प्रकटीकरण :** कंपनी ने गैरकार्यकारी सरकारी नामिती निदेशकों को किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया है। तथापि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के निदेशक मंडल तथा समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 15,000 रुपए प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क (रुपये में)*		कुल (रुपये)
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री ए के मागो	180000	405000	585000
सुश्री कोमल आनंद	120000	150000	270000
श्री आर जयसीलन	180000	195000	375000
श्री रमन सिद्धू	120000	150000	270000
डॉ. कुरियाकोस ममकूट्टम	165000	150000	315000
श्री के धर्मराजन	135000	315000	450000
श्री ए गोपालकृष्णन	180000	60000	240000

* बैठक शुल्क में निदेशक मंडल द्वारा गठित सभी समितियों का शुल्क शामिल है।

31 मार्च 2011 को निदेशकों द्वारा धारक शेयर का ब्यौरा %

गैर कार्यकारी निदेशकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री एस के गर्ग	10050
श्री ए बी एल श्रीवास्तव	49875
श्री डी पी भार्गव	21000
श्री जे के शर्मा	4550
श्री आर एस मीना	42000
श्री राकेश जैन	शून्य
श्री सुधीर कुमार	शून्य
श्री ए के मागो	शून्य
सुश्री कोमल आनंद	शून्य
श्री आर जयसीलन	शून्य
श्री रमन सिद्धू	शून्य
डॉ. के ममकूट्टम	713
श्री के धर्मराजन	शून्य
श्री ए गोपालकृष्णन	शून्य

v) **बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें और प्रक्रिया विधि :**

(क) **निर्णय लेने की प्रक्रिया :** कंपनी ने समस्त कारपोरेट मामलों के व्यवसायीकरण की संवीक्षा के साथ निदेशक मंडल के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया है। इन दिशा-निर्देशों का लक्ष्य बोर्ड की बैठकों में निर्णय करने की प्रक्रिया को विवेकपूर्ण एवं सक्षमतापूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित करना है।

(ख) **बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त का निर्धारण और चयन :**

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के उपरांत संगत नोटिस जारी करने के बाद बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्य सूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा परिपत्र द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।

- किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृति के कारण अथवा विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, किसी अतिरिक्त अथवा पूरक दस्तोवज को कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना व्यवहारिक न हो, तो ऐसे कागजात बैठक में टेबल पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्य सूची दस्तावेज कार्यात्मक निदेशक/सीएमडी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन फरीदाबाद अथवा नई दिल्ली स्थित कंपनी के कार्यालयों में किया जाता है।
- वित्तीय कार्य प्रणाली, मानव संसाधन इत्यादि से संबंधित मामलों पर अभ्यावेदनों को बोर्ड/समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है ताकि सदस्य विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे मुद्दे की अनुशंसा कर सकता है जो वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठक में बुलाया जा सकता है ताकि विचारित मुद्दों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ग) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना :

बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त-पुस्तिका में रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त अगली बोर्ड की बैठक में पुष्टि के लिए सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

(घ) अनुवर्ती तंत्र : बोर्ड/समिति के मार्ग दर्शन के तहत, बोर्ड/समिति के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को अगली बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रभावी अनुवर्ती, संवीक्षा एवं रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

(ङ) अनुपालन करना :

कार्यवृत्त टिप्पणी तैयार करते समय हमारा यह प्रयास होता है कि विधि के प्रावधानों, नियमों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी अधिनियम, 1956, सेबी दिशा-निर्देशों, सूचीबद्ध करार एवं विभिन्न अन्य कानूनों के तहत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन हो। निदेशक मंडल कंपनी सचिव द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली विधि अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

बोर्ड को निम्नांकित जानकारी नियमित रूप से प्रदान की जाती है :

- वार्षिक संचालन योजनों, बजट तथा तत्संबंधी कोई अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही परिणाम।
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- कारण बताओं, मांग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस, यदि कोई हो, जो भौतिक रूप में महत्वपूर्ण हो।
- घातक और गंभीर दुर्घटनों, खतरनाक घटनों।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी इकाइयों संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित किए गए निदेशक पदों और समिति पदों के बारे में उनके हितों का प्रकटीकरण।
- संयुक्त उद्यमों/सहभागिता करारों, आदि का विवरण।
- बड़ी संविदों प्रदान किया जाना।
- विधि एवं लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य मद।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड की 13 बैठकें हुई। कंपनी ने प्रत्येक 3 माह के दौरान बोर्ड की कम से कम एक बैठक की और बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं रहा। बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	30 अप्रैल, 2010	14	12
2	25 मई, 2010	14	11
3	29 जुलाई, 2010	14	12
4	25 अगस्त, 2010	14	14
5	22 सितम्बर, 2010	14	11
6	01 अक्टूबर, 2010	14	13
7	28 अक्टूबर, 2010	14	12
8	16 नवम्बर, 2010	14	14
9	02 दिसम्बर, 2010	14	12
10	20 दिसम्बर, 2010	14	12
11	29 दिसम्बर, 2010	14	10
12	27 जनवरी, 2011	13	11
13	07 मार्च, 2011	13	10

(vi) आचार संहिता :

कंपनी व्यापार नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार व्यापार करने और प्रचलित कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एतद द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए निर्धारित व्यापार आचार संहिता तथा नैतिकता सभी संबद्ध पक्षों के बीच परिचालित की गयी और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उन सभी का अनुपालन किया गया।

सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर
(ए बी एल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या : 01601682

(vii) जालसाजी निवारण और जोखिम प्रबंधन नीति : जोखिम प्रबंधन प्रणाली कारपोरेट एवं प्रचालनगत उद्देश्यों के अनुरूप एवं एकीकृत है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यापार प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाता है और विभिन्न समयों पर एक अलग कार्य के रूप में नहीं देखा जाता। जालसाजी निवारण और जोखिम प्रबंधन के बारे में कंपनी ने अलग से नीतियां निर्धारित की हैं।

(viii) बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण : जब भी बोर्ड द्वारा नए निदेशकों की नियुक्ति की जाती है, तो उन्हें कंपनी के लक्ष्य, रणनीतिक दिशा, वित्तीय मामलों सहित बुनियादी मूल्यों और व्यापार प्रचालनों के संबंध में औपचारिक प्रारंभिक एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं और पद्धतियों को समझने में मदद पहुंचाने के लिए आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर्स, रिपोर्ट तथा विभागीय नीति दस्तावेज भी मुहैया कराए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के लिए कार्यस्थल निरीक्षण की भी व्यवस्था की गयी है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने पर विचार किया जा रहा है।

(ix) एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता : भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 1992 की अपेक्षा के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड ने अपनी प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग के लिए एक व्यापक संहिता कायान्वित की है।

3. निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियां :

बोर्ड ने व्यापार के विभिन्न पहलुओं की देखरेख के लिए समितियों का गठन किया है। बोर्ड द्वारा निम्नांकित समितियों का गठन किया गया है :

1. लेखा-समिति
2. शेयरधारक शिकायत समिति
3. परियोजनाएं एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति
4. संविदाओं से संबंधित निदेशक समिति
5. पारिश्रमिक समिति
6. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात गतिविधियों से संबंधित निदेशक समिति
7. आईपीओ की निवेश प्राप्तियों से संबंधित निदेशक समिति
8. स्वबीमा निधि से संबंधित निदेशक समिति

(i) लेखा-परीक्षा समिति :

लेखा-परीक्षा समिति का संविधान, कोरम, कार्य क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 1956 तथा सूचीबद्ध समझौते के अनुरूप है। लेखा-परीक्षा समिति का पुनर्गठन 22 सितम्बर, 2010 और 27 जनवरी, 2011 को किया गया। 31.03.2011 के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार था :

i)	श्री ए के मागो	स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
ii)	श्रीमती कोमल आनंद	स्वतंत्र निदेशक
iii)	श्री राकेश जैन	गैर-कार्यकारी निदेशक
iv)	श्री ए गोपालकृष्णन	स्वतंत्र निदेशक

इस तथ्य को देखते हुए कि 4 स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल अप्रैल, 2011 में पूरा हो रहा है, समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का वर्तमान संघटन इस प्रकार है :

i)	श्री ए गोपालकृष्णन	स्वतंत्र निदेशक
ii)	श्री राकेश जैन	गैर-कार्यकारी निदेशक
iii)	श्री के धर्मराजन	स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की 7 बैठकें- 5 मई 2010, 24 मई 2010, 13 जुलाई 2010, 29 जुलाई 2010, 28 अक्टूबर 2010, 4 जनवरी 2011, और 27 जनवरी 2011 को हुईं। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री ए के मागो	7	7
2	श्रीमती कोमल आनंद	7	4
3	श्री रमन सिद्धू	7	4
4	श्री राकेश जैन	7	7
5	श्री ए गोपालकृष्णन	3	3

बैठकों में निदेशक (वित्त), विभागीय लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष/प्रतिनिधि और सांविधिक लेखा-परीक्षकों/शाखा लेखा-परीक्षकों ने भी विशेष आमंत्रित के रूप भाग लिया। लेखा-परीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच 3 महीने से अधिक समय का अंतराल कभी नहीं रहा। कंपनी सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में काम किया।

लेखापरीक्षा समिति का क्षेत्र : कंपनी अधिनियम, 1956 और सूचीबद्ध करार, समय-समय पर यथा संशोधित, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार समिति के विचारणीय विषयों में निम्नांकित शामिल हैं :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय है।
2. लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश बोर्ड को भेजना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
4. वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना :
   - क) कंपनी अधिनियम की धारा 217 के खंड (2कक) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के दायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
   - ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
   - ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
   - घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
   - ङ) संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित कोई प्रकटीकरण; और
   - च) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें (क्वालिफिकेशन्स)।
5. तिमाही वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
6. आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ मिलकर समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे सहित, उसमें कर्मचारियों की संख्या, और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे की कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा।
8. किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।
9. ऐसे मामलों में, जहां किसी धोखेबाज़ी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्वपूर्ण विफलता का संदेह हो और विभागीय लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की जांच के बाद निष्कर्ष सामने आए हों, तो उनकी समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।
10. कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बातचीत करना तथा लेखापरीक्षा पूरी हो जाने पर फिर से उनके साथ बातचीत करना ताकि किसी महत्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयर होल्डरों और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।
12. विशॅल ब्लोवर मेकेनिज्म यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ चेताने वाली व्यवस्था, यदि यह कायम की जाय, तो उसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा करना।
13. लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।
14. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा में की गई लेखा परीक्षा टिप्पणियों के बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
15. लोक उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

16. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक मुक्त आयाम प्रदान करना।
17. कम्पनी में सम्बन्धित पक्ष के सभी प्रकार के कारोबार को पूर्व-मंजूरी देना और उसकी समीक्षा करना। इस प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा समिति, किसी सदस्य का नाम निर्दिष्ट कर सकती है, जो सम्बन्धित पक्ष के कारोबार को पूर्व-मंजूरी प्रदान करेगा।
18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ मिलकर लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि विषयों के कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, व्यर्थ के प्रयासों में कमी लाई जा सके, और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया जा सके।
19. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ मिलकर निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :
    - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आतंरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
    - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा उन पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना।
20. निम्नांकित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करनाः
    - पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
    - अपेक्षित जानकारी तक पहुंच या तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों सहित, लेखा परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।

(ii) **शेयर धारक शिकायत समिति :**

संघटन : 31, मार्च 2011 को समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थेः

1.	श्रीमती कोमल आनंद	स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष
2.	श्री आर जयसीलन	स्वतंत्र निदेशक
3.	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)

श्री विजय गुप्ता, कम्पनी सचिव सूचीबद्ध समझौते के खंड के 47 के संदर्भ में समिति के अनुपालन अधिकारी हैं।

इस तथ्य को देखते हुए चार स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल अप्रैल 2011 में पूरा हो रहा है, समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का वर्तमान संघटन इस प्रकार है :

1.	श्री के धर्मराजन	स्वतंत्र निदेशक- अध्यक्ष
2.	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी
3.	श्री ए गोपालकृष्णन	स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थितिः वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें- 24 मई 2010 और 28 अक्तूबर 2010 - को हुई। शेयर धारक शिकायत समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्रीमती कोमल आनंद	2	1
2	श्री आर जयसीलन	2	2
3	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	2	2

शेयर धारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या : वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा इस प्रकार है।

शिकायत का विवरण	1 अप्रैल 2010 को प्रारंभिक शेष	31,मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष की अवधि में प्राप्त शिकायतें	31, मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतें	लंबित
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	1364	1364	शून्य
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	शून्य	1755	1755	शून्य
सेबी शिकायतें	शून्य	161	161	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	शून्य	22	22	शून्य
उपभोक्ता मंच अदालती मामले	शून्य	4	2	2
वकील के नोटिस	शून्य	26	26	शून्य
कुल	शून्य	3332	3330	2

बकाया शेयर ट्रांसफर अनुरोधः 31, मार्च 2011 को शेयर ट्रांसफर सम्बन्धी 67 अनुरोध बकाया थे। सभी शेयर अंतरण स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किए गए और कार्यकारी कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे गए।

उचन्त खाते में विद्यमान शेयरों का ब्यौरा

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचन्त खाते में शेयर धारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	1174	546440
वर्ष के दौरान उचन्त खाते से शेयरों के ट्रांसफर के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयर धारकों की संख्या	580	290209
उन शेयर धारकों की संख्या, जिन्हें वर्ष के दौरान उचन्त खाते से शेयर ट्रांसफर किए गए	580	290209
वर्ष के अंत में उचन्त खाते में शेयर धारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	594	256231

नोटः इन शेयरों के संदर्भ में वोटिंग का अधिकार तब तक प्रतिबंधित रहेगा जब तक कि सही मालिकों द्वारा ऐसे शेयरों पर दावा नहीं किया जाता।

समिति का कार्य क्षेत्रः शेयर धारक शिकायत समिति को अन्य बातों के अलावा शेयर धारकों और/या निवेशकों की शिकायतों और/या शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश भुगतान, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र न मिलने सम्बन्धी शिकायतों, शेयरों के ट्रांसमिशन (कानूनी प्रतिनिधि के साथ या के बिना) और अन्य विविध शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार होगा।

शेयर धारक शिकायत समिति की बैठक, जब भी समिति उपयुक्त समझेगी, समय-समय पर होगी। समिति की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, की उपस्थिति कोरम के लिए अनिवार्य होगी।

(iii) परियोजनाएं एवं निष्पादन समीक्षा समिति :

संघटनः 31,मार्च 2011 को परियोजनाएं एवं निष्पादन समीक्षा समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

श्री के धर्मराजन — स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष

श्री सुधीर कुमार — सरकारी नामिती निदेशक

श्री ए बी एल श्रीवास्तव — निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी

श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी)

श्री जे के शर्मा — निदेशक (परियोजनाएं)

श्री आर जयसीलन — स्वतंत्र निदेशक

श्री आर जयसीलन का कार्यकाल अप्रैल 2011 में पूरा हो गया। अत समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का वर्तमान संघटन इस प्रकार है :

श्री के धर्मराजन — स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष

श्री सुधीर कुमार — सरकारी नामिती निदेशक

श्री ए बी एल श्रीवास्तव — निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी

श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी)

श्री जे के शर्मा — निदेशक (परियोजनाएं)

श्री ए गोपालकृष्णन — स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें- 22 जुलाई 2010, 15 अक्तूबर 2010, 12 नवम्बर 2010 और 17 फरवरी 2011- को हुई। परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री के धर्मराजन	4	4
2	श्री सुधीर कुमार	4	3
3	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	4	3
4	श्री डी पी भार्गव	4	4
5	श्री जे के शर्मा	4	4
6	श्री आर जयसीलन	4	4

समिति का कार्य क्षेत्र : परियोजनाएं और कार्य निष्पादन समीक्षा समिति के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित विषयों की जांच एवं समीक्षा करना है:

(क) मानक कार्य निष्पादन मानदंडों से महत्वपूर्ण विचलन

(ख) परियोजना कार्यान्वयन में विचलन

(ग) निर्माण बजट

(घ) प्रचालन एवं रख-रखाव बजट

(ङ) लेखा परीक्षा समिति के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों को छोड़कर ऐसे मामलों की जांच, जो बोर्ड द्वारा उसे समय समय पर सौंपे गए हों।

(च) कोई अन्य मामला, जो प्रबंधन की राय में इतना महत्वपूर्ण हो कि उसे परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति को सौंपा जाये।

(iv) संविदाओं के बारे में निदेशकों की समिति

संघटन : समिति का साल मार्च 2011 को पुनर्गठन किया गया था। 31.03.2011 को समिति का संघटन इस प्रकार था :

1.	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी
2.	श्री डी पी भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री जे के शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
4.	डॉ. कुरियाकोसे ममकूट्टम	स्वतंत्र निदेशक
5.	श्री आर जयसीलन	स्वतंत्र निदेशक

इस तथ्य को देखते हुए कि अप्रैल 2011 में चार स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो गया, समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का वर्तमान सघटन इस प्रकार है :

1.	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी
2.	श्री डी पी भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री जे के शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
4.	श्री के धर्मराजन	स्वतंत्र निदेशक
5.	श्री ए गोपालकृष्णन	स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें- 16 नवम्बर 2010, 10 मार्च 2011, और 17 मार्च 2011- को हुई। संविदाओं पर निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री एस के गर्ग	1	1
2	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	3	3
3	श्री डी पी भार्गव	3	3
4	श्री जे के शर्मा	3	3
5	डॉ. कुरियाकोसे ममकूट्टम	3	3
6	श्री आर जयसीलन	3	3

समिति का क्षेत्र : संविदाओं पर निदेशकों की समिति के विचारणीय विषय निम्नांकित हैं :

(क) एलओआई/संविदा सौंपना अथवा वादा करना जो 100 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 200 करोड़ रुपये के कम मूल्य के हैं, ये संलग्नक- क (सीएमडी, एनएचपीसी लिमिटेड को सौंपे गए अधिकारों से बाहर/के सिवाय अधिकार) के मद संख्या 5 (क) (i), (ii) एवं (iii) में दिए गए हैं।

(ख) संविदा समझौते के बीओक्यू में इंगित मात्राओं के सम्बन्ध में मात्रा विविधता, नयी मदों को शुरू करना, बीओक्यू के एक मद के स्थान पर दूसरे मद को प्रतिस्थापित करना, संविदा शर्तों से विचलन जिससे बोर्ड द्वारा अनुमोदित संविदाओं के संविदा मूल्य में 25 प्रतिशत से अधिक या 75 करोड़ रुपये से अधिक संचयी वृद्धि परन्तु यह 200 करोड़ रुपये सीमा के अंदर होगी, मूल्य विविधता के कारण संविदा समझौते में पहले से ही हुई बढ़ोतरी को छोड़कर जो भी कम है, आकस्मिकता के प्रावधान इत्यादि तथा नई सांविधिक आवश्यकताओं या वर्तमान सांविधिक आवश्यकताओं के कारण मूल्य विविधता।

(ग) ठेकेदारों की वजह से न होने वाले विलम्बों हेतु ठेकेदारों को निरर्थक शुल्कों, भाड़ा शुल्क तथा ब्याज का भुगतान जो 10 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य का नहीं होगा, जिसे फोर्स मूल्य में शामिल नहीं किया गया हो।

(घ) विवादित दावों की स्वीकृति, जो 10 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के न हो।

(V) पारिश्रमिक समिति

किसी भी केन्द्रीय लोक उद्यम के लिए निदेशकों की नियुक्तियां, उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से बैठक शुल्क अदा किया जाता है, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर और सरकार द्वारा स्वीकृत होता है। यह शुल्क बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए किया जाता है। निष्पादन सम्बन्धित वेतन के लिए पारिश्रमिक समिति की रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष उसके विचारार्थ प्रस्तुत की गयी है। 2010-11 के दौरान कम्पनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

निदेशक	पदनाम	वेतन/भत्ते (रु.)	लाभ * (रु.)	निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (रु.)	कुल योग (रु.)
श्री एस के गर्ग (31.12.2010 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2630461	5017101	65256	7712818#
श्री ए बी एल श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)	3135420	347163	54564	3537147
श्री डी पी भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	2264486	812677	63624	3140787
श्री जे के शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)	2412488	936754	52065	3401307
श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक)	3519601	403464	63672	3986737

नोट : * इन लाभों के अंतर्गत चिकित्सा/एलटीसी/लीज सम्बन्धी लाभ शामिल हैं।

कुल राशि में सेवा निवृत्ति लाभ शामिल है।

निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया है :

31.03.2011 को समिति के सदस्य इस प्रकार थे :

1. श्रीमती कोमल आनंद — स्वतंत्र निदेशक
2. श्री रमण सिद्धू — स्वतंत्र निदेशक
3. डॉ. के ममकूट्टम — स्वतंत्र निदेशक

इस तथ्य को देखते हुए कि चार स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल अप्रैल 2011 में पूरा हो गया है, समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का वर्तमान संघटन इस प्रकार है:

1. श्री राकेश जैन — सरकारी नामिती निदेशक
2. श्री के धर्मराजन — स्वतंत्र निदेशक
3. श्री ए गोपालकृष्णन — स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थितिः वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें- 7 सितम्बर 2010, 24 सितम्बर 2010, 13 जनवरी 2011, 19 जनवरी 2011 और 25 फरवरी 2011- को हुईं। पारिश्रमिक समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्रीमती कोमल आनंद	5	4
2	श्री रमण सिद्धू	5	4
3	डॉ. कुरियाकोसे ममकूट्टम	5	5

समिति का क्षेत्र

(i) वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में वितरण सम्बन्धी नीति की अनुशंसा करना

(ii) अन्य भत्ते और परिलब्धियों पर विचार करना और उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए भेजना

(vi) एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों से सम्बद्ध निदेशकों की समिति

संघटनः निदेशक मंडल ने निम्नांकित सदस्यों को शामिल करते हुए 24 सितम्बर 2009 को एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों के बारे में एक समिति का गठन किया :

1. श्री ए बी एल श्रीवास्तव — निदेशक (वित्त) एवं सीएमडी-अध्यक्ष
2. श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी)
3. श्री आर एस मीना — निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की 14 बैठकें- 15 अप्रैल 2010, 14 मई 2010, 9 जून 2010, 6 जुलाई 2010, 5 अगस्त 2010, 23 अगस्त 2010, 10 सितम्बर 2010, 20 सितम्बर 2010, 22 अक्तूबर 2010, 23 नवम्बर 2010, 27 दिसम्बर 2010, 27 जनवरी 2011, 24 फरवरी 2011 और 17 मार्च 2011- को हुईं। एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों के बारे में निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	14	14
2	श्री डी पी भार्गव	14	11
3	श्री आर एस मीना	14	14

समिति का क्षेत्र: समिति के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं

1. शेयर प्रमाण पत्र जारी करना
2. शेयरों का ट्रांसफर और ट्रांसमिशन
3. शेयर प्रमाण पत्रों का री-मेटीरियलाइजेशन
4. डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना
5. एचएचपीसी शेयरों का समेकन/पृथक्करण

(vii) आईपीओ प्राप्तियों के निवेश सम्बन्धी निदेशकों की समिति

समिति का संघटन: निदेशक मंडल ने निम्नांकित सदस्यों को शामिल करते हुए 7 मार्च 2011 को आईपीओ प्राप्तियों के निवेश के बारे में समिति का पुनर्गठन किया:

1. श्री ए बी एल श्रीवास्तव — निदेशक (वित्त)
2. श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी)
3. श्री रमण सिद्धू — स्वतंत्र निदेशक

इस तथ्य को देखते हुए चार स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल अप्रेल 2011 में पूरा हो गया, समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का वर्तमान संघटन इस प्रकार है :

1. श्री के धर्मराजन — स्वतंत्र निदेशक- अध्यक्ष
2. श्री ए बी एल श्रीवास्तव — निदेशक (वित्त)
3. श्री डी पी भार्गव — निदेशक (तकनीकी)

बैठकें और उपस्थिति : वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें- 25 अगस्त 2010, 30 अगस्त 2010, और 10 मार्च 2011- को हुईं। एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों के बारे में निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री एस के गर्ग	2	2
2	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	3	3
3	श्री डी पी भार्गव	3	3
4	श्री रमण सिद्धू	3	2

(viii) स्व-बीमा निधि के निवेश सम्बन्धी निदेशकों की समिति

संघटन: निदेशक मंडल ने 3 जून 1998 को स्व-बीमा निधि के निवेश के बारे में एक समिति का गठन किया था जिसमें सीएमडी, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक(कार्मिक), और निदेशक (तकनीकी), को शामिल किया गया था। किन्तु, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि तत्कालीन सीएमडी श्री एस के गर्ग 31 मार्च 2010 को सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर रहे हैं, शेष सदस्यों को बरकरार रखते हुए 7 मार्च 2011 को समिति का पुनर्गठन किया गया।

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें- 15 अप्रैल 2010, 3 मई 2010, 21 मई 2010, 15 नवम्बर 2010 और 23 नवम्बर 2010 - को हुईं। स्व-बीमा निधि के निवेश के बारे में निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री एस के गर्ग	5	4
2	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	5	5
3	श्री डी पी भार्गव	5	4
4	श्री जे के शर्मा	5	5
5	श्री आर एस मीना	5	5

समिति का क्षेत्र : समिति को स्व-बीमा निधि में उपलब्ध राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बांड, और राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा योजनाओं में करने के लिए अधिकृत किया गया है। समिति को ऐसे निवेश की बिक्री/वसूली के लिए भी अधिकृत किया गया है ताकि वह उठाई गयी हानियों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता उपयुक्त ढंग से पूरी कर सके।

4. **अनुषंगी कम्पनियां**

(i) **एनएचडीसी लिमिटेड :** एनएचडीसी लिमिटेड कम्पनी की एक सहायक कम्पनी है जिसमें एनएचपीसी के 51 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर हैं। वर्ष के दौरान, सहायक कम्पनी के कार्यवृत्त को एनएचपीसी बोर्ड के समक्ष रखा गया। सहायक कम्पनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं की जानकारी समय-समय पर एनएचपीसी बोर्ड के सदस्यों को दी गई। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार (चूंकि 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार एनएचडीसी की शुद्ध सम्पत्ति तथा टर्न ओवर एचएनपीसी लिमिटेड की शुद्ध सम्पत्ति तथा टर्न ओवर के 20 प्रतिशत से अधिक है।) एनएचडीसी "सहायक कम्पनी" की परिभाषा के अंतर्गत आती है। तदनुरुप, एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक श्री ए गोपालकृष्णनन को एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त किया गया।

(ii) **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड :** लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) का निगमन 23 अक्टूबर, 2009 को हुआ था। यह कंपनी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में प्रोन्नत की गई, जिसमें दोनों की शेयर भागीदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी। कंपनी को व्यापार शुरू करने का प्रमाणपत्र 25 फरवरी, 2010 को प्राप्त हुआ। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह कंपनी प्रमुख "सहायक कम्पनी" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। एलडीएचसीएल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त एनएचपीसी लि. बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

5. **आम बैठक :**

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीखें, समय और स्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2007-08	05.08.2008	अपराह्न 01 : 00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, फरीदाबाद
2008-09	31.07.2009	पूर्वाह्न 10 : 30 बजे	पंजीकृत कार्यालय, फरीदाबाद
2009-10	22.09.2010	पूर्वाह्न 11 : 00 बजे	नगर निगम प्रेक्षागृह, फरीदाबाद

(i) **पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित किए गए विशेष प्रस्तावों का ब्यौरा :**

क्र.स.	बैठक का विवरण	पारित किया गया विशेष प्रस्ताव
1.	13 मार्च, 2008 को आयोजित असाधारण आम बैठक	कंपनी के नाम में परिवर्तन
2.	05 अगस्त, 2008 को आयोजित वार्षिक आम बैठक	संगम अनुच्छेद में संशोधन ताकि मिनी रत्न के दर्जे से सम्मानित किए जाने के परिणामस्वरूप लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कंपनी की शक्तियों में वृद्धि की जा सके।

डाक मत द्वारा जारी प्रस्ताव का विवरण : संवीक्षा वर्ष के दौरान डाक मत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

6. **प्रकटीकरण :**

(i) **संबंधित पक्ष कारोबार :** प्रोमोटर अथवा निदेशकों अथवा प्रबंधन वर्ग, संयुक्त उद्यम कंपनी/सहायक कंपनी आदि में भौतिक प्रकृति वाले ऐसे कोई कारोबार नहीं थे, जिनका कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध होता हो। संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के ब्यौरों को इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-18 के अनुसार लेखाओं का भाग होने वाली टिप्पणियों में शामिल किया गया है। कंपनी कानून के प्रावधानों और सेबी सहित नियामक प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या सरकार द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश के लिए कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है। कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले सभी मदों को स्वीकार कर लिया है। परिणाम तथा अन्य सूचनाओं नियमित तौर पर एनएचपीसी लि. की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर प्रकाशित की जाती हैं। निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस रिपोर्ट में अपेक्षित विवरण शामिल किए गए हैं। गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को स्वीकार(का अनुपालन करने)/अस्वीकार करने संबंधी सूचना अनुलग्नक-क में प्रदान की गई है।

(ii) **लेखांकन व्यवहार :** कंपनी ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का पालन किया है। किन्तु, विचलनों, यदि कोई हों, का उल्लेख टिप्पणियों में किया गया है, जो लेखों का अभिन्न अंग हैं।

7. **सीईओ/सीएफओ प्रमाणन**

सूचीकरण समझौते के खंड-49 की अपेक्षा के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए बी एल श्रीवास्तव और कार्यकारी निदेशक (वित्त) श्री आर के तनेजा द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

8. **संचार के साधन**

कम्पनी के आवधिक वित्तीण परिणामों को सूचीकरण समझौते के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम राष्ट्रीय एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी आवधिक परिणाम/रिकॉर्ड प्रत्येक शेयरधारक को नहीं भेजती बल्कि ये परिणाम कम्पनी के वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं। कम्पनी ने महत्वपूर्ण निगमित निर्णयों और कार्यकलापों पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कीं और उन्हें अपनी वेबसाइट पर भी डाला। प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का अंश है।

कम्पनी द्वारा प्रकाशित लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम इस प्रकार है :

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011
फाइनेंशियल एक्सप्रेस (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	30.07.2010	-	28.01.2011	28.05.2011
हिन्दुस्तान (हिन्दी)	-	29.10.2010	-	28.05.2011
हिन्दुस्तान टाइम्स (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	-	29.10.2010	-	28.05.2011
टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी)	-	29.10.2010	28.01.2011	-
नवभारत टाइम्स (हिन्दी)	-	30.10.2010	28.01.2011	-
बिजनेस स्टेंडर्ड (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	30.07.2010	29.10.2010	-	-
दैनिक भास्कर (फरीदाबाद संस्करण)	-	-	28.01.2011	-
फाइनेंशियल टाइम्स	-	-	30.01.2011	-
जनसत्ता (हिन्दी)	30.07.2010	-	-	-
मिंट (सभी संस्करण)	-	-	-	28.05.2011
बिजनेस लाइन (सभी संस्करण)	-	-	-	28.05.2011
दैनिक जागरण (दिल्ली/एनसीआर)	-	-	-	28.05.2011

संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को दिए गए प्रस्तुतीकरण का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

9. **शेयरधारकों की सूचना**

(i) **वार्षिक आम बैठक :**

दिनांकः 22.09.2011

समय : 3.30 बजे अपराह्न

स्थान : मैगपाइ टूरिस्ट रिजॉर्ट, सैक्टर 16 ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद

(ii) **वित्त वर्ष 2010-11 का वित्तीय कलैंडर :**

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011
30 जून 2010 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	29 जुलाई 2010 को हुई बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी गयी।
30 सितम्बर 2010 को समाप्त छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	28 अक्टूबर 2010 को हुई बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी गयी।
31 दिसम्बर 2010 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	27 जनवरी 2011 को हुई बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी गयी।
31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	27 मई 2011 को हुई बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी गयी।
एजीएम (वार्षिक आम बैठक)-2011	19 सितम्बर 2011

(iii) **बही का बंद किया जाना/रिकॉर्ड की तिथि**

क) **लाभांश के भुगतान के लिए :** सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बुक को दिनांक 06.09.2011 से 19.09.2011 (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) तक बंद रखा जायेगा।

ख) बांडों पर ब्याज का भुगतान :

बांड सीरीज	ब्याज भुगतान की नियत तिथि	रिकॉर्ड तिथि
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रप-बी से स्ट्रप-जे)	30.06.2010	14.06.2010
एनएचपीसी 9 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'पी' सीरीज बांड	28.02.2011	22.02.2011

ग) **बांडों का विमोचनः** वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान विमोचित किए गए बांडों का विवरण नीचे दिया गया है :

बांड सीरीज	आईएसआईएन	पावती पत्र कोड	विमोचन की नियत तिथि	रिकॉर्ड तिथि
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रप-सी)	आईएनई 848ई08045	एनएचपीसी 11	31.03.2011	25.03.2010

(iv) लाभांश इतिहासः

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया।	लाभांश भुगतान की तिथि
2005-06	223 (64 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	28.07.2006	03.08.2006
2006-07	278 (72 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	07.08.2007	14.08.2007
2007-08	300 (100 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	05.08.2008	13.08.2008
2008-09	325 (125 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश सहित)	31.07.2009	13.08.2009
2009-10	676.54	22.09.2010	01.10.2010

(v) स्टॉक एक्सचेंजों का सूचीकरण :

क) इक्विटी शेयर :

कम्पनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
स्क्रिप्ट कोड :533098 ISIN % INE848E01016	स्क्रिप्ट कोड :NHPCEQI ISIN : INE848E01016

ख) बांड : एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड और एनएचपीसी 9 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'पी' सीरीज बांड को निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया गया है:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड

डब्ल्यूडीएम सेगमेंट, एक्सचेंज प्लाजा, भूतल,

बांद्रा-कुर्ला परिसर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई.

स्टॉक कोड :

सिक्योरिटी का नाम	एनएसई स्क्रिप कोड	आईएसआईएन
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रप-डी)	एनएचपीसी 12	INE848E08060
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव,टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रप-ई)	एनएचपीसी 13	INE848E08078
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव,टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रप-एफ)	एनएचपीसी 14	INE848E08086
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव,टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रप-जी)	एनएचपीसी 15	INE848E08094
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव,टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रप-एच)	एनएचपीसी 16	INE848E08102
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव,टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रप-आई)	एनएचपीसी 17	INE848E08110
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव,टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रप-जे)	एनएचपीसी 18	INE848E08128
एनएचपीसी 9 प्रतिशत सिक्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव,टैक्सेबल, 'पी' सीरीज बांड्स	एनएचपीसी 25	INE848E07047

(vi) बाजार मूल्य डाटाः

(क) इक्विटी शेयरः

एनएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल,10	31.45	30.05	30.40
मई, 10	30.70	27.60	29.00
जून,10	31.70	27.90	31.40
जुलाई, 10	32.50	29.90	31.75
अगस्त, 10	32.05	30.20	30.40
सितम्बर, 10	33.30	30.25	31.70
अक्तूबर, 10	34.40	31.00	31.20
नवम्बर, 10	32.30	26.90	27.60
दिसम्बर, 10	29.90	26.55	28.20
जनवरी, 11	29.35	24.40	24.55
फरवरी, 11	25.25	22.25	23.15
मार्च, 11	25.50	22.25	25.30

बीएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल,10	31.60	30.05	30.35
मई, 10	30.70	27.60	29.00
जून,10	31.60	28.00	31.40
जुलाई, 10	32.55	29.95	31.80
अगस्त, 10	32.10	30.00	30.40
सितम्बर, 10	33.30	30.30	31.75
अक्तूबर, 10	34.40	31.05	31.20
नवम्बर, 10	32.20	26.95	27.65
दिसम्बर, 10	28.60	26.55	28.15
जनवरी, 11	29.35	24.30	24.60
फरवरी, 11	25.25	22.25	23.20
मार्च, 11	25.50	22.65	25.35

ख) बांड (ओ सीरीज)ः

एनएसई			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल,10	शून्य	शून्य	शून्य
मई, 10	101.3601	101.3601	101.3601
जून,10	शून्य	शून्य	शून्य
जुलाई, 10	शून्य	शून्य	शून्य
अगस्त, 10	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 10	शून्य	शून्य	शून्य
अक्तूबर, 10	शून्य	शून्य	शून्य
नवम्बर, 10	शून्य	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 10	शून्य	शून्य	शून्य
जनवरी, 11	शून्य	शून्य	शून्य
फरवरी, 11	शून्य	शून्य	शून्य
मार्च, 11	शून्य	शून्य	शून्य

नोट : * 1. 10, मई 2010 को स्ट्रप-सी (स्क्रिप कोड-एनएचपीसी-11) के लिए कोई ट्रेड नहीं हुआ। 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि में शेष स्ट्रेपों में कोई ट्रेड नहीं हुआ।

ग) बांड : (पी सीरीज)

एनएसई			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल,10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मई, 10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जून,10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जुलाई, 10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अगस्त, 10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सितम्बर, 10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अक्तूबर, 10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नवम्बर, 10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दिसम्बर, 10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जनवरी, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
फरवरी, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मार्च, 11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट : पी-सीरीज बांड 19.02.2010 को एनएसई पर सूचीबद्ध हुआ।

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान पी-सीरीज बांड में ट्रेड नहीं हुआ।

(vii) **सूचकांक की तुलना में निष्पादनः** चूंकि 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि में 10 मई 2010 को स्ट्रप-सी (स्क्रिप कोड-एनएचपीसी 11) में 1 ट्रेड के सिवाय एनएचपीसी डेट सिक्यूरिटीज में कोई ट्रेड नहीं हुआ, इसलिए बांड इंडेक्स की तुलना में निष्पादन प्रासंगिक नहीं है।

क) इक्विटी शेयर :

बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी मूल्यः

सेंसेक्स			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल,10	18047.86	17276.80	17558.71
मई, 10	17536.86	15960.15	16944.63
जून,10	17919.62	16318.39	17700.90
जुलाई, 10	18237.56	17395.58	17868.29
अगस्त, 10	18475.27	17819.99	17971.12
सितम्बर, 10	20267.98	18027.12	20069.12
अक्तूबर, 10	20854.55	19768.96	20032.34
नवम्बर, 10	21108.64	18954.82	19521.25
दिसम्बर, 10	20552.03	19074.57	20509.09
जनवरी, 11	20664.80	18038.48	18327.76
फरवरी, 11	18690.97	17295.62	17823.40
मार्च, 11	19575.16	17792.17	19445.22

बीएसई पर एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल,10	31.60	30.05	30.35
मई, 10	30.70	27.60	29.00
जून,10	31.60	28.00	31.40
जुलाई, 10	32.55	29.95	31.80
अगस्त, 10	32.10	30.00	30.40
सितम्बर, 10	33.30	30.30	31.75
अक्तूबर, 10	34.40	31.05	31.20
नवम्बर, 10	32.20	26.95	27.65
दिसम्बर, 10	28.60	26.55	28.15
जनवरी, 11	29.35	24.30	24.60
फरवरी, 11	25.25	22.25	23.20
मार्च, 11	25.50	22.65	25.35

निफ्टी और एनएचपीसी मूल्य :

निफ्टी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल,10	5399.65	5160.90	5278
मई, 10	5278.70	4786.45	5086.3
जून,10	5366.75	4961.05	5312.5
जुलाई, 10	5477.50	5225.60	5367.6
अगस्त, 10	5549.80	5348.90	5402.4
सितम्बर, 10	6073.50	5403.05	6029.95
अक्तूबर, 10	6284.10	5937.10	6017.7
नवम्बर, 10	6338.50	5690.35	5862.7
दिसम्बर, 10	6147.30	5721.15	6134.5
जनवरी, 11	6181.05	5416.65	5505.9
फरवरी, 11	5599.25	5177.70	5333.25
मार्च, 11	5827.00	5348.20	5833.75

एनएससी पर एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद
अप्रैल,10	31.45	30.05	30.40
मई, 10	30.70	27.60	29.00
जून,10	31.70	27.90	31.40
जुलाई, 10	32.50	29.90	31.75
अगस्त, 10	32.05	30.20	30.40
सितम्बर, 10	33.30	30.25	31.70
अक्तूबर, 10	34.40	31.00	31.20
नवम्बर, 10	32.30	26.90	27.60
दिसम्बर, 10	29.90	26.55	28.20
जनवरी, 11	29.35	24.40	24.55
फरवरी, 11	25.25	22.25	23.15
मार्च, 11	25.50	22.25	25.30

ख) बांड

(viii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट तथा शेयर अंतरण प्रणालीः

क) इक्विटी शेयर :

मेसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड.

प्लाट नं. 17-24, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद- 500081

दूरभाष सं. : +91 40 23420818

फैक्स सं. : +91 40 23420814

ई-मेल : mailmanager@karvy.com.

ख) **बांड :** कम्पनी ने नॉन रिडीमेबल क्यूमूलेटिव बांडों हेतु निम्नलिखित को रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट नियुक्त किया है :

मेसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड.

बी- 106, सेक्टर-2

नोएडा- 201301 (उत्तरप्रदेश)

दूरभाष सं.: 0120-4015880

ई-मेल : info@rcmcdelhi.com

(ix) **शेयर/बांड अंतरण प्रणाली :** शेयर/बांड के अंतरण के रूटीन मामलों, की देखरेख करना संबंधित रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट की जिम्मेदारी है, परंतु यह निदेशक मंडल/निदेशक समिति के निरीक्षण, नियंत्रण एवं अनुमोदन के अध्यधीन होता है।

(x) **शेयर पूंजी के वितरण का पैटर्न :**

(क) **इक्विटी शेयर :** 31 मार्च 2011 को शेयर धारकों के पास विभिन्न श्रेणियों के शेयर तथा शेयर पूंजी के अनुसार उनका आकार :

i) **आकार के अनुसार :** 31 मार्च 2011 को शेयर पूंजी के आकार तथा प्रतिशत के अनुसार उनका वितरण:

शेयरों की संख्या	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	731120	60.71%	169297743	1.37%
5001-10000	360325	29.92%	268135946	2.17%
10001-20000	62474	5.19%	93388667	0.75%
20001-30000	19435	1.61%	49967111	0.41%
30001-40000	8073	0.67%	28950178	0.23%
40001-50000	6430	0.53%	30453428	0.28%
50001-100000	9542	0.79%	69097586	0.56%
100001 और उससे ज्यादा	6917	0.58%	11591452114	94.23%
कुल	**1204316**	**100%**	**12300742773**	**100%**

ii) **31 मार्च 2011 को शेयर धारण पैटर्न :**

श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	10623368758	86.36%
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	215058425	01.75%
भारतीय जनता	870617388	07.08%
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	245891103	02.00%
कार्पोरेट निकाय	242206494	01.97%
म्युचल फंड्स/यूटीआई	77561448	00.63%
एनआरआई/ओसीबीज	17290557	00.14%
अन्य :		
न्यास	2273767	00.02%
क्लिअरिंग सदस्य	6474833	00.05%
कुल	**12300742773**	**100.00**

iii) **31 मार्च 2011 को प्रमुख शेयरधारण :** 31 मार्च 2011 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक मूल्य के शेयर रखने वालों का विवरण इस प्रकार है :-

शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत	श्रेणी
राष्ट्रपति के माध्यम से भारत सरकार	10623368158	86.36	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार

ख) बांड : (ओ सीरीज)

i) **आकार के अनुसार :** 31 मार्च 2011 को आकार एवं प्रतिशत के आधार पर बांड रखने का विवरण निम्न प्रकार है :

बांडों की संख्या	बांड धारकों की संख्या	बांड धारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5000	109	100.00%	399	100.00%
5001-10000	शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
10001-20000	शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
20001-30000	शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
30001-40000	शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
40001-50000	शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
50001-100000	शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
100001 और उससे ज्यादा	शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
कुल	**109**	**100.00%**	**399**	**100.00%**

ii) **31 मार्च 2011 को बांड धारण पैट र्न :**

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	0	00.00%
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0	00.00%
भारतीय जनता	0	00.00%
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	185	46.37%
कार्पोरेट निकाय	0	00.00%
म्युचल फंड्स/यूटीआई	0	00.00%
एनआरआई/ओसीबीज	0	00.00%
अन्य :		
(i) भविष्य निधि/न्यास	214	53.63%
(ii) क्लिअरिंग सदस्य	0	00.00%
कुल	**399**	**100.00%**

ii) **31 मार्च 2011 को प्रमुख बांड धारक :** 31 मार्च 2011 को कम्पनी में 1 प्रतिशत बांड मूल्य से ज्यादा वाले बांड धारकों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	बांड धारक का नाम	बांडों की संख्या	बांड मूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
1.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5	1.25 प्रतिशत	बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी
2	सीबीटी ईपीएफ ईपीएस खाता एचएसबीसी एएमसी लि.	15	3.76 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
3	सीबीटी ईपीएफ ईपीएस खाता रिलायंस कैपिटल एएमसी लि.	5	1.25 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
4	मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	5	1.25 प्रतिशत	बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी
5	आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	20	5.01 प्रतिशत	बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी
6	बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	11	2.76 प्रतिशत	बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी
7	तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि	4	1.00 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
8	आईपीसीएल ईपीएफ ट्रस्ट	5	1.25 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)

क्र. स.	बांड धारक का नाम	बांडों की संख्या	बांड मूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
9	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि	5	1.25 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
10	एक्सिस बैंक लि.	5	1.25 प्रतिशत	बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी
11	भारतीय खाद्य निगम सीपीएफ ट्रस्ट	17	4.26 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
12	पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी भविष्य निधि	13	3.26 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
13	पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी ग्रेज्युइटी निधि	10	2.51 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
14	पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी पेंशन निधि	29	7.27 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
15	बैंक ऑफ इंडिया भविष्य निधि	12	3.01 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
16	भारतीय सामान्य बीमा निगम	70	17.54 प्रतिशत	बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी
17	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	15	3.76 प्रतिशत	बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी
18	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	30	7.52 प्रतिशत	बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी
19	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. का इंडियन प्रोविडंट फंड	5	1.25 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
20	कृभको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	5	1.25 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
21	टाटा मोटर्स लिमिटेड प्रोविडंड फंड	8	2.01 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
22	पॉवर ग्रिड सेल्फ कंट्रीब्यूटरी सेवा निवृत्ति लाभ पेंशन निधि ट्रस्ट	5	1.25 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
23	ट टाइम्स ऑफ इंडिया प्रोविडंट फंड	4	1.00 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
24	नेशनल थर्मल पॉवर कापोरेशन लि. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	4	1.00 प्रतिशत	अन्य (पीएफ फंड/ट्रस्ट)
25	द पीयरलेस जनरल इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	10	2.51 प्रतिशत	बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी

(ग) बांड : (पी सीरीज)

i) **आकार के अनुसार** : 31 मार्च 2011 को होल्डिंग के आकार और प्रतिशतता के अनुसार बांड होल्डिंग का वितरण निम्नलिखित है :

बांडों की संख्या	बांडधारकों की संख्या	बांडधारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5001-10000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10001-20000	1	100.00%	20000	100.00%
20001-30000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30001-40000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40001-50000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50001-100000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
100001 **एवं उससे ज्यादा**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**1**	**100.00%**	**20000**	**100.00%**

ii) 31 मार्च 2011 को बांड होल्डिंग पैटर्न :

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	0.00%
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	शून्य	0.00%
भारतीय जनता	शून्य	0.00%
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	20000	100.00%
कार्पोरेट निकाय	शून्य	0.00%
म्युचल फंड्स/यूटीआई	शून्य	0.00%
एनआरआई/ओसीबीज	शून्य	0.00%
अन्य :		
भविष्य निधि/ न्यास	शून्य	0.00%
क्लिअरिंग सदस्य	शून्य	0.00%
कुल	**20000**	**100.00%**

iii) **31 मार्च 2011 को प्रमुख बांड होल्डिंग पैटर्न :** 31 मार्च 2011 को कंपनी में 1 प्रतिशत बांड मूल्य से ज्यादा वाले बांडधारकों का विवरण निम्न प्रकार है :

बांडधारक का नाम	बांडों की संख्या	कुल बांडमूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
भारतीय जीवन बीमा निगम	20000	100.00%	बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी

(xi) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन : कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में जमाकर्ताओं के पास डीमैटीरियलाइजेशन रूप में उपलब्ध कुल जारी पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी तथा पूंजी के समाधान के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी कंपनी सचिव से प्राप्त की गई और उसे निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराया गया।

कंपनी के बांड भी अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। एनएसडीएल/सीडीएसएल में सूचीबद्ध कुल स्वीकृत बांडों और कुल जारी तथा सूचीबद्ध बांडों के समाधान के प्रयोजन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी सनदी लेखाकारों से प्राप्त की गई।

(xii) बकाया जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स, कंवर्जन तिथि तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव : एनएचपीसी ने जीडीआर्स/एडीआर्स/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स जारी नहीं किए हैं।

(xiii) संयत्र स्थल

बैरास्यूल	एनएचपीसी लि., सुरंगनी, जिला-चंबा, हिमाचल प्रदेश-176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर-लोकतक, कोमकेरेप, मणिपुर-795 124
सलाल	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जम्मू एवं कश्मीर-182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बनबासा, जिला चम्बावत, उत्तराखंड- 262 310
चमेरा- I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 325
उड़ी- I	एनएचपीसी लि., जिंगल, डाकघर-मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर -193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर-रंगित, दक्षिण सिक्किम-737 111
चमेरा- II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 310
धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड-262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चेनाब नगर, सेक्टर- II, किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर-182 206
तीस्ता- V	एनएचपीसी लि., डाकघर-सिंगताम, पूर्वी सिक्किम- 737 134
सेवा- II	एनएचपीसी लि., माश्का, ज़िला कठुआ, (जम्मू-कश्मीर)

(xiv) **पत्राचार के लिए पता :**

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,
प्रथम तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003
दूरभाष : 0129-2278421
फैक्स : 0129-2277941
ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई-मेल आईडीः companysecretary@nhpc.nic.in है।

10. **अनुपालन प्रमाणपत्र :**

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए दिशा-निर्देश 2010 और सूचीकरण समझौते के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के बारे में पूर्ण कालिक कार्यकारी कम्पनी सचिव मैसर्स पी.सी. जैन एण्ड कम्पनी से प्राप्त प्रमाण-पत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

(ए.बी.एल. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 01601682

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10.08.2011

अनुबंध-क

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं : पूर्व पृष्ठ पर दी गई अधिदेशित अपेक्षा के अलावा, दिशा-निर्देशों की गैर अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार से हैः-

क) **बोर्ड :** कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा कम्पनी की अध्यक्षता की जाती है। कम्पनी के बोर्ड में कुल मिलाकर नो वर्ष से अधिक की अवधि हेतु कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।

ख) **पारिश्रमिक समिति :** कृपया इस रिपोर्ट के पैरा-3(v) का संदर्भ ग्रहण करे।

ग) **शेयर धारकों के अधिकार :** पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, यह घोषणा कम्पनी की वेब-साइट पर उपलब्ध है। वित्तीय परिणाम "शेयर धारक सूचना" नामक शीर्षक से प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशित की गई।

घ) **लेखा परीक्षा योग्यता :** वर्ष 2010-11 के वित्तीय विवरणों में कोई लेखा परीक्षा योग्यता नहीं हैं।

ङ) **बोर्ड सदस्यों को परीक्षण :** कृपया इस रिपोर्ट के पैरा-2(viii) का संदर्भ ग्रहण करे।

च) **बोर्ड के गैर कार्यकारी सदस्यों का मुल्यांकन तंत्र :** कम्पनी के बोर्ड में दो सरकारी नामितियों सहित नौ गैर कार्यकारी निदेशक शामिल है। ये सभी विद्युत मंत्रालय के मार्फत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये है, इसलिए इन सभी का मुल्यांकन कम्पनी के बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है।

छ) **भ्रष्टाचार उजागर नीति :** कम्पनी भ्रष्टाचार उजागर नीति अपनाने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अपने कर्मचारियों, विक्रेता प्रतिनिधियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्श दाताओं, सेवा प्रदाताओं अथवा एनएचपीसी के साथ किसी प्रकार का व्यवसाय करने वाले किसी अन्य पक्ष के बारे में कपट या संदिग्ध धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट करने के लिए पहले ही एक कपट निवारण नीति अपनाई है। छल-कपट अथवा संदिग्ध धोखा-धड़ी की समस्त रिपोर्टों की जांच शीघ्रता से की गई है। छल-कपट की रोकथाम के लिए तंत्र बनाना इस नीति में शामिल है।

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

सेवा में
निदेशक मंडल
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद

(क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की संवीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि :

(i) इन विवरणों में भौतिक दृष्टि से कोई असत्य जानकारी नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।

(ii) इन विवरणों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित, दोनों ही तरह के स्वरूप का पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(ख) हमारे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2010-11 में कंपनी ने, अपनी आचार संहिता के अनुस ार कोई कपटपूर्ण, गैर-कानूनी अथवा भ्रष्टाचार का कार्य नहीं किया है।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टों हेतु आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय प्रलेख संबंधी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की कारग़रता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन एवं प्रचालन की ऐसी खामियां, जो हमें पता चली हैं, और इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए हमारे द्वारा किए गए उपायों, अथवा प्रस्तावित उपायों, यदि कोई हों, की जानकारी लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को प्रदान की है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को निम्नांकित तथ्यों की जानकारी दी है :

(i) वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष 2010-11 के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा उन्हें वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियों में प्रकट किया है; तथा

(iii) महत्वपूर्ण छल-कपट की घटनाओं और उनमें प्रबंधन अथवा किसी ऐसे कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, के शामिल होने जैसे मामलों की हमें जानकारी प्राप्त हुई हो।

(आर के तनेजा)
का.नि. (वित्त)

(ए.बी.एल. श्रीवास्तव)
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 30. 06 . 2011

कारपोरेट अभिशासन का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में
एनएचपीसी लिमिटेड, के सदस्यगण

1. हमने स्टाक एक्सचेंजों के साथ एनएचपीसी लि. के सूचीकरण करार की धारा 49 में वर्णित की अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यन्वयन के तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा-परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है।

3. हमारी राय में तथा अपनी पूर्ण जानकारी और हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त सूचीकरण करार में वर्णित कारपोरेट अभिशासन संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है।

4. हमारा यह भी मानना है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी सक्षमता या प्रभावकारिता का, जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाता है।

कृते पी सी जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिव

हस्ता./-
पी सी जैन
(स्वामी)
सी पी न. 3349

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 10.08.2011

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

संलग्नक-II

उद्योग ढांचा और विकास

भारतीय अर्थ-व्यवस्था के स्थायी विकास के लिए विद्युत एक बुनियादी अवसंरचना है। भारत का विद्युत क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुल संस्थापित क्षमता 1,362 मेगावाट थी, जो आज बढ़कर 1,73,626 मेगावाट पर पहुंच गई है। 31 मार्च 2011 को ताप, जल और परमाणु ऊर्जा का योगदान क्रमशः 1,12,824 मेगावाट, 37,567 मेगावाट, और 4,780 मेगावाट था। इसके अतिरिक्त 18,455 मेगावाट विद्युत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन में प्रमुख भुमिका है, जहां कुल संस्थापित क्षमता में करीब 79 प्रतिशत योगदान केन्द्र और राज्य सरकारों का है। निजी क्षेत्र, जो करीब 21 प्रतिशत विद्युत पैदा करता है, की भागीदारी भी 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद से बढ़ी है।

किन्तु, अनेक चुनौतियां है जिनका समाधान अभी करने की आवश्यकता है। इनमें विद्युत की कमी (विशेषकर पीक-पावर) और जल-ताप विद्युत का प्रतिकूल मिश्रण जैसी समस्याएं प्रमुख है। भारतीय विद्युत क्षेत्र को प्रणालीगत अविश्वसनीयता/ग्रिड अस्थिरता, आवृत्ति अनियमितता, विषम शुल्क, कमजोर एवं घटिया वितरण तंत्र, और उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में कुल संस्थापित क्षमता में जल विद्युत की हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम हुई है, जिसके फलस्वरूप प्रतिकूल जल-तापीय मिश्रण से तकनीकी एवं प्रचालनगत विसंगतियां सामने आई है। फिर भी, भारत में 1,48,700 मेगावाट जल विद्युत की व्यापक संभावनाएं है, जिसमें से अभी तक करीब 25 प्रतिशत का दोहन हो पाया है।

क्षमता, कमजोरी, अवसर, खतरा (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

क) क्षमता - एनएचपीसी के पास निम्नांकित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताएं मौजूद हैं :

- **जल विद्युत परियोनाओं के कार्यान्वयन में स्थापित ट्रेक रिकार्ड** : एनएचपीसी ने परियोजना कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त की है, जो प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से कम्पनी के लिए अत्यंत लाभदायक है। कम्पनी का सुदृढ़ डिजाइन एवं इंजीनियरी आधार है और उसके पास भू-विज्ञान, भू-भौतिकी, भू-तकनीकी, निर्माण और पदार्थ सर्वेक्षण के क्षेत्र में विभागीय विशेषज्ञ मौजूद है। इसके पास परियोजनाओं की परिकल्पना से लेकर उनके प्रचालन तक अत्यंत दक्ष इंजीनियरी क्षमताएं विद्यमान हैं। एनएचपीसी की टीम में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परियोजना परामर्शदाता के रूप में सहायता करते है।

- **दूर-दराज/अभेद्य क्षेत्रों, भू-तकनीकी दृष्टि से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन का अनुभव** : एनएचपीसी की सभी परियोजनाएं दूर-दराज़ के क्षेत्रों में स्थित है, जिन्हें कई तरह की चुनौतियों, जैसे संभारतंत्रीय, जलवायु और प्रौद्योगिकी संबंधी, का सामना करना पड़ता है। किन्तु, सुयोग्य और अनुभवी व्यवसायियों की सुदढ़ और सक्षम टीम, जो सभी प्रकार की एवं सभी आकारों की परियोजनाओं के निष्पादन की क्षमता रखती है, के बलबूते एनएचपीसी ने 14 पावर स्टेशनों का सफलतापूर्वक विकास किया है। कंपनी ने इनमें से दो पावर स्टेशन अपनी सहायक कम्पनी एनएचडीसी के साथ मिलकर विकसित किए है। कम्पनी की सहायक कम्पनी एनएचडीसी चमेरा-II पावर स्टेशन और इंदिरासागर तथा ओमकारेश्वर परियोजनाओं को निर्धारित समय से पहले चालू करने में सफल रही है।

- **उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालीन विद्युत खरीद समझौते** : विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) का अनुसरण करते हुए एनएचपीसी अपना अधिकतर राजस्व राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों तथा उनकी उत्तरवर्ती संस्थाओं को ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त करती है। विभिन्न पावर स्टेशनों से विभिन्न लाभार्थियों को विद्युत का आवंटन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राज्य संस्थाओं से बिलिंग भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, तथा संबंद्ध राज्य सरकारों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसरण में ऋण-पत्रों के माध्यम से की जाती है।

  इसके अतिरिक्त निवेश के समय भारत सरकार द्वारा नई परियोजनाओं पर किये गये निर्णय के अनुसार कम्पनी ऐसी परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए लाभार्थी उपभोक्ताओं से वचनबद्धता प्राप्त करती है।

- **मजबूत संचालन कार्य निष्पादन** : हाल के वर्षों में पावर स्टेशनों के प्रचालन में सुधार दिखाई देता है। एनएचपीसी संचालित पावर स्टेशनों ने 2010-11 के दौरान 18,606 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया, जो 18,000 मिनिलन यूनिट के वार्षिक समझौता ज्ञापन लक्ष्य से काफी अधिक है। इसके लिए कम्पनी को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। इतना ही नहीं 2010-11 में पैदा की गई विद्युत 2009-10 (16,960 मि.यू.) के उत्पादन की तुलना में करीब 9.7 प्रतिशत अधिक थी।

  इसी प्रकार 2010-11 के दौरान पावर स्टेशन संचालन के लिए एनएचपीसी का संयत्र उपलब्धता घटक (पीएएफ) 85.2 प्रतिशत (अस्थाई) रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 84.1 प्रतिशत था। इस प्रकार कम्पनी का एफएपी 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए निर्धारित 79.9 प्रतिशत के वार्षिक समझौता ज्ञापन लक्ष्य से 5.3 प्रतिशत अधिक रहा।

- **सक्षम एवं प्रतिबद्ध कार्यबल** : एनएचपीसी का कार्मिक दल अत्यन्त सक्षम एवं प्रतिबद्ध है। इसके अधिकारियों को उद्योग में व्यापक अनुभव प्राप्त है। उनका कौशल, औद्योगिक ज्ञान और संचालनगत अनुभव कम्पनी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है।

- **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति** : एनएचपीसी अनुसूची 'क' में आने वाला मिनी-रत्न सार्वजनिक उद्यम है, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 15,000 करोड़, और निवेश आधार 40,471 करोड़ रुपये से अधिक का है। घरेलू बाजार से ऋण के लिए 'एएए (इंड.)' रेटिंग के साथ कम्पनी की वित्तीय स्थिति अत्यन्त मजबूत है।

ख) अवसर :

बिगड़ता हुआ जल-तापीय मिश्रण, पीकिंग शार्टेज़ में वृद्धि और आवृत्ति में अंतराल जैसी समस्याओं को देखते हुए नीति निर्माताओं का ध्यान जल संसाधनों और जल-विद्युत के विकास की ओर परिणत हुआ है। जल विद्युत की ओर ध्यान परिणत होने के साथ ही, भारत में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अदोहित जल-विद्युत क्षमता, को देखते हुए एनएचपीसी को आने वाले वर्षों में क्षमता में वृद्धि के व्यापक अवसर मिलेंगे।

ग) खतरे एवं कमजोरियां:

प्रबंधन का अनुमान है कि जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निम्नांकित खतरों/जोखिमों/कमजोरियों का सामना करना पडेग़ा :

पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियांः पर्यावरण मंजूरी और वन स्वीकृति तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से मंजूरियां (जहां कहीं लागू हो) प्राप्त करने हेतू कड़े मानदंड और जटिल प्रक्रिया विधि से परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब होता है, जिससे क्षमता बढ़ाने कम्पनी के कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है।

भूमि अधिग्रहणः आधारभूत कार्यों तथा जलमग्न होने वाले क्षेत्र सहित परियोजना घटकों हेतू भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़ी जटिल और समय की दृष्टि से अधिक समय लगने वाली प्रक्रिया है।

भू-विज्ञानिक अनिश्चितताएंः गहन सर्वेक्षण और जांच के बावजूद जल विद्युत परियोजनाओं के विभिन्न घटक जैसे हैड रेस टनेल, भूमिगत पावर स्टेशन, प्रेशर शॉफ्ट, और सर्ज शॉफ्ट घटक, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में भू-विज्ञानिक आश्चर्य के रूप में सामने आते हैं। यद्यपि अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बल बूते एनएचपीसी ने अतीत में ऐसी रूकावटों का सफलतापूर्वक सामना किया है, फिर भी आमतौर पर और बार-बार सामने आने वाली इन बाधाओं से परियोजनाओं के समय एवं लागत में वृद्धि हो सकती है।

अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादः भारत में जल राज्य का विषय है, इसलिए अंतर-राज्यीय नदी विवाद से अक्सर परियोजनाओं में विलम्ब होता है अथवा उन्हें छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कुछ परियोजनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण प्रभाव पड़ता है।

प्राकृतिक आपदाएंः चूंकि अधिकतर जल परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, अतः चट्टाने खिसकने, पहाड़ों की ढाल के ढ़हने, मार्ग बंद होने बाढ़ तथा बादल फटने जैसी घटनाओं से निर्माण कार्यक्रम को गंभीर धक्का पहुंचने की आशंका रहती है।

अप्रत्याशित जटिलताएंः कम्पनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से स्वीकृति/निष्पादन में विलम्ब तथा अन्य कारणों से लागत में वृद्धि या भिन्नता हो सकती है। इसके अलावा, सीइआरसी टैरिफ विनियमों में कोई परिवर्तन कम्पनी के रोकड़ प्रवाह और प्रचालनों के प्रणामों पर विपरीत असर डाल सकता है।

सक्षम संविदाकारों की कमीः अधिक से अधिक संविदाकार अब विकासक बनते जा रहे है, जिससे जल क्षेत्र में अनुभवी संविदाकारों की कमी होती जा रही है।

जोखिम एवं चिंताएंः

दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में जल पावर स्टेशनों का निर्माण एक जटिल कार्य है। ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा अल्पविकसित है और ऐसे में कार्यान्वयन एजेंसियों को कामगार, सामग्री एवं संसाधन जुटाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते है और उनमें लागत भी अधिक आती है। जल राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें अधिक मात्रा में निशुल्क विद्युत और अन्य प्रोत्साहनों की मांग करती है, जिससे टैरिफ की दरें बढ़ जाती है।

आउट-लुकः

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में से एक है, अतः इसके लिए ऊर्जा, विशेषकर विद्युतीय ऊर्जा की मांग काफी ऊंची है। यह मांग लगभग 8 से 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रही है। 2010-11 में ऊर्जा की मांग और पीक शोर्टेज़ क्रमशः 7.5 और 10.3 प्रतिशत थी। सीईए ने अनुमान लगाया है कि 2011-12 में ऊर्जा की मांग करीब 969 अरब यूनिट और 2016-17 में 1,392 अरब यूनिट पर पहुंच जायेगी। पीक-मांग के बारे में अनुमान है कि यह 2011-12 में 153 जीडब्ल्यू और 2016-17 में 218 जीडब्ल्यू हो जायेगी। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि विद्युत की सतत बढ़ती जा रही मांग का अंतराल दूर करने के लिए संस्थापित क्षमता में बढ़ौत्तरी करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने समूचे विद्युत क्षेत्र में, और विशेषकर जल विद्युत के क्षेत्र में सुधारों के लिए विभिन्न उपाय शुरू किये हैं। इन उपायों में सीईए द्वारा 2001 में संभावित जलीय स्थलों का अध्ययन, विद्युत अधिनियम, 2003 का नियमन, मई 2003 में 50000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में पहल और 2008 में जल नीति की घोषणा शामिल है।

आतंरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता :

एनएचपीसी ने कार्यात्मक और प्रचालनगत क्षेत्रों में आतंरिक नियंत्रण प्रणालियां कायम की है और कारोबार/प्रक्रियाएं शक्तियों के प्रत्योजन और प्रलेखित नीतियों, दिशा-निर्देशों और मेनुअलों द्वारा शासित होती है। संगठनात्मक ढांचा श्रेणी-बद्धता के विशेष स्तरों पर परम्परागत प्राधिकार/जिम्मेदारी के संदर्भ में सुपरिभाषित है।

एनएचपीसी का एक पृथक और पूर्ण आंतरिक लेखा विभाग कारपोरेट मुख्यालय में है और क्षेत्रीय कार्यालयों में आतंरिक लेखा-परीक्षा प्रकोष्ठ हैं, जिनमें लेखा-परीक्षा करने के लिए अनुभवी दक्ष कार्मिक है, जो नियमित अंतराल पर लेखा-परीक्षा करते है। लेखा-परीक्षा अभिमतों और कृत कार्रवाई रिपोर्ट का एक सार लेखा-परीक्षा समिति के सम्मुख रखा जाता है। समिति की सिफारिशों तथा दिशा-निर्देशों का तदनुरूप पालन किया जाता है।

प्रचालनगत कार्य निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा :

क) वित्तीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

प्रचालनों का परिणाम

वित्त वर्ष 2010 की तुलना में वित्त वर्ष 2011 के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण नीचे दिया गया है।

आय

वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
बेची गई विद्युत इकाइयां (मिलियन यूनिट)	16,293.32	14,841.67
आय		**करोड़ रुपये में**
ऊर्जा की बिक्री	4,046.59	4,153.21
अनुबध, परियोजना प्रबधन तथा परामर्शी कार्यों से प्राप्त राजस्व	178.66	113.08
अन्य आय	706.86	545.73
कुल	**4,932.11**	**4,812.02**

एनएचपीसी की आय में, विद्युत की बिक्री, अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी सेवाओं से होने वाली आय तथा अन्य आय, जिसमें मुख्य रूप से अधिशेष निधियों के निवेश पर प्राप्त ब्याज, प्रतिभूति बांड्स/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज तथा लाभांश आय शामिल है। एनएचपीसी की कुल आय में वित्त वर्ष 2010 की तुलना में 2.50 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जो इस दौरान 4812.02 करोड़ रुपये से बढ़कर 4932.11 करोड़ रुपये हो गई। इसका मुख्य श्रेय सेवा-2 पावर स्टेशन के चालू होने, इक्विटी पर लाभ (आरओई) में कारपोरेट कर की दर से वृद्धि होने और अधिशेष निधि पर निवेश से प्राप्त ब्याज आय में बढोत्तरी को जाता है। पिछले वर्ष ऊर्जा की बिक्री में उससे पिछले वर्ष की 706.33 करोड़ रुपये (मूल्य ह्रास के प्रति विशुद्ध अग्रिम) की बिक्री भी शामिल थी।

टैरिफ

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) विभिन्न पावर स्टेशन के लिए विद्युत प्रभार निर्धारित करता है। 19 जनवरी, 2009 को जारी अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी के द्वारा आयोग ने 2009-14 की अवधि से संबंधित एक नया आदेश/विनियम जारी किया।

टैरिफ का निर्धारण वार्षिक निर्धारित प्रभारों (एएफसी) के संदर्भ में किया जाता है। जिसमें प्राथमिक ऊर्जा प्रभार एवं क्षमता प्रभार सम्मिलित होते हैं और उसमें इक्विटी पर लाभ (आरओई), मूल्य ह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रख-रखाव खर्च समाहित किया जाता है। इक्विटी पर लाभ (आरओई) लागू आयकर दर संदर्भ में जोड़ा जाता है ताकि आयकर की वसूली की जा सके। पूंजी प्रभारों की वसूली विद्युत उत्पादन के लिए हमारी मशीनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। जबकि क्षमता का निर्धारण नियामक वार्षिक प्लांट उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे परियोजना की प्रकृति पर आधारित प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित किया जाता है।

कम्पनी एनएपीएएफ से अधिक प्लांट उपलब्धता कारक प्राप्त करने तथा संयंत्र के डिजाइन ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार है। यह वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2009 की अवधि में प्रचलित टैरिफ प्रणाली के विपरीत है, जिसमें निर्धारित क्षमता स्तरों से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा प्रभार वसूल किये जाते थे।

ऊर्जा की बिक्री

एनएचपीसी अधिकांश बॅल्क उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री करती है, जिनमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली विद्युत सेवाएं शामिल है। विद्युत की बिक्री दीर्घावधि विद्युत खरीद करारो पर की जाती है। सीईआरसी ने 1 अप्रैल, 2009 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्ते 19 जनवरी, 2009 को जारी अधिसूचना के तहत अधिसूचित की हैं। सभी 12 पावर स्टेशनों के संदर्भ में याचिकाएं दर्ज की गई है और 3 पावर स्टेशनों के संदर्भ में टैरिफ पहले ही मंजूर किया जा चुका है।

उपरोक्त विनियमों में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान किया गया है कि याचिकों दायर करने के प्रयोजन के लिए, वित्त वर्ष 2008-09 के लिए लागू आयकर की दर का इस्तेमाल करते हुए आरओई बढ़ाया जाना है और आरओई में यदि कोई अंतर हो, जो 2009-14 की अवधि के दौरान आयकर की दर में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकता है, तो उसका दावा 2014-15 में किया जायेगा। किन्तु, 'राजस्व वसूली' के बारे में लेखांकन मानक (एएस-9) के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2011 के दौरान बिक्री के आंकड़ों की पुनः गणना की गई और उपरोक्त विनियम में वर्णित सिद्धांत के आधार पर वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लागू आयकर की दर के अनुसार आरओई में बढोत्तरी करते हुए कम्पनी द्वारा अस्थाई तौर पर मंजूरी दी गई।

वित्त वर्ष 2011 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 3,749.20 मेगावाट में से 16,293.32 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की जबकि वित्त वर्ष 2010 में कम्पनी ने 3,619.20 मेगावाट संस्थापित क्षमता में से 14,841.67 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि न केवल विद्युत के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई बल्कि 9.78 प्रतिशत यूनिटें भी अधिक बेची गई। इसका श्रेय मुख्य रूप से चालू वित्त वर्ष के दौरान सेवा - 2 पावर स्टेशन से उत्पादन प्रारंभ होने को जाता है। एनएचपीसी का प्रति यूनिट औसत बिक्री मूल्य वित्त वर्ष 2011 में 2.45 रुपये प्रति यूनिट रहा जबकि वित्त वर्ष 2010 में यह 2.87 रुपये प्रति यूनिट था। वित्त वर्ष 2011 में प्रति यूनिट दर में कमी का कारण मुख्य रूप से पिछले वित्त वर्ष में प्रभारित टैरिफ मानक तथा पावर स्टेशनों के टैरिफ को अंतिम रूप देने/संशोधन के कारण पिछले वर्षों की बिक्री का परिकलन किया जाना था।

वित्त वर्ष 2011 में ऊर्जा की बिक्री में 2.57 प्रतिशत की कमी आई और यह वित्त वर्ष 2010 की 4,153.21 करोड़ रुपये से घटकर 4,046.59 करोड़ रुपये रह गई। इसका मुख्य कारण पिछले वर्षों की बिक्री का परिकलन (एएडी का निवल) था, जो पिछले वित्त वर्ष के दौरान 706.33 करोड़ रुपये बैठता है। वित्त वर्ष 2011 में बिक्री वसूली शत-प्रतिशत रही जबकि वित्त वर्ष 2010 में यह 99.69 प्रतिशत थी। एनएचपीसी का प्लांट उपलब्धता कारक वित्त वर्ष 2011 में 85.20 प्रतिशत था जबकि इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2010 में यह 84.10 प्रतिशत था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व में पूर्व वर्षों से संबंधित किन्तु वर्तमान वर्ष में मान्य बिक्री भी शामिल है। इसमें ग्रिड अनुशासन लाने के लिए विनियमन में निर्धारित आवृत्ति से संबंधित दरों पर भुगतान योग्य शेड्यूल के संदर्भ में उत्पादन में विचलन के लिए प्रभारों में अनिर्धारित परस्पर परिवर्तन और विदेशी मुद्रा दर में अंतर के कारण पुनर्भुगतान भी शामिल है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, ब्याज भुगतान संबंधी विनियम दर परिवर्तन स्टेशनों/यूनिटों के लिए समझे गये नियामक ऋण के लिए समनुरूप पुनर्भुगतान ऋणों और उसके ब्याज के पुनर्भुगतान पर लाभार्थियों से/को वसूल/देय होता है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत के अनुसार विदेशी मुद्रा ऋणों की रि-स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तारीख के निर्धारण के बाद लाभ तथा हानि में समायोजित करने के बजाए लेखों में आस्थगित देयता/परिसम्पत्ति सृजित करके गणना में लिया जाता है।

वर्षवार तुलना के लिए पूर्व वर्ष में बिक्री और यूआई का प्रभाव ऊर्जा की बिक्री से हटा दिया जाता है ताकि ऊर्जा की समायोजित बिक्री का पता लगाया जा सके। इस तरह के समायोजन के पश्चात बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्न लिखित है :

	वित्त वर्ष 2011	**वित्त वर्ष 2010**
सकल बिक्री	3,999.63	4,261.18
घटाएंः मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एएडी) निवल	(46.96)	107.97
निवल बिक्री	4,046.59	4,153.21
घटाएं :		
(क) पिछले वर्ष की बिक्री (एएडी का निवल)	24.01	706.33
(ख) यू आई प्रभार	128.61	110.39
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	**3,893.97**	**3,336.49**

वित्त वर्ष 2010 में 706.33 करोड़ रुपये (कुल 844.14 करोड़ रुपये) की पूर्व वर्ष की बिक्री (एएडी का निवल) में बढोत्तरी मुख्य रूप से पावर स्टेशनों के संबंध में टैरिफ को अंतिम रूप देने और संशोधन के कारण हुई।

समायोजित बिक्री में 16.71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से चालू वित्त वर्ष के दौरान सेवा-2 पावर स्टेशन से उत्पादन शुरू होने और कारपोरेट कर दर पर आरओई बढ़ाए जाने के कारण हुई।

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यो से राजस्व

एनएचपीसी को परियोजनाओं के निर्माण/निष्पादन के लिए संविदाओं और परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से भी कुछ राजस्व प्राप्त होता है। इन कार्यों में मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्कीम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ढ़ांचा स्थापित करने, विशेकर प्राथमिक वितरण लाइनों के निर्माण संबंधी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत आने वाले कार्य शामिल है। इन दो कार्यक्रमों की देखरेख भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती है और इनका निष्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है। एनएचपीसी को समूचे भारत में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में आवंटित परियोजनाएं निष्पादित करने का दायित्व सौपा गया है। इसके अलावा कम्पनी जेकेएसपीडीसी की ओर से बगलियार पॉवर स्टेशन का भी संचालन करती है।

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यो से एनएचपीसी की आय में बढ़ोतरी मुख्य रूप से बगलियार पॉवर स्टेशन की आय में वृद्धि के कारण हुई है, जो वित्त वर्ष 2011 में 57.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2010 की 113.08 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 178.66 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

अन्य आय

अन्य आय में मुख्य रूप से एकल समय सेटलमेंट स्कीम के तहत नई पॉवर बांड/दीर्घावधि अग्रिमों, अधिशेष नगदी निवेश पर ब्याज, सहायक कम्पनियों में इक्विटी निवेश पर लाभांश और विविध स्रोतों से होती है।

वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी की अन्य आय बढ़कर 706.86 करोड़ रुपये हो गई और इसमें वित्त वर्ष 2010 की 545.73 करोड़ रुपये की अन्य आय की तुलना में 29.53 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अन्य आय के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :

अन्य आय	**वित्त वर्ष 2011**	**वित्त वर्ष 2010**
प्रतिभूति पावर बांडो/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज	137.35	161.31
लाभभोगी राज्यों से प्राप्त ब्यान	20.40	83.64
आवधिक जमा पर ब्याज	409.58	185.61
लाभांश	12.40	25.02
अन्य विविध आय	127.13	90.15
कुल	706.86	545.73

वित्त वर्ष 2011 में प्रतिभूति पॉवर बांड/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज से होने वाली आय 137.35 करोड़ रुपये रही जबकि इसकी तुलना में 2010 में यह 161.31 करोड़ रुपये थी। ब्याज से होने वाली आय में 23.96 करोड़ रुपये की कमी का कारण 281.80 करोड़ रुपये की राशि के इन बांडों/दीर्घावधि अग्रिमो का विमोचन था।

वित्त वर्ष 2011 के दौरान कम्पनी की अन्य आय में कमी का कारण पॉवर स्टेशनों के टैरिफ को अंतिम रूप देने/संशोधन के कारण लाभ भोगी राज्यों से प्राप्त ब्याज में 63.24 करोड़ रुपये की कमी था। वित्त वर्ष 2011 के दौरान धौलीगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ को तथा वित्त वर्ष 2010 में दुलहस्ती, तिस्ता-V और चमेरा-II विद्युत घरों के टैरिफ को सीईआरसी द्वारा अंतिम रूप दिया गया।

वित्त वर्ष 2011 के दौरान आवधिक जमा पर ब्याज बढ़कर 409.58 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जबकि वित्त वर्ष 2010 में यह 185.61 करोड रुपये था। इसका कारण यह था कि आईपीओ प्राप्तियों से निवेश राशि अधिशेष हो गयी थी।

एनएचपीसी को वित्त वर्ष 2010 के दौरान आईपीओ प्राप्तियों से 4,025.70 करोड रुपये प्राप्त हुए। इस निधि में से 2,394.40 करोड़ रुपये नियतकालिक जमा/ कारपोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट में निवेश किए गए।

वित्त वर्ष 2011 के दौरान एनएचपीसी ने मुख्य रूप से अनुषंगी कंपनियों में निवेश से 12.40 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में अर्जित किए जबकि वित्त वर्ष 2010 में 25.02 करोड़ रुपये इस मद में अर्जित किए गए थे।

कंपनी की वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 2010 में अन्य विविध आय क्रमशः 127.13 करोड रुपये और 90.15 करोड़ रुपये थी, जिसमें मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश सरकार को दिए गए अग्रिम से प्राप्त ब्याज, देयताओं की पश्च लिखित आदि का योगदान था। कंपनी की अन्य विविध आय में वित्त वर्ष 2011 में 36.97 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी का मुख्य श्रेय चालू वित्त वर्ष के दौरान एक परियोजना के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ को जाता है।

व्यय *(करोड़ रुपये में)*

व्यय	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	522.43	238.67
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	699.62	529.84
मूल्यह्रास	916.74	1,018.87
ब्याज एवं वित्त प्रभार	413.56	457.08
प्रावधान	34.46	80.50
संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य पर व्यय	123.25	82.39
कुल व्यय	**2,710.06**	**2,407.35**

एनएचपीसी के व्यय में वित्त वर्ष 2011 में 12.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,710.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2010 में यह 2,407.35 करोड़ रुपये था। व्यय में वृद्धि के मुख्य कारणों में जम्मू कश्मीर में स्थित विद्युतघरों के संदर्भ में जल उपकर की लेवी, पोसोको प्रभार, तथा पंचाट निर्णय पर ब्याज शामिल थे। नई लेवी होने के कारण, लाभभोगियों से जल उपकर की वसूली के लिए याचिका सीईआरसी में पहले ही दाखिल की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी का कुल खर्च कुल आय की तुलना में 54.95 प्रतिशत था जबकि वित्त वर्ष 2010 में यह 50.03 प्रतिशत था। यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से ऊपर वर्णित कारणों से हुई।

उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्ययों के अंतर्गत मुख्य रूप से भवनों एवं प्लांट तथा मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, सुरक्षा तथा बीमा व्यय, आदि शामिल हैं। ये व्यय वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी के कुल व्यय का 19 प्रतिशत रहे जबकि इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2010 में ये 10 प्रतिशत थे। पूर्ण संदर्भ में, ये व्यय वित्त वर्ष 2011 में करीब 119 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 522.43 करोड़ रुपये पर पहुंच गए जबकि वित्त वर्ष 2010 में ये 238.67 करोड़ रुपये थे। बिक्री योग्य ऊर्जा पर प्रति यूनिट व्यय वित्त वर्ष 2011 में 0.32 रुपये रहा जबकि उससे पिछले वर्ष यह 0.16 प्रतिशत था।

कंपनी के व्यय में 283.76 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुख्य कारणों में जम्मू कश्मीर में स्थित विद्युतघरों के संदर्भ में जल उपकर की लेवी, पोसोको प्रभार, पंचाट निर्णय पर ब्याज और चालू वित्त वर्ष के दौरान सेवा-II पावर स्टेशन से उत्पादन प्रारंभ होना शामिल है। जल उपकर की वसूली के लिए याचिका सीईआरसी में पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ

कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभों के अंतर्गत वेतन एवं दिहाड़ी, भत्ते, प्रोत्साहन राशि, भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान तथा कल्याण व्यय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2011 में ये सभी व्यय एनएचपीसी के कुल व्यय का 26 प्रतिशत रहे जबकि वित्त वर्ष 2010 में ये लगभग 22 प्रतिशत थे। पूर्ण संदर्भ में, वित्त वर्ष 2011 में कर्मचारी लागत बढ़कर 169.78 करोड़ रुपये हो गयी, जिसके मुख्य कारणों में दीर्घावधि/सेवा-परवर्ती लाभों के लिए अतिरिक्त प्रावधान और चालू वित्त वर्ष के दौरान सेवा-II पावर स्टेशन का प्रचालन शुरू होने के अलावा निष्पादन से संबद्ध वेतन दिया जाना शामिल है। नतीजतन चालू वित्त वर्ष में कर्मचारी लागत बिक्री योग्य ऊर्जा के संदर्भ में बढ़कर 0.43 रुपये प्रति यूनिट हो गयी, जो पिछले वर्ष 0.36 रुपये प्रति यूनिट थी।

31 मार्च, 2011 को एनएचपीसी के स्वयं के पेरोल पर 11,344 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2010 को कर्मचारियों की संख्या 11,618 थी। इनमें से 5,189 और 4,971 कर्मचारी क्रमशः वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 2010 में प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में संलग्न थे। कर्मचारी पारिश्रमिक और अन्य लाभों पर खर्च वित्त वर्ष 2011 में 32.04 प्रतिशत बढ़कर 699.62 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो वित्त वर्ष 2010 में 529.84 करोड़ रुपये था।

आय के प्रतिशत के रूप में, कर्मचारी पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ वित्त वर्ष 2010 में 11.01 प्रतिशत थे, जो वित्त वर्ष 2011 में बढ़कर 14.19 प्रतिशत हो गए। इस बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण दीर्घावधि/सेवा परवर्ती लाभों के लिए प्रावधान और निष्पादन से संबंधित वेतन की शुरूआत था।

मूल्यह्रास

एनएचपीसी की परिकलन नीति के अनुसार, मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन पद्धति पर प्रभारित किया जाता है जो सीईआरसी की 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित दरों के अनुसार परिसंपत्ति की लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है, परंतु इसमें ऐसी कुछ मदें शामिल नहीं हैं जिन पर कंपनी द्वारा मूल्यांकित दरों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2011 में मूल्यह्रास लागत 10.02 प्रतिशत घटकर 916.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जबकि वित्त वर्ष 2010 में यह 1,018.87 करोड़ रुपये थी। मूल्यह्रास संबंधी व्यय में कमी का मुख्य कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति को अपनाया जाना था। चालू वित्त वर्ष के दौरान सेवा-II पावर स्टेशन से उत्पादन प्रारंभ होने और पंचाट निर्णय के पूंजीकरण से भी मूल्यह्रास व्यय पर असर पड़ा।

कंपनी की कुल आय के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष 2011 में मूल्यह्रास घटकर 18.59 प्रतिशत रह गया जबकि वित्त वर्ष 2010 में यह 21.17 प्रतिशत था।

ब्याज एवं वित्त प्रभार

एनएचपीसी के ब्याज प्रभारों में मुख्य रूप से बांड तथा आवधिक ऋण पर ब्याज खर्चे शामिल हैं। लेखा प्रयोजनों के लिए कंपनी के ऋणों को रुपये में दर्शाया जाता है। विदेशी मुद्रा, मुख्य रूप से जापनी येन, अमरीकी डॉलर, और यूरो में उगाहे गए ऋणों के मूल्य को भी रुपये में प्रकट किया जाता है। इसके अलावा कंपनी ऋणों के संबंध में गारंटी शुल्क के परिकलन पर भी व्यय करती है।

ब्याज एवं वित्त प्रभार वित्त वर्ष 2011 में 9.52 प्रतिशत की कमी के साथ 413.56 करोड़ रुपये रहे जबकि वित्त वर्ष 2010 में ये 457.08 करोड़ रुपये थे। इस कमी की वजह यह थी कि उच्च लागत ऋण लौटाए गए और सामान्य पुनर्भुगतान भी किया गया।

प्रावधान

एनएचपीसी मुख्य रूप से संदिग्ध ऋणों, दावों एवं अग्रिमों, और अप्रचलित भंडार एवं हिस्से-पुर्जों के लिए प्रावधान करती है। ऐसे प्रावधान प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष के अनुसार परिकलित किए जाते हैं।

कंपनी के प्रावधानों में वित्त वर्ष 2011 में 57.19 प्रतिशत की कमी आई और ये 34.46 करोड़ रुपये के रह गए, जबकि वित्त वर्ष 2010 में ये 80.50 करोड़ रुपये के थे। इस कमी की मुख्य वजह यह थी कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान धौलीगंगा विद्युत केन्द्र की लागत के लिए किए गए 70.84 करोड़ रुपये के प्रावधान को समय एवं लागत संबंधी स्थाई समिति द्वारा सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की टिप्पणी के अनुसार नामंजूर करने की सिफारिश की गयी।

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन, एवं परामर्शी कार्य पर व्यय

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन, एवं परामर्शी कार्य पर व्यय के अंतर्गत निर्माण संविदाओं, संविदा और परामर्शी कार्मिक तथा प्रशासन और संविदाओं से संबंधित सामान्य ओवरहैड व्यय को प्रत्यक्ष व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे कंपनी या तो एजेंसी आधार पर अथवा तीसरे पक्षों (प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की ओर से भारत सरकार) की ओर से निष्पादित करती है।

संविदाओं, परियोजना प्रबंधन, एवं परामर्शी कार्य पर व्यय वित्त वर्ष 2011 में 49.59 प्रतिशत बढ़कर 123.25 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो वित्त वर्ष 2010 में 82.39 करोड़ रुपये था। इस बढ़ोत्तरी के मुख्य कारणों में निर्माण कार्यों में हुई प्रगति तथा बगलियार पावर स्टेशन के ओ एंड एम कार्य शामिल हैं।

पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि आय (निवल) में वित्त वर्ष 2011 में 658.97 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि आयकर की गणना एमएटी दरों की बजाय सामान्य आयकर की दरों से करने पर आरओई की गणना में अंतर आया। इसे 2009-10 में बढ़ाने पर विचार किया गया था। लाभ भोगी राज्यों से संबंधित अन्य कर समायोजनों का भी इस पर असर पड़ा।

कर पूर्व लाभ

ऊपर वर्णित कारणों से एनएचपीसी के कर पूर्व लाभ में वित्त वर्ष 2011 में 19.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 2,878.43 करोड़ रुपये पर पहुंच गए जबकि वित्त वर्ष 2010 में ये राशि 2,402.08 करोड़ रुपये थी।

कर के लिए प्रावधान

वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी ने कर के लिए 711.76 करोड़ रुपये प्रदान किए जबकि वित्त वर्ष 2010 में इसके लिए 311.58 करोड़ रुपये दिए गए थे। वित्त वर्ष 2011 में कर बढ़ोत्तरी का कारण कर पूर्व लाभ में वृद्धि, कर की दरों में परिवर्तन और आस्थगित कर का प्रभाव था।

लिक्विडिटी तथा पूंजी संसाधन

लिक्विडिटी

कार्यशील पूंजी प्रदान करने और पूंजीगत आवश्यकताओं के निधियन के लिए कंपनी आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के संसाधनों पर निर्भर है। एनएचपीसी आमतौर पर आवधिक ऋणों या बांड जारी करके दीर्घकालीन उधार की व्यवस्था करती है, जो भारतीय रुपये अथवा विदेशी मुद्राओं में जारी किए जा सकते हैं। एनएचपीसी की नकद राशि या नकदी समकक्ष राशि 31 मार्च, 2011 और 31 मार्च, 2010 को क्रमशः 2,864.14 करोड़ रुपये और 5,097.38 करोड़ रुपये थी।

नक़दी प्रवाह

(करोड़ रुपये में)

	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
प्रचालनगत गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह	3,066.94	2,791.69
निवेश गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह	(3,882.83)	(4,225.88)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नक़दी प्रवाह	(1,417.35)	4,631.62

प्रचालनों से कुल नक़द

वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी को प्रचालन गतिविधियों से कुल 3,066.94 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई। कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को 2,878.43 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। प्रचालन गतिविधियों से कंपनी की कुल नकदी का परिकलन 817.89 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित) की नॉन-कैश मदों, जमा राशियों/निवेशों पर अर्जित 374.53 करोड़ रुपये और 563.70 करोड़ रुपये के ब्याज और अन्य गैरप्रचालन मदों पर छूट को छोड़कर ब्याज के समायोजन के बाद किया गया है। वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन, जिनका वर्तमान अवधि नकदी पर प्रभाव पड़ता है, में मुख्य रूप से प्राप्तियों में वृद्धि के निवल प्रभाव और व्यापार एवं अन्य देयताओं में बढ़ोत्तरी सहित, कार्यशील पूंजी में 59.59 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी शामिल है।

वित्त वर्ष 2010 में एनएचपीसी को प्रचालन गतिविधियों से कुल 2,791.69 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई। कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को 2,402.08 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। प्रचालन गतिविधियों से कंपनी की कुल नकदी का परिकलन 1,032.39 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित) की नॉन-कैश मदों, मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पर आस्थगित राजस्व में 416.12 करोड़ रुपये और 107.97 करोड़ रुपये और जमा राशियों/निवेशों पर अर्जित 346.89 करोड़ रुपये के ब्याज और अन्य गैरप्रचालन मदों पर छूट को छोड़कर ब्याज के समायोजन के बाद किया गया है। वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन, जिनका वर्तमान अवधि नकदी पर प्रभाव पड़ता है, में मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी में 529.11 करोड़ रुपये की कमी शामिल है, जो प्राप्तियों में वृद्धि और व्यापार एवं अन्य देयताओं में बढ़ोत्तरी का निवल प्रभाव है।

निवेश गतिविधियों से नकद

वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी ने निवेश गतिविधियों में 3,882.83 करोड़ रुपये की निवल रोकड का इस्तेमाल किया। ये मुख्य रूप से 3,426.11 करोड़ रुपये के अचल परिसंपत्तियों पर हुए व्यय को दर्शाता है। निवेश में 1,005.45 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी को जमा राशि/निवेशों पर ब्याज से हुई आय, तथा लाभांश आय की अल्प राशि द्वारा समेकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2010 में एनएचपीसी ने निवेश गतिविधियों में 4,225.88 करोड़ रुपये की निवल रोकड का इस्तेमाल किया। ये मुख्य रूप से 2,997.53 करोड़ रुपये की अचल परिसंपत्तियों पर हुए व्यय को दर्शाता है। निवेश में 1,600.45 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी को जमा राशि/निवेशों पर ब्याज से हुई आय, तथा लाभांश आय की अल्प राशि द्वारा समेकित किया गया है।

वित्त पोषण गतिविधियों से कुल नकद

वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी के पास वित्त पोषण गतिविधियों से कुल 1,417.35 करोड़ रुपये का नकद प्रवाह था। कंपनी ने नए घरेलू सावधि ऋणों से 1,591 करोड़ रुपये जुटाए और 1,162.04 करोड़ रुपये की उधारी और ब्याज एवं वित्त प्रभार के रूप में 1,057.41 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया। वित्त वर्ष 2011 में एनएचपीसी ने 788.90 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) का भुगतान किया।

वित्त वर्ष 2010 में एनएचपीसी के पास वित्त पोषण गतिविधियों से कुल 4,631.62 करोड़ रुपये का नकद प्रवाह था। कंपनी ने 3,458.42 करोड़ रुपये की नई उधारी जुटाई, जिसमें मुख्य रूप से 3,450 करोड़ रुपये के घरेलू आवधिक ऋण और 8.42 करोड़ रुपये के विदेशी ऋण शामिल थे। शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम के इश्यू से क्रमशः 1,118.25 करोड़ रुपये और 2868.74 करोड़ रुपये की प्राप्तियां हुईं। कंपनी ने 1,669.58 करोड़ रुपये की उधारी और ब्याज एवं वित्त प्रभार के रूप में 914.20 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया। वित्त वर्ष 2010 में एनएचपीसी ने 230.01 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) का भुगतान किया।

वित्त वर्ष 2011 में कंपनी के राजस्व में महत्वपूर्ण कमी का मुख्य कारण यह था कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान एनएचपीसी को प्रारंभिक पब्लिक आफर (आईपीओ) के फलस्वरूप शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम राशि प्राप्त हुई थी।

तुलन-पत्रक मदों पर चर्चा

तुलन-पत्रक की मुख्य विशेषताएं

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च को	
	2011	2010
अचल परिसंपत्तियां	34,223.33	30,419.95
निवेश	5,399.50	4,394.05
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	157.87	182.65
सामान सूची	33.71	44.31
संविदा कार्य प्रगति पर	19.94	24.22
विविध कर्जदार	1,908.60	1,140.21
नक़द एवं बैंक जमा राशि	2,864.14	5,097.38
अन्य चालू आस्तियां	511.32	534.66
ऋण एवं अग्रिम	1,365.42	1,295.74

वित्तीय स्थिति

कुल राशि

वित्त वर्ष 2011 के अंत में कंपनी की कुल राशि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 9.32 प्रतिशत वृद्धि के साथ 25,441.66 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी, जबकि पिछले वर्ष यह 23,273.19 करोड़ रुपये थी। इसमें वृद्धि का मुख्य कारण कर उपरांत लाभ में बढ़ोत्तरी था।

कुल अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों में परिभाषित मूल्यह्रास के पश्चात कंपनी की अचल परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2011 को 34,223.33 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2010 को 30,419.95 करोड़ रुपये थीं। कंपनी की अचल परिसंपत्तियों में भूमि, बांध, नहरें, पावर हाउस सहित भवन, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूअर और अगोचर परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2010 की तुलना में वित्त वर्ष 2011 में कुल अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में 12.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण *प्रगति पर कार्यों* से संबंधित पूंजी में वृद्धि था।

निवेश

निवेश दीर्घावधि के लिए किए जाते हैं और उन्हें लागत के साथ अंजाम दिया जाता है। 31 मार्च, 2011 और 31 मार्च, 2010 को एनएचपीसी का निवेश क्रमशः 5,399.50 करोड़ रुपये और 4,394.05 करोड़ रुपये था।

निवेश में वृद्धि का प्रमुख श्रेय स्व बीमा निधि में निवेश, अन्य दीर्घावधि जमा राशियां, संयुक्त उद्यमों/अनुषंगी कंपनियों में दीर्घावधि निवेश को जाता है जबकि उसमें कमी का कारण प्रतिभूति पावर बांड्स की पुनर्अदायगी और उनका विमोचन रहा है।

एकबारगी सेटलमेंट स्कीम के अनुसार पावर बांड्स को भी निवेश के लिए परिकलित किया जाता है। 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 के अनुसार ये निवेश 1,265.11 करोड़ रुपये 1,521.55 करोड़ रुपये के थे। पावर बांड्स में कमी इनके विमोचन के कारण आई।

निवेश पर ब्याज

निवेश पर प्राप्त ब्याज 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 को क्रमश 157.87 करोड़ रुपये और 182.65 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2010 की तुलना में वित्त वर्ष 2011 में इस निवेश में 13.57 प्रतिशत की कमी आई।

सामान सूची

सामान सूची का मूल्यांकन वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। एनएचपीसी प्रबंधन ने अपनी सामान सूचियों का मूल्यांकन स्टाक की भौतिक जांच के आधार पर किया है। 31 मार्च, 2011 और 31 मार्च, 2010 को सामान सूचियों का मूल्य क्रमशः 33.71 करोड़ रुपये और 44.31 करोड़ रुपये आंका गया था।

संविदा कार्य प्रगति पर

31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 को *संविदा कार्य प्रगति पर* 19.94 करोड़ रुपये और 24.22 करोड़ रुपये के थे।

विविध कर्जदार

विविध कर्जदार में प्राथमिक रूप से विद्युत की बिक्री से संबंधित प्राप्तियां शामिल हैं। 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 को विविध कर्जदारों (संदिग्ध ऋणों के लिए निवल प्रावधान) पर क्रमशः 1,908.60 करोड़ रुपये और 1,140.21 करोड़ रुपये बकाया थे। इनमें क्रमशः 996.58 करोड़ रुपये और 405.14 करोड़ रुपये मूल्य के अन-बिल्ड कर्जदार भी शामिल थे। वित्त 2010 और वित्त वर्ष 2011 के बीच विविध कर्जदारों में 67.39 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण अन-बिल्ड राशि में बढ़ोत्तरी रहा है।

नकद और बैंक जमा राशि

एनएचपीसी की नकद और बैंक जमा राशि में निम्नांकित शामिल हैं : (i) कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्रक की तारीख के अनुसार रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा तथा (ii) ग्रामीण सड़कों के विकास के संबंध में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबद्ध लागतों के संदर्भ में और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत सरकार से प्राप्त लेकिन खर्च न किया गया अग्रिम।

31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 को कंपनी का नकद और बैंक जमा राशि क्रमशः 2,864.14 करोड़ रुपये और 5097.38 करोड़ रुपये की थी। वित्त वर्ष 2011 में इसमें 2,233.24 करोड़ रुपये की कमी का कारण यह था कि अधिशेष धन दीर्घावधि जमा राशियों में निवेश किया गया।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

एनएचपीसी की अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 को क्रमशः 511.32 करोड़ रुपये और 534.66 करोड़ रुपये की थीं। वित्त वर्ष 2010 की तुलना में वित्त वर्ष 2011 में इन परिसंपत्तियों में 4.37 प्रतिशत की कमी आई।

ऋण और अग्रिम

एनएचपीसी के ऋण और अग्रिम 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 को क्रमशः 1,365.42 करोड़ रुपये और 1,295.74 करोड़ रुपये के थे, जिनमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 5.38 प्रतिशत का इजाफा हुआ। ऋण एवं अग्रिमों में अग्रिम आय कर और कर्मचारियों, संविदाकारों और आपूर्तिकर्ताओं को दी गयी अग्रिम राशियां शामिल हैं।

देयताएं एवं प्रावधान

करोड़ रुपये में

	31 मार्च को	
	2011	2010
सुरक्षित ऋण	10,884.36	10,953.18
असुरक्षित ऋण	3,684.90	2,915.04
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम से आय	1,406.55	1,437.44
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	4,905.03	4,415.22

सुरक्षित ऋण

एनएचपीसी के सुरक्षित ऋण 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 को क्रमशः 10884.36 करोड़ रुपये और 10,953.18 करोड़ रुपये के थे। सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण और पूंजी बाजार से कारपोरेट बांड्स के जरिए उगाहे गए ऋण शामिल हैं, जिन्हें कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाती है।

वित्त वर्ष 2011 के दौरान सुरक्षित ऋणों में 0.63 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज हुई, जो ऋणों के पुनर्भुगतान में कमी और नए ऋण उगाहे जाने में बढ़ोत्तरी का प्रतिफल थी।

असुरक्षित ऋण

कंपनी के असुरक्षित ऋण 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 को क्रमशः 3,684.90 करोड़ रुपये और 2,915.04 करोड़ रुपये के थे। असुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों एवं विदेशी बैंको तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण शामिल हैं, जिन्हें कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रति सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है।

वित्त वर्ष 2011 के दौरान असुरक्षित ऋणों में 26.41 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। इस कमी का कारण वित्त वर्ष 2011 के दौरान ऋणों का पुनर्भुगतान था।

मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम से प्राप्त आय (एएडी)

मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम से प्राप्त आय 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 को क्रमशः 1,406.55 करोड़ रुपये और 1,437.44 करोड़ रुपये थी। 01.04.2009 से सीईआरसी द्वारा इसकी अवधारणा को समाप्त किए जाने के पश्चात से मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम से प्राप्त आय को बहियों में व्यवस्थित ढंग से पश्च लिखित किया जाता है।

वर्तमान देयताएं और प्रावधान

कंपनी की वर्तमान देयताएं और प्रावधान 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2010 को क्रमशः 4,905.03 करोड़ रुपये और 4,415.22 करोड़ रुपये के थे। कंपनी की वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में विविध कर्जदार, ठेका देने वालों से अग्रिम, धरोहर जमा राशियां, रिटेंशन मनी, वेतन संशोधन, बीमांकिक मूल्यांकनों, और लाभांश तथा लाभांश कर के लिए प्रावधान शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2011 के दौरान वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में 11.09 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के मुख्य कारणों में कर्मचारियों को उत्पादकता से संबद्ध प्रोत्साहन दिया जाना और बीमांकिक मूल्यांकनों में बढ़ोत्तरी तथा पंचाट निर्णय संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

तुलन-पत्रक से भिन्न मदें

आकस्मिक देयताएं

निम्नांकित तालिका में वित्त वर्ष 2011 और 2010 के लिए आकस्मिक देयताओं के घटक वर्णित किए गए हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
निम्नलिखित के संदर्भ में कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं समझे गए :		
पूंजी कार्य	5,112.64	4,452.69
भूमि मुआवजा मामले	71.97	82.82
विवादास्पद आयकर, बिक्री कर, अन्य मदें	2,404.88	2,388.25
कुल	**7,589.49**	**6,923.76**

आकस्मिक देयताएं 31 मार्च, 2010 को 6,923.76 करोड़ रुपये की थीं, जो 31 मार्च, 2011 को 9.62 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 7,589.49 करोड़ रुपये पर पहुंच गयीं। अकस्मिक देयताएं में वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत कार्यों के संबंध में हुई।

अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों का कारोबार एवं वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं निम्न लिखित हैं :

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड (पूर्व में नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) एनएचपीसी लिमिटेड (51 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश सरकार (49 प्रतिशत) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 01.08.2000 से शामिल किया गया था, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 3,000 करोड़ रुपये की है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर पावर प्रोजेक्ट (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट (520 मेगावाट) को चालू किया है। एनएचडीसी ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसके अनुसार कंपनी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रीवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (आरटीपीपी) जो सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 1,320 मेगावाट (2 x 666 मेगावाट) की परियोजना है, का विकास करेगी। पवन विद्युत के लिए 100 मेगावाट क्षमता की परियोजना के लिए कंपनी को मध्य प्रदेश में कुकरू (बेतुल) में एक स्थल आवंटित किया गया है। एनएचडीसी वर्ष 2010-11 के दौरान 3197 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया है तथा कर उपरान्त 304.13 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो -इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत) के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में हुई। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 230 करोड़ रुपये है। इसके निगमित होने के बाद एनएचपीसी की पूर्ववर्ती लोकतक डाउन स्ट्रीम एच. ई. पावर प्रोजेक्ट की सभी परिसंपत्तियां और देयताएं कंपनी को सौंप दी गयी हैं।

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स)

एनपीईएक्स की स्थापना 11.12.2008 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, और टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से की गयी। कंपनी का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत के आदान-प्रदान को संचालित करना है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में एनएचपीसी की हिस्सेदारी 16.67 प्रतिशत है। यह पावर एक्सचेंज एक ऐसा तटस्थ और पारदर्शी इलेक्ट्रानिक्स मंच उपलब्ध कराएगा, जिस पर 'एक दिन पूर्व' के आधार पर विद्युत की ट्रेडिंग की जा सकेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी प्रकार का व्यापार स्वच्छता, पारदर्शिता और मुक्त ढंग से हो और विद्युत बाजार से संबद्ध सभी पक्षों की पहुंच बाजार तक कायम हो।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएलपीएल)

एनएचपीटीएलपीएल की स्थापना 22.05.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड), और दामोधर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी। इसमें सभी कंपनियों की 25-25 प्रतिशत की समान इक्विटी भागीदारी है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधा के लिए एक ऑन लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है।

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

पीटीसी इंडिया लिमिटेड के मुख्य उद्देश्यों में विद्युत की ट्रेडिंग, विद्युत का आयात-निर्यात, तथा चुनी हुई निजी विद्युत परियोजनाओं की विद्युत की खरीद तथा इसे चुने हुए राज्य विद्युत बोर्डों/अन्य पक्षों को बेचना शामिल है। एनएचपीसी के पास पीटीसी की प्रदत्त पूंजी का 4.17 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2010 के दौरान कंपनी ने इस बात की समीक्षा की कि क्या परिकलन मानक (एएस) 27-संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रावधान पीटीसी इंडिया लिमिटेड में किए गए निवेश पर लागू होते हैं। चूंकि एनएचपीसी का यह मानना है कि ''पीटीसी इंडिया लिमिटेड में निवेश हेतु इस मानक के प्रावधान लागू नहीं होते'' इसलिए इसे वित्त वर्ष के दौरान प्रकटीकरण से हटा दिया गया है।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों का समेकित वित्तीय विवरण :

समेकित वित्तीय विवरण, लेखा मानक (एएस) - 21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' और लेखा मानक (एएस)-27 ''संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार तैयार किये गये हैं और उन्हें इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर परिणामों का संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है :

समेकित आधार पर परिणामों का संक्षिप्त-सार नीचे दिया गया है : (करोड़ *रुपये में*)

विवरण	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
कुल आय	5,950.74	5,794.55
कर पूर्व लाभ	3,257.23	2,754.17
कर उपरांत लाभ (अल्प ब्याज के समायोजन के बाद)	2,316.16	2,175.56

ख) परियोजनाओं और पावर स्टेशनों का निष्पादन

एनएचपीसी द्वारा प्रचालित विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है :

पावर स्टेशन	'उत्कृष्ट' एमओयू रेटिंग के लिए 2010-11 में उत्पादन लक्ष्य (मि.यू.)	वास्तविक उत्पादन लक्ष्य (मि.यू.) 2010-11	वास्तविक उत्पादन लक्ष्य (मि.यू.) 2009-10	'उत्कृष्ट' एमओयू रेटिंग के लिए पीएएफ लक्ष्य (%) 2010-11	वास्तविक पीएएफ लक्ष्य (%) 2010-11	वास्तविक पीएएफ लक्ष्य (%) 2009-10
बैरास्यूल	807	711	623	87.00	95.0	91.1
लोकतक	474	605	381	87.00	72.0	72.6
सलाल	3176	3230	3024	62.00	63.1	59.5
टनकपुर	469	465	471	57.00	62.6	63.1
चमेरा-I	1763	2408	2065	92.00	99.2	97.7
उड़ी	2739	3040	2703	62.00	82.1	72.5
रंगित	353	352	329	87.00	92.2	91.5
चमेरा- II	1558	1439	1369	92.00	95.0	97.8
धौली गंगा	1145	1134	1134	87.00	92.0	92.7
दुलहस्ती	1980	2234	2264	92.00	92.9	96.7
तीस्ता- V	2659	2624	2598	87.00	89.4	94.0
सेवा- II	439	363	-	87.00	90.7	-
नई परियोजनाए	439	-	-	75.8	-	
कुल	18000	18606*	16960	79.9	85.2	84.1

नोट : संबद्धआरपीसीज से प्रमाणन के अधीन होने के कारण 2010-11 के लिए पीएएफ आंकड़े अस्थाई हैं।

***आंकड़ों को 18,605.8 मि. यू. से राउंडिड आफ किया गया है।**

जारी परियोजनाओं और नए कार्यक्रमों के बारे में निदेशकों की रिपोर्ट में चर्चा की गयी है।

मानव संसाधन /औद्योगिक संबंधों में भौतिक विकास

एनएचपीसी का विश्वास है कि कर्मचारियों का सुप्रशिक्षित एवं अनुभवी दल कर्मचारियों की सतत वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के प्रति वचनबद्धता के हिस्से के रूप में एनएचपीसी ने 4 पावर स्टेशनों- टनकपुर पावर स्टेशन (उत्तराखंड), चमेरा-1 पावर स्टेशन (हिमाचल प्रदेश), सलाल पावर स्टेशन (जम्मू कश्मीर) तथा उड़ी-1 (जम्मू कश्मीर) - में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है।

प्रशिक्षण

एनएचपीसी ने आईआईएम बंगलौर, आईआईएम कोलकाता, एएससीआई हैदराबाद, सीपीआरआई बंगलौर, एनसीबी बल्लभगढ़, आईएसएम धनबाद, राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे, आईआईटी रुड़की और दिल्ली तथा केएलजी सिस्टेल गुड़गांव जैसे प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के साथ प्रशिक्षण उद्यम कायम किए हैं।

वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र में प्रचलित और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बारे में बाजार विशेषज्ञों/उपकरण विनिर्माता कंपनियों जैसे एबीबी अरेवा (टी एंड डी), अल्सटोम वा-टेक, भेल और सीमेंस के जरिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिजाइन किए गए और उनका संचालन किया गया।

क्षेत्रीय -3 कार्यालय, कोलकाता में स्थापित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ने क्षेत्र-3 के अंतर्गत आने वाले विद्युत घरों/परियोजनाओं में नियुक्त कर्मचारियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों की प्रशिक्षण जरूरतें पूरी करना शुरू कर दिया है।

अजा/अजजा/अपिव श्रेणियों से संबद्ध कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके अलावा इन कर्मचारियों को संबंधित विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नामित किया गया।

महिला कर्मचारी

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या एवं उनका प्रतिशत नीचे दिया गया है :

समूह	31.03.2011 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	सम्पूर्ण कर्मचारी संख्या का प्रतिशत
कुल	11,344	1,000	8.82

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नांकित उपाय किए गए :

- प्रतिभाशाली महिला कर्मचारियों को, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों में हिस्सा लेने के लिए मनोनीत करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
- कारपोरेट कार्यालय में शिशुओं से संबद्ध महिलाओं के लिए शिशु सदन सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों/तकलीफो की सुनवाई के लिए तृतीय पक्ष के सहयोग से एक विशेष समिति का गठन किया गया है।
- नवजात/छोटे बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को "चाइल्ड केयर लीव" यानी बच्चों की देखरेख संबंधी अवकाश प्रदान किया जाता है।
- किसी महिला द्वारा बच्चे को गोद लेने पर भी "चाइल्ड केयर लीव" (बच्चों की देखरेख संबंधी अवकाश) प्रदान की जाती है।
- नियमानुसार मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों की उपस्थित हेतु समय में छूट।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प।

अनुसूचित जाति/अनु सूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

एनएचपीसी दूर-दराज के उन क्षेत्रों में जहां इसके विद्युत घर परियोजनाएं स्थित हैं, में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति सजग है। कंपनी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आवंटित करती है, जहां इसकी परियोजनाओं/विद्युतघरों के आसपास अजा/अजजा/अपिव समुदायों की आबादी अधिक है। सभी कमजोर वर्गों और अजा/अजजा/अपिव समुदायों को आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जा रही हैं।

डीओपीटी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे भर्ती में अजा/अजजा और अपिव के लिए आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। अजा/अजजा कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों पर विचार करते समय भी इन समुदायों से संबद्ध रियायतें लागू की जाती हैं। एनएचपीसी अजा/अजजा कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का भी आयोजन करती है। अजा/अजजा और अपिव के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग-अलग संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण के अंतर्गत अजा/अजजा और अपिव से संबद्ध सेल बनाए गए हैं।

एनएचपीसी में अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :

	31.03.2011 को कर्मचारियों की कुल संख्या	आरक्षण					
		अजा	अजा %	अ.ज.जा	अ.ज.जा %	अ.पि.व.	अ.पि.व. %
कुल	11,344	1,457	12.84	554	4.884	979	8.63

विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :

समूह	31.03.2011 को कर्मचारियों की कुल संख्या	शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारी				शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारी का प्रतिशत
		दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	
कुल	11,344	10	5	79	94	0.83

शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नांकित उपाय किए गए हैं :

डीओपीटी/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं :

सेवा काल में शारीरिक दृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है।

दृष्टि बाधित और अस्थि विकलांग कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता अदा किया जाता है।

कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सुनने में सहायक उपकरण खरीदने के लिए खर्च की भरपायी की जाती है और कृत्रिम अंगों की खरीद के लिए लागत की अदायगी की जाती है तथा ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाता है।

शारीरिक विकलांग/मानसिक रूप से विलंबित बच्चों को कर्मचारियों का आश्रित समझने के मामले में आयु संबंधी कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

एनएचपीसी पर्यावरण संरक्षण और निर्माण कार्य-कलापों के बीच एक संतुलन बनाए रखकर देश की विरासत और प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। निर्माण गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव को, यदि कोई हो, प्रतिपूरक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार, वन्य जीव संरक्षण, हरित भूमि विकास, मत्स्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, कचरा-स्थलों और खदान स्थलों के कायाकल्प, पुनर्वास और पुनर्स्थापन जैसे तौर-तरीके अपनाकर कम किया जाता है या उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है।

कंपनी परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की समस्याओं, चिंताओं और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। इसीलिए एनएचपीसी ने सभी सम्बद्ध पक्षों से परामर्श के बाद राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति, 2007 का अनुसरण करते हुए अपनी स्वयं की पुनर्वास और पुनःस्थापन (आर एंड आर) नीति, 2007 तैयार की है। यह नीति परियोजना प्रभावित परिवारों की भूमि, मकान, अन्य संसाधनों और जीविका के साधनों इत्यादि के नुकसान से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन करती है। यह नीति स्थानीय लोगों और वंचित समूहों के लिए आमदनी पैदा करने के साधनों और उनकी चिंताओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में एक निश्चित समझबूझ प्रदान करती है। इसमें परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया है।

यह नीति एनआरआरपी, 2007 में प्रस्तावित किए गए लाभों के अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ भी प्रदान करती है। इन लाभों में सिंचाई सहायता प्रणाली, उन लोगों के लिए भूमि की व्यवस्था जिन्होंने अपनी जमीन गंवा दी है, गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की अविवाहित लड़कियों के लिए विवाह अनुदान, संपत्तिहीन युवाओं के लिए जीवन-निर्वाह अनुदान, स्वयं सहायता-समूहों का गठन, अनाथों के लिए विशेष सुविधा, सामाजिक एवं सामुदायिक विकास योजना हेतु परियोजना की अनुमानित लागत के 0.75 प्रतिशत तक उच्चतर पुनर्वास अनुदान राशि, आदि सुविधा कंपनी द्वारा प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त कंपनी परियोजना निर्माण के दौरान कार्यान्वित की गई प्रबंधन योजनाओं की क्षमता मूल्यांकन हेतु निर्माण के उपरान्त पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का भी आयोजन करती है।

सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार एवं अग्रगामी विवरण कतिपय जोखिमों एवं अनिश्चितताओं के अध्यधीन तथा युक्तिसंगत अवधारणाओं पर आधारित हैं, जिनसे ऐसे विवरणों में दर्शाए गए वास्तविक परिणामों में भिन्नता हो सकती हैं। पाठकों को इस रिपोर्ट की अन्य सूचनाओं तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी गई सूचनाओं की ध्यानपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। कंपनी नई सूचनाओं, भविष्य की घटनाओं या अन्य किसी आधार पर इन अग्रगामी विवरणों को सार्वजनिक रूप से अद्यतन करने का कोई दायित्व नहीं लेती।

वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

संलग्नक-III

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेशन संबधी निदेशकों की रिपोर्ट पर अनुबंध का प्रत्युत्तर निम्न प्रकार है :

क. ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय :

पावर स्टेशन के निष्पादन का मूल्यांकन और अनुकूलन करने के लिए तीस्ता-V पावर स्टेशन की ऊर्जा लेखा-परीक्षा पूरी की गई और ऊर्जा बचत में सुधार के लिए सीपीआरआई की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

ख) ऊर्जा की खपत कम करने के लिए लागू किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव,

यदि कोई हो : पावर स्टेशनों पर ऊर्जा लेखा-परीक्षा सबंधी सीपीआरआई की अंतिम रिपोर्ट में अनुशंसित ऊर्जा लेखा-परीक्षा उपायों का अनुसरण किया जा रहा है।

ग) उपरोक्त (क) और (ख) उपायों का ऊर्जा की खपत मे कमी और सामग्रियों के उत्पादन की लागत पर प्रभाव :

सीपीआरआई द्वारा ऊर्जा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में सुझाए गए ऊर्जा बचत उपायों को तीस्ता-V पावर स्टेशन पर चरणबद्ध रूप में लागू किए जाने से प्रतिवर्ष 871.30 मेगावाट ऊर्जा की बचत होने की संभावना है, जिससे तीस्ता-V पावर स्टेशन पर विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आयेगी।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(घ) प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा फार्म-ख में दिया गया है, जो संलग्न है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च

(ङ) निर्यात से संबंधित गतिविधियां; निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय; उत्पादों एवं सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं के लिए नए बाजारों का विकास

एनएचपीसी की निर्यात की कोई योजना नहीं है।

च) प्रयुक्त एवं अर्जित कुल विदेशी मुद्रा

विवरण :

		रुपये करोड़ में 2010-11	रुपये करोड़ में 2009-10
1.*	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य :**		
	i) पूंजीगत सामग्री	99.39	155.17
	ii) हिस्से पुर्जे	1.90	3.91
2.*	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	i) जानकारी	11.18	11.23
	ii) ब्याज	59.53	73.37
	iii) अन्य विविध	119.79	104.44
3.*	**परिचालन यूनिटों में प्रयुक्त हिस्से पुर्जे एवं उपस्करों का मूल्य**		
	- आयातित	1.05 (16.15%)	0.89 (13.04%)
	- देशी	2.89 (73.35%)	3.39 (79.21%)
4.**	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	i) ब्याज आय	---	----
	ii) अन्य	----	-----

*संग्रहण आधार

**रोकड़ आय

फार्म-ख

विशिष्ट क्षेत्र जिन पर कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया है :

- सलाल पावर स्टेशन के जल-निस्सारक का कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स (सीएफडी) विश्लेषण।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी)-हाइड्रो जेनरेटरों के टरबाइन हेतु सिल्ट इरोश्ज़न रेजिस्टेंट मैटीरियल (गाद कटाव प्रतिरोधी सामग्री) का विकास।
- राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी) के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं-उच्च हाइड्रोस्टैटिक दबाव के तहत जलमग्न क्षेत्रों में सुरंग बनाना।
- तीस्ता-V पावर स्टेशन की ऊर्जा लेखा-परीक्षा

उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न लाभ

- पावर स्टेशन के निष्पादन का मूल्यांकन और अनुकूलन करने के लिए तीस्ता-V पावर स्टेशन की ऊर्जा लेखा-परीक्षा पूरी की गई और ऊर्जा बचत में सुधार के लिए सीपीआरआई की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी) के अंतर्गत हाइड्रो जेनरेटरों के टरबाइन हेतु सिल्ट इरोश्ज़न रेजिस्टेंट मैटीरियल (गाद कटाव प्रतिरोधी सामग्री) के विकास संबंधी परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है, जिसमें एनएचपीसी एसजेवीएनएल और सीपीआरआई के साथ एक भागीदार एजेंसी है।
- एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय में कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स (सीएफडी) प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य जल संवहन प्रणाली में प्रवाह के पैटर्न का विश्लेषण करना है। तीन पावर स्टेशनों के जल-निस्सारकों का कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स (सीएफडी) विश्लेषण किया जा चुका है और दो परियोजनाओं के सर्ज शॉफ्ट और डैम-स्पिलवे का सीएफडी विश्लेषण चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जा जायेगा।

2011-2012 के लिए कार्ययोजना

2011-2012 के दौरान निम्नांकित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को जारी रखने की योजना है।

- क्लीन डिवेलॅप्मेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) यानी स्वच्छ विकास व्यवस्था :
- तीस्ता-V पावर स्टेशन के संदर्भ में अप्रैल, 2008 से सितम्बर 2009 की उत्पादन अवधि के लिए वीसीएस (वेरिफाइड कार्बन स्टैंडर्ड) रजिस्ट्री द्वारा जारी वीईआर्स (वेरिफाइड एमिशन रैडिएशन) के लिए बिक्री और राजस्व वसूली।
- पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में 3.75 मेगावाट क्षमता वाली दुर्गादुआनी मिनी टाइडल पॉवर परियोजना के विकास के लिए टेंडर मूल्यांकन और काम सौंपे जाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना।
- सीपीआरआई द्वारा अनुशंसित ऊर्जा लेखा-परीक्षा उपायों को अमली जामा पहनाने के उपाय करना।
- तीस्ता-V पावर स्टेशन के सर्ज शॉफ्ट और सुबानसिरी लोअर एच. ई. प्रोजेक्ट के डैम-स्पिलवे के ज़रिए बहने वाले पानी का सीएफडी विश्लेषण।
- बांधें/जल-संरचनाओं से रिसाव रोकने की तकनीकें विकसित करना।
- भू-विज्ञान और जल-विज्ञान के क्षेत्र में जिन समस्याओं का सामना पहले किया जा चुका है, या जिनका सामना किया जा रहा है, और जो उपाय पहले किए जा चुके हैं/किए जा रहे हैं, उनके संदर्भ में भावी इस्तेमाल के लिए प्रलेख तैयार करना।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित हार्ड कोटिंग फैसिलिटी का विकास।
- सलाल पावर स्टेशन के निकट बिड्डा क्षेत्र में पवन विद्युत परियोजना के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
- एनएचपीसी के चार पावर स्टेशनों/परियोजनाओं के निकट पवन विद्युत की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी) के अंतर्गत हाइड्रो जेनरेटरों के टरबाइन हेतु सिल्ट इरोश्ज़न रेजिस्टेंट मैटीरियल (गाद कटाव प्रतिरोधी सामग्री) के विकास संबंधी परियोजना जारी है।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना- उच्च हाइड्रोस्टैटिक दबाव के तहत जलमग्न क्षेत्रों में सुरंग बनाना।

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर कुल 3,85,63,120/- रुपये खर्च किए गए।

प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं नवाचार

i) **प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन एवं नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास** : अंडरवाटर टरबाइन कम्पोनेन्ट्स की हार्ड कोटिंग्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता-पूर्ण संगठनों के साथ मिल कर विभिन्न प्रयोगात्मक अध्ययन/परीक्षण किए गए ताकि सिल्ट इरोश्ज़न यानी गाद कटाव के प्रति उनके कार्य-निष्पादन में सुधार जा सके और संभावित समाधान के रूप में तापीय स्प्रे तकनीकों की पहचान की जा सके।

ii) **उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ, उदाहरण के लिए उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास और आयात प्रतिस्थापन** : हार्ड कोटिंग्स एक सतत प्रक्रिया है और इसके लाभ अंडरवाटर हाइड्रो टरबाइन के कम्पोनेन्ट्स के लिए लाभदायक अंतिम कोटिंग सामग्री के चयन के बाद प्राप्त होंगे। एचवीओएफ प्रक्रिया सहित टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट कोटिंग से उत्साह वर्धक परिणाम नज़र आने लगे हैं।

पिछले पांच वर्ष के दौरान आयात की गई प्रौद्योगिकी :

- एनएचपीसी को नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा देश में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एनएचपीसी को अमरीका की जियोथर्मएक्स, नाम की अंतराष्ट्रीय परामर्शदाता कंपनी के ज़रिए भारत में भू-तापीय क्षेत्र में स्तरीय अध्ययन करने वाली कंपनी का दर्जा प्राप्त है। तत्तापानी भूतापीय क्षेत्रों के विकास का प्रस्ताव एनएचपीसी द्वारा तैयार किया और इसे नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनआरई) के पास भेजा गया। एनएचपीसी ने जम्मू-कश्मीर में पुगा भूतापीय क्षेत्रों का पीएफआर प्रस्तुत किया है। एनएचपीसी ने पुगा में 2 से 5 मेगावाट क्षमता की भू-तापीय विद्युत परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का एक प्रस्ताव भी सितम्बर 2008 में नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनआरई) को भेजा था।
- सौर ऊर्जा के पर्यावरण अनुकूल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, दूर-दराज के ऐसे स्थानों पर, जहां ग्रिड विद्युत की सीमों है या वह उपलब्ध नहीं है, सौर ऊर्जा संचालित हीटिंग और सोलर लाइटिंग उपकरण काम में लाने पर विचार किया जा रहा है। हरित पावर के उन्नयन के लिए अनुसंधान एवं विकास संभाग द्वारा एनएचपीसी की निम्मो बाजगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 25 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र एवं स्टैंड एलोन स्ट्रीट लाइटों की पायलट परियोजना को लागू किया गया। 17 जनवरी, 2007 को 20 स्टैंड एलोन स्ट्रीट लाइटों एवं 25 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा संयंत्र को सफलतापूर्वक चालू किया गया और ये परियोजना स्थल पर पूरी तरह काम कर रहे हैं।
- पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में 3.75 मेगावाट क्षमता वाली दुर्गादुआनी मिनी टाइडल पॉवर परियोजना के विकास के लिए डब्ल्यूबीआरईडीए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एनएचपीसी ने इस परियोजना के डीपीआर को अद्यतन बनाने का काम पूरा कर लिया है। इस परियोजना को डिपोजिट आधार पर निष्पादित करने के लिए डब्ल्यूबीआरईडीए द्वारा एनएचपीसी को एक आशय-पत्र जारी किया गया है। परियोजना नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा वित्त पोषित की जा रही है। इस टाइडल पॉवर परियोजना के लिए टर्नकी निष्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) प्रक्रियाधीन है। अनुमान है कि इस परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी आयात करनी पड़ेगी क्योंकि भारत में निष्पादित की जा रही यह अपने तरह की पहली परियोजना है।

अनुलग्नक -IV

वर्ष के दौरान नियोजित कर्मचारियों का ब्यौरा जो 5 लाख रुपये या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे, जिसमें वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान सेवा-निवृत्त/त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान भी शामिल है।

क्र. स.	कर्मचारी संख्या	स्थान	कर्मचारी का नाम श्री / सर्वश्री	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	छोड़ने की तारीख	कुल पारिश्र-मिक रुपये में	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यताएं
1	103533L	119	राम बिलास गौतम	प्रबंधक (सिविल)	9/8/2005	4/3/2010	912730	डी	-
2	110544L	117	किशोरी लाल	उप प्रबंधक (वित्त)	3/7/1974	4/12/2010	1114359	आर	बी ए , एसएई
3	313024A	117	सरवन सिंह	रसोईया ग्रेड स्पेशल	11/12/1976	4/15/2010	635106	आर	साक्षर
4	101124Y	116	संदीप सिंघल	मुख्य इंजीनियर (सिविल)	10/5/1987	4/28/2010	1576609	आर	बी ई सिविल , एमबीए
5	150662T	102	पी. राज बंसी	आपरेटर (पम्प) ग्रेड स्पेशल	11/21/1979	4/29/2010	602250	आर	9वीं कक्षा
6	110939N	112	जसमेर सिंह जैसवाल	सहायक प्रबंधक (वित्त)	2/14/1978	4/30/2010	837863	आर	बी ए , एसएई
7	130019N	116	के एस जसरोटिया	कार्यकारी डी/मैन ग्रेड ए	9/22/1972	4/30/2010	659474	आर	आईटीआई ड्राफ्ट्समैन ;सिविलद्ध
8	130348H	112	राम प्रकाश	सीनियर टाइमकीपर ग्रेड-1	1/19/1980	4/30/2010	800326	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी
9	140095X	119	नरेन्द्र कुमार	मुख्य स्टोरकीपर ग्रेड-1	10/11/1971	4/30/2010	982061	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी
10	148041L	101	कृष्ण कुमार	टेलीफोन आपरेटर ग्रेड स्पेशल	10/23/1971	4/30/2010	689850	आर	साक्षर
11	148638T	105	बलवीर सिंह	वरि. पर्यवेक्षक (मैकेनिकल) ग्रेड-1	12/1/1975	4/30/2010	605116	आर	आईटीआई, मैट्रिक/एसएसएलसी
12	149066K	101	तेज राज	मास्टर आर्टिशन (मैसन) ग्रेड-2	2/1/1974	4/30/2010	730003	आर	साक्षर
13	150281N	112	बचितर सिंह	वरिष्ठ फोरमैन (सिविल)	2/20/1978	4/30/2010	987621	आर	मैट्रिक से नीचे
14	171044N	117	बरिख बहादुर	मास्टर टैकनिशियन (ड्रिलर) ग्रेड-2	10/29/1981	4/30/2010	556862	आर	साक्षर
15	171079H	117	करम चन्द	वरि. एचईएम आपरेटर ग्रेड-2	6/25/1983	4/30/2010	729138	आर	5वीं कक्षा
16	180040H	144	रत्न चंद भारद्वाज	आफिसर एच आर	2/7/1978	4/30/2010	2048824	आर	बी ए ,पीजी डिप्लोमा ;एक वर्षीयद्ध कार्मिक प्रबंधन एसएई ;फाइनेंसद्ध
17	190921A	104	राकेश कुमार सक्सेना	मास्टर इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-2	9/1/1987	4/30/2010	723316	आर	आईटीआई, मैट्रिक/एसएसएलसी
18	110917T	100	राजीव कुमार सरीन	उप प्रबंधक (वित्त)	11/25/1988	5/17/2010	1356634	आर	बी . काम सीए इंटर
19	100245T	100	आर एन मिश्रा	कार्यकारी निदेशक	6/21/1979	5/21/2010	1708706	आर	बी ई सिविल , एम. टैक वाटर रिसोर्सिज, एमबीए फाइनेंस
20	101051X	111	देवेन्द्र नाथ	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1/19/1987	5/31/2010	2508659	आर	एमबीबीएस
21	110090H	117	आर के गुप्ता	वरि. प्रबंधक (अनुसंधान)	10/6/1977	5/31/2010	1479677	आर	एम.एससी सांख्यिकी
22	130376V	112	याम सिंह	वरि. सहायक ग्रेड-2	1/17/1980	5/31/2010	1051359	आर	मैट्रिक/एसएसएलसी
23	135306A	103	सुराम सिंह	वरि. एचईएम आपरेटर ग्रेड-2	10/1/1976	5/31/2010	1328471	आर	मैट्रिक से नीचे
24	135724V	103	अजमेर सिंह	वरि. एचईएम आपरेटर ग्रेड-2	7/20/1978	5/31/2010	1354023	आर	साक्षर
25	135837X	103	जगदीश राज	मास्टर टैकनिशियन (फिटर) ग्रेड-1	4/18/1978	5/31/2010	1324329	आर	मैट्रिक से नीचे, आईटीआई
26	149079F	101	तोतू राम	आपरेटर (पम्प) ग्रेड स्पेशल	1/23/1974	5/31/2010	1128622	आर	मैट्रिक से नीचे
27	182352X	111	कर्नल सिंह	मास्टर क्रेन आपरेटर ग्रेड-2	6/1/1975	5/31/2010	1212933	आर	साक्षर
28	538504A	105	प्रेम नाथ	वरिष्ठ फोरमैन (इलेक्ट्रिकल)	4/1/1974	5/31/2010	1427057	आर	-
29	148122L	101	रवि कुमार	वरिष्ठ पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड-1	1/1/1974	6/30/2010	1531828	आर	आईटीआई, मैट्रिक/एसएसएलसी
30	180061Y	119	भूपिन्दर सिह	सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	2/14/1978	6/30/2010	1696401	आर	एम ए इतिहास
31	110400H	105	राधेश्याम	प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल)	12/16/1975	7/31/2010	2699316	आर	डिप्लोम्मा इलेक्ट्रिकल इंजी.
32	120076V	100	सुभाष चन्दर खन्ना	कार्यकारी सचिव	6/30/1978	7/31/2010	2444143	आर	बी.एससी
33	150502T	100	के पी प्रेमराजन	वरि. प्रबंधक (पीआर)	4/20/1979	8/31/2010	2693841	आर	एम ए इंग्लिश, जन संपर्क में स्नातकोत्तर
34	102042H	100	टी एन गोपाल कृष्णन	कार्यकारी निदेशक (वित्त)	3/24/1999	9/9/2010	3347998	आर	बी . काम सीए
35	102870T	100	एस के गर्ग	सीएमडी	7/1/2003	12/31/2010	7712818	आर	बी . काम ;आनर्सद्ध सीए, एफसीए

संलग्नक-V

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड

1. हमने मैसर्स एनएचपीसी लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 के अनुसार संलग्न **संशोधित** तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न **संशोधित** लाभ एवं हानि लेखा, निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय के **संशोधित** विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु **संशोधित** नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हम 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर 27.05.2011 को प्रस्तुत की गई अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे।
3. कंपनी ने ऊपर वर्णित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कवर किए गए अपने उपरोक्त वित्तीय विवरणों में संशोधन किया ताकि लाभांश के प्रावधान और उस पर लाभांश वितरण कर को बहियों में शामिल किया जा सके, जिसकी अनुशंसा एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा की गई थी। तदनुरूप, 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्रक और उसी तारीख को समाप्त हुई अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाता, जिनकी हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा की गई थी (ऊपर वर्णित हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कवर), को भी कंपनी द्वारा संशोधित किया गया है **(अनुसूची 24 का नोट संख्या 33 देखें)।**
4. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया कराती है।
5. भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4ए) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षा के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिष्टि मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।
6. उपरोक्त अनुच्छेद 3 में वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा, अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइंग किए बिना, हम निम्नांकित की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं-(क) टिप्पणी संख्या 5 (अनसूची 24-लेखा टिप्पणियां), जो केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ का निर्धारण लंबित रहतें अस्थायी आधार पर बिक्री के परिकलन और पूर्व अवधि बिक्री से संबद्ध है, (ख) टिप्पणी संख्या 7 (अनसूची 24-लेखा टिप्पणियां), जो कारपोरेट कार्यालय व्यय, क्षेत्रीय कार्यालय व्यय, निर्माण परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं जांच और प्रशासन एवं अन्य सामान्य ओवरहेड व्यय के पूंजीकरण से सम्बद्ध है और (ग) टिप्पणी संख्या 12 (अनसूची 24-लेखा टिप्पणियां), जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर परिसंपत्तियों (सक्षम परिसंपत्तियों) के निर्माण के लिए किए गए व्यय के पूंजीकरण के मुद्दे को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति को सौंपे जाने से सम्बद्ध है। हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   (i) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।
   (ii) लेखा परीक्षकों के बीच काम का बंटवारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा एनएचपीसी को लिखे गए दिनांक 13.07.2010 के पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट, एनएचपीसी(5)/70 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया गया।
   (iii) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।
   (iv) इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है।
   (v) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।
   (vi) कंपनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी अधिसूचना संख्या एफ.न.8/5/2001-सीएलवी के अंतर्गत अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते।
   (vii) केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत देय उपकर की मात्रा निर्धारित नहीं की है, इसलिए हम यह उपकर जमा करने में कंपनी के नियमित होने अथवा अन्यथा पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।
   (viii) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे और अनुसूची 24 में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में दी गई अन्य टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं -
      (क) **तुलन-पत्र** के मामले में 31 मार्च, 2011 को कंपनी की स्थिति का,
      (ख) **लाभ एवं हानि लेखे** के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का,
      (ग) निर्माण के दौरान व्यय विवरण के मामले में उल्लिखित तारीख को समाप्त हुई अवधि तक किए गए व्यय का, और
      (घ) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

कृते **एस. बी. जी एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

(सीए सुरेश कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.-072921
एफ आर न. 001818एन

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30.06.2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 मे उल्लिखित)

1. अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

(क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए है।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए इस सत्यापन की आवधिकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में लेखा बहियों की तुलना में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।

(ग) वर्ष के दौरान अचल परिसम्पतित्यों का कोई महत्वपूर्ण निपटान नहीं किया गया है।

2. मालसूची के संदर्भ में :

(क) वर्ष के दौरान मालसूची का प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृति तर्कसंगत है।

(ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।

(ग) हमारे मतानुसार कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में पाई जाने वाली विसंगति का लेखा बहियों में उचित निपटान किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को मंजूर किए गए/को दिए/से लिए गए ऋण के संदर्भ में :

(क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।

(ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते है।

4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है; **किन्तु, इसे और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।**

5. (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो।

(ख) उक्त उप-खंड (क) के मद्देनजर यह उप-खंड लागू नहीं होता है।

6. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और कंपनी (जमा राशियां स्वीकार करना) नियम, 1975 के प्रावधानों का व्यापक रूप में पालन किया है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

7. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण और कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। तथापि, रिपोर्टिंग पहलुओं और जोखिम आधरित लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के संदर्भ में इसे और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

8. कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डो के अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में सामग्री, श्रम और स्वयं द्वारा व्यय की गई लागत से संबंधित वस्तुओं के बारे में समुचित लेखा-बहियां अनुरक्षित की हैं। तथापि, हमने सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन लेखा-बहियां का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

9. सांविधिक देयों के बारे में :

(क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और बचाव निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2011 को देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई बकाया राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और उपकर के देयों की राशि 2253.31 करोड़ रुपए है।

विधि	**प्रकृति**	**फोरम**	**करोड़ रुपए में**
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	एसीआईटी, फरीदाबाद	8.65
		सीआईटी (अपील), देहरादून	1.12
		कुल	9.77
विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	गुवाहाटी उच्च न्यायायल	1934.07
		बिक्री कर अपील प्राधिकरण, जम्मू-कश्मीर	247.54
		एसी/जेसी व्यापार कर	0.05
		जेसीसीटी, बिक्री कर	20.87
		उच्च न्यायालय, कोलकाता।	0.06
		कुल	**2202.59**
असम वैट	वैट	डीसी, बिक्री कर	13.87
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	मुम्बई, सीमा शुल्क	0.06
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	सेवा-कर आयुक्त, दिल्ली	27.02
		समग्र योग	**2253.31**

10. कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नही है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।
11. लेखापरीक्षा के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।
12. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर तथा ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यों को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।
13. हमारे मतानुसार कम्पनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए इस खंड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
14. हमारे मतानुसार कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसके मद्देनजर कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4(ग्न) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
15 कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।
16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया, जिनके लिए वे उगाहे गये थे।
17. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई निधि जुटाई नहीं गई है।
18. कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आंवटन नहीं किया है।
19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी द्वारा जारी किए गए बॉण्ड के संबंध में प्रतिभूति का सृजन किया है।
20. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के ज़रिए धन की उगाही नहीं की है।
21. वित्तीय विवरण की सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए निष्पादित की गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी सामने नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते **एस. बी. जी एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(सीए सुरेश कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.-072921
एफ आर न. 001818एन

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30.06.2011

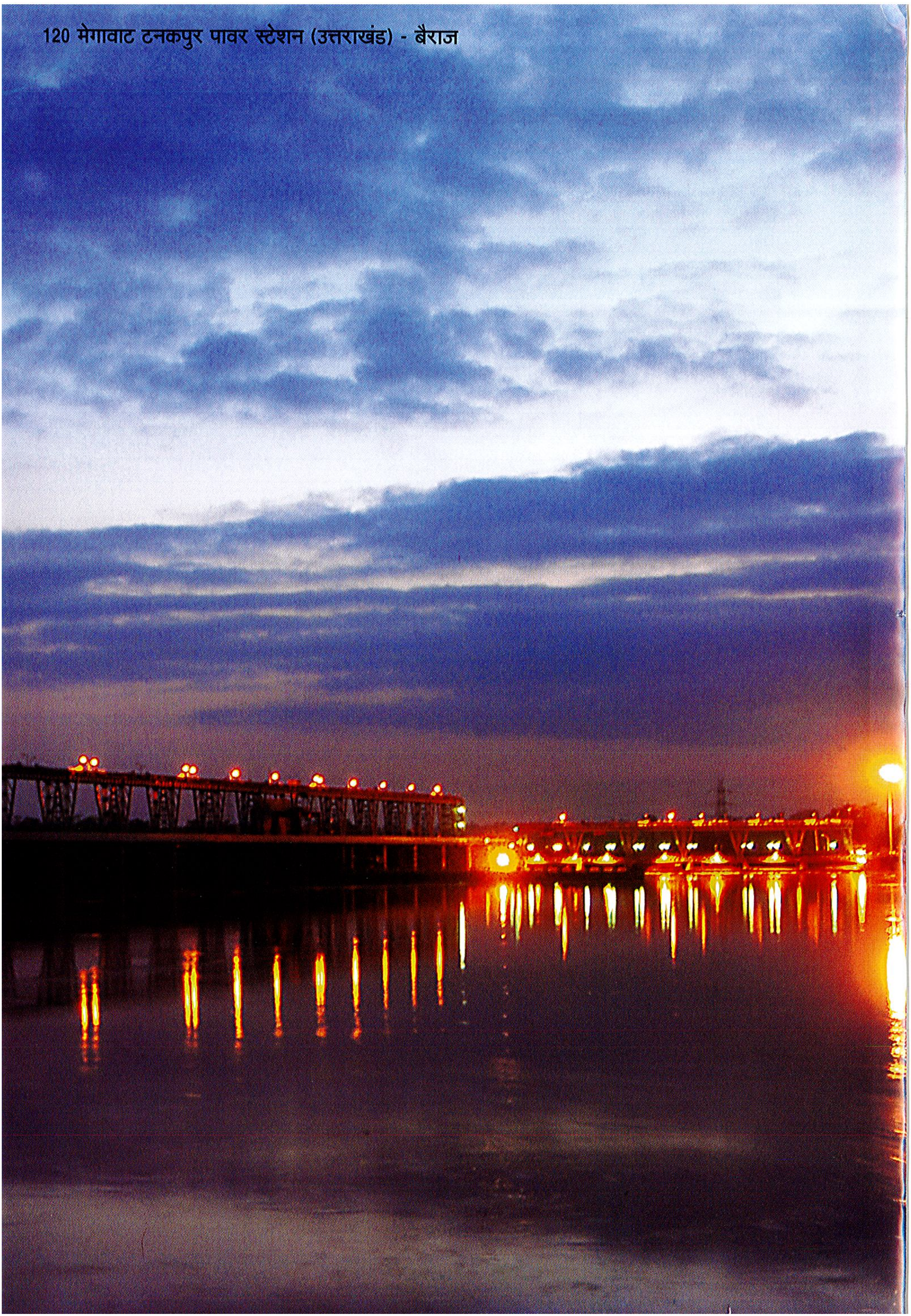

120 मेगावाट टनकपुर पावर स्टेशन (उत्तराखंड) - बैराज

एनएचपीसी लिमिटेड

वार्षिक लेखे

2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर परियोजना (अरुणाचल प्रदेश) -
परियोजना परिसर

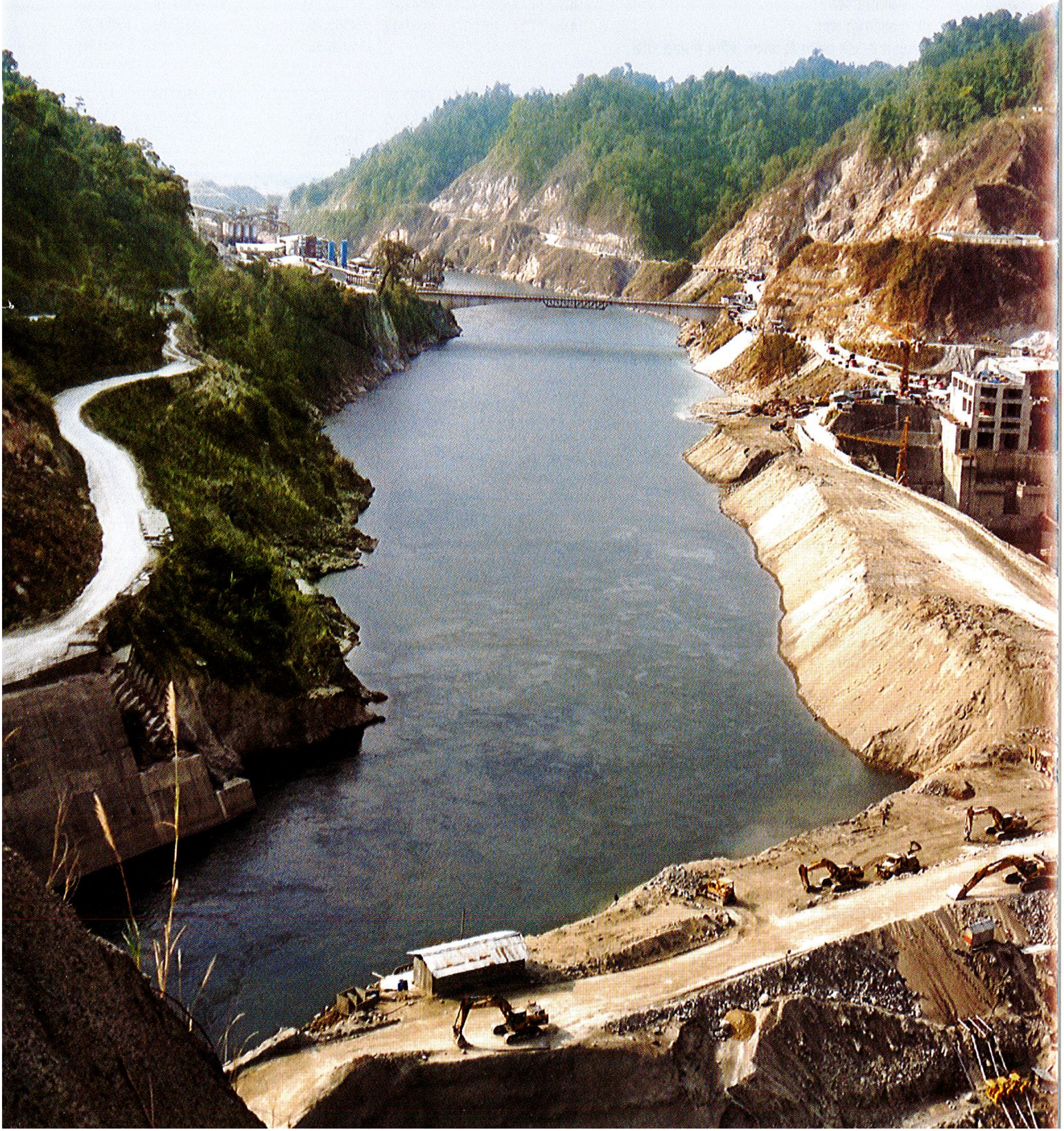

31 मार्च, 2011 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रूपए में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2011			31 मार्च, 2010		
निधियों के स्रोत							
क. शेयरधारकों की निधि							
i) शेयर पूंजी	1		12300.74			12300.74	
ii) आरक्षित तथा अधिशेष	2		12283.15	24583.89		10972.45	23273.19
ख. ऋण निधियां							
i) प्रतिभूत ऋण	3		10884.36			10953.18	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		3684.90	14569.26		2915.04	13868.22
ग. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त राशि				1406.55			1437.44
घ. विलंबित कर देयताएं (निवल)							
विलंबित कर देयताएं			2450.39			2509.64	
घटाएं - प्राप्य विलंबित कर			2289.06	161.33		2370.54	139.10
कुल				**40721.03**			**38717.95**
निधियों का उपयोग							
क. स्थिर पूंजी व्यय							
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5						
(क) सकल ब्लाक		22874.92			21302.37		
घटाएं - मूल्यहृास		5774.04			4907.44		
(ख) निवल ब्लाक			17100.88			16394.93	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		15797.03			12802.50	
iii) निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	7		1325.42	34223.33		1222.52	30419.95
ख. निवेश	8			5399.50			4394.05
ग. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9						
i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		157.87			182.65		
ii) मालसूची		33.71			44.31		
iii) प्रगति पर संविदा कार्य		19.94			24.22		
iv) विविध देनदार		1908.60			1140.21		
v) नकदी तथा बैंक शेष		2864.14			5097.38		
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		511.32			534.66		
vii) ऋण तथा अग्रिम		1365.42	6861.00		1295.74	8319.17	
घटाएं - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10						
i) देयताएं		2349.21			2126.97		
ii) प्रावधान		3413.59	5762.80		2288.25	4415.22	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां				1098.20			3903.95
घ. विविध व्यय (बटटेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)	11			-			-
कुल				**40721.03**			**38717.95**
लेखांकन नीतियां	23						
लेखे पर टिप्पणी	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एस.बी.जी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआर न. 001818 एन
सुरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या 72921

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

डी.पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2011

31 मार्च, 2010 के अनुसार लाभ एवं हानि खाता

(करोड़ रूपए में)

	अनुसूची			31 मार्च, 2011			31 मार्च, 2010
आय							
i) बिक्री	12		3999.63			4261.18	
घटाएं - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	12 क		(46.96)	4046.59		107.97	4153.21
ii) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य आय से प्राप्त राजस्व	13			178.66			113.08
iii) अन्य आय	14			706.86			545.73
कुल आय				**4932.11**			**4812.02**
व्यय							
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15			522.43			238.67
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	16			699.62			529.84
iii) मूल्यह्रास	17			916.74			1018.87
iv) ब्याज तथा वित्त प्रभार	18			413.56			457.08
v) प्रावधान	19			34.46			80.50
vi) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	20			123.25			82.39
कुल व्यय				**2710.06**			**2407.35**
कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन				**2222.05**			**2404.67**
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	21			(656.38)			2.59
कर पूर्व लाभ				**2878.43**			**2402.08**
कराधान हेतु प्रावधान							
i) वर्तमान कर			558.53			388.65	
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन			8.06			(93.23)	
iii) विलंबित कर		(59.25)			96.66		
घटाएं- प्राप्य विलंबित कर समायोजन		(204.42)	145.17	711.76	80.50	16.16	311.58
कर पश्चात लाभ				**2166.67**			**2090.50**
अग्रेषित शेष				3150.50			1963.66
जोड़ें :							
i) बॉण्ड विमोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि				14.25			14.25
ii) स्व बीमा आरक्षी से पश्च लिखित राशि				0.04			-
iii) लाभांश पर कर-पश्च लेख				1.80			3.98
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष				**5333.26**			**4072.39**
i) बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित				100.00			100.00
i) स्व बीमा निधि को अंतरित				39.31			32.99
iii) लाभांश :							
- प्रस्तावित				738.04			676.54
iv) लाभांश पर कर							
- प्रस्तावित				119.73			112.36
तुलन-पत्रक को ले जाया गया शेष				**4336.18**			**3150.50**
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)							
बुनियादी				**1.76**			**1.76**
तनूकृत				**1.76**			**1.76**
निर्माण के दौरान व्यय	22						
लेखांकन नीतियां	23						
लेखाओं पर टिप्पणियां	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एस.बी.जी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआर न. 001818 एन

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सुरेश कुमार भागीदार सदस्य संख्या 72921	**विजय गुप्ता** कम्पनी सचिव	**डी.पी. भार्गव** निदेशक (तकनीकी) डीआईएन 01277269	**ए.बी.एल. श्रीवास्तव** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन 01601682

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2011

अनुसूची 1 - शेयर पूंजी

(करोड़ रूपए में)

	01.04.2010 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2011 के अनुसार अंतिम शेष
प्राधिकृत : 10/- रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर)	15,000.00	-	-	15,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त : पूर्णतः प्रदत्त 10/- रुपए प्रत्येक के 12,300,742,773 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 11,182,493,430 इक्विटी शेयर) पूर्णतः प्रदत्त (उक्त में से 10/- प्रत्येक के 62,952,960 शेयरों को भारत सरकार के साथ समझौते के अनुपालन में नकदी के अन्यथा विचार पर आवंटित किया गया है)	12,300.74	-	-	12,300.74
कुल	**12,300.74**	**-**	**-**	**12,300.74**

अनुसूची 2 - आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2011				31 मार्च 2010			
	01.04.2010 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2011 के अनुसार अंतिम शेष	01.04.2009 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती समायोजन	31.03.2010 के अनुसार अंतिम शेष
बांड शोधन आरक्षित	214.00	100.00	14.25	**299.75**	128.25	100.00	14.25	**214.00**
शेयर प्रीमियम खाता	2,868.74	-	-	**2,868.74**	-	2,907.45	38.71 *	**2,868.74**
सामान्य आरक्षित	4,120.06	-	-	**4,120.06**	4,120.06	-	-	**4,120.06**
लाभ एवं हानि खाता	3,150.50	2,166.67	980.99	**4,336.18**	1,963.66	2,108.73	921.89	**3,150.50**
स्व-बीमा निधि	619.15	39.31	0.04	**658.42**	586.16	32.99	-	**619.15**
कुल	**10,972.45**	**2,305.98**	**995.28**	**12,283.15**	**6,798.13**	**5,149.17**	**974.85**	**10,972.45**

कंपनी अधिनियम, 1956 की धरा 78 के प्रावधनों के अनुसार शेयर इश्यू समायोजन

अनुसूची 3 - ऋण निधियां प्रतिभूत

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
क. बॉण्ड्स		
बॉण्ड्स	2,399.00	2,456.00
ख. सावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण/भारतीय मुद्रा	8,485.36	8,497.18
कुल (परिशिष्ट देखे)	**10,884.36**	**10,953.18**

परिशिष्ट-क

अनुसूची 3 का परिशिष्ट
ऋण निधियां - प्रतिभूत

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)		
बॉण्ड - ओ श्रृंखला *2 (10 करोड़ रुपए प्रत्येक के 7.7 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य (31.3.09 से 31.03.18 के बीच 57 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन) (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 57 करोड़ रुपए)	399.00	456.00
बॉण्ड - पी श्रृंखला *5,7 और 10 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत 15 वर्षीय सुरक्षित विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड) (01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन) (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय- शून्य रुपए)	2000.00	2000.00
कुल बॉण्ड (क)	**2399.00**	**2456.00**
(ख) सावधि ऋण		
केनरा बैंक '1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 17 करोड़ रुपए) (31.01.09 से 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	34.00	51.00
इंडियन ओवरसीज बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 12.50 करोड़ रु) (06.12.08 से 4 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	12.50	25.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 4 करोड़ रुपए) (09.07.07 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	24.00	28.00
बैंक ऑफ इंडिया *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	65.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	40.00
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	50.00
पंजाब एण्ड सिंध बैंक *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	65.00
पंजाब एण्ड सिंध बैंक *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	67.50
स्टेट बैंक आफ पटियाला *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	25.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *3 (03.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	25.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *3 (01.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	64.29
केनरा बैंक *4 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (28.06.09 से 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	20.00	30.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 208.33 करोड़ रुपए) (15.4.09 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	2083.33	2291.67

अनुसूची 3 का परिशिष्ट
ऋण निधियां - प्रतिभूत

परिशिष्ट- क

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
केनरा बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रुपए) (09.11.07 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	120.00	140.00
सिंडिकेट बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 18.30 करोड़ रुपए) (23.02.00 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	109.80	128.10
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रुपए) (31.03.08 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	120.00	140.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (27.12.11 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	100.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *6 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (30.4.12 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	1896.00	1896.00
इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (28.02.12 से 3 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	100.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	571.00	501.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 18.60 करोड़ रुपए) (15.10.08 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	139.50	158.10
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	70.00	70.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *2 और 3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 25.30 करोड़ रुपए) (15.07.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	1232.00	912.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 41.30 करोड़ रुपए) (15.07.09 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	340.73	382.02
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 50 करोड़ रुपए) (15.01.10 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	437.50	487.50
इंडियन बैंक *4 और 9 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (29.09.14 से 5 वर्ष बाद एकमुंश्त चुकाया जाने वाला)	75.00	55.00
यूको बैंक *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (31.12.12 से 12 वर्षो की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	1000.00	600.00
कुल प्रतिभूत ऋण (ख)	**8485.36**	**8497.18**
कुल (क/ख)	**10884.36**	**10953.18**

अनुसूची - 3 का परिशिष्ट

टिप्पणी :-

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन / बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।

2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन / बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-॥ के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/ बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित। ऋणों के संदर्भ में प्रभार / रेहन की प्रक्रिया से राष्ट्रीय रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के कंपनी रजिस्ट्रार संतुष्ट रहे है।

4. मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-॥ की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

6. अरूणाचल प्रदेश राज्य में स्थित कंपनी के सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की अचल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लोडैम-III जल विद्युत परियोजना तथा सिक्किम राज्य में स्थित तीरता-5 जल विद्युत परियोजनाओं की अचल / चल परसंपत्तियों को समान बंधक / रेहन रखकर संरक्षित।

7. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के बही ऋण तथा भंण्डारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम प्रभार द्वारा संरक्षित।

9. हिमांचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

10. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-॥। की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

अनुसूची - 4 ऋण निधियां - अप्रतिभूत

(करोड़ रूपए में)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
क.	**सावधि ऋण**		
	भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत		
	बैंकों/विदेशी संस्थानों से सावधि ऋण-विदेशी मुद्रा	2,684.90	2,696.04
ख.	**भारत सरकार से ऋण**		
	सरकार से ऋण-अप्रतिभूत	1,000.00	219.00
	कुल (परिशिष्ट -ख देखें)	**3,684.90**	**2,915.04**

अनुसूची - 4 का परिशिष्ट (जारी)

परिशिष्ट ख

ऋण निधियां - अप्रतिभूत

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
(क) बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - विदेशी मुद्रा				
भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत				
i) नौरडिक इंवेस्टमेंट बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	-		22.96	
ii) क्रेडिट डेवलपमेंट डीई फ्रांस (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	-		51.83	
iii) एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 64.96 करोड़ रुपए)	282.67		334.59	
iv) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-I (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 13.30 करोड़ रुपए)	199.51		190.15	
v) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-II (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 43.63 करोड़ रुपए)	741.78		701.77	
vi) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-III (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	660.72		590.36	
vii) डश बैंक तथा अन्य (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 100.03 करोड़ रुपए)	800.22	2,684.90	804.38	2,696.04
(ख) भारत सरकार से ऋण				
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (निम्मो बाज़गो जल विद्युत परियोजना चालू हो जाने के 12 वर्ष बाद से 18 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान योग्य)	270.00		204.00	
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (चूटक जल विद्युत परियोजना चालू हो जाने के 06 वर्ष बाद से 24 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान योग्य)	364.00		15.00	
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (किशनगंगा जल विद्युत परियोजना चालू हो जाने के 11 वर्ष बाद से 10 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान योग्य)	366.00	1,000.00	-	219.00
कुल अप्रतिभूत ऋण		**3,684.90**		**2,915.04**

अनुसूची-5 अचल परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

		सकल ब्लाक				मूल्यहास				निवल ब्लाक	
		01.04.2010	संवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2011	01.04.2010	वर्ष	समा- योजन	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2010
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	206.53	11.51	0.20	217.84	-	-	-	-	217.84	206.53
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	89.51	30.39	0.39	119.51	6.73	3.05	(0.39)	9.39	110.12	82.78
iii)	भूमि-अवर्गीकृत/उपयोग का अधिकार	672.83	12.49	9.74	675.58	13.98	2.18	-	16.16	659.42	658.85
iv)	भवन	1,685.03	150.93	13.20	1,822.76	454.33	60.72	(7.58)	507.47	1,315.29	1,230.70
v)	सड़कें और पुल	353.90	7.55	5.36	356.09	62.36	12.87	(3.66)	71.57	284.52	291.54
vi)	रेलवे साइडिंग्स	40.17	-	-	40.17	9.46	2.67	-	12.13	28.04	30.71
vii)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	12,161.64	1,031.45	3.44	13,189.65	2,560.22	606.71	(42.54)	3,124.39	10,065.26	9,601.42
viii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	5,524.96	353.58	11.81	5,866.73	1,526.89	246.42	(39.03)	1,734.28	4,132.45	3,998.07
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	84.48	0.82	0.78	84.52	38.23	3.44	(0.99)	40.68	43.84	46.25
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	61.28	2.68	0.55	63.41	12.91	3.30	(0.90)	15.31	48.10	48.37
xi)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	25.47	1.34	0.55	26.26	9.92	1.17	(0.38)	10.71	15.55	15.55
xii)	निर्माण उपकरण	74.02	4.69	3.78	74.93	48.85	4.68	(2.95)	50.58	24.35	25.17
xiii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	29.49	1.55	0.09	30.95	3.27	1.08	(0.04)	4.31	26.64	26.22
xiv)	विद्युतीय संस्थापनाएं	3.45	0.02	0.02	3.45	1.00	0.17	(0.02)	1.15	2.30	2.45
xv)	वाहन	26.92	0.97	2.45	25.44	19.98	0.56	(1.91)	18.63	6.81	6.94
xvi)	विमान/नौकें	0.91	-	0.25	0.66	0.66	0.02	(0.23)	0.45	0.21	0.25
xvii)	फर्नीचर और फिक्सचर	38.74	4.59	1.16	42.17	16.90	2.67	(0.84)	18.73	23.44	21.84
xviii)	कम्प्यूटर	58.26	5.92	5.45	58.73	45.01	5.39	(4.25)	46.15	12.58	13.25
xix)	संचार उपकरण	12.91	0.84	0.38	13.37	5.03	0.72	(0.47)	5.28	8.09	7.88
xx)	कार्यालय उपकरण	36.93	2.91	1.52	38.32	14.31	2.21	(0.94)	15.58	22.74	22.62
xxi)	अनुसंधान और विकास	1.39	-	0.03	1.36	0.21	0.09	(0.01)	0.29	1.07	1.18
xxii)	अगोचर आस्तियां (सॉफ्टवेयर)	29.89	6.35	0.07	36.17	21.11	12.34	0.04	33.49	2.68	8.78
xxiii)	अन्य आस्तियां	41.61	2.22	0.87	42.96	16.86	2.19	(1.01)	18.04	24.92	24.75
xxiv)	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	22.67	1.79	-	24.46	1.80	0.52	-	2.32	22.14	20.87
xxv)	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रुपये।	17.43	1.21	1.68	16.96	17.42	1.14	(1.61)	16.95	0.01	0.01
xxvi)	अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	1.95	0.97	0.45	2.47	-	-	-	-	2.47	1.95
	कुल	**21,302.37**	**1,636.77**	**64.22**	**22,874.92**	**4,907.44**	**976.31**	**(109.71)**	**5,774.04**	**17,100.88**	**16,394.93**
	पिछले वर्ष	21,460.08	22.14	179.85	21,302.37	3,816.27	1,102.89	(11.72)	4,907.44	16,394.93	17,643.81

नोट : अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार पर निर्मित 4252.38 करोड़ रुपये की अचल आस्तियों को सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

अनुसूची 6 चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रूपए में)

		01.04.2010	संवर्धन	समायोजन	पूजीकृत	31.03.2011
i	भवन	883.64	308.00	20.62	104.25	1,108.01
ii	सड़कें और पुल	68.19	13.06	(1.22)	7.10	72.93
iii	रेलवे साइडिंग्स /	1.67	-	(1.67)	-	-
iv	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	4,594.91	1,428.68	227.79	663.43	5,587.95
v	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,062.17	819.03	68.75	304.55	3,645.40
vi	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	7.14	0.01	(0.01)	-	7.14
vii	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	0.50	2.38	-	2.16	0.72
viii	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	1.27	1.90	(0.44)	0.49	2.24
ix	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.35	2.82	(0.40)	1.23	2.54
x	संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य आस्तियां	4.68	41.16	(9.36)	33.86	2.62
xi	अमूर्त परिसंपत्तियां	0.52	4.21	-	4.33	0.40
xii	उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	20.94	104.41	(5.45)	0.86	119.04
xiii	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	162.54	43.73	(10.70)	-	195.57
xiv	निर्माण वर्ष के दौरान व्यय	4,042.63	1,459.95 *	(415.39)	-	5,087.19
	कुल	**12,852.15**	**4,229.34**	**(127.48)**	**1,122.26**	**15,831.75**
	घटाएं : प्रावधानों के लिए	49.65	0.85	(15.78)	-	34.72
	कुल	**12,802.50**	**4,228.49**	**(111.70)**	**1,122.26**	**15,797.03**
	पिछले वर्ष	9401.77	3753.79	(264.09)	88.97	12802.50

$ इसमें 1.67 करोड़ रुपये शामिल हैं जो रेलवे साइडिंग न सौंपे जाने के कारण रेलवे से रिफंड के रूप में दावा किए जा रहे हैं।

* अनुसूची 22 देखें- निर्माण वर्ष के दौरान खर्च

अनुसूची 7 निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(करोड़ रूपए में)

			31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
क.	**निर्माण भंडार**				
	(प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित)				
	i) भंडार तथा कलपुर्जे	63.22		40.90	
	ii) खुले औजार	0.04		0.12	
	iii) रद्दी मालसूची	-		0.06	
	iv) परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	0.66		1.52	
	v) संविदाकारों/फैब्रीकेटर्स को जारी सामग्री	103.50		77.58	
	घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.69	165.73	1.56	118.62
ख.	**पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम**				
	i) प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	61.97		109.68	
	ii) अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)				
	- बैंक गांरटी के प्रति	928.12		775.22	
	- अन्य	169.60		219.00	
	iii) अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.05		0.07	
	घटाएं - संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान	0.05	1159.69	0.07	1103.90
	कुल		**1325.42**		**1222.52**

अनुसूची 7 निर्माण भण्डार तथा अग्रिम (जारी)

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.56		3.31	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.14		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-		1.75	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.01		-	
अंतिम शेष		1.69		1.56
संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.07		2.28	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		0.07	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.01		0.08	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.16		2.05	
अंतिम शेष		0.05		0.07

अनुसूची 8-निवेश

(करोड़ रूपए में)

	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या चालू वर्ष / पिछले वर्ष	प्रति शेयर / ब्रॉण्ड प्रतिभूर्ति का अंकित मूल्य रूपए में	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
दीर्घावधि (व्यापार - जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों)				
क. उद्धृत				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में (गैर-व्यापार)-स्व बीमा निधि				
8.35 प्रतिशत एसबीबाई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	1,50,000 (1,50,000)	10,000	150.77	150.77
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12,380 (12,380)	10,000	12.26	12.26
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35,000 (-)	10,000	34.62	-
(ख) इक्विटी शेयर				
पीटीसी इंडिया लि.	1,20,00,000 (12000000)	10	12.00	12.00
इंडियन ओवरसीज बैंक **(गैर-व्यापार)**	3,60,800 (3,60,800)	10	0.36	0.36
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट्स बांड्स (गैर-व्यापार)-स्व बीमा निधि				
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	467 (467)	10,00,000	45.97	45.97
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	688 (688)	10,00,000	69.63	69.62
8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	30 (30)	10,00,000	2.99	2.99
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	80 (80)	12,50,000	10.00	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	80 (80)	12,50,000	10.00	10.00

अनुसूची 8-निवेश (जारी)

(करोड़ रूपए में)

	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या चालू वर्ष / पिछले वर्ष	प्रति शेयर / ब्रॉण्ड प्रतिभूति का अंकित मूल्य रूपए में	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	80 (80)	12,50,000	10.00	10.00
8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2030	150 (-)	10,00,000	15.14	-
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	51 (-)	10,00,000	5.16	-
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	40 (-)	12,50,000	5.03	-
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	477 (-)	10,00,000	47.36	-
8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2035	120 (-)	10,00,000	12.09	-
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन बांड्स 2020	600 (-)	10,00,000	59.93	-
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	156 (-)	12,50,000	19.51	-
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	364 (-)	12,50,000	45.52	-
उप-जोड़ (क)			568.34	323.97
ख. अनुद्धृत				
(क) बांड्स				
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त राज्य सरकार विशेष बॉण्ड				
अरुणाचल प्रदेश	4,860 (5832)	1,000	0.49	0.58
बिहार	95,350 (114420)	1,000	9.53	11.44
हरियाणा	28,25,000 (3390000)	1,000	282.50	339.00
हिमाचल प्रदेश	89,340 (107208)	1,000	8.93	10.72
जम्मू कश्मीर	38,53,480 (4624176)	1,000	385.35	462.42
झारखंड	71,550 (85860)	1,000	7.15	8.59
मेघालय	2,660 (3192)	1,000	0.27	0.32
मिजोरम	16,050 (19260)	1,000	1.61	1.93
नागालैंड	34,600 (41520)	1,000	3.46	4.15
पंजाब	11,14,050 (1336860)	1,000	111.41	133.69
राजस्थान	1,13,964 (170946)	1,000	11.40	17.09

अनुसूची 8-निवेश (जारी)

(करोड़ रूपए में)

	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या चालू वर्ष / पिछले वर्ष	प्रति शेयर / ब्रॉण्ड प्रतिभूति का अंकित मूल्य रूपए में	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
सिक्किम	11,680 (14016)	1,000	1.17	1.40
त्रिपुरा	13,340 (16008)	1,000	1.33	1.60
उत्तर प्रदेश	4,37,150 (4721340)	1,000	43.72	472.13
उत्तराखंड	39,34,450 (524580)	1,000	393.44	52.46
पश्चिम बंगाल	33,610 (40332)	1,000	3.36	4.03
(ख) जेवी में इक्विटी शेयर (पूर्ण चुकता)				
(i) नेशनल पावर एक्सचेंज लिमि.	21,88,325 (833500)	10	2.19	0.83
(ii) नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लि./	26,25,000 (875000)	10	2.62	0.88
(ग) अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर (पूर्ण चुकता)				
(i) एनएचडीसी लिमि.	1,00,24,200 (10024200)	1,000	1,002.42	1,002.42
ii) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कोरपोरेशन लिमि. (पूर्ण चुकता)	4,44,00,000 (44400000)	10	44.40	44.40
(घ) शेयर आवेदन राशि				
-लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कोरपोरेशन लिमि.			28.46	-
उप-जोड़ (ख)			2,345.21	2,570.08
ग. (क) सावधि जमा-अन्य				
बैंकों में जमा			555.00	-
(ख) सावधि जमा-आईपीओ प्राप्तियों में से इस्तेमाल न की गई राशि				
बैंकों में जमा			1,900.00	1,500.00
(ग) सावधि जमा-स्व बीमा निधि बैंकों में जमा			30.95	-
उप-जोड़ (ग)			2,485.95	1,500.00
कुल योग (क/ख/ग)			5,399.50	4,394.05

$ शेयर जो अभी प्राप्त किए जाने हैं

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
उद्धृत निवेश		
(i) संचयी लागत	568.34	323.97
(ii) संचयी बाजार मूल्य	660.38	450.70
अनुद्धृत निवेश		
संचयी लागत	4,831.16	4,070.08
	-	-

अनुसूची -9 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रूपए में)

			31 मार्च 2011			31 मार्च 2010
क. निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज			157.87			182.65
ख. माल सूचियां						
(प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)						
i) भंडार तथा कलपुर्जे		57.49			50.85	
ii) खुले औजार		1.38			0.96	
iii) कबाड़ माल सूची		2.36			2.41	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ		1.09			0.25	
v) निर्माण स्थल पर सामान		-			11.93	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान		0.29			0.98	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जो के लिए प्रावधान *1		28.90			23.07	
जोड़			33.71			44.31
ग. चालू पूंजी कार्य						
चालू निर्माण कार्य (ग्राहकों की ओर से)		19.94			50.26	
घटाएं - ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम/जमाराशि		-	19.94		26.04	24.22
घ. विविध देनदार (असंरक्षित)						
i) 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण						
- अच्छे माने गए	46.22			18.57		
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए	194.44			194.44		
ii) अन्य ऋण						
- अच्छे माने गए	273.36			716.50		
iii) बिल न किए गए देनदार	1589.02	2103.04		405.14	1334.65	
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *2		194.44			194.44	
जोड़			1908.60			1140.21
ङ नकद एवं बैंक शेष						
(अनुसूची 24 की टिप्पणी संख्या 31 देखें)						
i) हाथ में नकदी (19.26 करोड़ रुपए के हस्तगत चैक, ड्राफ्ट, स्टाम्प्स शामिल हैं, पिछले वर्ष 0.32 करोड़ रुपए)		20.44			0.69	
ii) बैंक शेष						
अधिसूचित बैंकों के साथ						
- चालू खाते में-स्व बीमा निधि		-			0.03	
- चालू खाते में-अन्य /		115.16			342.19	
- बचत खाते में-स्व बीमा निधि		63.41			306.50	
- बचत खाते में-अन्य $		2664.55			4447.88	
अन्य बैंकों के साथ						
- चालू खाते में						
फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक		-			0.02	
बैंक ऑफ भूटान		0.58			0.07	
कुल			2864.14			5097.38
च अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां						
i) निम्नांकित पर प्रोदभूत ब्याज						
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम		86.21			60.52	
- उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		32.97			32.97	
-बैंकों में जमाराशि-स्व बीमा निधि		1.42			0.03	
-बैंकों में जमाराशि		39.37			13.21	
ii) अन्य		242.91			154.95	
iii) की गई आस्थगित कर वसूली		-			122.94	
iv) विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावे		155.83			153.75	
घटाएं - संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान *3		47.39			3.71	
कुल			511.32			534.66

अनुसूची -9 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम (जारी)

(करोड़ रूपए में)

			31 मार्च 2011			31 मार्च 2010
छ. ऋण तथा अग्रिम						
क) ऋण						
i) कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)						
-प्रतिभूत	90.74			97.60		
-अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	16.59			22.07		
-अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.04			0.16		
ii) - उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	139.49			164.85		
iii) अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	225.00			225.00		
ख) अग्रिम						
(नकदी अथवा मूल्य हेतु वस्तु रूप में वसूली योग्य)						
i) अनुषंगी कंपनी						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	10.96			37.61		
ii) संविदाकार तथा आपूर्तिकर्ता						
- प्रतिभूत	0.49			2.93		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)						
- बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	43.87			88.63		
- अन्य	29.81			21.72		
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.27			0.16		
iii) कर्मचारी						
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	1.06			1.33		
iv) अन्य अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	1.57			0.04		
घटाएं - संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान *4	0.31	559.58		0.32	661.78	
ग) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां		772.20			552.62	
घ) विदेशी मुद्रा उतार-चढाव खाते में विलंबित परिसम्पतियों पर व्यय		0.16			-	
ङ) अन्य वसूली योग्य		0.01			-	
च) जमा						
अग्रिम आय कर	1133.04			741.85		
घटाएं - चालू कराधान हेतु प्रावधान *5	1099.57	33.47		660.51	81.34	
कुल			1365.42			1295.74
कुल योग (क से छ)			6861.00			8319.17

* रुपये 494.39 करोड़ आईपीओ प्राप्तियों में से इस्तेमाल न की गई राशि शामिल है।

$ रुपये 1.21 करोड़ दावा न किए गए लाभांश (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

गैर- अधिसूचित बैंकों के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे

	31.03.2011 को	31.03.2010 को
बैंक ऑफ भूटान		
i) पद्ध चालू खाता	1.23	0.22
फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, दुशान्बे (ताजिकिस्तान)		
i) चालू खाता	1.86	0.03

निदेशकों से देय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे

i) अवधि के अंत में देय राशि	0.04	0.24
ii) (2) वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम राशि	0.23	0.25

उन कंपनियों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - की राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

अनुसूची -9 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम (जारी)

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
अनुषंगी कंपनी की ओर वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया के ब्यौरे				
एनएचडीसी लिमिटेड		2.08		2.70
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		8.88		34.90
प्रावधानों के ब्यौरे				
अप्रचलित भंडार तथा कलपुर्जो हेतु प्रावधान *1				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	23.07		25.90	
वर्ष के दौरान वर्धन	16.95		0.79	
वर्ष के दौरान समायोजन	0.01		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	10.18		2.31	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.95		1.31	
अंतिम शेष		**28.90**		**23.07**
सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	194.44		194.97	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		0.66	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		1.19	
अंतिम शेष		**194.44**		**194.44**
खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3.71		5.95	
वर्ष के दौरान वर्धन	45.96		-	
वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.48		2.15	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.80		0.09	
अंतिम शेष		**47.39**		**3.71**
संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *4				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.32		3.06	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.02		0.01	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.02		0.17	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.01		2.58	
अंतिम शेष		**0.31**		**0.32**
कराधान हेतु प्रावधान *5				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	660.51		478.00	
वर्ष के दौरान वर्धन	569.16		416.22	
वर्ष के दौरान समायोजन	(0.35)		(0.21)	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	125.95		112.70	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.80		120.80	
अंतिम शेष		**1099.57**		**660.51**

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(करोड़ रुपये)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
क. देयताएं		
i) विविध देनदार		
(क) लघु औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)	-	-
(ख) मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)	-	-
(ग) अन्य	730.91	720.53
ii) जमा राशि/प्रतिधारण राशि	392.76	349.30
iii) ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	209.77	221.41

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान (जारी)

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
iv)	जमा कार्यो के प्रति अग्रिम	242.19		210.19	
	घटाएं - जमा कार्यो पर खर्च राशि	229.03	13.16	188.64	21.55
v)	ग्राहकों/ठेकेदारों से अग्रिम/जमा	3624.66		2681.20	
	घटाएं - परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यो के संदर्भ में व्यय की गई राशि	3240.49	384.17	2287.07	394.13
vi)	विदेशी मुद्रा खाते में उतार-चढाव से विलंबित आय		249.54		229.65
vii)	दावा न किए गए लाभांश		1.21		-
viii)	अन्य देयताएं-स्वबीमा निधि		-		0.25
ix)	अन्य देयताएं		367.69		190.15
	कुल देयताएं (क)		**2349.21**		**2126.97**
ख.	**प्रावधान**				
i)	**कराधान हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	676.54		200.00	
	वर्ष के दौरान वर्धन	738.04		676.54	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	676.54		200.00	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		**738.04**		**676.54**
ii)	**प्रस्तावित लाभांश पर कर**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	112.36		33.99	
	वर्ष के दौरान वर्धन	119.73		112.36	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	110.56		30.01	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.80		3.98	
	अंतिम शेष		**119.73**		**112.36**
iii)	**मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	682.25		390.32	
	वर्ष के दौरान वर्धन	199.69		292.44	
	वर्ष के दौरान समायोजन	-		(0.51)	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	175.66		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	6.86		-	
	अंतिम शेष	699.42		682.25	
	घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	154.54		179.65	
	अंतिम प्रावधान		**544.88**		**502.60**
iv)	**उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	44.51		43.88	
	वर्ष के दौरान वर्धन	122.15		44.51	
	वर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	(0.03)		(0.03)	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	34.98		32.19	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	11.53		11.66	
	अंतिम शेष		**120.12**		**44.51**
v)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	853.78		745.03	
	वर्ष के दौरान वर्धन	426.75		215.82	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	136.36		107.07	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	28.80		-	
	अंतिम शेष		**1115.37**		**853.78**

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान (जारी)

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
vi)	**टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		0.98	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		0.98	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		-		-
vii)	**कारपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु प्रावधान व्यय**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	6.05		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		6.05		-
viii)	**प्रतिबद्ध पूंजी व्यय हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	20.32		366.94	
	वर्ष के दौरान वर्धन	102.87		9.41	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.67		90.76	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	5.00		265.27	
	अंतिम शेष		117.52		20.32
ix)	**प्रावधान - अन्य**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	78.14		11.71	
	वर्ष के दौरान वर्धन	578.32		73.64	
	वर्ष के दौरान समायोजन	(0.56)		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1.94		6.96	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2.08		0.25	
	अंतिम शेष		651.88		78.14
	कुल प्रावधान (ख)		**3413.59**		**2288.25**
	कुल (क/ख)		**5762.80**		**4415.22**

अनुसूची - 11 विविध व्यय (बट्टेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
i)	समायोजन प्रतीक्षित व्यय	37.06		37.06	
	घटाएं - प्रावधान	37.06	-	37.06	-
ii)	बटटेखाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	11.02		5.30	
	घटाएं - प्रावधान	11.02	-	5.30	-
	कुल		-		-

अनुसूची - 12 बिक्री

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
i)	विद्युत की बिक्री	3461.29	3921.18
ii)	बिल न की गई बिक्री	591.44	405.69
iii)	एफईआरवी खाते में बिक्री समायोजन	(52.51)	(65.69)
	घटाए - विद्युत के उत्पादन से आय - चालू होने से पूर्व **(अनुसूची 22 1 (i) को अंतरित)**	0.59	-
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**3999.63**	**4261.18**

अनुसूची - 12क मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम

(करोड़ रुपये)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
वर्ष के दौरान	0.20	137.81
घटाएं - वर्ष के दौरान पश्च लिखित	47.16	29.84
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	(46.96)	107.97

अनुसूची-13 - संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से आय

(करोड़ रुपये)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
संविदा आय	89.74	56.34
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से आय	88.92	56.74
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	178.66	113.08

अनुसूची - 14 - अन्य आय

(करोड़ रुपये)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
क) **दीर्घावधि निवेश से आय**		
i) **व्यापार**		
- अनुषंगियों से लाभांश	10.83	23.42
- लाभांश-अन्य	1.44	1.44
- ब्याज		
सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5ः कर मुक्त बॉण्ड)	123.88	145.68
ii) **गैर-व्यापार**		
- लाभांश-अन्य	0.13	0.16
- ब्याज-स्व बीमा निधि	39.65	0.25
- इंडियन बैंक में जमा राशि पर ब्याज-(सकल) (स्रोत पर कर कटौती रुपये 7.21 करोड़, पिछले वर्ष 3.79 रुपये)	102.78	62.53
ख) अन्य आय		
i) **ब्याज**		
- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	13.47	15.63
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	25.70	23.58
- जमा खाता-स्व बीमा निधि-इंडियन बैंक (स्रोत पर कटौती किया गया कर 0.92 करोड़ रुपए, पिछले वर्ष 31490/- रुपये)	9.51	0.03
- जमा खाता-अन्य-इंडियन बैंक (सकल) (स्रोत पर कटौती किया गया कर 27.76/-करोड़ रुपए, पिछले वर्ष 5.98 रुपये)	274.41	123.07
- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	4.76	5.47
- लाभग्राही राज्यों से ब्याज	20.40	83.64
- अन्य	103.23	81.08
ii) विलंब भुगतान अधिभार	3.52	4.73
iii) परियोजना के अंतरण पर लाभ	26.63	-
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.54	4.66
v) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	79.71	229.10
vi) विनिमय दर अंतर	15.39	27.36
vii) अन्य	33.20	31.06
कुल	**890.18**	**862.89**
घटाएंः **ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22 ई (ii), 22 आई (ii) तथा 22 जे (i))**	149.84	313.71
घटाएंः **संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित आय (देखें अनुसूची - 20)**	3.21	3.45
घटाएंः **ग्राहकों/देनदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय (अनुसूची 10)**	30.27	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**706.86**	**545.73**

अनुसूची - 14 - अन्य आय (जारी)

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
#	**प्रावधान/देयताओं का ब्यौरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है।**		
क)	खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	1.19
ख)	खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	0.03	4.63
ग)	खराब तथा संदिग्ध दावे	1.80	0.09
घ)	भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.10	1.14
च)	भण्डार तथा कलपुर्जो में कमी	0.86	0.17
छ)	गारंटी शुल्क के लिए प्रावधान	-	0.43
ज)	मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	6.86	-
झ)	प्रतिबद्ध पूंजी खर्च हेतु प्रावधान	5.00	187.44
त)	लंबित जांच हानियों के लिए प्रावधान	0.02	-
थ)	उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	11.53	11.66
द)	अन्य प्रावधान / देयताएं जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	53.51	22.35
	कुल	79.71	229.10

अनुसूची - 15 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपये)

			31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
i)	भंडार एवं कलपुर्जों की खपत		3.94		4.28
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण				
	- भवन	27.17		27.67	
	- मशीनरी	38.89		32.39	
	- अन्य	31.57	97.63	26.47	86.53
iii)	किराया/भाड़ा खर्च		32.72		33.42
iv)	दरें और कर		145.52		2.87
v)	बीमा		31.18		19.43
vi)	स्वः बीमा आरक्षित से खर्च अदायगी		0.04		-
vii)	सुरक्षा व्यय		98.90		87.81
viii)	विद्युत प्रभार		26.83		22.70
ix)	यात्रा एवं वाहन		17.88		19.20
x)	स्टाफ कार पर व्यय		8.64		7.65
xi)	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		9.00		10.59
xii)	विज्ञापन एवं प्रचार		7.21		6.40
xiii)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		0.47		0.45
xiv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		5.37		5.05
xv)	पुस्तकें व पत्रिकाएं		0.45		0.59
xvi)	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी		4.91		4.48
xvii)	परामर्शी प्रभार -विदेशी		0.07		0.01
xviii)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च		22.05		5.41
xix)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		62.79		21.49
xx)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय		-		1.00
xxi)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.82		0.68
xxii)	बट्टे खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे		0.02		2.21
xxiii)	बट्टे खाते डाले गए भंडार		0.06		1.30
xxiv)	बट्टे खाते डाली गयी अचल परिसम्पत्तियां		0.39		0.11
xxv)	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज		80.57		6.90
xxvi)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		10.45		1.72
xxvii)	अन्य सामान्य खर्च		73.10		47.38
xxviii)	विनिमय दर अंतर		22.73		13.35
xxix)	लेखा परीक्षा खर्च		1.07		1.09

अनुसूची - 15 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (जारी)

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
xxx)	निदेशक खर्च	0.19	0.20
xxxi)	अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	0.55
	कुल	**765.00**	**414.85**
घटाएंः	**ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22ख, 22ग, 22ई(i), 22 आई(i) तथा 22 जे (i i))**	219.94	158.04
घटाएंः	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)**	22.49	17.94
घटाएंः	**डिपोजिट कार्यों में हस्तांतरित खर्च (अनुसूची 10)**	0.14	0.20
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**522.43**	**238.67**

अनुसूची - 16 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते।	1048.83	928.09
ii)	उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	220.38	148.61
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	141.13	82.57
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	0.40	0.18
	कुल	**1410.74**	**1159.45**
घटाएंः	**ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 22ए तथा 22जे (3))**	623.42	568.38
घटाएंः	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 20)**	86.25	60.18
घटाएंः	**डिपोजिट कार्यों में हस्तांतरित खर्च (अनुसूची 10)**	1.45	1.05
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**699.62**	**529.84**

अनुसूची - 17 मूल्यह्रास

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	976.31	1102.89
	एफईआरवी खाते में मूल्यह्रास समायोजन	(15.66)	(14.38)
	कुल	**960.65**	**1088.51**
घटाएंः	**ईडीसी को अंतरित (देखें अनुसूची - 22 जी तथा 22जे (4))**	42.08	67.93
घटाएंः	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)**	1.81	1.71
घटाएंः	**डिपोजिट कार्यों में हस्तांतरित खर्च (अनुसूची 10)**	0.02	-
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**916.74**	**1018.87**

अनुसूची - 18 ब्याज तथा वित्त प्रभार

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
i)	निम्नलिखित पर ब्याज -				
	(क) बॉण्ड	215.12		74.52	
	(ख) विदेशी ऋण	60.61		74.73	
	(ग) सावधि ऋण	726.51		719.87	
	(घ) नकदी ऋण सुविधाओं/डब्ल्यूसीडीएल	-	1002.24	0.02	869.14
ii)	ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	240.68		22.90	
	घटाएं : वसूली योग्य/ (भुगतान योग्य)	240.68	-	22.90	-

अनुसूची - 18 ब्याज तथा वित्त प्रभार (जारी)

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
iii)	बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय	0.45	0.08
iv)	शेयर इश्यू परवर्ती व्यय	7.50	0.29
v)	उपभोक्ताओं को छूट	39.40	41.78
vi)	प्रतिबद्धता शुल्क	0.06	0.06
vii)	ऋण पर गांरटी शुल्क	32.35	38.25
viii)	बैंक प्रभार	1.67	1.54
ix)	अन्य वित्त प्रभार	1.50	1.65
	कुल	1085.17	952.79
	घटाएं: ईडीसी को अंतरित करके पूंजीकृत किए गए ब्याज एवं वित्त प्रभार (देखें अनुसूची - 22 डी तथा 22जे (v)	671.24	494.89
	घटाएं: संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	0.37	0.82
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	413.56	457.08

अनुसूची - 19 प्रावधान

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
i)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	0.66
ii)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	0.02	0.08
iii)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	45.96	-
iv)	भंडार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	17.09	0.79
v)	प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	6.10	8.75
vi)	अचल परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान	1.83	0.04
vii)	अन्य	-	70.84
	कुल	71.00	81.16
	घटाएं - ईडीसी को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 22 एफ)	36.53	-
	घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	0.01	0.66
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	34.46	80.50

अनुसूची - 20 संविदा,परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

(करोड़ रुपये)

			31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
i)	प्रत्यक्ष व्यय		15.30		2.49
ii)	कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
	- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	60.93		42.13	
	- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान	8.07		5.51	
	- स्टाफ कल्याण व्यय	5.24	74.24	2.94	50.58
iii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण				
	- भवन	0.30		0.32	
	- मशीनरी तथा निर्माण उपकरण	2.30		0.37	
	- अन्य	0.51	3.11	0.48	1.17

अनुसूची - 20 संविदा,परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय (जारी)

(करोड़ रुपये)

			31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
iv)	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
	- किराया/किराया प्रभार	5.89		4.13	
	- यात्रा एवं वाहन	2.95		2.66	
	- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.17		0.18	
	- बीमा	0.15		0.02	
	- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	0.64		0.43	
	- विज्ञापन एवं प्रचार	0.19		0.04	
	- मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.44		0.42	
	- अन्य व्यय	6.91		7.10	
	- सुरक्षा	0.14		0.21	
	- विद्युत	0.24		0.12	
	- परामर्शी प्रभार	0.31		0.10	
	- ईआरवी	0.06	18.09	-	15.41
v)	मूल्यह्रास		0.96		0.98
vi)	ब्याज तथा वित्त प्रभार		0.37		0.81
vii)	प्रावधान		-		0.66
viii)	चालू कार्य				
	- निर्माण संविदा		-		0.73
ix)	**निगमित/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**				
	क) अन्य आय	(0.57)		(0.28)	
	ख) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	1.29		1.36	
	ग) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	12.01		9.60	
	घ) मूल्यह्रास	0.85		0.73	
	ङ) ब्याज और वित्त प्रभार	-		0.01	
	च) प्रावधान	0.01		-	
	छ) पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	0.01	13.60	0.01	11.43
	कुल व्यय		**125.67**		**84.26**
x)	घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली		2.64		3.17
	वर्ष के दौरान निवल व्यय		**123.03**		**81.09**
xi)	पूर्वावधि समायोजन		0.22		1.30
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**123.25**		**82.39**

अनुसूची - 21 पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(करोड़ रुपये)

			31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
आय					
i)	विद्युत की बिक्री	592.44		-	
ii)	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	(16.08)		-	
iii)	देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	1.45		-	
iv)	अन्य	(22.82)		1.34	
	उप जोड़		554.99		1.34
व्यय					
i)	वेतन तथा मजदूरी	0.01		-	
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.50		(0.82)	
iii)	ब्याज और वित्त प्रभार	-		7.42	
iv)	अन्य	(1.95)		1.44	
v)	मूल्यह्रास	(82.55)		(2.86)	
	उप जोड़		(83.99)		5.18
	जोड़		**(638.98)**		**3.84**

अनुसूची - 21 पूर्वावधि समायोजन (निवल) (जारी)

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
घटाएं:	ईडीसी को अंतरित व्यय - (देखें अनुसूची 22एच तथा 22 जे(6))				
	पूर्वावधि व्यय	(1.45)		(0.03)	
घटाएं:	पूर्वावधि आय	(18.62)		0.03	
	जोड़		**17.17**		**(0.06)**
घटाएं:	**संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)**		0.23		1.31
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		**(656.38)**		**2.59**

अनुसूची - 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
i)	- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	297.91		300.10	
ii)	- उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	59.73		49.53	
iii)	- स्टाफ कल्याण व्यय	39.03		24.81	
iv)	- अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0.39		0.09	
	उप जोड़		397.06		374.53
ख	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
i)	- भवन	5.48		6.26	
ii)	- मशीनरी	1.66		3.75	
iii)	- अन्य	8.92		7.28	
	उप जोड़		16.06		17.29
ग	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
i)	किराया/किराया प्रभार	15.14		15.11	
ii)	दरें और कर	2.05		1.41	
iii)	बीमा	0.31		0.33	
iv)	सुरक्षा व्यय	25.60		22.21	
v)	विद्युत प्रभार	3.93		4.52	
vi)	यात्रा एवं वाहन	4.23		4.80	
vii)	स्टाफ कार पर व्यय	3.54		3.24	
viii)	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.92		3.85	
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	0.70		1.32	
x)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार	-		0.01	
xi)	मुद्रण एवं स्टेशनरी	1.02		1.34	
xii)	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0.01		0.01	
xiii)	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार				
	-स्वदेशी	1.08		1.26	
xiv)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	21.86		5.41	
xv)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	61.58		20.41	
xvi)	बटटेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	0.01		0.01	
xvii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.02		0.08	
xviii)	अन्य सामान्य व्यय	12.00		13.34	
	उप जोड़		156.00		98.66

अनुसूची - 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (जारी)

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
घ. ब्याज तथा वित्त प्रभार				
i) निम्नलिखित पर ब्याज -				
(क) बॉण्ड	180.00		35.01	
(ख) सावधि ऋण	488.48		457.38	
ii) बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.25		0.03	
iii) अन्य वित्त प्रभार	2.45		2.23	
उप जोड़		671.18		494.65
ङ विनिमय दर अंतर (निवल)				
i) विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)	20.86		13.09	
ii) **घटाएं** - विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)	15.03		25.44	
उप जोड़		5.83		(12.35)
च. प्रावधान	36.39		-	
उप जोड़		36.39		-
छ. मूल्यह्रास	27.54		53.03	
उप जोड़		27.54		53.03
ज. पूर्व अवधि समायोजन (निवल)				
पूर्वावधि व्यय	(1.64)		(0.07)	
घटाएं - पूर्व अवधि आय	(18.62)		0.03	
उप जोड़		16.98		(0.10)
झ. घटाएं प्राप्तियां और वसूलियाँ				
i) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व		0.59		-
ii) क) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	90.72		82.28	
ख) विविध प्राप्तियां	6.46		5.20	
ग) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान	24.69		192.11	
घ) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न	1.60	123.47	1.84	281.43
उप जोड़		**124.06**		**281.43**
ञ) निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय				
i) अन्य आय	(11.34)		(6.84)	
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	27.02		29.00	
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	226.36		193.85	
iv) मूल्यह्रास	14.54		14.90	
v) ब्याज तथा वित्त प्रभार	0.06		0.24	
vi) प्रावधान	0.14		-	
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)	0.19		0.04	
उप जोड़		256.97		231.19
कुल (क से ज)- झ+ञ) (अनुसूची-6 को अंतरित)		**1459.95**		**975.47**

अनुसूची - 23 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन संबंधी परम्पराएं**

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते हैं।

2. **अचल परिसंपत्ति**

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन संपत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.3 जहाँ न तो भूमि और परिसंपत्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाओं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.6 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत अधिप्राप्त की जाने वाली/बनाई जाने वाली परिसंपत्तियो को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. **मशीनरी कलपुर्जे**

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्य ह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्य ह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जो के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जो की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जो की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. **चालू पूंजीगत कार्य**

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. **मूल्यह्रास तथा परिशोधन**

5.1 किसी परिसम्पत्ति का मूल्यह्रास उसी वर्ष से यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वह इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यहास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है :-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी-11.25 प्रतिशत

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण-30 प्रतिशत

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है और उनके नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या 35 वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है।

5.6 पट्टे पर धारित भूमि का ऋण शोधन पट्टे की अवधि अथवा 30 वर्ष, इनमें में जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यहास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यहास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यहास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यहास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जायेगा।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो के प्रति क्षति के लिए लेखे में प्रावधन किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000/- रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी की गई, किंतु वर्ष के अंत तक स्थल पर अनुप्रयुक्त रही भंडार सामग्री को इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा के प्रति वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधन नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 पावर स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली विद्युत के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

11.3 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

अनुसूची - 24 लेखों पर टिप्पणियां

1. क) निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	अथ शेष 01/04/2010 को	अंतिम शेष 31/03/2011 को
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है-		
-पूंजीगत कार्य	4452.69	5112.64
-भूमि मुआवजा मामले	82.82	71.97
-अन्य		
- विवादित आयकर मांग	0.09	10.99
- विवादित बिक्री कर मांग	2099.20	2244.45
- अन्य	288.96	149.44
कुल	**6923.76**	**7589.49**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

घ) उपरोक्त देयताओं के लिए निगम को 42,34 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 41.96 करोड़ रुपए) की प्रतिपूर्ति किए जाने की संभावना है।

2. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंध की अनुमानित राशि 6286.47 करोड़ रु. (पिछले वर्ष रुपये 8265.86 करोड़ रुपये) है।

3. कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष अर्थात् 2009-10 में इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) जारी किया। आईपीओ से राशि में से 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 1592.59 करोड़ रुपये का इस्तेमाल पूंजी खर्च की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया, जो उपभोग के लिए निर्दिष्ट परियोजनाओं के आंतरिक समायोजना से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कंपनी की वर्तमान निवेश नीति के अनुसार 2300 करोड़ रुपये निवेश किए गए, 38.71 करोड़ रुपये की पूर्ति अस्थायी तौर पर आईपीओ खर्च को पूरा करने के लिए की गयी और शेष 94.40 करोड़ रुपये कारपोरेट लिक्विडिटी टर्म डिपॉजिट (सीएलटीडी) के अंतर्गत बैंक खाते में जमा हैं।

4. (क) 2192.36 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1864.13 हेक्टेयर) क्षेत्र को कवर करने वाली कुछ परियोजनाओं/इकाइयों की भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/स्वामित्व, जिसकी राशि 60.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 56.89 करोड़ रुपये) होती है, को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। तत्संबंधी पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क आदि पर व्यय को किए जाने पर लेखांकित किया जाएगा।

(ख) भूमि के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से 99 वर्ष की अवधि हेतु 1 रुपया प्रति वर्ष के नामितिक किराए पर ली गई भूमि शामिल नहीं है।

5. (क) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने विनियमों के ज़रिये टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें अधिसूचित की हैं। दिनांक 19.01.2009 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियम एवं शर्तें 1 अप्रैल, 2009 से लागू हैं। सभी 12 पावर स्टेशनों के संदर्भ में याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और 3 पावर स्टेशनों के लिए टैरिफ पहले ही मंजूर किया जा चुका है।

उक्त विनियमों में प्रावधान है कि याचिकाएं दायर करने के प्रयोजन के लिए, इक्विटी पर लाभ (आरओई, टैरिफ का एक घटक) की गणना वित्त वर्ष 2008-09 के लिए लागू आय कर की दर का इस्तेमाल करते हुए की जायेगी और आरओई में अंतर, यदि कोई हो, जो टैरिफ अवधि 2009-14 के दौरान आय कर की दरों में परिवर्तन के कारण पैदा हो सकता है, की वापसी का दावा 2014-15 में किया जायेगा। किन्तु, राजस्व वसूली से संबंधित लेखांकन मानक-9 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उक्त विनियम में वर्णित सिद्धांत के आधार पर वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लागू आय कर की दर के अनुसार आरओई निर्धारित करते हुए टैरिफ की पुनः गणना की गई है और बिक्री अस्थायी तौर पर 3852.86 करोड़ रुपये समझी गई है, जिसमें संतुलन सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2008-09 की कर दरों की तुलना में वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लागू आय कर की दरों के अनुसार परिकलित आरओई के लिए 391.77 करोड़ रुपये शामिल हैं (पिछले वर्ष 3306.63 करोड़ रुपये)।

उपरोक्त अधिसूचना में यह प्रावधान भी है कि टैरिफ निर्धारण के लंबित रहते कंपनी को 31 मार्च, 2009 को लागू सीईआरसी द्वारा स्वीकृत टैरिफ दरों से लाभार्थियों के बिल तैयार करने होंगे। इस आधार पर अस्थायी तौर पर गणना की गई बिलिंग राशि 3261.42 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2901.49 करोड़ रुपये) है। तदनुरूप, चालू वित्त वर्ष के लिए बिल रहित बिक्री 591.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 405.14 करोड़ रुपये) है।

(ख) पूर्व अवधि समायोजन में शामिल 592.44 करोड़ रुपये की बिक्री (अनुसूची 21) उस अंतर को दर्शाती है, जो कर की सामान्य दर की बजाय एमएटी दर से आरओई परिकलित किए जाने के कारण पैदा हुआ है, जिसे 2009-10 में परिकलित करने के लिए विचार किया गया था। इसमें लाभग्राही राज्यों से संबंधित अन्य कर समायोजन भी शामिल हैं।

6. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिन्हें चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

7. 01 अप्रैल, 2010 को चालू पूंजी कार्यों में 648.78 करोड़ रुपये और वर्ष के दौरान 161.25 करोड़ रुपये के पूंजी कार्य शामिल हैं, जो 31.03.2011 को कुल 810.03 करोड़ रुपये के हो जाते हैं। इन कार्यों में निर्माण परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच व्यय तथा प्रशासन एवं अन्य सामान्य ओवर हेड व्यय शामिल हैं। इसी प्रकार वर्ष के दौरान जारी चालू पूंजी कार्य के अंतर्गत इन परियोजनाओं के लिए आवंटित कारपोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासन एवं अन्य सामान्य ओवर हेड व्यय से संबंधित 172.35 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। यह लेखांकन व्यवहार महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 4.1 और 4.3 के अनुरूप अपनाया जा रहा है क्योंकि ऐसे व्यय परियोजना की पूंजी लागत का हिस्सा होते हैं।

8. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गईं परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

ग) चूंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को इन्सेंटिव के भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए अन्य चालू परिसंपत्तियों, (अनूसूची -9) और अन्य देयताओं (अनुसूची-10) के अंतर्गत 32.97 करोड़ रुपये का दर्शाया जाना जारी है।

(घ) देनदारों में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्व डेसू) से वसूल की जाने वाली 120.81 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो वित्त वर्ष 1996-97 से पहले की अवधि से संबंधित हैं। इस राशि की वसूली का मामला विद्युत मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया गया है। किन्तु, प्रचुर सावधानी के रूप में वर्ष 2008-09 की बहियों में समूची राशि के लिए प्रावधान किया गया।

9. क) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड से निगम को हस्तांतरित की गईं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ हिसाब-किताब का मामला लंबित रहते, इन परियोजनाओं के संदर्भ में परिसंपत्तियों और देयताओं को निगम द्वारा खर्च की गई राशि की सीमा तक दर्ज किया गया है। सियांग बेसिन परियोजनाओं में से, सियांग लोअर और सियांग जल-विद्युत परियोजनाएं निजी विकासकों (डिवेलॅपर्स) को सौंपी जा चुकी हैं और सियांग लोअर और सियांग परियोजनाओं के बारे में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ हिसाब-किताब का निबटारा किए जाने से उत्पन्न देयता की वसूली सम्बद्ध निजी विकासक (डिवेलॅपर) से की जानी है। सियांग बेसिन की एक परियोजना, ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना के बारे में व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे अन्य ऐजेंसी को सौंपा गया है और इसके लिए परियोजना पर 31.03.2011 तक खर्च किए गए 37.06 करोड़ रुपये प्रचुर सावधानी के रूप में बहियों में दर्ज किए गए हैं।

ख) पकल दुल, किरु और क्वार जलविद्युत परियोजनाएं राज्य सरकार की भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनियों के रूप में निष्पादित की जानी हैं। संयुक्त उद्यम कम्पनियों का गठन लम्बित रहते एनएचपीसी द्वारा इन परियोजनाओं पर 31.03.2011 तक क्रमशः 145.71 करोड़ रुपये और 61.67 करोड़ रुपये खर्च किए गये है, जो चालू पूंजी कार्य शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।

10. अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुबानसिरी अपर और सुबानसिरी मिडॅल परियोजनाएं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के सुपुर्द करने में रुचि प्रदर्शित की है, जिसके लिए एनएचपीसी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। भारत सरकार के निर्देशानुसार, सुबानसिरी मिडॅल परियोजना मैसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड (जेपीएल) को सौंपने का निर्णय किया गया है, जिसके लिए मैसर्स जेपीएल से एनएचपीसी को 105.21 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। मैसर्स जेपीएल को परियोजना सौंपे जाने के लंबित रहते, मैसर्स जेपीएल से प्राप्त राशि एनएचपीसी द्वारा सुबानसिरी मिडॅल परियोजना के संदर्भ में चालू पूंजी कार्य और अचल परिसंपत्ति के निर्माण के लिए खर्च की गयी राशि की सीमा तक समायोजित की गयी है और शेष राशि को "अन्य देयताओं" शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची-10- "चालू देयताएं एवं प्रावधान" में दर्शाया गया है। सुबानसिरी अपर परियोजना के संदर्भ में, भारत सरकार के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है और निर्णय लंबित रहते इस परियोजना पर 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूंजी व्यय के रूप में 0.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस व्यय को प्रचुर सावधानी के रूप में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जो 20.04.2004 से 31.03.2009 की उस अवधि के लिए, जिसमें ये परियोजनाएं निलंबन के तहत थीं, इन परियोजनाओं पर पिछले वर्ष तक पहले ही किए जा चुके 19.35 करोड़ रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त है।

11. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 19.01.2009 को जारी अधिसूचना के तहत टैरिफ विनियम अधिसूचित करते समय मूल्यह्रास की दरें संशोधित की थीं और मूल्यह्रास की गणना की पद्धति भी तय की थी। उक्त अधिसूचना के अनुसार मूल्यह्रास की गणना किसी प्रचालन इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की तारीख से 12 वर्ष की अवधि के बाद समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च तक मूल्यह्रास की गणना निर्दिष्ट मूल्यह्रास दरों से की जायेगी और उसके बाद, प्रचालन इकाई का जीवन उसके वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 35 वर्ष समझते हुए, प्रचालन इकाई के शेष उपयोगी जीवन के दौरान परिसंपत्ति के शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य के परिशोधन के आधार पर की जायेगी।

किन्तु कंपनी ने सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों का अनुपालन करते हुए वित्त वर्ष 2009-10 में उन प्रचालन इकाइयों की परिसंपत्तियों के संदर्भ में भी मूल्यह्रास का प्रावधान किया, जिन्होंने 31.03.2009 को 12 वर्ष पूरे कर लिए थे, और इसी पद्धति का अनुपालन 30.09.2010 को समाप्त हुई छमाही के लिए लेखों में जारी रखा 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय की इस राय का अनुपालन करते हुए कि मूल्यह्रास के लिए प्रावधान सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों तथा पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए, कपंनी ने 01.04.2009 से अपने मूल्यह्रास प्रभार की पुनः गणना की।

तदनुरूप, वित्त वर्ष 2009-10 और 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार में क्रमशः 96.27 करोड़ रुपये (पूर्व अवधि मद के रूप में समायोजित) और 191.97 करोड़ रुपये की कमी की गई। पूर्वोक्त को देखते हुए 'मूल्यहास और परिशोधन' (महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5.2.1 से लेकर 5.2.4, 5.7, 5.9) और 'मशीनरी कलपुर्जे' (महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3.1(क)) संबंधी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पुनः निर्धारण किया गया है ताकि जहां कहीं आवश्यक हो, ''मूल्यहास की दर और पद्धति'' के तथ्य को प्रकट किया जा सके।

12. कंपनी ने वर्ष के दौरान इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी ऑफ आईसीएआई) की राय प्राप्त की और ईएसी की राय के अनुसार परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया गया ऐसा व्यय, जो कंपनी के नियंत्रण में न हो, उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाना चाहिए, जिस वर्ष वह किया गया हो। कंपनी ने आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की इस राय के विरुद्ध प्रतिवेदन दाखिल किया है कि ऐसा व्यय चूंकि पन विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अनिवार्य होता है, अतः इसके पूंजीकरण की अनुमति दी जाये। ईएसी से अन्य राय/सूचना प्राप्त होने का मामला लंबित रहते, प्रचलित लेखांकन पद्धतियों/नीतियों के अनुसार लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है।

13. जम्मू-कश्मीर वाटर रिसोर्सिज (रेग्यूलेशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2010, का अनुपालन करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य में 10.11.2010 से विद्युत स्टेशनों द्वारा पानी के इस्तेमाल पर उप-कर लगा दिया, जिसे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। एक याचिका सीईआरसी में भी दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि एक नई लेवी होने के कारण उक्त उप-कर के खर्च की अदायगी की अनुमति दी जाये। किन्तु, प्रचुर सावधानी बरतते हुए लेखा-बहियों में रु. 138.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

14. कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित हैं, इसे देखते हुए तर्कसंगत अनुमान के आधार पर 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष की बहियों में 212.26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य-निष्पादन आधारित वेतनन्योजना को बोर्ड की मंजूरी के लंबित रहते, इस योजना हेतु 99.04 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

15. क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार रहा :

(करोड़ रुपये में)

		31.03.11 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.10 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	1.51	(1.67)
(ii)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	240.68	22.90
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	5.92	(12.35)
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(1.18)	(1.12)
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	31.49	(177.75)

(ख) वर्ष के दौरान 'निर्माण के दौरान प्रसंगिक व्यय (ईडीसी) को अंतरण के द्वारा पूंजीकृत ऋण लागत की राशि 668.49 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 492.39 करोड़ रुपये) है।

16. 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारम्भ/संशोधित किया गया है :

नीति सं.	विवरण	वर्ष के लाभ पर प्रभाव
5.5	नीति को नया रूप दिया गया ताकि तथ्यों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि परिपाटी को नीति में तब्दील किया गया है।
5.10	परिसंपत्तियों के जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय के पूंजीकरण के लिए नई नीति प्रारंभ की गई।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि परिपाटी को नीति में तब्दील किया गया है।
7.2	मरम्मत न किए जा सकने वाले और अप्रचलित भंडार के लिए प्रावधान किए जाने संबंधी नीति को संशोधित किया गया।	कर पूर्व लाभ में 18.15 करोड़ रुपये की कमी आयी।
9.2	कर्मचारी लाभ घटक में परिवर्तन के कारण कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए जाने संबंधी नीति को नया रूप दिया गया।	कर पूर्व लाभ में 11.72 करोड़ रुपये की कमी आयी।
10.1(घ)	सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरें और पद्धति अपनाए जाने को देखते हुए मूल्यहास के प्रति अग्रिम संबंधी लेखांकन नीति को संशोधित किया गया।	कर पूर्व लाभ में 2.43 करोड़ रुपये की कमी आयी।
पूर्ववर्ती नीति सं. 11	इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क (आईएआर) इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त करने के परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा के ज़रिए स्व बीमा आरक्षी निधि के निर्माण संबंधी पूर्ववर्ती महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 11 को निरस्त कर दिया गया है।	कर पूर्व लाभ में 9.41 करोड़ रुपये की कमी आयी।

17. 31.03.2011 को स्व बीमा निधि के निवेश की स्थिति इस प्रकार है :-

तुलन-पत्रक की अनुसूची	निवेश/जमा राशि का विवरण	राशि (करोड़ रु. में)
अनुसूची 8 -निवेश	(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड (iii) जमा खाता-दीर्घावधि	197.65 358.33 30.95
अनुसूची 9-चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम	(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा (ii) प्रोद्भूत ब्याज (करों के बाद निवल) (iii) चालू खाता (टीडीएस सहित)	63.41 17.05 0.93
अनुसूची 10 - चालू देयताएं एवं प्रावधान	(i) आय कर के लिए प्रावधाल	(9.89)
	कुल	658.42

इस प्रकार 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के अंत में स्व बीमा निधि की कुल आय 39.31 करोड़ रुपये (करों के बाद निवल) है, जिसे लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के ज़रिए स्व बीमा निधि में क्रेडिट किया गया है।

18. लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है:

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान (ग्रेज्युइटि) योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। तत्संबंधी देयता का निर्धरण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

ग . सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना।

कंपनी की एक *सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना* है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके स्पाउज (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कपंनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।

ङ अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (अनुपूरक अनुपस्थितियों सहित) और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। सेवा के दौरान 75 प्रतिशत अर्जित अवकाश का और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश का नक़दीकरण कराया जा सकता है। कंपनी के नियमानुसार अर्ध-वेतन अवकाश का नक़दीकरण केवल सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 240 दिन के अवकाश तक कराया जा सकता है। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च सामाजिक सुरक्षा योजना

क्षतिपूरक नियुक्ति के स्थान पर एनएचपीसी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो इस शर्त के अधीन है कि पेंशन योजना लागू होने के बाद इस योजना को वापस ले लिया जायेगा। कारपोरेशन प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है। यह योजना 01.06.2007 से लागू है। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

उपरोक्त योजनों (ख, ग, घ और ङ) अनिधिक हैं और उनका निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया जाता है। योजना क और च निर्धारित अंशदान पर आधारित हैं।

31.03.2011 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है:-

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता -

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित
छूट दर	8.0%	7.5%
भविष्य की वेतनवृद्धि	5.5%	5%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान।
वर्ष के शुरू में पीवीओ	407.32	220.67	169.49	4.15	26.48
ब्याज लागत	32.59	17.65	13.55	-	-
वर्तमान सेवा लागत	20.92	14.27	6.65	0.31	10.28
अदा किया गया लाभ	(27.87)	(28.22)	(8.26)	(0.04)	(1.70)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	79.80	78.84	74.73	0.03	1.32
वर्ष के अंत में पीवीओ	512.76	303.21	256.16	4.45	36.38

तालिका-3 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान
वर्ष के शुरू में पीवीओ	512.76	303.21	256.16	4.45	36.38
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	-	-	-	-	-
वित्त-पोषण की स्थिति	(512.76)	(303.21)	(256.16)	(4.45)	(36.38)
न माने गए बीमांकित लाभ/ हानि	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	512.76	303.21	256.16	4.45	36.38

तालिका-4 लाभ एवं हानि लेखा/ईडीसी लेखे मे ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	पदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान
वर्तमान सेवा लागत	20.92	14.27	6.65	0.30	9.90
ब्याज लागत	32.59	17.65	13.55	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों से प्रत्याशित लाभ					
वर्ष के लिए मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	79.80	78.84	74.73	0.03	1.32
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी में मान्य व्यय	133.31	110.76	94.93	0.33	11.22

19 (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

20. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है -

क) संबंधित पार्टी

(i) **संयुक्त उद्यम कम्पनियां**

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

(ii) **महत्त्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक**

श्री एस. के .गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.12.2010 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति)।
श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त), 01.01.2011 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार।
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी),
श्री जे के शर्मा	(निदेशक परियोजना)
श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक)

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार

विवरण	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
निवेश	-	-

महत्त्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 2.72 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.19 करोड़ रुपये) दिया गया और 31.03.2011 को कम्पनी की ओर बकाया राशि 0.04 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.24 करोड़ रुपये) थी।

21 कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाओं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची के अंतर्गत 26.48 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 14.40 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची के अंतर्गत किराया/किराया प्रभार के रूप मे दर्शाया गया है।

22 प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2166.67	2090.50
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- आधारभूत	12300742773	11850379339
- कम की गई	12300742773	11850379339
प्रति शेयर अर्जन (रुपये)		
- आधारभूत	1.76	1.76
- कम किया गया	1.76	1.76
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

23. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी "आय पर करों हेतु लेखांकन" संबंधी लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में संचयी विलंबित कर देयता निम्नानुसार है -

(करोड़ रुपये मे)

	01.04.2010	31.03.2011
विलंबित कर देयता		
i) मूल्यह्रास	2701.58	2740.51
घटाएंः विलम्बित कर आस्तियां		
ii) समाहित न किया गया संचित मूल्यह्रास	.	.
iii) मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम जिसे कर गणना में आय माना जाना है		.
iv) संदेहास्पद ऋणों, स्व-बीमा, आकस्मिकताओं तथा अन्य प्रावधानों हेतु	72.22	121.81
v) कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	119.72	168.31
विलंबित कर देयता (निवल)	**2509.64**	**2450.39**

24. संयुक्त उद्यमों मे हित :

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्त्व हित का अनुपात	
	31.03.2011	31.03.2010
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	25%	25%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	16.67%	16.67%

उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत मे संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

		निम्नांकित तारीख को	
		31.03.2011	31.03.2010
क.	परिसंपत्तियां	3.84	1.47
ख.	देयताएं ;इक्विटी सहितद्ध	3.84	1.47
ग.	आकस्मिक देयताएं	0.01	-
घ.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	-	-
		वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
ङ.	आय	0.08	0.06
च.	व्यय	0.34	0.89

25. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2011 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

26. (क) निदेशकों को अदा किया गया/अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक (करोड़ रुपए में)

		31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i)	वेतन तथा भत्ते	1.73	0.66
(ii)	भविष्य निधि में अशंदान	0.17	0.06
(iii)	आवासीय परिसर हेतु किराया	0.21	0.13
(iv)	अन्य लाभ	0.36	0.11
(v)	स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क	0.25	0.23

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों को भी निम्नानुसार भुगतान किए जाने पर एक वित्त वर्ष में 12000 किलोमीटर तक आधिकारिक यात्राओं तथा निजी यात्राओं हेतु कंपनी के कार के उपयोग की अनुमति दी गई थी -

	नॉन ए.सी. कार	ए.सी.कार
16 एचपी तक	325 रुपए प्रति माह	520 रुपए प्रति माह
16 एचपी से अधिक	490 रुपए प्रति माह	780 रुपए प्रति माह

27. सांविधिक लेखा-परीक्षको को पारिश्रमिक (करोड़ रुपए में)

	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.32	0.22
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.10	0.06
लेखा परीक्षा व्यय	0.34	0.32
अन्य मामले	0.23	0.42
लागत लेखा परीक्षक		
- लेखा परीक्षा शुल्क	0.06	0.06
- लेखा परीक्षा व्यय	0.02	0.01

28. उत्पादित तथा बिक्री की गई ऊर्जा के संबंध में मात्रात्मक ब्योरे -

	विवरण	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i)	लाइसेंस क्षमता (मेगावॉट	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	स्थापित क्षमता (मेगावॉट)*	3749.20	3619.20
(iii)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)**	18500.30	16857.10
(iv)	वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट)***	16293.32	14841.67

* लोकतक पावर स्टेशन की दर मुक्त क्षमता केवल पिछले वर्ष के लिए है। सेवा-2 पावर स्टेशन ने वाणिज्यिक उत्पादन 24.07.2010 से प्रारंभ किया।

** अपुष्ट विद्युत शामिल है तथा सहायक उपभोग एवं ट्रांस्फोरमेशन हानि शामिल नहीं है।

*** अपुष्ट विद्युत तथा गृह राज्यों को निःशुल्क विद्युत छोड़कर।

(करोड़ रुपए में)

29.

		31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य i) पूंजीगत वस्तुएं ii) कलपुजे	99.39 1.90	155.17 3.91
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय i) ज्ञान ii) ब्याज iii) अन्य विविध मामले	11.18 59.53 119.79	11.23 73.37 104.44
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य i) आयातित ii) देशी;	1.05(26.65%) 2.89(73.355%)	0.89 (20.79%) 3.39 (79.21%)
घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन i) ब्याज ii) अन्य	- -	- -

* प्रोदभवन आधार।

** नकद आधार।

30. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं - (करोड़ रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	शून्य
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय, किन्तु अदा न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

31. (क) नकदी तथा नकदी-तुल्य में साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए बैंकों के पास रखी गई मार्जिन राशि 57.39 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 14.34 करोड़ रुपए) शामिल है जो 31.3.2011 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

(ख) नकदी तथा नकदी-तुल्य में कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखे गए 486.44 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो कपंनी के कारोबार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार अनुसूची 9 के अंतर्गत ''ऋणों एवं अग्रिमों'' के अंतर्गत इन कार्यों के संदर्भ में ठेकेदारों और आपूर्तिकताओं को दिए गए अग्रिम के रूप में दिए गए 49.40 करोड़ रुपये शामिल हैं।

32. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/ पुनःव्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

33. निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 27 मई, 2011 को लेखों को मंजूर किए जाने के बाद बोर्ड के सदस्यों ने 30.06.2011 को हुई अपनी बैठक में कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी (31 मार्च, 2011 को तुलन-पत्र के अनुसार) पर 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 60 रुपये प्रति शेयर की दर से (कंपनी (केन्द्र सरकार के) सामान्य नियम एवं प्ररूप, 1956) के नियम 23 के संदर्भ में निकटवर्ती रुपये के राउंडिंग ऑफ के अधीन) लाभांश की अनुशंसा की। तदनुरूप, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंतिम रूप से लेखा-परीक्षित लेखों को फिर से खोला गया एवं संशोधित किया गया तथा 12300.74 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी (रुपये 10/- प्रत्येक के पूर्ण चुकता 12,30,07,42,773 इक्विटी शेयरों में विभाजित) पर 6 प्रतिशत की दर से 738.04 करोड़ रुपये (राउंडिंग ऑफ के अधीन) के लाभांश और उस पर वितरण कर के लिए प्रावधान किया।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30.06.2011	**विजय गुप्ता** कम्पनी सचिव	**डी. पी. भार्गव** निदेशक (तकनीकी) डीआईएन 01277269	**ए.बी.एल श्रीवास्तव** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन 01601682

तुलनपत्र का सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या: 3 2 5 6 4

राज्य कोड: 0 5

तुलन-पत्र की तिथि: 3 1 | 0 3 | 2 0 1 1

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (पूंजी करोड़ रूपये में)

सार्वजनिक निर्गम: शून्य

राइट निर्गम: शून्य

बांड निर्गम: शून्य

निजी नियोजन: शून्य

III. निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति (करोड़ रुपये में)

कुल देयताएं: 46483.83

कुल परिसंपत्तियां: 46483.83

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी: 12300.74

आरक्षित तथा अधिशेष: 12283.15

आरक्षित ऋण: 10884.36

अनारक्षित ऋण: 3684.90

निधियों का प्रयोग

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां: 34223.33 @

निवेश: 5399.50

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां: 1098.20

विविध व्यय: शून्य

संचित हानि: शून्य

@ इसमें रुपये 15,797.03 करोड़ रुपये के पूंजीगत चालू कार्य और रुपये 1,325.42 करोड़ रुपये के निर्माण भण्डार एवं अग्रिम शामिल हैं

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (करोड़ रुपये में)

कारोबार: 4225.25 **

कुल व्यय: 2053.68

कर-पूर्व लाभ: 2878.43

कर उपरांत लाभ: 2166.67

प्रति शेयर अर्जन रुपये में: 01.76

लाभांश राशि (करोड़ रुपये में): 738.04

**इसमें 706.86 करोड रुपये की अन्य आय शामिल नहीं हैं

V. कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम

i) उत्पाद विवरण

ज	ल		वि	द्यु	त		का		उ	त्पा	द	न												

मद कोड संख्या

	–	

ii) उत्पाद विवरण

नि	र्मा	ण		अ	नु	बं	ध													

मद कोड संख्या

	–	

iii) उत्पाद विवरण

प	रा	म	र्श		से	वा	एं												

मद कोड संख्या

	–	

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस.बी.जी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआर न. 001818 एन
सुरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या 72921

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

डी.पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		2878.43		2402.08
	जोड़ें -				
	पूर्वावधि सहित मूल्यह्रास	817.89		1032.39	
	पूर्वावधि सहित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	(30.88)		107.97	
	छूट के अतिरिक्त ब्याज	374.53		416.12	
	परिसंपत्तियों की बिक्री/अंतरण पर हानि / (लाभ)	27.37		(4.06)	
	अन्य प्रावधान/समायोजन	34.83		91.74	
	लाभांश आय	(12.40)		(25.02)	
	ब्याज आय	(563.70)	647.64	(346.89)	1272.25
	कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		3526.07		3674.33
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
	माल सूची में (वृद्धि)/कमी		4.77		(9.23)
	चालू संविदा कार्य में (वृद्धि)/कमी		6.90		(8.29)
	प्राप्य में (वृद्धि)/कमी		(1122.18)		(910.30)
	व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी		1170.10		398.71
			59.59		(529.11)
	कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		3585.66		3145.22
	घटाएं - अदा किया गया कर		518.72		353.53
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**3066.94**		**2791.69**
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)		(3426.11)		(2997.53)
	आस्तियों के अंतरण/बिक्री पर लाभ/(हानियां)		(27.37)		0.19
	निवेश में कमी /(वृद्धि)		(1005.45)		(1600.45)
	ब्याज आय		563.70		346.89
	लाभांश आय		12.40		25.02
	निवेश क्रियाकलापो से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(3882.83)**		**(4225.88)**
ग	**वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां		-		1118.25
	शेयर प्रीमियम		-		2868.74
	अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर		(788.90)		(230.01)
	ऋणों से प्राप्तियां		1591.00		3458.42
	ऋणों का पुनर्भुगतान		(1162.04)		(1669.58)
	रिबेट को छोड कर ब्याज तथा वित्तीय प्रभार		(1057.41)		(914.20)
	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**(1417.35)**		**4631.62**
	नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**(2233.24)**		**3197.43**
	वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य		5097.38		1899.95
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य		2864.14		5097.38

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें 57.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 14.34 करोड़ रु.) की राशि शामिल है जिसे कारपोरेशन द्वारा साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए मार्जिन राशि के प्रति बैंकों में रखा गया है, जो 31.03.2011 को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. अचल आस्तियों और चालू निर्माण कार्य में ब्याज एवं वित्त प्रभार के अंतर्गत पूंजीकृत 671.18 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है।
3. 31.3.2011 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 3,048.44 करोड़ रुपए है।
4. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में 486.44 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो अन्य एजेंसियों की ओर से निगम द्वारा किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखे गए हैं और यह राशि निगम के कार्यव्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है।
5. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एस.बी.जी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआर न. 001818 एन
सुरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या 72921

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

डी.पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2011

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुपालन में अनुषंगी कंपनी से संबंधित विवरण

1.	कम्पनी का नाम और पता	एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल (मधय प्रदेश)	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलिक कारपोरेशन लिमिटेड
2.	अनुषंगी कंपनी के वित्तीय वर्ष का समापन	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2011
3.	एनएचपीसी और इसके नामितों द्वारा उपरोक्त तारीख को धारित अनुषंगी कंपनी की हिस्सेदारी :-		
	(क) शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य (ख) धारण की सीमा	(क) 1000/-रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 1,00,24,200 इक्विटी शेयर। (ख) जारी किए गए 1,96,25,800 शेयरों में से 1,00,24,200 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास हैं।	(क) 10/-रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 4,44,00,000 इक्विटी शेयर। (ख) जारी किए गए 6,00,00,000 शेयरों में से 4,44,00,000 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास हैं।
4.	अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंधा एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में नहीं दर्शाया गया है।		
	(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष।	(क) तुलन-पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत 258.51 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात 131.84 करोड़ रुपए। (ख) 20.02 करोड़ रुपए का लाभांश, जो 39.25 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।	(क) तुलन-पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत 2.71 करोड़ रुपए का 74 प्रतिशत अर्थात् 2.01 करोड़ रुपए। (ख) शून्य
	(ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्त वर्षो के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है।	तुलन-पत्र में अग्रेनीत लाभ के रूप में 1079.39 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात 550.49 करोड़ रुपये।	तुलन-पत्र में हानि के रूप में अग्रेनीत 1.16 करोड़ रुपए का 74 प्रतिशत अर्थात् 0.86 करोड़ रुपए।
5.	(iii) अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/ (हानि) राशि, जहां तक इसका संबंधा एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में दर्शाया गया हो :-		
	(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु।	शून्य	शून्य
	(ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षो के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है।	134.95 करोड़ रुपए का लाभांश जो 264.60 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।	शून्य
6.	अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच अनुषंगी कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन।	शून्य	शून्य
7.	वर्तमान देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए अनुषंगी कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों, निवेशों, ऋण देने और लेने के लिए अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच वास्तविक परिवर्तन	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

विजय गुप्ता कम्पनी सचिव	**डी. पी. भार्गव** निदेशक (तकनीकी) डीआईएन 01277269	**ए.बी.एल.श्रीवास्तव** अध्यक्ष एवं प्रबंधा निदेशक डीआईएन 01601682

अनुबंध-VI

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद** के वित्तीय ब्योरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय ब्यौरों पर अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार की गयी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.06.2011 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत **एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद** के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय ब्यौरों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है। इसे मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिकों की जांच तक सीमित रखा गया है। इसमें कुछ चुने हुए लेखा रिकॉर्डों की परीक्षा भी की गयी है। लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं आया जिस पर टिप्पणी की जाये या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक रिपोर्ट पेश की जाये।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षरित
(एम के विश्वास)
प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22 जुलाई, 2011

अनुलग्नक - VII

समेकित वित्तीय विवरणों पर बोर्ड को लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

समूह (एनएचपीसी लिमिटेड, उसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों)

1. हमने एनएचपीसी लिमिटेड (कपंनी), इसकी अनुषंगी कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के 31 मार्च, 2011 के अनुसार संलग्न **संशोधित** समेकित तुलन-पत्रा और उसके साथ संलग्न **संशोधित** समेकित लाभ एवं हानि लेखा, निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय के **संशोधित** समेकित विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु **संशोधित** समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधान का उत्तरदायित्व हैं और प्रबंधान द्वारा पृथक वित्तीय विवरण और घटकों के संबंधा में अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हम 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर 27.05.2011 को प्रस्तुत की गई अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे।
3. कंपनी ने ऊपर वर्णित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कवर किए गए अपने उपरोक्त वित्तीय विवरणों में संशोधन किया ताकि लाभांश के प्रावधान और उस पर लाभांश वितरण कर को बहियों में शामिल किया जा सके, जिसकी अनुशंसा एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा की गई थी। तदनुरूप, 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्रक और उसी तारीख को समाप्त हुई अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाता, जिनकी हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा की गई थी (ऊपर वर्णित हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कवर), को भी कंपनी द्वारा संशोधित किया गया है (अनुसूची 24 का नोट संख्या 36 देखें)।
4. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनों और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधान द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया कराती है।
5. हमने कंपनी की निम्नांकित अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है और उनकी लेखा-परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारे मतानुसार जहाँ तक अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंधा में शामिल की गई राशियों का संबंधा है, यह पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर है। समेकित वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने की सीमा तक परिसंपत्तियों, राजस्व और निवल नकदी प्रवाह के संबंधा में अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

(करोड़ रुपये में)

नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नक़दी प्रवाह
अनुषंगी कम्पनियां			
एनएचडीसी लिमिटेड	7393.16	1025.75	299.42
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्राइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	110.83	-	8.16
संयुक्त उद्यम			
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड	2.08	0.00	0.43
नेशनल पावर ऐक्सचेंज लिमिटेड	1.75	0.07	1.00

6. हम सूचित करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी प्रबंधान द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-21, ''समेकित वित्तीय विवरण'' और लेखांकन मानक-27, ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय सूचना'' की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है।
7. अपनी लेखापरीक्षा, हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों और एनएचपीसी समूह के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार के आधार पर हम रिपोर्ट करते है कि हमारा राय में उक्त समेकित विवरण, टिप्पणियों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां के साथ पढ़े जाने पर, भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं :

(क) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2011 को समूह की स्थिति का,

(ख) समेकित लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त अवधि हेतु समूह के लाभ का,

(ग) निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय के समेकित विवरण के मामले में, सूचना देने वाली तिथि को समाप्त अवधि तक किए गए व्यय का, और (घ) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त अवधि हेतु समूह के नकदी प्रवाह का।

(घ) समेकित नकदी प्रवाह के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समूह का नकदी प्रवाह विवरण।

कृते एस. बी. जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(सीए सुरेश कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.-072921
एफ आर न. 001818एन

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 30.06.2011

31 मार्च, 2011 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2011			31 मार्च, 2010		
निधियों के स्रोत							
क. शेयरधारकों की निधि							
i) शेयर पूंजी	1		12300.74			12300.74	
ii) आरक्षित तथा अधिशेष	2		14229.52	26530.26		12806.49	25107.23
ख. अल्पसंख्यक हित				1735.74			1589.53
ग. ऋण निधियां							
i) प्रतिभूत ऋण	3		13086.71			13436.48	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		3684.90	16771.61		2915.04	16351.52
घ मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त राशि				1507.56			1539.82
च विलंबित कर देयता (निवल)							
विलंबित कर देयताएं			3112.55			3161.00	
घटाएं - प्राप्य विलंबित कर			2835.19	277.36		2908.90	252.10
कुल				**46822.53**			**44840.20**
निधियों का उपयोग							
क. स्थिर पूंजी व्यय							
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5						
(क) सकल ब्लाक		29608.72			28011.70		
घटाएं - मूल्यह्रास		6878.04			5710.08		
(ख) निवल ब्लाक			22730.68			22301.62	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		15842.61			12839.04	
iii) निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	7		1326.98	39900.27		1222.93	36363.59
ख. निवेश	8			4319.40			3345.52
ग. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9						
i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		157.87			182.65		
ii) मालसूची		39.21			48.34		
iii) प्रगति पर संविदा कार्य		19.94			29.46		
iv) विविध देनदार		2216.60			1533.77		
v) नकदी तथा बैंक शेष		4265.31			6189.53		
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		578.74			589.73		
vii) ऋण तथा अग्रिम		1397.27	8674.94		1294.94	9868.42	
घटाएं - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10						
i) देयताएं		2414.30			2213.63		
ii) प्रावधान		3657.78	6072.08		2523.70	4737.33	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां				2602.86			5131.09
घ विविध व्यय (बटटेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)	11			-			-
कुल				**46822.53**			**44840.20**
लेखांकन नीतियां	23						
लेखे पर टिप्पणी	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एस.बी.जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर न. 001818 एन

सुरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या 72921

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

डी.पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए. बी. एल. श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2011

31 मार्च, 2010 के अनुसार समेकित लाभ एवं हानि लेखे

(करोड़ रुपए में)

		अनुसूची			31 मार्च, 2011			31 मार्च, 2010
आय								
i)	बिक्री	12		4916.66			5163.87	
	घटाएं - मूल्यहास के प्रति अग्रिम	12क		(48.33)	4964.99		115.30	5048.57
ii)	संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य आय से प्राप्त राजस्व	13			178.66			113.06
iii)	अन्य आय	14			807.09			632.92
	कुल आय				**5950.74**			**5794.55**
व्यय								
i)	उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15			585.15			291.90
ii)	कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	16			769.65			576.26
iii)	मूल्यहास	17			1166.55			1268.35
iv)	ब्याज तथा वित्त प्रभार	18			670.88			739.37
v)	प्रावधान	19			34.52			80.98
vi)	संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	20			123.24			82.39
	कुल व्यय				**3349.99**			**3039.25**
कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन					**2600.75**			**2755.30**
	पूर्वावधि समायोजन (निवल)	21			(656.48)			1.13
कर पूर्व लाभ					**3257.23**			**2754.17**
	कराधान हेतु प्रावधान							
i)	वर्तमान कर			636.64			452.83	
ii)	पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन			9.63			(105.38)	
iii)	विलंबित कर		(48.44)			209.66		
	घटाएं- प्राप्य विलंबित कर समायोजन		(196.63)	148.19	794.46	80.50	129.16	476.61
कर पश्चात लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन से पूर्व)					**2462.77**			**2277.56**
	अल्पसंख्यक हित को अंतरित लाभ/(हानि) का अंश				146.61			102.00
कर पश्चात लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन के बाद)					**2316.16**			**2175.56**
	अग्रेषित शेष				3703.76			2452.49
	जोड़ें :							
i)	बॉण्ड विमोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि				14.25			14.25
ii)	स्व बीमा आरक्षी से पश्च लिखित राशि				0.04			-
iii)	लाभांश पर कर-पश्च लेख				1.80			3.98
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष					**6036.01**			**4646.28**
i)	बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित				100.00			100.00
ii)	स्व बीमा निधि को अंतरित				43.35			50.09
iii)	लाभांश :							
	- प्रस्तावित				738.04			676.54
iv)	लाभांश पर कर							
	- प्रस्तावित				126.10			115.89
तुलन-पत्रक को ले जाया गया शेष					**5028.52**			**3703.76**
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)								
	बुनियादी				**1.88**			**1.84**
	डायल्यूटिड				**1.88**			**1.84**
निर्माण के दौरान व्यय		22						
लेखांकन नीतियां		23						
लेखाओं पर टिप्पणियां		24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.बी.जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर न. 001818 एन
सुरेश कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या 72921

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

डी.पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2011

अनुसूची 1 - शेयर पूंजी

(करोड़ रुपये)

	01.04.2010 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2011 के अनुसार अंतिम शेष
प्राधिकृतः 10/-रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर)	15,000.00			15,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्तः पूर्णतः प्रदत्त 10/- रुपए प्रत्येक के 12,300,742,773 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10/- रुपए प्रत्येक के 11,182,493,430 इक्विटी शेयर) पूर्णतः प्रदत्त (उक्त में से 10/- प्रत्येक के 62,952,960 शेयरों को भारत सरकार के साथ समझौते के अनुपालन में नकदी के अन्यथा विचार पर आवंटित किया गया है)	12,300.74			12,300.74
कुल	12,300.74	-	-	12,300.74

अनुसूची 2-आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रुपये)

	31 मार्च, 2011				31 मार्च, 2010			
	01.04.2010 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2011 के अनुसार अंतिम शेष	01.04.2009 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्धन	कटौती	31.03.2010 के अनुसार अंतिम शेष
समेकन पर पूंजीगत आरक्षित	3.54	-	-	3.54	3.54	-	-	3.54
पूंजीगत अनुदान-मध्यप्रदेश सरकार से, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर परियोजना और ओंकारेश्वर हेतु एनवीडीए।	1202.95	-	30.79	1,172.16	1,237.57	22.18	56.80	1,202.95
बॉण्ड शोधन आरक्षित	214.00	100.00	14.25	299.75	128.25	100.00	14.25	214.00
शेयर प्रीमियम	2,868.74	-	-	2,868.74	-	2,907.45	38.71 *	2,868.74
सामान्य आरक्षित	4120.06	-	-	4,120.06	4,120.06	-	-	4,120.06
लाभ एवं हानि खाते पर अधिशेष	3700.22	2316.16	991.40	5,024.98	2,448.95	2,193.79	942.52	3,700.22
स्व-बीमा आरक्षित	696.98	43.35	0.04	740.29	646.89	50.09	-	696.98
कुल	**12806.49**	**2459.51**	**1036.48**	**14229.52**	**8,585.26**	**5,273.51**	**1,052.28**	**12,806.49**

* कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 78 के प्रावधानों के अनुसार शेयर इश्यू समायोजन

अनुसूची 3-ऋण निधियां प्रतिभूत

(करोड़ रुपये)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
क. बॉण्ड्स		
बॉण्ड्स	2,399.00	2,456.00
ख. सावधि ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण	10,687.71	10,980.48
कुल (परिशिष्ट देखे)	**13,086.71**	**13,436.48**

अनुसूची 3 का परिशिष्ट
ऋण निधियां - प्रतिभूत

परिशिष्ट-क

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)		
बॉण्ड - ओ श्रृंखला *2 (10 करोड़ रुपए प्रत्येक के 7.7 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.3.09 से 31.03.18 के बीच 57 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन) (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 57 करोड़ रुपए)	399.00	456.00
बॉण्ड - पी श्रृंखला *5,7 और 10 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत 15 वर्षीय सुरक्षित विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड) (01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये का वार्षिक विमोचन) (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय- शून्य रुपए)	2000.00	2000.00
कुल बॉण्ड (ए)	**2399.00**	**2456.00**
(ख) सावधि ऋण		
केनरा बैंक * (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 17 करोड़ रुपए) (31.01.09 से 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	34.00	51.00
इंडियन ओवरसीज बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर विमोचन हेतु देय 12.50 करोड़ रु) (06.12.08 से 4 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	12.50	25.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 4 करोड़ रुपए) (09.07.07 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	24.00	28.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	65.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	40.00
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	50.00
पंजाब एण्ड सिंध बैंक *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	65.00
पंजाब नेशनल बैंक *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	67.50
स्टेट बैंक आफ पटियाला *3 (02.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	25.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *3 (03.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	25.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *3 (01.07.2010 को चुकता की गई राशि)	-	64.29
केनरा बैंक *4 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 10 करोड़ रुपए) (28.06.09 से 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	20.00	30.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 208.33 करोड़ रुपए) (15.4.09 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	2083.33	2291.67
केनरा बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रुपए) (09.11.07 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	120.00	140.00

अनुसूची 3 का परिशिष्ट (जारी)

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
सिंडिकेट बैंक *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 18.30 करोड़ रुपए) (23.02.09 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	109.80	128.10
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 20 करोड़ रुपए) (31.03.08 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	120.00	140.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (27.12.11 से 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	100.00
भारतीय जीवन बीमा निगम *6 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (30.4.12 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	1896.00	1896.00
इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (28.02.12 से 3 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	100.00	100.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	571.00	501.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 18.60 करोड़ रुपए) (15.10.08 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	139.50	158.10
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (15.10.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	70.00	70.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *2 और 3 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 25.30 करोड़ रुपए) (15.07.11 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	340.73	382.02
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 41.30 करोड़ रुपए) (15.07.09 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	437.50	487.50
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *1 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 50 करोड़ रुपए) (15.01.10 से 40 समान त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	75.00	55.00
इंडियन बैंक *4 और 9 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (29.09.14 से 5 वर्ष बाद एकमुंश्त चुकाया जाने वाला)	1000.00	600.00
यूको बैंक *8 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (31.12.12 से 12 वर्षों की 24 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	249.60	280.80
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 31.20 करोड़ रुपए) (30.09..09 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	211.35	237.77
देना बैंक *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 26.42 करोड़ रुपए) (30.09..09 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		

अनुसूची 3 का परिशिष्ट (जारी)

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
देना बैंक *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 22.50 करोड़ रुपए) (30.09..09 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	188.54	186.67
एचडीएफसी बैंक *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 37.26 करोड़ रुपए) (31.03.10 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	298.04	335.29
एचडीएफसी बैंक *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 22.39 करोड़ रुपए) (31.03..10 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	190.32	188.02
यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया *11 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 6.50 करोड़ रुपए) (30.09..09 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	52.00	58.50
इंडियन ओवरसीज बैंक *11	-	37.50
बैंक ऑफ बडौदा *11	-	11.25
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *12 (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 135.00 करोड़ रुपए) (15.01.09 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	1,012.50	1147.50
कुल प्रतिभूत ऋण (ख)	10687.71	10980.48
कुल (क + ख)	13086.71	13436.48

टिप्पणियां :-

1. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन /बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
2. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन के बहीऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन /बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-II के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित। ऋणों के संदर्भ में प्रभार/रेहन की प्रक्रिया से राष्ट्रीय रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के कंपनी रजिस्ट्रार संतुष्ट रहे है।
4. मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित.
6. अरूणाचल प्रदेश राज्य में स्थित कंपनी के सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की अचल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लोडैम-III जल विद्युत परियोजना तथा सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता-5 जल विद्युत परियोजनाओं की अचल/चल परिसंपत्तियों को समान बंधक/रेहन रखकर संरक्षित.
7. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के बही ऋण तथा भंण्डारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम प्रभार द्वारा संरक्षित।
9. हिमांचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
10. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित.
11. इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन के दीर्घावधि ऋण के बकाया भाग के संबंध में चल संपत्ति/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख और कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों को रेहन के रूप में ऋणदाता के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
12. ओकारेश्वर विद्युत स्टेशन के दीर्घावधि ऋण के बकाया भाग के संबंध में चल संपत्ति/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख और कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों को रेहन के रूप में ऋणदाता के पक्ष में प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।

अनुसूची - 4 ऋण निधियां - अप्रतिभूत

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
क. सावधि ऋण		
बैंकों/विदेशी संस्थानों से सावधि ऋण-विदेशी मुद्रा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	2,684.90	2,696.04
ख. भारत सरकार से ऋण		
सरकार से ऋण-अप्रतिभूत	1,000.00	219.00
कुल (परिशिष्ट-ख देखें)	**3,684.90**	**2,915.04**

अनुसूची - 4 का परिशिष्ट

परिशिष्ट-ख

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
(क) बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण - विदेशी मुद्रा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत				
i) **नौरडिक इंवेस्टमेंट बैंक** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	-		22.96	
ii) **क्रेडिट डेवलपमेंट डीई फ्रांस** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	-		51.83	
iii) **एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 64.96 करोड़ रुपए)	282.67		334.59	
iv) **जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-I** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 13.30 करोड़ रुपए)	199.51		190.15	
v) **जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-II** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 43.63 करोड़ रुपए)	741.78		701.77	
vi) **जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-III** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए)	660.72		590.36	
vii) **डश बैंक तथा अन्य** (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 100.03 करोड़ रुपए)	800.22	2,684.90	804.38	2,696.04
(ख) भारत सरकार से ऋण				
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (निम्मो बाज़गो जल विद्युत परियोजना चालू हो जाने के 12 वर्ष बाद से 18 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान योग्य)	270.00		204.00	
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (चूटक जल विद्युत परियोजना चालू हो जाने के 06 वर्ष बाद से 24 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान योग्य)	364.00		15.00	
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय शून्य रुपए) (किशनगंगा जल विद्युत परियोजना चालू हो जाने के 11 वर्ष बाद से 10 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान योग्य)	366.00	1,000.00	-	219.00
कुल अप्रतिभूत ऋण		**3,684.90**		**2,915.04**

अनुसूची - 5 अचल परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

	सकल ब्लाक				मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	01.04.2010	सम्वर्द्धन/ समायोजन	कमी/ समायोजन	31.03.2011	01.04.2010	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2011	31.03.2011	31.03.2010
i) भूमि-फ्रीहोल्ड	206.53	11.51	0.20	217.84	-	-	-	-	217.84	206.53
ii) भूमि-लीजहोल्ड	91.27	30.39	0.39	121.27	6.98	3.12	(0.39)	9.71	111.56	84.29
iii) भूमि-अवर्गीकृत/उपयोग का अधिकार	2,915.01	35.62	17.23	2,933.40	255.24	80.93	-	336.17	2,597.23	2,659.77
iv) भवन	2,341.40	154.00	15.82	2,479.58	539.69	82.82	(9.99)	612.52	1,867.06	1,801.71
v) सड़कें और पुल	366.10	7.67	6.59	367.18	64.71	13.29	(4.89)	73.11	294.07	301.39
vi) रेलवे साइडिंग्स	40.18	-	-	40.18	9.47	2.67	-	12.14	28.04	30.71
vii) हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	14,322.96	1,032.15	3.47	15,351.64	2,798.99	720.91	(42.53)	3,477.37	11,874.27	11,523.97
viii) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,087.79	358.81	11.84	7,434.76	1,735.80	329.08	(39.05)	2,025.83	5,408.93	5,351.99
ix) संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	108.51	0.85	0.79	108.57	41.21	4.72	(0.99)	44.94	63.63	67.30
x) संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	64.22	3.41	0.55	67.08	13.04	3.47	(0.91)	15.60	51.48	51.18
xi) संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	28.70	2.26	0.57	30.39	10.71	1.35	(0.39)	11.67	18.72	17.99
xii) निर्माण उपकरण	80.49	4.82	3.80	81.51	51.58	5.33	(2.94)	53.97	27.54	28.91
xiii) जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	31.86	1.55	0.10	33.31	3.47	1.16	(0.04)	4.59	28.72	28.39
xiv) विद्युतीय संस्थापनाएं	3.53	0.03	0.02	3.54	1.05	0.17	(0.02)	1.20	2.34	2.48
xv) वाहन	28.73	1.04	2.57	27.20	21.37	0.61	(2.01)	19.97	7.23	7.36
xvi) विमान/नौकों	1.07	-	0.28	0.79	0.78	0.03	(0.25)	0.56	0.23	0.29
xvii) फर्नीचर और फिक्सचर	43.45	4.79	1.29	46.95	18.68	2.99	(0.95)	20.72	26.23	24.77
xviii) कम्प्यूटर	60.67	6.04	5.66	61.05	46.92	5.58	(4.46)	48.04	13.01	13.75
xix) संचार उपकरण	13.40	0.85	0.42	13.83	5.18	0.75	(0.49)	5.44	8.39	8.22
xx) कार्यालय उपकरण	39.35	3.23	1.60	40.98	15.25	2.40	(1.02)	16.63	24.35	24.10
xxi) अनुसंधान और विकास	1.39	0.06	0.03	1.42	0.21	0.09	(0.01)	0.29	1.13	1.18
xxii) अगोचर आस्तियां (सॉफ्टवेयर)	29.96	7.10	0.07	36.99	21.17	12.59	0.04	33.80	3.19	8.79
xxiii) अन्य आस्तियां	43.79	2.43	0.93	45.29	17.52	2.33	(1.04)	18.81	26.48	26.27
xxiv) उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	40.59	2.91	-	43.50	12.39	4.33	0.41	17.13	26.37	28.20
xxv) गौण मूल्य की अचल आस्तियां750 और<5000रुपये	18.67	1.32	2.16	17.83	18.67	1.24	(2.08)	17.83	-	-
xxvi) अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	2.08	1.01	0.45	2.64	-	-	-	-	2.64	2.08
कुल	**28,011.70**	**1,673.85**	**76.83**	**29,608.72**	**5,710.08**	**1,281.96**	**(114.00)**	**6,878.04**	**22,730.68**	**22,301.62**
पिछले वर्ष	28,146.92	84.82	220.04	28,011.70	4,314.59	1,407.44	(11.95)	5,710.08	22,301.62	23,832.33

नोट : अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार पर निर्मित 8931.98 करोड़ रुपये (बिजली अवधि के 8675.79 करोड़ का)की अचल आस्तियों को सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

अनुसूची 6 चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए में)

		01.04.2010	सम्वर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2011
i	भवन	885.78	311.26	20.61	107.41	1,110.24
ii	सड़कें और पुल	68.38	14.51	(1.21)	7.21	74.47
iii	रेलवे साइडिंग्स $	1.67	-	(1.67)	-	-
iv	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	4,594.92	1,429.40	227.79	664.13	5,587.98
v	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,062.16	823.72	68.76	309.25	3,645.39
vi	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	7.63	0.03	(0.48)	0.02	7.16
vii	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	0.49	2.55	-	2.32	0.72
viii	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	1.28	2.81	(0.43)	1.41	2.25
ix	निर्माण उपकरण	-	0.10	-	0.10	-
x	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	1.36	2.82	(0.40)	1.23	2.55
xi	संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य आस्तियां	4.70	41.16	(9.36)	33.89	2.61
xii	अमूर्त परिसंपत्तियां	0.51	4.21	-	4.33	0.39
xiii	उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	21.51	104.95	(5.45)	1.98	119.03
xiv	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	166.20	45.86	(11.00)	-	201.06
xv	क्षतिपूरक वनरोपण पर व्यय	-	-	-	(0.01)	0.01
xvi	निर्माण वर्ष के दौरान व्यय	4,072.10	1,466.24 *	(414.88)	-	5,123.46
	कुल	**12,888.69**	**4,249.62**	**(127.72)**	**1,133.27**	**15,877.32**
	घटाएं : प्रावधानों के लिए	49.65	0.85	(15.79)	-	34.71
	कुल	**12,839.04**	**4,248.77**	**(111.93)**	**1,133.27**	**15,842.61**
	पिछले वर्ष	9408.06	3762.90	(232.83)	99.09	12839.04

$ इसमें 1.67 करोड़ रुपये शामिल हैं जो रेलवे साइडिंग न सौंपे जाने के कारण रेलवे से रिफंड के रूप में दावा किए जा रहे हैं।

* अनुसूची 22 देखें- निर्माण वर्ष के दौरान खर्च

अनुसूची 7 निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(करोड़ रूपए में)

			31.03.2011		31.03.2010
क.	**निर्माण भंडार (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित)**				
i)	भंडार तथा कलपुर्जे	63.25		40.93	
ii)	खुले औजार	0.04		0.12	
iii)	रद्दी मालसूची	-		0.06	
iv)	परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	0.65		1.52	
v)	संविदाकारों/फैब्रीकेटर्स को जारी सामग्री	103.50		77.58	
	घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.70	165.74	1.56	118.65
ख.	**पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम**				
i)	प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	61.97		109.68	
ii)	अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)				
	- बैंक गांरटी के प्रति	928.12		775.22	
	- अन्य	171.15		219.38	
iii)	अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.06		0.22	
	घटाएं - संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान	0.06	1161.24	0.22	1104.28
	कुल		**1326.98**		**1222.93**

अनुसूची 7 निर्माण भण्डार तथा अग्रिम (जारी)

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2011		31.03.2010
निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.56		3.31	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.16		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-		1.75	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.01		-	
अंतिम शेष		1.71		1.56
संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.22		2.28	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		0.07	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	0.01		0.08	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.16		2.05	
अंतिम शेष		0.05		0.22

अनुसूची 8-निवेश

(करोड़ रुपए में)

	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या चालू वर्ष/(पिछले वर्ष)	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतिं का अंकित मूल्य (रुपये में)	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
दीर्घावधि (व्यापार - जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों)				
क. उद्धृत				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में (गैर-व्यापार)-स्व बीमा निधि				
8.35 प्रतिशत एसबीबाई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150,000 (150000)	10,000	150.77	150.77
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12,380 (12380)	10,000	12.26	12.26
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35000 (-)	10,000	34.62	-
(ख) इक्विटी शेयर				
पीटीसी इंडिया लि.	12,000,000 (12000000)	10	12.00	12.00
इंडियन ओवरसीज बैंक (गैर-व्यापार)	360,800 (360800)	10	0.36	0.36
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट्स बांड्स (गैर-व्यापार)-स्व बीमा निधि				
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	467 (467)	10,00,000	45.97	45.97
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	688 (688)	10,00,000	69.63	69.62
8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	30 (30)	10,00,000	2.99	2.99
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	80 (80)	12,50,000	10.00	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	80 (80)	12,50,000	10.00	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	80 (80)	12,50,000	10.00	10.00
8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2030	150 (-)	10,00,000	15.14	-
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	51 (-)	10,00,000	5.16	-
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	40 (-)	12,50,000	5.03	-

अनुसूची 8-निवेश (जारी)

(करोड़ रुपए में)

	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या चालू वर्ष/(पिछले वर्ष)	प्रति शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतिं का अंकित मूल्य (रुपये में)	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	477 (-)	10,00,000	47.36	-
8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2035	120 (-)	10,00,000	12.09	-
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन बांड्स 2020	600 (-)	10,00,000	59.93	-
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	156 (-)	12,50,000	19.51	-
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	364 (-)	12,50,000	45.52	-
उप-जोड़ (क)			**568.34**	**323.97**
ख. अनुद्धत				
(क) बांड्स				
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त राज्य सरकार विशेष बॉण्ड				
अरुणाचल प्रदेश	4,860 (5832)	1,000	0.49	0.58
बिहार	95,350 (114420)	1,000	9.53	11.44
हरियाणा	2,825,000 (3390000)	1,000	282.50	339.00
हिमाचल प्रदेश	89,340 (107208)	1,000	8.93	10.72
जम्मू कश्मीर	3,853,480 (4624176)	1,000	385.35	462.42
झारखंड	71,550 (85860)	1,000	7.15	8.59
मेघालय	2,660 (3192)	1,000	0.27	0.32
मिजोरम	16,050 (19260)	1,000	1.61	1.93
नागालैंड	34,600 (41520)	1,000	3.46	4.15
पंजाब	1,114,050 (1336860)	1,000	111.41	133.69
राजस्थान	113,964 (170946)	1,000	11.40	17.09
सिक्किम	11,680 (14016)	1,000	1.17	1.40
त्रिपुरा	13,340 (16008)	1,000	1.33	1.60
उत्तर प्रदेश	437,150 (4721340)	1,000	43.71	472.13
उत्तराखंड	3,934,450 (524580)	1,000	393.44	52.46
पश्चिम बंगाल	33,610 (40332)	1,000	3.36	4.03
उप-जोड़ (ख)			**1,265.11**	**1,521.55**
ग. (क) सावधि जमा-अन्य बैंकों में जमा			555.00	-
(ख) सावधि जमा-आईपीओ प्राप्तियों में से इस्तेमाल न की गई राशि बैंकों में जमा			1,900.00	1,500.00
(ग) सावधि जमा-स्व बीमा निधि बैंकों में जमा			30.95	-
उप-जोड़ (ग)			**2,485.95**	**1,500.00**
कुल योग (क+ख+ग)			**4,319.40**	**3,345.52**

$ शेयर जो अभी प्राप्त किए जाने हैं

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
उद्धत निवेश		
(i) संचयी लागत	568.34	323.97
(ii) संचयी बाजार मूल्य	660.38	450.70
अनुद्धत निवेश		
संचयी लागत	3,751.06	3,021.55

अनुसूची - 9 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

			31 मार्च 2011			31 मार्च 2010
क. निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज			157.87			182.65
ख. माल सूचियां						
(प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)						
i) भंडार तथा कलपुर्जे		61.25			53.91	
ii) खुले औजार		1.46			0.97	
iii) कबाड़ माल सूची		2.53			2.64	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ		1.71			0.45	
v) निर्माण स्थल पर सामान		0.97			12.56	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान		0.29			0.98	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जों के लिए प्रावधान *1		29.00			23.17	
कुल			39.21			48.34
ग. चालू कार्य						
चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर सेद्ध)		19.94			55.50	
घटाएं - ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम/जमाराशि		-	19.94		26.04	29.46
घ. विविध देनदार (असंरक्षित)						
i) 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण						
- अच्छे माने गए	181.46			268.20		
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए	194.44			194.44		
ii) अन्य ऋण						
- अच्छे माने गए	417.54			1265.57		
iii) बिल न किए गए देनदार	1617.60	2411.04		-	1728.21	
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *2		194.44			194.44	
कुल			2216.60			1533.77
ङ. नकद एवं बैंक शेष						
(अनुसूची 24 की टिप्पणी संख्या 34 (ख) देखें)						
i) हाथ में नकदी (19.26 करोड़ रुपए के हस्तगत चैक, ड्राफ्ट, स्टाम्प्स शामिल हैं, पिछले वर्ष 0.37 करोड़ रुपए)		21.11			0.86	
ii) बैंक शेष						
• अधिसूचित बैंकों के साथ						
- चालू खाते में-स्व बीमा निधि		-			0.03	
- चालू खाते में-अन्य		167.77			366.21	
- बचत खाते में-स्व बीमा निधि		63.41			306.50	
- बचत खाते में-अन्य #		4012.44			5515.84	
• अन्य बैंकों के साथ						
- चालू खाते में						
फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक		-			0.02	
बैंक ऑफ भूटान		0.58			0.07	
कुल			4265.31			6189.53
च. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां						
i) प्रोद्भूत ब्याज						
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम		86.21			60.51	
- उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		32.97			32.97	
- बैंकों में जमाराशि-स्व बीमा निधि		1.42			0.03	
- बैंकों में जमाराशि		87.15			47.44	
ii) अन्य		254.35			163.66	
iii) की गई आस्थगित कर वसूली		-			122.94	
iv) विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावे		164.76			166.57	
घटाएं - संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान *3		48.12			4.39	
कुल			578.74			589.73

अनुसूची - 9 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम (जारी)

(करोड़ रुपए में)

			31 मार्च 2011			31 मार्च 2010
छ. ऋण तथा अग्रिम						
क) ऋण						
i) कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)						
प्रतिभूत	99.45			105.80		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	17.16			23.16		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.04			0.16		
ii) उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	139.49			164.85		
iii) अरूणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	225.00			225.00		
ख) अग्रिम						
(नकदी अथवा मूल्य हेतु वस्तु रूप में वसूली योग्य)						
i) संविदाकार तथा आपूर्तिकर्ता						
प्रतिभूत	0.49			2.93		
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)						
- बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	43.95			88.77		
- अन्य	30.25			23.03		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	0.27			0.16		
ii) कर्मचारी						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	1.06			1.91		
iii) अन्य अग्रिम						
अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	1.57			0.04		
घटाएं - संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान *4	0.31	558.42		0.32	635.49	
ग) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां		772.20			552.62	
घ) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव खाते में विलंबित परिसम्पतियों पर व्यय		0.16			-	
ड) अन्य वसूली योग्य		0.01			-	
च) जमा						
अग्रिम आय कर	1348.28			918.39		
घटाएं - चालू कराधान हेतु प्रावधान *5	1281.80	66.48		811.56	106.83	
कुल			1397.27			1294.94
कुल योग (क से छ)			**8674.94**			**9868.42**

* रुपये 494.39 करोड़ आईपीओ प्राप्तियों में से इस्तेमाल न की गई राशि शामिल है।
$ रुपये 1.21 करोड़ दावा न किए गए लाभांश (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
गैर- अधिसूचित बैंकों के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे		
बैंक ऑफ भूटान		
i) चालू खाता	1.23	0.22
फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, दुशान्बे (ताजिकिस्तान)		
i) चालू खाता	1.86	0.03
निदेशकों से देय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे		
i) अवधि के अंत में देय राशि	0.07	0.31
ii) वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम राशि	0.23	0.25

उन कंपनियों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - की राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

प्रावधानों के ब्यौरे

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
अप्रचलित भंडार तथा कलपुर्जों हेतु प्रावधान *1				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	23.16		25.99	
वर्ष के दौरान वर्धन	16.95		0.79	
वर्ष के दौरान समायोजन	0.01		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	10.17		2.32	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.95		1.30	
अंतिम शेष		29.00		23.16
संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	194.44		194.97	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		0.66	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		1.19	
अंतिम शेष		194.44		194.44
खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	4.39		6.17	
वर्ष के दौरान वर्धन	46.01		0.47	
वर्ष के दौरान समायोजन	-		(0.01)	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.48		2.15	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.80		0.09	
अंतिम शेष		48.12		4.39
संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *4				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.32		3.06	
वर्ष के दौरान वर्धन	0.02		0.01	
वर्ष के दौरान समायोजन	0.02		0.17	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.01		2.58	
अंतिम शेष		0.31		0.32
कराधान हेतु प्रावधान *5				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	811.56		638.67	
वर्ष के दौरान वर्धन	647.39		480.40	
वर्ष के दौरान समायोजन	(0.35)		(0.21)	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	173.00		174.36	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	3.80		132.94	
अंतिम शेष		1281.80		811.56

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

क. देयताएं	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
i) विविध देनदार				
(क) लघु औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)		-		-
(ख) मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)		-		-
(ग) अन्य		780.86		785.81
ii) जमा राशि/प्रतिधारण राशि		400.25		356.80
iii) ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज		215.38		227.76
iv) जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	242.19		210.19	
घटाएं - जमा कार्यों पर खर्च राशि	229.03	13.16	188.64	21.55
v) ग्राहकों/ठेकेदारों से अग्रिम/जमा	3624.66		2681.20	
घटाएं - परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में वसूली योग्य राशि	3240.49	384.17	2281.83	399.37
vi) विदेशी मुद्रा खाते में उतार-चढाव से विलंबित आय		249.54		229.65
vii) दावा न किए गए लाभांश		1.21		-
viii) अन्य देयताएं-स्वबीमा निधि		-		0.25
ix) अन्य देयताएं		369.73		192.44
कुल देयताएं (क)		2414.30		2213.63

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान (जारी)

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
ख. प्रावधान				
i) **कराधान हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	1.06		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		1.06		-
ii) **प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	676.54		200.00	
वर्ष के दौरान वर्धन	738.04		676.54	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	676.54		200.00	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		738.04		676.54
iii) **प्रस्तावित लाभांश पर कर**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	115.89		41.79	
वर्ष के दौरान वर्धन	126.10		115.89	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	114.09		37.81	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.80		3.98	
अंतिम शेष		126.10		115.89
iv) **मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	717.93		413.86	
वर्ष के दौरान वर्धन	212.26		304.38	
वर्ष के दौरान समायोजन	-		(0.23)	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	189.61		0.08	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	6.87		-	
अंतिम शेष	733.71		717.93	
घटाएं : अग्रिम अदा किया गया	160.42		190.55	
अंतिम शेष		573.29		527.38
v) **उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	46.78		46.24	
वर्ष के दौरान वर्धन	133.10		47.00	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	37.00		34.27	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	11.65		12.19	
अंतिम शेष		131.23		46.78
vi) **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	861.42		753.03	
वर्ष के दौरान वर्धन	433.33		218.66	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	137.27		110.22	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	28.91		0.05	
अंतिम शेष		1128.57		861.42
vii) **टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		0.98	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		0.98	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान (जारी)

(करोड़ रुपए में)

			31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
viii)	**कारपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु प्रावधान व्यय**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	6.05		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		6.05		-
ix)	**प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	181.54		579.92	
	वर्ष के दौरान वर्धन	102.86		9.41	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	16.18		105.85	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	5.00		301.94	
	अंतिम शेष		263.22		181.54
x)	**प्रावधान - अन्य**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	114.15		48.64	
	वर्ष के दौरान वर्धन	581.08		73.64	
	वर्ष के दौरान समायोजन	(0.56)		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.36		7.88	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2.09		0.25	
	अंतिम शेष		690.22		114.15
	कुल प्रावधान (ख)		**3657.78**		**2523.70**
	कुल (क+ख)		**6072.08**		**4737.33**

अनुसूची - 11 विविध व्यय (बट्टेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(करोड़ रुपए में)

			31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
i)	समायोजन प्रतीक्षित व्यय	37.06		37.06	
	घटाएं -बट्टे खाते में डाले जाने हेतु स्वीकृत परियोजना व्यय के लिए प्रावधान	37.06	-	37.06	-
ii)	बटटेखाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	11.03		5.31	
	घटाएं -जांच लम्बित हानियों के लिए प्रावधान	11.03	-	5.31	-
	कुल		-		-

अनुसूची - 12 बिक्री

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
i)	विद्युत की बिक्री	4378.32	4823.87
ii)	बिल न की गई बिक्री	591.44	405.69
iii)	एफईआरवी खाते में बिक्री समायोजन	(52.51)	(65.69)
	घटाए - विद्युत के उत्पादन से आय - चालू होने से पूर्व **(अनुसूची 22 1 (i) को अंतरित)**	0.59	-
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**4916.66**	**5163.87**

अनुसूची - 12 क मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
वर्ष के दौरान	0.20	145.14
घटाएं - वर्ष के दौरान पश्च लिखित	48.53	29.84
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**(48.33)**	**115.30**

अनुसूची 13 - संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से आय

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
संविदा आय	89.74	56.34
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से आय	88.92	56.72
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**178.66**	**113.06**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
क) दीर्घावधि निवेश से आय		
i) **व्यापार**		
- लाभांश - अन्य	1.44	1.44
ब्याज		
सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5%कर मुक्त बॉण्ड	123.88	145.68
ii) **गैर-व्यापार**		
लाभांश आय - अन्य	0.13	0.16
- ब्याज-स्व बीमा निधि	39.65	0.25
- इंडियन बैंक में जमा राशि पर ब्याज-(सकल) (स्रोत पर कर कटौती रुपये 7.21 करोड़, पिछले वर्ष 3.79 रुपये)	102.78	62.53
ख) अन्य आय		
i) ब्याज		
- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	13.47	15.63
- अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	25.70	23.57
- जमा खाता-स्व बीमा निधि-इंडियन बैंक (स्रोत पर कटौती किया गया कर 0.92 करोड़ रुपए, पिछले वर्ष 31490/- रुपये)	9.51	0.03
- जमा खाता-अन्य-इंडियन बैंक (सकल) (स्रोत पर कटौती किया गया कर 36.43/-करोड़ रुपए, पिछले वर्ष 16.08 रुपये)	362.61	196.65
- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	5.31	6.05
- लाभग्राही राज्यों से ब्याज	39.70	113.77
- अन्य	103.34	84.06
ii) विलंब भुगतान अधिभार	3.63	6.37
iii) परियोजना के अंतरण पर लाभ	26.63	-
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.54	4.68
v) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है#	80.91	229.86
vi) विनिमय दर अंतर	15.40	27.36
vii) अन्य	35.30	32.51
कुल	990.93	950.60
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22 ई (ii), 22 आई (ii) तथा 22 जे (i)	150.36	314.23
घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित आय (देखें अनुसूची - 20)	3.21	3.45
घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय (अनुसूची 10)	30.27	-
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	**807.09**	**632.92**
# प्रावधान/देयताओं का ब्यौरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है।		
क) खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	1.19
ख) खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	0.17	4.63
ग) खराब तथा संदिग्ध दावे	1.80	0.09
घ) भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	0.10	1.13
ङ) भण्डार तथा कलपुर्जो में कमी	0.86	0.17
च) गारंटी शुल्क के लिए प्रावधान	-	0.43
छ) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	6.87	-
ज) प्रतिबद्ध पूंजी खर्च हेतु प्रावधान	5.00	187.44
झ) लंबित जांच हानियों के लिए प्रावधान	0.02	-
ञ) उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	11.65	12.19
ट) अन्य प्रावधान / देयताएं जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	54.44	22.59
कुल	80.91	229.86

अनुसूची - 15 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

			31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
i)	भंडार एवं कलपुर्जों की खपत		6.50		6.82
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण				
	- भवन	32.17		31.94	
	- मशीनरी	44.51		37.23	
	- अन्य	41.07	117.75	32.99	102.16
iii)	किराया/भाड़ा खर्च		36.58		36.46
iv)	दरें और कर		145.89		2.99
v)	बीमा		37.90		19.53
vi)	स्वः बीमा आरक्षित से खर्च अदायगी		0.04		-
vii)	सुरक्षा व्यय		102.80		91.96
viii)	विद्युत प्रभार		37.61		33.24
ix)	यात्रा एवं वाहन		19.03		20.32
x)	स्टाफ कार पर व्यय		8.87		7.99
xi)	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		9.49		11.07
xii)	विज्ञापन एवं प्रचार		7.80		7.05
xiii)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		0.62		0.64
xiv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		6.01		5.57
xv)	पुस्तकें व पत्रिकाएं		0.51		0.61
xvi)	परामर्शी प्रभार -स्वदेशी		6.55		5.63
xvii)	परामर्शी प्रभार -विदेशी		0.07		0.01
xviii)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च		22.05		5.41
xix)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		62.79		27.48
xx)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय		-		1.00
xxi)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.83		0.70
xxii)	बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय		-		1.23
xxiii)	बट्टे खाते डाले गए सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय		0.29		-
xxiv)	बट्टे खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे		0.02		2.21
xxv)	बट्टे खाते डाले गए भंडार		0.06		1.30
xxvi)	बट्टे खाते डाली गयी अचल परिसम्पत्तियां		0.39		0.12
xxvii)	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज		80.59		6.90
xxviii)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		10.45		1.72
xxix)	अन्य सामान्य खर्च		82.54		52.72
xxx)	विनिमय दर अंतर		22.73		13.35
xxxi)	लेखा परीक्षा खर्च		1.15		1.17
xxxii)	निदेशक खर्च		0.20		0.21
xxxiii)	अनुसंधान एवं विकास व्यय		-		0.55
	कुल		**828.11**		**468.12**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22ख, 22ग, 22ई(i), 22 आई(i) तथा 22 जे (ii)		220.35		158.09
	घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)		22.48		17.94
	घटाएं : डिपोजिट कार्यों में हस्तांतरित खर्च (अनुसूची 10)		0.13		0.19
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		**585.15**		**291.90**

अनुसूची - 16 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते।	1110.83	967.43
ii)	उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	229.72	153.06
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय	146.18	86.12
iv)	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	0.39	0.18
	कुल	**1487.12**	**1206.79**
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 22ए तथा 22जे (3))	629.77	569.30
	घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 20)	86.25	60.18
	घटाएं : डिपोजिट कार्यों में हस्तांतरित खर्च (अनुसूची 10)	1.45	1.05
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**769.65**	**576.26**

अनुसूची - 17 मूल्यहास

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
वर्ष के दौरान मूल्यहास	1281.96	1407.44
एफईआरवी खाते में मूल्यहास समायोजन	(15.66)	(14.38)
घटाएं : ईडीसी को अंतरित (देखें अनुसूची - 22 जी तथा 22जे (4))	42.13	68.01
घटाएं : संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	1.81	1.71
घटाएं : डिपोजिट कार्यों में हस्तांतरित खर्च (अनुसूची 10)	0.02	-
घटाएं : पूंजी अनुदान से अंतरित	55.81	54.99
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	**1166.55**	**1268.35**

अनुसूची - 18 ब्याज तथा वित्त प्रभार

(करोड़ रुपए में)

			31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
i)	निम्नलिखित पर ब्याज :				
	(क) बॉण्ड	215.12		74.52	
	(ख) विदेशी ऋण	60.61		74.73	
	(ग) सावधि ऋण	975.74		993.94	
	(घ) नकदी ऋण सुविधा/डब्ल्यूसीडीएल	-	1251.47	0.02	1143.21
ii)	ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	240.68		22.90	
	घटाएं : वसूली योग्य/ (भुगतान योग्य)	240.68	-	22.90	-
iii)	बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय		0.45		0.08
iv)	बटटेखाते में डाले गए शेयर इश्यू व्यय		7.50		0.29
v)	उपभोक्ताओं को छूट		47.38		49.67
vi)	प्रतिबद्धता शुल्क		0.06		0.06
vii)	ऋण पर गांरटी शुल्क		32.35		38.25
viii)	बैंक प्रभार		1.69		1.57
ix)	अन्य वित्त प्रभार		1.59		1.95
	कुल		**1342.49**		**1235.08**
	घटाएं - ईडीसी को अंतरित करके पूंजीकृत किए गए ब्याज एवं वित्त प्रभार (देखें अनुसूची - 22 डी तथा 22जे (6))		671.24		494.89
	घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)		0.37		0.82
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		**670.88**		**739.37**

अनुसूची - 19 प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
i)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	0.66
ii)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	0.02	0.08
iii)	प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	46.01	0.47
iv)	भंडार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	17.11	0.79
v)	प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	6.10	8.75
vi)	बट्टे में डाली गई अचल परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान	1.83	0.05
vii)	अन्य	-	70.84
	कुल	71.07	81.64
	घटाएं - ईडीसी को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 22 एफ तथा 22जे (6))	36.54	-
	घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	0.01	0.66
	लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	34.52	80.98

अनुसूची - 20 संविदा,परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
i)	**प्रत्यक्ष व्यय**		15.30		2.49
ii)	**कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**				
	- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	60.93		42.13	
	- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान	8.07		5.51	
	- स्टाफ कल्याण व्यय	5.24	74.24	2.94	50.58
iii)	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
	- भवन	0.30		0.32	
	- मशीनरी तथा निर्माण उपकरण	2.30		0.37	
	- अन्य	0.50	3.10	0.48	1.17
iv)	**प्रशासन तथा अन्य व्यय**				
	- किराया/किराया प्रभार	5.89		4.13	
	- यात्रा एवं वाहन	2.95		2.66	
	- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.17		0.18	
	- बीमा	0.15		0.02	
	- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	0.64		0.43	
	- विज्ञापन एवं प्रचार	0.19		0.04	
	- मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.44		0.42	
	- अन्य व्यय	6.91		7.10	
	सुरक्षा	0.14		0.21	
	- विद्युत	0.24		0.12	
	- परामर्शी प्रभार	0.31		0.10	
	- ईआरवी	0.06	18.09	-	15.41
v)	मूल्यहास		0.96		0.98
vi)	ब्याज तथा वित्त प्रभार		0.37		0.81
vii)	प्रावधान		-		0.66
viii)	कार्य प्रगति पर				
	- निर्माण संविदा		-		0.73
ix)	**निगमित/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय**				
	क) अन्य आय	(0.57)		(0.28)	
	ख) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	1.29		1.36	
	ग) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	12.01		9.60	
	घ) मूल्यहास	0.85		0.73	
	ङ) ब्याज और वित्त प्रभार	-		0.01	
	च) प्रावधान	0.01		-	
	छ) पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	0.01	13.60	0.01	11.43
	कुल व्यय		125.66		84.26
x)	घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली		2.64		3.17
	वर्ष के दौरान निवल व्यय		123.02		81.09
xi)	पूर्वावधि समायोजन		0.22		1.30
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		123.24		82.39

अनुसूची - 21 पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
आय					
i) विद्युत की बिक्री		592.44		-	
ii) मूल्यहास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित		(16.08)		-	
iii) देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार		1.46		-	
iv) अन्य		(22.30)		1.39	
	उप जोड़		555.52		1.39
व्यय					
i) वेतन तथा मजदूरी		0.02		0.01	
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण		0.50		(0.82)	
iii) ब्याज		-		7.42	
iv) अन्य		(1.96)		1.46	
v) मूल्यहास		(82.13)		(4.30)	
	उप जोड़		(83.57)		3.77
	जोड़		**(639.09)**		**2.38**
घटाएं - ईडीसी को अंतरित व्यय - (देखें अनुसूची 22एच तथा 22 जे(7))		(1.46)		(0.03)	
पूर्वावधि व्यय		(18.62)		0.03	
घटाएं - पूर्वावधि आय	जोड़		17.16		(0.06)
घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)			0.23		1.31
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल			**(656.48)**		**1.13**

अनुसूची - 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ					
i) कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		301.82		300.81	
ii) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		61.34		49.68	
iii) उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)		39.85		24.87	
iv) अवकाश वेतन और पेंशन योगदान		0.40		0.09	
	उप जोड़		403.41		375.45
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण					
i) भवन		5.54		6.30	
ii) मशीनरी		1.66		3.75	
iii) अन्य		8.96		7.29	
	उप जोड़		16.16		17.34
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय					
i) किराया/किराया प्रभार		15.19		15.11	
ii) दरें और कर		2.06		1.41	
ii) बीमा		0.32		0.33	
iv) सुरक्षा व्यय		25.60		22.21	
v) विद्युत प्रभार		3.94		4.52	
vi) यात्रा एवं वाहन		4.31		4.80	
vii) स्टाफ कार पर व्यय		3.56		3.24	
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक		2.92		3.85	
ix) विज्ञापन एवं प्रचार		0.70		1.32	
x) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार		0.01		0.01	

अनुसूची - 22 - वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (जारी)

(करोड़ रुपए में)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी		1.03		1.35	
xii) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		0.01		0.01	
xiii) डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार					
- स्वदेशी		1.08		1.26	
xiv) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च		21.86		5.41	
xv) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		61.58		20.41	
xvi) बटटेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि		0.01		0.01	
xvii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.02		0.08	
xviii) अन्य सामान्य व्यय		12.10		13.34	
	उप जोड़		156.30		98.67
घ. ब्याज तथा वित्त प्रभार					
i) निम्नलिखित पर ब्याज :					
क) बॉण्ड		180.00		35.01	
b) विदेशी ऋण		488.48		457.38	
ii) बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय		0.25		0.03	
iii) अन्य वित्त प्रभार		2.45		2.23	
	उप जोड़		671.18		494.65
ङ. विनिमय दर अंतर (निवल)					
i) विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)		20.86		13.09	
ii) **घटाएं - विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)**		15.03		25.44	
	उप जोड़		5.83		(12.35)
च. प्रावधान		36.40		-	
	उप जोड़		36.40		-
छ. मूल्यह्रास		27.59		53.11	
	उप जोड़		27.59		53.11
ज. पूर्व अवधि समायोजन (निवल)					
पूर्वावधि व्यय		(1.65)		(0.07)	
घटाएं - पूर्व अवधि आय		(18.62)		0.03	
	उप जोड़		16.97		(0.10)
झ. घटाएं प्राप्तियां और वसूलियाँ					
i) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व			0.59		-
ii) क) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		90.76		82.79	
ख) विविध प्राप्तियां		6.52		5.20	
ग) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान		25.11		192.12	
घ) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न		1.60	123.99	1.84	281.95
	उप जोड़		124.58		281.95
ञ. निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय					
i) अन्य आय		(11.34)		(6.84)	
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय		27.03		29.00	
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ		226.36		193.85	
iv) मूल्यह्रास		14.54		14.90	
v) ब्याज तथा वित्त प्रभार		0.06		0.24	
vi) प्रावधान		0.14		-	
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)		0.19		0.04	
	उप जोड़		256.98		231.19
कुल (क से ज)- झ + ञ) (अनुसूची-6 को अंतरित)			**1466.24**		**976.01**

अनुसूची - 23 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां -समेकित

1. **लेखांकन संबंधी परम्पराओं**

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्‌भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते हैं।

2. **अचल परिसंपत्ति**

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन संपत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.3 जहाँ न तो भूमि और परिसंपत्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधा जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.6 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत अधिप्राप्त की जाने वाली/बनाई जाने वाली परिसंपत्तियो को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. **मशीनरी कलपुर्जे**

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्य ह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्य ह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जो के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जो की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को ''भंडार एवं कलपुर्जे'' माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. **चालू पूंजीगत कार्य**

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को ''निर्माण के दौरान व्यय'' (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. **मूल्यह्रास तथा परिशोधन**

5.1 किसी परिसम्पत्ति का मूल्यह्रास उसी वर्ष से यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वह इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यह्रास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है :-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी-11.25 प्रतिशत

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण-30 प्रतिशत

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या 35 वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है।

5.6 पट्टे पर धारित भूमि का ऋण शोधन पट्टे की अवधि अथवा 30 वर्ष, इनमें में जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जायेगा।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो के प्रति क्षति के लिए लेखे में प्रावधन किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000/- रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी की गई, किंतु वर्ष के अंत तक स्थल पर अनुप्रयुक्त रही भंडार सामग्री को इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. **कर्मचारी लाभ**

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. **राजस्व**

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा के प्रति वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. **विविध**

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधन नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 पावर स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली विद्युत के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

11.3 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. **ऋण लागत**

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. **आय पर कर**

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

14. **सहायता अनुदान**

''**सिंचाई** और आर एंड आर कंपोनेन्ट'' के लिए मध्यप्रदेश सरकार से और ''सरदार सरोवर कंपोनेन्ट'' के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त अंशदान की राशि, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से संबद्ध न होने के कारण, प्रारंभ में सहायता-अनुदान-आरक्षी के रूप में समझी गई और बाद में उसे उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जैसा कि ऐसे अंशदान से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास बट्टे खाते डाला जाता है।

अनुसूची - 24 : लेखे पर समेकित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण और संयुक्त उद्यमों में इसका हित शामिल हैं।

2. (क) लेखांकन के आधार :

   i) समेकन में अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण को कंपनी की रिपोर्टिंग की तिथि तक ही लिया गया है।

   ii) समेकित वित्तीय विवरण को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-21-समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

   iii) समेकित वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यमों में हित की रिपोर्टिंग भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-27- 'संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार की गई है।

   (ख) समेकन का सिद्धान्त :

   i) कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण को लाइन-दर-लाइन आधार पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्ययों के बही मूल्य को जोड़कर, अंतर समूह शेषों, अंतर समूह कारोबार और वसूले न गए लाभ तथा हानि को हटाकर मिश्रित करके तैयार किया गया है।

   ii) समेकित वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यमों में कंपनी का हित शामिल है, जिसे लेखांकन और रिपोर्टिंग की आनुपातिक समेकन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए हिसाब में लिया गया है, जिसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित किसी निकाय की प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय एवं व्यय में कंपनी के हिस्से को पृथक लाइन आइटम समझा जाता है।

   iii) समेकित वित्तीय विवरण को समान कारोबार और समान परिस्थितियों में होने वाली अन्य घटनाओं हेतु समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किया गया है।

3. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल की गई अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम इस प्रकार हैं-

कपंनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात
अनुषंगी कंपनियां		
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	74%
संयुक्त उद्यम कंपनियां		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड	भारत	25%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	भारत	16.67%

4. (क) निम्नलिखित के अनुसार आकस्मिक देयताएं -

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01/04/2010 को प्रारंभिक शेष	31/03/2011 को अंतिम शेष
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है-		
-पूंजीगत काय		
-भूमि मुआवजा मामले	4656.36	5378.53
-अन्य	1954.67	1538.58
-विवादित आयकर मांग	0.09	11.05
-विवादित बिक्री कर मांग	2099.20	2244.45
-अन्य	291.24	149.47
कुल	**9001.56**	**9322.08**

(ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

(ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति 42.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 41.96 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति की संभावना है।

5. पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि 6395.58 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 8404.74 करोड़ रुपये) है।

6. कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष अर्थात् 2009-10 में इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) जारी किया। आईपीओ से राशि में से 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 1592.59 करोड़ रुपये का इस्तेमाल पूंजी खर्च की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया, जो उपभोग के लिए निर्दिष्ट परियोजनाओं के आंतरिक प्रोद्भवन से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कंपनी की वर्तमान निवेश नीति के अनुसार 2300 करोड़ रुपये निवेश किए गए, 38.71 करोड़ रुपये की पूर्ति अस्थायी तौर पर आईपीओ खर्च को पूरा करने के लिए की गयी और शेष 94.40 करोड़ रुपये कारपोरेट लिक्विडिटी टर्म डिपॉजिट (सीएलटीडी) के अंतर्गत बैंक खाते में जमा हैं।

7. (क) 2192.36 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1864.13 हेक्टेयर) क्षेत्र को कवर करने वाली कुछ परियोजनाओं/इकाइयों की भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/स्वामित्व, जिसकी राशि 60.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 56.89 करोड़ रुपये) होती है, को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। तत्संबंधी पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क आदि पर व्यय को किए जाने पर लेखांकित किया जाएगा।

(ख) भूमि के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से 99 वर्ष की अवधि हेतु 1 रुपया प्रति वर्ष के नामितिक किराए पर ली गई भूमि शामिल नहीं है।

8. क) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने विनियमों के ज़रिये टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें अधिसूचित की हैं। दिनांक 19.01.2009 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियम एवं शर्तें 1 अप्रैल, 2009 से लागू हैं। सभी 12 पावर स्टेशनों के संदर्भ में याचिकों दायर की जा चुकी हैं और 3 पावर स्टेशनों के लिए टैरिफ पहले ही मंजूर किया जा चुका है।

उक्त विनियमों में प्रावधान है कि याचिकों दायर करने के प्रयोजन के लिए, इक्विटी पर लाभ (आरओई, टैरिफ का एक घटक) की गणना वित्त वर्ष 2008-09 के लिए लागू आय कर की दर का इस्तेमाल करते हुए की जायेगी और आरओई में अंतर, यदि कोई हो, जो टैरिफ अवधि 2009-14 के दौरान आय कर की दरों में परिवर्तन के कारण पैदा हो सकता है, की वापसी का दावा 2014-15 में किया जायेगा। किन्तु, राजस्व वसूली से संबंधित लेखांकन मानक-9 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उक्त विनियम में वर्णित सिद्धांत के आधार पर वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लागू आय कर की दर के अनुसार आरओई निर्धारित करते हुए टैरिफ की पुनः गणना की गई है और बिक्री अस्थायी तौर पर 3852.86 करोड़ रुपये समझी गई है, जिसमें संतुलन सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2008-09 की कर दरों की तुलना में वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लागू आय कर की दरों के अनुसार परिकलित आरओई के लिए 391.77 करोड़ रुपये शामिल हैं (पिछले वर्ष 3306.63 करोड़ रुपये)।

उपरोक्त अधिसूचना में यह प्रावधान भी है कि टैरिफ निर्धारण के लंबित रहते कपंनी को 31 मार्च, 2009 को लागू सीईआरसी द्वारा स्वीकृत टैरिफ दरों से लाभार्थियों के बिल तैयार करने होंगे। इस आधार पर अस्थायी तौर पर गणना की गई बिलिंग राशि 3261.42 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2901.49 करोड़ रुपये) है। तदनुरूप, चालू वित्त वर्ष के लिए बिल रहित बिक्री 591.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 405.14 करोड़ रुपये) है।

(ख) पूर्व अवधि समायोजन में शामिल 592.44 करोड़ रुपये की बिक्री (अनुसूची 21) उस अंतर को दर्शाती है, जो कर की सामान्य दर की बजाय एमएटी दर से आरओई परिकलित किए जाने के कारण पैदा हुआ है, जिसे 2009-10 में परिकलित करने के लिए विचार किया गया था। इसमें लाभग्राही राज्यों से संबंधित अन्य कर समायोजन भी शामिल हैं।

(ग) एनएचडीसी के मामले में, 2009-14 की अवधि के लिए इंदिरा सागर पावर स्टेशन के संदर्भ में टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी में याचिका दायर कर दी गई है जबकि ओमकारेश्वर पावर स्टेशन के संदर्भ में ऐसी याचिका अभी दायर की जानी है। टैरिफ याचिकों सीईआरसी की विवेकपूर्ण जांच के अधीन रहने को देखते हुए इन दोनों पावर स्टेशनों के संदर्भ में बिक्री संतुलन सिद्धांत अपनाते हुए अस्थायी आधार पर हिसाब में ली गई है। किन्तु, वर्ष के दौरान बिलिंग सीईआरसी द्वारा अनुमोदित और 31 मार्च, 2009 को लागू (ओएसपीएस के मामले में अस्थायी) दरों से की गई है। वास्तव में वर्ष के दौरान बिक्री में बिल की गई राशि और 2009-14 की अवधि के लिए लागू नए टैरिफ मानदंड के आधार पर परिकलित राशि के अंतर के रूप में 26.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 60.31 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है।

9. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिन्हें चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।

10. 01 अप्रैल, 2010 को चालू पूंजी कार्यों में 648.78 करोड़ रुपये और वर्ष के दौरान 161.25 करोड़ रुपये के पूंजी कार्य शामिल हैं, जो 31.03.2011 को कुल 810.03 करोड़ रुपये के हो जाते हैं। इन कार्यों में निर्माण परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच व्यय तथा प्रशासन एवं अन्य सामान्य ओवर हेड व्यय शामिल हैं। इसी प्रकार वर्ष के दौरान जारी चालू पूंजी कार्य के अंतर्गत इन परियोजनाओं के लिए आवंटित कारपोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासन एवं अन्य सामान्य ओवर हेड व्यय से संबंधित 172.35 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। यह लेखांकन व्यवहार महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 4.1 और 4.3 के अनुरूप अपनाया जा रहा है क्योंकि ऐसे व्यय परियोजना की पूंजी लागत का हिस्सा होते हैं।

11. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गईं या सौंपने का निर्णय की गईं परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

(ग) चूंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को इन्सेंटिव के भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए अन्य चालू परिसंपत्तियों, (अनूसूची -9) और अन्य देयताओं (अनुसूची-10) के अंतर्गत 32.97 करोड़ रुपये का दर्शाया जाना जारी है।

(घ) देनदारों में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्व डेसू) से वसूल की जाने वाली 120.81 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो वित्त वर्ष 1996-97 से पहले की अवधि से संबंधित हैं। इस राशि की वसूली का मामला विद्युत मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया गया है। किन्तु, प्रचुर सावधानी के रूप में वर्ष 2008-09 की बहियों में समूची राशि के लिए प्रावधान किया गया।

12. (क) सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड से निगम को हस्तांतरित की गईं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ हिसाब-किताब का मामला लंबित रहते, इन परियोजनाओं के संदर्भ में परिसंपत्तियों और देयताओं को निगम द्वारा खर्च की गई राशि की सीमा तक दर्ज किया गया है। सियांग बेसिन परियोजनाओं में से, सियांग लोअर और सियांग जल-विद्युत परियोजनाएं निजी विकासकों (डिवेलॅपर्स) को सौंपी जा चुकी हैं और सियांग लोअर और सियांग परियोजनाओं के बारे में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ हिसाब-किताब का निबटारा किए जाने से उत्पन्न देयता की वसूली सम्बद्ध निजी विकासक (डिवेलॅपर) से की जानी है। सियांग बेसिन की एक परियोजना, ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना के बारे में व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे अन्य ऐजेंसी को सौंपा गया है और इसके लिए परियोजना पर 31.03.2011 तक खर्च किए गए 37.06 करोड़ रुपये प्रचुर सावधानी के रूप में बहियों में दर्ज किए गए हैं।

ख) पकल दुल, किरु और क्वार जल वि परियोजनाएं राज्य सरकार की भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनियों के रूप में निष्पादित की जानी हैं। संयुक्त उद्यम कम्पनियों का गठन लम्बित रहते एनएचपीसी द्वारा इन परियोजनाओं पर 31.03.2011 तक क्रमशः 145.71 करोड़ रुपये और 61.67 करोड़ रुपये खर्च किए गये है, जो चालू पूंजी कार्य शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।

13. अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुबानसिरी अपर और सुबानसिरी मिडॅल परियोजनाएं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के सुपुर्द करने में रुचि प्रदर्शित की है, जिसके लिए एनएचपीसी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। भारत सरकार के निर्देशानुसार, सुबानसिरी मिडॅल परियोजना मैसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड (जेपीएल) को सौंपने का निर्णय किया गया है, जिसके लिए मैसर्स जेपीएल से एनएचपीसी को 105.21 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। मैसर्स जेपीएल को परियोजना सौंपे जाने के लंबित रहते, मैसर्स जेपीएल से प्राप्त राशि एनएचपीसी द्वारा सुबानसिरी मिडॅल परियोजना के संदर्भ में चालू पूंजी कार्य और अचल परिसंपत्ति के निर्माण के लिए खर्च की गयी राशि की सीमा तक समायोजित की गयी है और शेष राशि को ''अन्य देयताओं'' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची-10- ''चालू देयताएं एवं प्रावधान'' में दर्शाया गया है। सुबानसिरी अपर परियोजना के संदर्भ में, भारत सरकार के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है और निर्णय लंबित रहते इस परियोजना पर 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूंजी व्यय के रूप में 0.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस व्यय को प्रचुर सावधानी के रूप में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जो 20.04.2004 से 31.03.2009 की उस अवधि के लिए, जिसमें ये परियोजनाएं निलंबन के तहत थीं, इन परियोजनाओं पर पिछले वर्ष तक पहले ही किए जा चुके 19.35 करोड़ रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त है।

14. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 19.01.2009 को जारी अधिसूचना के तहत टैरिफ विनियम अधिसूचित करते समय मूल्यह्रास की दरें संशोधित की थीं और मूल्यह्रास की गणना की पद्धति भी तय की थी। उक्त अधिसूचना के अनुसार मूल्यह्रास की गणना किसी प्रचालन इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की तारीख से 12 वर्ष की अवधि के बाद समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च तक मूल्यह्रास की गणना निर्दिष्ट मूल्यह्रास दरों से की जायेगी और उसके बाद, प्रचालन इकाई का जीवन उसके वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 35 वर्ष समझते हुए, प्रचालन इकाई के शेष उपयोगी जीवन के दौरान परिसंपत्ति के शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य के परिशोधन के आधार पर की जायेगी।

किन्तु कंपनी ने सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों का अनुपालन करते हुए वित्त वर्ष 2009-10 में उन प्रचालन इकाइयों की परिसंपत्तियों के संदर्भ में भी मूल्यह्रास का प्रावधान किया, जिन्होंने 31.03.2009 को 12 वर्ष पूरे कर लिए थे, और इसी पद्धति का अनुपालन 30.09.2010 को समाप्त हुई छमाही के लिए लेखों में जारी रखा। 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय की इस राय का अनुपालन करते हुए कि मूल्यह्रास के लिए प्रावधान सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों तथा पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए, कपंनी ने 01.04.2009 से अपने मूल्यह्रास प्रभार की पुनः गणना की।

तदनुरूप, वित्त वर्ष 2009-10 और 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार में क्रमशः 96.27 करोड़ रुपये (पूर्व अवधि मद के रूप में समायोजित) और 191.97 करोड़ रुपये की कमी की गई। पूर्वोक्त को देखते हुए 'मूल्यह्रास और परिशोधन' (महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5.2.1 से लेकर 5.2.4, 5.7, 5.9) और 'मशीनरी कलपुर्जे' (महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3.1(क)) संबंधी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पुनः निर्धारण किया गया है ताकि जहां कहीं आवश्यक हो, ''मूल्यह्रास की दर और पद्धति'' के तथ्य को प्रकट किया जा सके।

15. कंपनी ने वर्ष के दौरान इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी ऑफ आईसीएआई) की राय प्राप्त की और ईएसी की राय के अनुसार परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया गया ऐसा व्यय, जो कंपनी के नियंत्रण में न हो, उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाना चाहिए, जिस वर्ष वह किया गया हो। कंपनी ने आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की इस राय के विरुद्ध प्रतिवेदन दाखिल किया है कि ऐसा व्यय चूंकि पन विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अनिवार्य होता है, अतः इसके पूंजीकरण की अनुमति दी जाये। ईएसी से अन्य राय/सूचना प्राप्त होने का मामला लंबित रहते, प्रचलित लेखांकन पद्धतियों/नीतियों के अनुसार लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है।

16. जम्मू-कश्मीर वाटर रिसोर्सिज (रेग्यूलेशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2010, का अनुपालन करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य में 10.11.2010 से विद्युत स्टेशनों द्वारा पानी के इस्तेमाल पर उप-कर लगा दिया, जिसे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। एक याचिका सीईआरसी में भी दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि एक नई लेवी होने के कारण उक्त उप-कर के खर्च की अदायगी की अनुमति दी जाये। किन्तु, प्रचुर सावधानी बरतते हुए लेखा-बहियों में रु. 138.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

17. कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित हैं, इसे देखते हुए तर्कसंगत अनुमान के आधार पर 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष की बहियों में 212.26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य-निष्पादन आधारित वेतनयोजना को बोर्ड की मंजूरी के लंबित रहते, इस योजना हेतु 99.04 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

18. क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार रहा :

(करोड़ रुपये में)

		वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
(i)	मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	1.51	(1.67)
(ii)	मूल्यह्रास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	240.68	22.90
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	5.92	(12.35)
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(1.18)	(1.12)
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	31.49	(177.75)

(ख) वर्ष के दौरान 'निर्माण के दौरान प्रसंगिक व्यय (ईडीसी) को अंतरण के द्वारा पूंजीकृत ऋण लागत की राशि 668.48 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 492.39 करोड़ रुपये) है।

19. क) 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारम्भ/संशोधित किया गया है :

नीति सं.	विवरण	वर्ष के लाभ पर प्रभाव
5.5	नीति को नया रूप दिया गया ताकि तथ्यों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि परिपाटी को नीति में तब्दील किया गया है।
5.10	परिसंपत्तियों के जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय के पूंजीकरण के लिए नई नीति प्रारंभ की गई।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि परिपाटी को नीति में तब्दील किया गया है।
7.2	मरम्मत न किए जा सकने वाले और अप्रचलित भंडार के लिए प्रावधान किए जाने संबंधी नीति को संशोधित किया गया।	कर पूर्व लाभ में 18.15 करोड़ रुपये की कमी आयी।
9.2	कर्मचारी लाभ घटक में परिवर्तन के कारण कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए जाने संबंधी नीति को नया रूप दिया गया।	कर पूर्व लाभ में 12.08 करोड़ रुपये की कमी आयी।
10.1(घ)	सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरें और पद्धति अपनाए जाने को देखते हुए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम संबंधी लेखांकन नीति को संशोधित किया गया।	कर पूर्व लाभ में 2.43 करोड़ रुपये की कमी आयी।
पूर्ववर्ती नीति सं. 11	इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क (आईएआर) इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त करने के परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा के ज़रिए स्व बीमा आरक्षी निधि के निर्माण संबंधी पूर्ववर्ती महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 11 को निरस्त कर दिया गया है।	कर पूर्व लाभ में 16.03 करोड़ रुपये की कमी आयी।
एनएचडीसी के मामले में नीति संख्या 14	लेखांकन नीति संख्या-14 को नया रूप दिया गया :- आस्थगित कर देयताओं की पहचान की जाती है और उन्हें वास्तविक निश्चयात्मकता के बजाय तर्कसंगत निश्चयात्मकता की सीमा तक अग्रेषित किया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं।

20. 31.03.2011 को एनएचपीसी के संदर्भ में स्व बीमा निधि के निवेश की स्थिति इस प्रकार है:-

तुलन-पत्रक की अनुसूची	निवेश/जमा राशि का विवरण	राशि (करोड़ रु. में)
अनुसूची 8 -निवेश	(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड (iii) जमा खाता-दीर्घावधि	197.65 358.33 30.95
अनुसूची 9-चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम	(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा (ii) प्रोद्भूत ब्याज (करों के बाद निवल) (iii) चालू खाता (टीडीएस सहित)	63.41 17.05 0.93
अनुसूची 10 - चालू देयताएं एवं प्रावधान	(i) आय कर के लिए प्रावधाल	(9.89)
	कुल	**658.42**

इस प्रकार 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के अंत में स्व बीमा निधि की कुल आय 39.31 करोड़ रुपये (करों के बाद निवल) है, जिसे लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के ज़रिए स्व बीमा निधि में क्रेडिट किया गया है।

21. लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है:

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि मे अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान (ग्रेज्युइटि) योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 अंतिम आहरित मूल वेतन+महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। तत्संबंधी देयता का निर्धरण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

ग. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना।

कंपनी की एक *सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना* है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके स्पाउज (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कपंनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।

ङ अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (अनुपूरक अनुपस्थितियों सहित) और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। सेवा के दौरान 75 प्रतिशत अर्जित अवकाश का और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश का नक़दीकरण कराया जा सकता है। कपंनी के नियमानुसार अर्ध-वेतन अवकाश का नक़दीकरण केवल सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 240 दिन के अवकाश तक कराया जा सकता है। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च. सामाजिक सुरक्षा योजना

क्षतिपूरक नियुक्ति के स्थान पर एनएचपीसी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो इस शर्त के अधीन है कि पेंशन योजना लागू होने के बाद इस योजना को वापस ले लिया जायेगा। कारपोरेशन प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है। यह योजना 01.06.2007 से लागू है। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

उपरोक्त योजनों (ख, ग, घ और ङ) अनिधिक हैं और उनका निर्धारण बीमांकिक आधार पर किया जाता है। योजना क और च निर्धारित अंशदान पर आधारित हैं।

31.03.2011 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है:-

एनएचपीसी के लिए

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता -

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित
छूट दर	8.0%	7.5%
भविष्य की वेतनवृद्धि	5.5%	5%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान।
वर्ष के शुरू में पीवीओ	407.32	220.67	169.49	4.15	26.48
ब्याज लागत	32.59	17.65	13.55	-	-
वर्तमान सेवा लागत	20.92	14.27	6.65	0.31	10.28
अदा किया गया लाभ	(27.87)	(28.22)	(8.26)	(0.04)	(1.70)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	79.80	78.84	74.73	0.03	1.32
वर्ष के अंत में पीवीओ	512.76	303.21	256.16	4.45	36.38

तालिका-3 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान।
वर्ष के शुरू में पीवीओ	512.76	303.21	256.16	4.45	36.38
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	-	-	-	-	-
वित्त-पोषण की स्थिति	(512.76)	(303.21)	(256.16)	(4.45)	(36.38)
न माने गए बीमांकित लाभ/ हानि	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	512.76	303.21	256.16	4.45	36.38

तालिका-4 लाभ एवं हानि लेखा/ईडीसी लेखे मे ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान।
वर्तमान सेवा लागत	20.92	14.27	6.65	0.30	9.90
ब्याज लागत	32.59	17.65	13.55	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों से प्रत्याशित लाभ					
वर्ष के लिए मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	79.80	78.84	74.73	0.03	1.32
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी में मान्य व्यय	133.31	110.76	94.93	0.33	11.22

एनएचडीसी के लिए

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता -

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
मृत्यु दर तालिका	इंडियन ऐश्योर्ड लाइव्स मोर्टैलिटी (1994-96) (संशोधित) अंतिम तालिका।	मानक तालिका एलआईसी (1994-96) अंतिम तालिका।
छूट दर	8.20%	8.10% (इसी तारीख को सरकारी बांड पर बाज़ार प्राप्ति)
मुआवजा स्तर में वृद्धि की दर	7.5%	5%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के शुरू में पीवीओ	2.32	3.31	1.07
ब्याज लागत	0.19	0.26	0.09
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य
वर्तमान सेवा लागत	0.70	1.18	0.20
अदा किया गया लाभ	(0.16)	(0.46)	शून्य
बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.56	1.40	0.24
वर्ष के अंत में पीवीओ	4.61	5.69	1.60

तालिका-3 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	4.61	5.69	1.60
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त-पोषण की स्थिति	(4.61)	(5.69)	(1.60)
न माने गए बीमांकित लाभ/ हानि	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	4.61	5.69	1.60

तालिका-4 लाभ एवं हानि लेखा/ईडीसी लेखे मे ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्तमान सेवा लागत	0.70	1.18	0.20
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	0.19	0.26	0.09
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के लिए निवल बीमांकिक लाभ/हानि	1.56	1.40	0.24
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में लिए गए व्यय	2.45	2.84	0.53

22. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

23. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है -

क) संबंधित पार्टी

(i) **संयुक्त उद्यम कम्पनियां**

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

(ii) **महत्त्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक**

श्री एस. के .गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.12.2010 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति)।
श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त), 01.01.2011 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार।
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी),
श्री जे के शर्मा	(निदेशक परियोजना)
श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक)
श्री के एम सिंह	एनएचडीसी में मुख्य कार्यकारी निदेशक
श्री आर के तनेजा	एनएचडीसी में निदेशक
श्री वी के कर्ण	एलएचडीसी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री पी.सी. वैश्य	एलएचडीसी में निदेशक

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार

विवरण	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
निवेश	-	-

महत्त्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 3.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.34 करोड़ रुपये) दिया गया और 31.03.2011 को कम्पनी की ओर बकाया राशि 0.07 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.31 करोड़ रुपये) थी।

24. कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तो के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची के अंतर्गत 28.18 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 15.15 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची के अंतर्गत किराया/किराया प्रभार के रूप मे दर्शाया गया है।

25. प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	2010-11 के लिए	2009-10 के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	2316.16	2175.56
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- आधारभूत	12300742773	11850379339
- कम की गई	12300742773	11850379339
प्रति शेयर अर्जन (रुपये)		
- आधारभूत	1.88	1.84
- कम किया गया	1.88	1.84
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

26. इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी "आय पर करों हेतु लेखांकन"संबंधी लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में संचयी विलंबित कर देयता निम्नानुसार है -

(करोड़ रुपये मे)

	01.04.2010	31.03.2011
विलंबित कर देयता		
i) मूल्यहास	3367.69	3405.47
घटाएंः विलम्बित कर आस्तियां		
ii) समाहित न किया गया संचित मूल्यहास	12.80.	-
iii) मूल्यहास के प्रति अग्रिम जिसे कर गणना में आय माना जाना है	-	-
iv) संदेहास्पद ऋणों, स्व-बीमा, आकस्मिकताओं तथा अन्य प्रावधानों हेतु प्रावधान	74.17	121.81
v) कर्मचारी लाभ योजनाओं हेतु प्रावधान	119.72	171.10
विलंबित कर देयता (निवल)	**3161.00**	**3112.56**

27. संयुक्त उद्यमों मे हित :

कंपनी का नाम	**निम्नांकित तारीख को स्वामित्त्व हित का अनुपात**	
	31.03.2011	**31.03.2010**
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	25%	25%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	16.67%	16.67%

उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत मे संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

		निम्नांकित तारीख को	
		31.03.2011	**31.03.2011**
क.	परिसंपत्तियां	3.84	1.47
ख.	देयताएं; (इक्विटी सहितद्ध)	3.84	1.47
ग.	आकस्मिक देयताएं	0.01	-
घ.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	-	-
		वर्ष 2010-11 के लिए	**वर्ष 2009-10 के लिए**
ङ.	आय	0.08	0.06
च.	व्यय	0.34	0.89

28. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2011 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

29. (क) निदेशकों को अदा किया गया/अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक

(करोड़ रुपए में)

		वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
(i)	वेतन तथा भत्ते	1.96	0.77
(ii)	भविष्य निधि में अशंदान	0.19	0.07
(iii)	आवासीय परिसर हेतु किराया	0.24	0.14
(iv)	अन्य लाभ	0.37	0.12
(v)	स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क	0.25	0.23

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों को भी निम्नानुसार भुगतान किए जाने पर एक वित्त वर्ष में 12000 किलोमीटर तक आधिकारिक यात्राओं तथा निजी यात्राओं हेतु कंपनी के कार के उपयोग की अनुमति दी गई थी -

	नॉन ए.सी. कार	ए.सी.कार
16 एचपी तक	325 रुपए प्रति माह	520 रुपए प्रति माह
16 एचपी से अधिक	490 रुपए प्रति माह	780 रुपए प्रति माह

30. वैधानिक लेखाकारों का पारिश्रमिक

(करोड़ रुपए में)

	वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.36	0.26
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.11	0.08
लेखा परीक्षा व्यय	0.35	0.32
अन्य मामले	0.24	0.43
लागत लेखा परीक्षक		
- लेखा परीक्षा शुल्क	0.07	0.07
- लेखा परीक्षा व्यय	0.02	0.01

31. उत्पादित तथा बिक्री की गई ऊर्जा के संबंध में मात्रात्मक ब्योरे -

	विवरण	वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
(i)	लाइसेंस क्षमता (मेगावॉट)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	स्थापित क्षमता (मेगावॉट)*	5269.20	5139.20
(iii)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)**	21696.95	19928.32
(iv)	वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट)***	19482.02	17893.10

* लोकतक पावर स्टेशन की दर मुक्त क्षमता।

** अपुष्ट विद्युत शामिल है तथा सहायक उपभोग एवं ट्रांस्फोरमेशन हानि शामिल नहीं है।

*** अपुष्ट विद्युत तथा गृह राज्यों को निःशुल्क विद्युत छोड़कर।

(करोड़ रुपए में)

32.

		वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्यग) पूंजीगत वस्तुएं ii) कलपुजे	99.39 1.90	155.17 3.91
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय i) ज्ञान ii) ब्याज iii) अन्य विविध मामले	11.18 59.53 119.79	11.23 73.37 104.44
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य i) आयातित ii) देशी;	1.05 (16.15%) 5.45 (83.85%)	0.89 (13.04%) 5.94 (86.96%)
घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन i) ब्याज ii) अन्य	- -	- -

* प्रोदभवन आधार।

** नकद आधार।

33. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	शून्य
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय, किन्तु अदा न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

34. (क) नकदी तथा नकदी-तुल्य में साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए बैंकों के पास रखी गई मार्जिन राशि 57.39 करोड़ रुपए (पिछले वष 14.34 करोड़ रुपए) शामिल है जो 31.3.2011 को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

(ख) नकदी तथा नकदी-तुल्य में कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखे गए 486.44 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो कंपनी के कारोबार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार अनुसूची 9 के अंतर्गत "ऋणों एवं अग्रिमों" के अंतर्गत इन कार्यों के संदर्भ में ठेकेदारों और आपूर्तिकताओं को दिए गए अग्रिम के रूप में दिए गए 49.40 करोड़ रुपये शामिल हैं।

35. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/ पुनःव्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

36. निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 27 मई, 2011 को लेखों को मंजूर किए जाने के बाद बोर्ड के सदस्यों ने 30.06.2011 को हुई अपनी बैठक में कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी (31 मार्च, 2011 को तुलन-पत्र के अनुसार) पर 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 60 रुपये प्रति शेयर की दर से (कंपनी (केन्द्र सरकार की) सामान्य नियम एवं प्ररूप, 1956 के नियम 23 के संदर्भ में निकटवर्ती रुपये के राउंडिंग ऑफ के अधीन) लाभांश की अनुशंसा की। तदनुरूप, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंतिम रूप से लेखा-परीक्षित लेखों को फिर से खोला गया एवं संशोधित किया गया तथा 12300.74 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी (रुपये 10/- प्रत्येक के पूर्ण चुकता 12,30,07,42,773 इक्विटी शेयरों में विभाजित) पर 6 प्रतिशत की दर से 738.04 करोड़ रुपये (राउंडिंग ऑफ के अधीन) के लाभांश और उस पर वितरण कर के लिए प्रावधान किया।

विजय गुप्ता कम्पनी सचिव	**डी. पी. भार्गव** निदेशक (तकनीकी) डीआईएन 01277269	**ए.बी.एल श्रीवास्तव** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन 01601682

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये)

		31 मार्च 2011		31 मार्च 2010
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें				
जोड़ें -		3257.23		2754.17
पूर्वावधि सहित मूल्यह्रास				
पूर्वावधि सहित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	1068.46		1280.43	
छूट के अतिरिक्त ब्याज	(32.25)		115.30	
परिसंपत्तियों की बिक्री/अंतरण पर हानि / (लाभ)	623.87		690.52	
अन्य प्रावधान/समायोजन	27.38		(4.06)	
लाभांश आय	34.88		92.02	
ब्याज आय	(1.57)		(1.60)	
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(651.90)	1068.87	(419.89)	1752.72
कार्यशील पूंजी परिवर्तन		**4326.10**		**4506.89**
माल सूची में (वृद्धि)/कमी				
चालू संविदा कार्य में (वृद्धि)/कमी	3.30		(9.44)	
प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	6.90		(8.29)	
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	(970.89)		(766.25)	
	1051.76		311.26	
कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		**91.07**		**(472.72)**
घटाएं - अदा किया गया कर		**4417.17**		**4034.17**
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		605.99		421.23
		3811.18		**3612.94**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)				
परियोजना के अंतरण/बिक्री पर लाभ/(हानियां)		(3465.81)		(3048.79)
निवेश में कमी /(वृद्धि)		(27.36)		0.24
ब्याज आय		(973.88)		(1599.58)
लाभांश आय		552.87		419.89
निवेश क्रियाकलापो से निवल नकदी प्रवाह (ख)		101.11		1.86
		(3813.07)		**(4226.38)**

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये)

	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
ग. वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां	-	1178.25
शेयर प्रीमियम	-	2868.74
शेयर आवेदन धन	10.00	-
लाभांश और लाभांश कर	(802.82)	(260.31)
ऋणों से प्राप्तियां	1639.75	5446.95
ऋणों का पुनर्भुगतान	(1491.74)	(3865.64)
एसएसपी और सिंचाई घटक के लिए मध्यप्रदेश सरकार से प्राप्त निधियां	29.23	16.72
रिबेट को छोड़ कर ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(1306.75)	(1188.60)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**(1922.33)**	**4196.11**
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)	**(1924.22)**	**3582.67**
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	6189.53	2606.86
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	4265.31	6189.53

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत चैक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें 57.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 14.34 करोड़ रु.) की राशि शामिल है जिसे कारपोरेशन द्वारा साख-पत्र अथवा समान सुविधा को खोलने के लिए मार्जिन राशि के प्रति बैंकों में रखा गया है, जो 31.03.2011 को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. अचल आस्तियों और चालू निर्माण कार्य में ब्याज एवं वित्त प्रभार के अंतर्गत पूंजीकृत 671.18 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है।
3. 31.3.2011 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 3,071.65 करोड़ रुपए है।
4. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में 486.44 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो अन्य एजेंसियों की ओर से निगम द्वारा किए जा रहे ग्रामीण सड़क और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखे गए हैं और यह राशि निगम के कार्यव्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है.
5. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिर्पोट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

कृते एस.बी.जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर न. 001818 एन

सुरेश कुमार
भागीदार
सदस्य सं. 72921

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

डी.पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए.बी.एल. श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2011

एनएचडीसी लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

60 मेगावाट रंगित पावर स्टेशन (सिक्किम) - आंतरिक दृश्य

एनएचडीसी लिमिटेड
निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

एनएचडीसी लिमिटेड

आपके निदेशकों को कंपनी की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट के साथ अंकेक्षित लेखे, 31 मार्च,2011 को समाप्त वित्तीय के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

समीक्षाधीन वर्ष में आपके निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में 1.97% की वृद्धि के साथ 1025.75 करोड़ रूपए की समेकित आय प्राप्त की है। वित्तीय परिणामों की विशिष्टताएं निम्न अनुसार हैं -

1. **वित्तीय विशिष्टताएं**

लाख रूपए में

विवरण	2010-11	2009-10*
अन्य आय सहित विद्युत बिक्री	102575	100593
मूल्य ह्रास पूर्व लाभ, ब्याज (वित्तीय प्रभार सहित) तथा कर	89285	90927
मूल्य ह्रास	25015	24963
मूल्य ह्रास पश्चात लाभ तथा ब्याज और कर पूर्व	64270	65964
ब्याज एवं वित्तीय प्रभारें	25732	28229
मूल्य ह्रास पश्चात लाभ तथा ब्याज किंतु कर पूर्व कर	38538	37735
कर	8125	16505
मूल्य ह्रास पश्चात लाभ, ब्याज तथा कर	30413	21230
पिछले वर्षों का लाभ तथा हानि का लेखों का अधिशेष	107940	92536
वापस लिया गया अधिक प्रावधान - लाभांश		1
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	138353	113767

***पुनः समूह के अनुसार**

विनियोजन

स्व बीमा आरक्षित	793	3351
प्रस्तावित लाभांश	3925	2123
लाभांश पर कर हेतु प्रावधान	637	353
आरक्षित तथा अधिशेष में अग्रेषित शेष लाभ	132998	107940

2. **राजस्व वसूली**

वित्तीय वर्ष 2011-11 के दौरान 1014.49 करोड़ रूपए की रिकॉर्ड नगद राजस्व वसूली दर्ज की गई है। इस राशि में इंदिरा सागर विद्युत परियोजना के पुराने सुरक्षित किए गए (सेक्युरिटाइन्ड) बकाया में से किश्तों (ईएमआई) के माध्यम से प्राप्त 134.16 करोड़ रूपए शामिल हैं।

3. **विद्युत उत्पादन**

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एनएचडीसी की दोनों विद्युत परियोजनाओं नामतः आईएसपी तथा ओएसपी से 3197 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 4.09% अधिक है।

4. **लाभांश**

वित्तीय वर्ष 2010-11 के शुद्ध 304.13 करोड़ रूपए के शुद्ध लाभ को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी के प्रति इक्विटी के लिए 20 रूपए की दर से कुल 39.25 करोड़ रूपए (लागू लाभांश कर को छोड़कर) दिए जाने की सिफारिश की है। यह लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों से प्राप्त होने वाले अनुमोदन की शर्त के अधीन है।

5. **पूंजी संरचना**

इस वर्ष के दौरान 1962.58 करोड़ रूपए की प्रदत्त पूंजी के साथ कंपनी की पूंजी संरचना अपरिवर्तित रही है।

6. **कार्यों की प्रगति**

- **इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी)**

इंदिरा सागर परियोजना (8x125 मेगावाट) 12.22 बीएम^3 सकल भण्डारण क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े जलाशय वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। नर्मदा घाटी की डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं के लिए यह मूल परियोजना (मदर प्रोजेक्ट) है। इस परियोजना की संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट तथा डिजाइन वार्षिक विद्युत उत्पादन 1979 मिलियन यूनिट है। इंदिरा सागर विद्युत परियोजना से छोड़े गए पानी का उपयोग ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। वर्तमान में माननीय न्यायालय के आदेशों से सीमित होने के कारण ईएल के एफआरएल 262.13 मीटर की तुलना में जलाशय को ईएल 260.0 मीटर तक के स्तर तक भरे जाने की अनुमति है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान इंदिरा सागर परियोजना से 2198 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया था तथा लागू सीईआरसी के मापदण्डों के अनुसार 85% मारमेटिव वेल्यु की तुलना में प्रदर्शित संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) 88.40% रहा है।

- **ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी)**

ओंकारेश्वर परियोजना (8 x 65 मेगावाट) इंदिरा सागर परियोजना की सोपनी जल प्रपात श्रेणी की पहली डाउनस्ट्रीम परियोजना है। इस परियोजना की संस्थापित क्षमता 520 मेगावाट तथा डिजाइन वार्षिक विद्युत उत्पादन 1166 मिलियन यूनिट है। ओंकारेश्वर परियोजना को रिकॉर्ड समय में निर्धारित कार्यक्रम से पूर्व नवम्बर 2007 में पूरा किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्तमान 196.60 मीटर एफआरएल की तुलना में जलाशय के स्तर ईएल 189 मीटर पर बनाए रखकर ओंकारेश्वर परियोजना से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तदनुसार ओंकारेश्वर परियोजना से संस्थापित क्षमता 520 मेगावाट के सापेक्ष 400 मेगावाट उच्चतम विद्युत (पीकिंग पावर) का उत्पादन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ओंकारेश्वर परियोजना से 999 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया था तथा सीईआरसी के लागू मापदण्डों के अनुसार 90% की मारमेटिव वैल्यु की तुलना में प्रदर्शित संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) 96.40% रहा है। यह प्रतिशत चालू संस्थापित क्षमता 400 मेगावाट तथा सीमित जलाशय स्तर ईएल 189.0 मीटर के संदर्भ में है।

7. **समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत निष्पादन रेटिंग**

आपकी कंपनी एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। डीपीई, भारत सरकार के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी ने धारक कंपनी अर्थात एनएचपीसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2009-10 के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन हेतु उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई है।

8. **विस्तार गतिविधियां**

- **रेवा तापीय विद्युत परियोजना (2 x 660 मेगावाट)**

एनएचडीसी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्वामित्व आधार पर सुपर क्रिटिकल टेक्नालाजी पर आधारित रेवा तापीय विद्युत परियोजना (आरटीपीपी) -1320 मेगावाट (2 x 660 मेगावाट) के विकास हेतु दिनांक 29 जून,2009 को मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डीपीआर तैयार करने, पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन/गतिविधियों को अंतिम रूप देने, सामाजिक प्रभाव आकलन, भूमि अधिग्रहण, रेल रूट अध्ययन जैसे कार्य कोयले से संबंधित आंकड़ों के प्राप्त होने की प्रतीक्षा में रूके हुए हैं। अगस्त 2010 में परियोजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के कोल लिंकेज के लिए कोयला मंत्रालय को सिफारिश दी गई है तथा इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के विचारार्थ सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। कोल लिंकेज के निर्धारण/आवंटन के बाद डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाएगा।

- **पवन ऊर्जा परियोजना**

मध्य प्रदेश के कुकरू क्षेत्र में एनएचडीसी को एमपीयूवीएन के साथ मिलकर 100 मेगावाट क्षमता के तीन पवन ऊर्जा स्तम्भ स्थापित करने के लिए अध्ययन संबंधी कार्य सौंपा गया था। पवन ऊर्जा संभाव्यता अध्ययनों के अनुसार उक्त स्थलों को उपयुक्त नहीं पाया गया। अब एमपीयूवीएन ने मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा स्तम्भ स्थापित करने के लिए नए कार्य स्थलों का काम देने के लिए अनुरोध किया है इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में अन्य निजी पवन चक्की स्थापितकर्ताओं के पास उपलब्ध पवन ऊर्जा स्थलों से पवन ऊर्जा दोहन में रूचि लेने पर बल दिया गया।

9. **सतर्कता गतिविधियां**

एनएचडीसी का सतर्कता विभाग संस्था में अपने कर्मचारियों के मध्य सतर्कता तथा जागरूकता के साथ-साथ पारदर्शिता कार्य प्रणाली आदि को अपनी कार्य शैली में अपनाने हेतु हर संभव प्रयास करते हुए प्रबंधवर्ग की सहायता कर रहा है ताकि सिस्टम में पूरी तरह पारदर्शिता स्वच्छता लाई जा सके। इस संबंध में भारत सरकार तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय जारी किए गए दिशा-निर्देशों/परिपत्रों का संस्था में नियमित तौर पर पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है। सुरक्षात्मक उपायों के तौर पर परियोजना में समय-समय पर सतर्कता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम/कार्यशालों आकस्मिक निरीक्षण/नियमित निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कंपनी में स्टेक होल्डर्स की रूचि बढ़ाने की दृष्टि से कंपनी में लागू वर्तमान गतिविधियों प्रक्रिया आदि में निरन्तर सुधार किए जा रहे हैं।

10. **राजभाषा कार्यान्वयन रिपोर्ट**

एनएचडीसी, निगम मुख्यालय, भोपाल द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निगम को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए परिवर्तन जन कल्याण समिति, दिल्ली द्वारा राजभाषा प्रचार-प्रसार सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा आरोहण नामक राजभाषा पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन भी किया जाता है। हिंदी कार्यशालाओं/हिंदी प्रतियोगिताएं कवि सम्मेलन एवं काव्य समागम आदि भी आयोजित किए जाते हैं।

11. **सूचना का अधिकार 2005**

एनएचडीसी में भी भारत सरकार द्वारा लागू सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए वांछित समस्त मूलभूत व्यवस्थाओं की गई हैं, जैसे जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी आदि की नियुक्ति तथा अधिनियम के अंतर्गत वांछित अन्य औपचारिकतों पूरी की गई हैं।

12. मानव संसाधन

हमारी कंपनी का मानना है कि मानव संसाधन कंपनी की ऐसी महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति है जिनके बल पर कंपनी मील के पत्थर स्थापित करती है तथा भविष्य की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। कंपनी मानती है कि कंपनी के विजनैंस को बढ़ाने में कंपनी के कार्मिकों को पूरी तरह आवश्यकतानुसार नियोजित किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2011 को कंपनी के पास 548 कार्मिकों का सुदृढ़ कार्य दल उपलब्ध है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 27 कार्मिकों की नियुक्ति की है।

13. एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षणः

आपका निगम कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार सेवा में कार्यरत एससी/एसटी/ओबीसी तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पद के आरक्षण से संबंधित निर्देशों का पालन कर रहा है। एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों का कारगर तरीके से निवारण करने के लिए संपर्क अधिकारियों को पदनामित किया गया है। एससी/एसटी/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पिछले रिक्त पदों को भरने हेतु विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के वास्ते परियोजनाओं/ कार्यालयों में सरलता से पहुंचने हेतु विशेष उपाय किए गए हैं।

14. सांविधिक तथा अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 तथा कारपोरेट गवर्नैंस दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित मामलों के संबंध में मांगी गई सूचना अनुबंध में प्रस्तुत है।

(क) प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

(ड‍) कारपोरेट गवर्नैंस की रिपोर्ट

(ग) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं निर्गम

(?‍) कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली , 1975 के अनुसार सूचना।

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरणः

कंपनी संशोधन अधिनियम, 2000 की धारा 217 (2,,) के तहत यथाअपेक्षित निदेशक गण निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं-

- 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय सामग्री निगम से संबंधी उचित विवरण सहित लागू मानक लेखा नीति अपनाई गई है।
- कंपनी ने ऐसी लेखा नीति अपनाई गई है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय किए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो उचित और दूरदर्शी हो, जिनसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के मामलो के सही और स्पष्ट स्थिति की जानकारी मिलेगी तथा उस अवधि में कंपनी को लाभ मिलेगा।
- कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखा रिकार्डो के समुचित रख-रखाव के लिए उचित पर्याप्त सुरक्षा उपाए किए हैं ताकि कंपनी की परिसंपत्ति सुरक्षित रहे और जाल साजी और अन्य अनियमितताओं को रोका तथा उसका पता लगाया जा सके।
- 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आधार पर लेखे तैयार किए गए हैं।

16. लेखा परीक्षकः

मैसर्स मल्टी एसोसिट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, भोपाल को वर्ष 2010-11 के लिए लेखा परीक्षा करने हेतु त्रांविधिक लेखापरीक्षकः नियुक्त किया गया था।

17- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

निगम द्वारा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को विभिन्न टिप्पणियों के संदर्भ में अनुसूची 24 में शामिल किया गया है, जो स्वतः स्पष्ट हैं। लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और प्रबंधन के उत्तर यदि कोई हो, अनुबंध "ख" दिए गए हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणी रिपोर्ट के अनुबंध "ग" में दी गई है।

18. लागत लेखा परीक्षा

कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखों के रिकार्ड की लेखा परीक्षा से संबंधित केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसरण में आपकी कंपनी वर्ष 2010-11 के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से निम्नलिखित कार्यों के सामने दर्शाए गए पावर स्टेशनों के लागत लेखों/खातों की लेखा परीक्षा हेतु निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों को लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है-

क्र.सं.	फार्म/लेखा परीक्षकों का नाम	यूनिट
1	प्रभा शर्मा, भोपाल	इंदिरा सागर पावर स्टेशन
2	एम. गोयल एण्ड कंपनी, इंदौर	औंकारेश्वर पावर स्टेशन

19. लेख परीक्षा समितिः

लेखा परीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292-ए के अन्तर्गत यथा अपेक्षित बोर्ड के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा परीक्षा समिति ने वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है। 31 मार्च,2011 को लेखा परीक्षा समिति, जिसमें अन्य दो निदेशक अर्थात श्री के.एम. सिंह, मुख्य कार्यपालक निदेशक एवं श्री आर. के. तनेजा, निदेशक सहित श्री जयसीलन, अंशकालिक निदेशक अध्यक्ष के तौर पर शामिल थे।

20 निदेशकों का विवरणः

वर्तमान में कंपनी के बोर्ड में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एनएचपीसी एवं मध्य प्रदेश सरकार से अन्य निदेशकों सहित कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव शामिल हैं।

श्री एस.के.गर्ग, सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने के कारण 31 दिसंबर, 2010 से एनएचडीसी के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक पद से हट गए हैं। आगे पिछली रिपोर्ट से श्री राजेश डोंगरे एवं श्री आर. जयसीलन भी एनएचडीसी के निदेशक पद से हट गए हैं। श्री ए. गोपालकृष्ण ने दिनांक 23.6.2011 से श्री जयसीलन के स्थान पर एनएचडीसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

बोर्ड, कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त होने वाले, निदेशकों द्वारा दिए गए सहयोग एवं मार्ग दर्शन के लिए उन्हें अपना आभार व्यक्त करता है।

21 आभारः

बोर्ड विभिन्न मंत्रालयों राज्य सरकारों एवं अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यों के विभिन्न चरणों में दिए गए मार्ग दर्शन एवं सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड सांविधिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कार्यालय, बैंकर्स एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनकी भी प्रशंसा करता है। बोर्ड एनएचडीसी परिवार के उन सदस्यों, जिन्होंने इस असंभव उपलब्धि को प्राप्त करने में पूर्ण निष्ठा समर्पण एवं सहयोग दिया है, को भी धन्यवाद देता है। बोर्ड को यह भी विश्वास है कि कार्मिक आने वाले वर्षों में भी अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से

हस्ताक्षर
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी
सं.01601682

दिनांकः 04.07.2011
स्थानः नई दिल्ली

संलग्नक-क (संदर्भः14(क)

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा और विकास

भारतीय अर्थ-व्यवस्था तेजी से विकास कर रही है और इसके स्थायी विकास के लिए विद्युत एक बुनियादी अवसंरचना है। भारत के विद्युत क्षेत्र ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उल्लेखनीय प्रगति की है। कुल संस्थापित संस्था 1,362 मेगावाट थी, जो 31 मार्च 2011 को बढ़कर 1,73,626.40 मेगावाट पर पहुंच गई है। इसके बावजूद इस क्षेत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें विद्युत की कमी (विशेषकर पीक-पावर) और जल-ताप विद्युत का प्रतिकूल मिश्रण, ग्रिड अस्थिरता, आवृत्ति अनियमितता, कमजोर एवं घटिया वितरण तंत्र, आदि समस्याएं प्रमुख हैं।

31 मार्च 2011 को भारत में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 173626.40 मेगावाट की थी। इसमें से ताप बिजली क्षमता 112824.48 मेगावाट (64.98 प्रतिशत), जल विद्युत क्षमता 37567.40 मेगावाट (21.64 प्रतिशत), परमाणु ऊर्जा 4780 मेगावाट (2.75 प्रतिशत) और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता 18454.52 मेगावाट (10.63 प्रतिशत) थी। भारत में विद्युत उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है। केन्द्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से कुल संस्थापित क्षमता का करीब 80 प्रतिशत विद्युत उत्पादन करती है। निजी क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत है जो 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 11वीं योजना (2007-12) के दौरान 78,700 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य हासिल होने के बाद विद्युत क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत बढ़ोतरी होने की संभावना है।

31 मार्च 2011 को मध्यप्रदेश को राज्य/केन्द्र/निजी क्षेत्र से 8358.54 मेगावाट विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता आवंटित की गयी थी। इसमें से ताप बिजली क्षमता 4617.28 मेगावाट (55.24 प्रतिशत), जल विद्युत क्षमता 3223.66 मेगावाट (38.57 प्रतिशत), परमाणु ऊर्जा 273.24 मेगावाट (3.27 प्रतिशत) और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता 244.36 मेगावाट (2.92 प्रतिशत) थी।

एनएचडीसी लिमिटेड की स्थापना अगस्त 2000 में एनएचपीसी लिमिटेड और मध्यप्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी थी। इसे नर्मदा बेसिन में दो बकाया विशाल जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने का काम सौंपा गया। ये थीं इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर (520 मेगावाट) परियोजना। ये दोनों विद्युत परियोजनाओं एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा क्रमशः 2005 और 2007 में सफलतापूर्वक पूरी की गयी। वर्तमान में एनएचडीसी लिमिटेड मध्यप्रदेश राज्य में जल विद्युत का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है।

मध्यप्रदेश में जल विद्युत के उत्पादन के सीमित क्षेत्र को देखते हुए कम्पनी ने हाल ही में सभी परंपरागत/गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों जैसे ताप, पवन आदि की विद्युत परियोजनाओं के विकास में प्रवेश किया है। वर्तमान में इंदिरा सागर जलाशय की परिधि में सुपर क्रिटिकल टैक्नॉलोजी पर आधारित 2x660 मेगावाट क्षमता की रीवा आधारित ताप विद्युत परियोजना (आरटीपीपी) के लिए विस्तृत मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस परियोजना के लिए कोयला संपर्क मंजूर होने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जायेगा, जिसके लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने अपनी अनुशंसा कोयला मंत्रालय को भेज दी है। आरटीपीपी के लिए विद्युत खरीद समझौते पर तीन जनवरी 2011 को एमपी ट्रेडको ने हस्ताक्षर किए। एनएचडीसी परियोजना के लिए अपेक्षित इक्विटी जुटाने के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का इस्तेमाल करेगी।

क्षमता

एनएचडीसी एक सुदृढ़, सक्षम और बहुमुखी संगठन है जिसका जल विद्युत परियोजनाएं समय से पहले और अत्यंत सीमित जन शक्ति के साथ पूरा करने का प्रमाणित रिकॉर्ड रहा है। एक विभागीय एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण के आधार पर सफलता की ऊचाइयों तक पहुंचने की एनएचडीसी की क्षमताएं स्थापित की गयी हैं।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एनएचडीसी की शक्ति इस बात में निहित है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में सबसे बड़े जल विद्युत उत्पादक के रूप में मौजूद है, जिसके पास 31 मार्च 2011 को 1330 करोड़ रुपये (लगभग) की मुक्त नकद आरक्षी पूंजी हैं और जिसे संयुक्त उद्यम कंपनी में 49 प्रतिशत स्टेक-होल्डिंग के साथ मध्यप्रदेश सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। एनएचडीसी की मुख्य कमजोरी यह है कि दोनों परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करने के बावजूद कंपनी इन परियोजनाओं से होने वाले विद्युत उत्पादन का पूरा लाभ नहीं उठा पा रही है। इसका कारण यह है कि माननीय अदालतों ने दोनों जलाशयों को एफआरएल स्तर तक भरने तक विद्युत उत्पादन पर रोक लगा रखी है। पश्चिमी ग्रिड में मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर को देखते हुए एनएचडीसी के सामने यह सबसे बड़ा अवसर है कि वह सभी परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत परियोजनाएं विकसित कर सकती है। किन्तु, निजी उत्पादकों की मौजूदगी और कोयले की उपलब्धता में कमी की आशंका से एनएचडीसी के नीतिगत उपायों को बड़ा धक्का लग सकता है।

परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन

इंदिरा सागर परियोजना से विद्युत का उत्पादन जनवरी 2004 में प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 2011 तक 15322 मिलियन यूनिटें उत्पादित की जा चुकी थीं। इसी प्रकार ओमकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) से विद्युत उत्पादन अगस्त 2007 में प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 2011 तक 3454 मिलियन यूनिटें उत्पादित की जा चुकी थीं।

जोखिम और चिंताएं

जल विद्युत योजनाओं के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा मध्यप्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में खेती की भूमि को जलमग्न करना पड़ता है जिससे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की काम पर भारी लागत आती है। इसका सीधा असर विद्युत टैरिफ पर पड़ता है।

दृष्टिकोण

भारतीय अर्थ-व्यवस्था दुनिया की सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इससे ऊर्जा, विशेषकर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा की मांग बहुत अधिक है, जो हर वर्ष लगभग 8 से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मार्च 2007 में प्रकाशित 17वीं एनर्जी पावर रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2011-12 में ऊर्जा की मांग करीब 969 अरब यूनिट और वर्ष 2016-17 में 1392 अरब यूनिट तक पहुंच जायेगी। पीक मांग बढ़कर 2011-12 में 153 जीडब्ल्यू और 2016-17 में 218 जीडब्ल्यू पर पहुंच जाने का अनुमान है।

मध्यप्रदेश में व्यस्तता के समय यानी पीक मांग और आपूर्ति के बीच गहन अंतराल है जिससे विद्युत परियोजनाओं के तीव्र विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

विभागीय नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी ने व्यापार के सुचारू एवं सक्षम संचालन के लिए सुदृढ़ आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना की है। आपकी कंपनी सम्बद्ध नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है। समान अनुपालन के लिए अधिकारों के उपयुक्त प्रत्यायोजन और लेखों को तैयार करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जांच और संतुलन प्रणालियां तथा सभी विभागीय नियंत्रण प्रणालियां ठीक से काम कर रही हैं, कंपनी ने स्वयं का विभागीय लेखा परीक्षा विभाग स्थापित किया है, जो सभी स्थानों पर नियमित एवं व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करता है। इसके अलावा कंपनी में बोर्ड के स्तर पर एक लेखा परीक्षा समिति है, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर गहन निगरानी रखती है। विभागीय लेखा परीक्षा के निष्कर्षो का सारांश लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है और लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसाओं/निर्देशों का अनुपालन किया जाता है तथा निरंतर सुधार के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

मानव संसाधन विकास :

कार्मिक कंपनी की मुख्य परिसम्पत्तियां हैं और तदनुरूप संगठनात्मक लक्ष्यों, प्राथमिकताओं तथा कर्मचारियों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं के अनुरूप निरंतर विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। कर्मचारियों के निष्पादन में सुधार के लिए किए गए मानव संसाधन उपायों के अंतर्गत सभी कार्यपालकों के लिए केआरए आधारित मूल्यांकन प्रणाली और बहु कौशल प्रशिक्षण एवं पुनः तैनाती जैसे उपाय शामिल हैं। आपकी कंपनी की बेजोड़ कार्य संस्कृति विश्वास एवं खुलेपन पर आधारित है। अधिकारों के प्रत्यायोजन, विकेन्द्रीकरण और पारदर्शिता के जरिये एक कारगर और अधिकारितापूर्ण प्रणाली कायम की गयी है। कम्पनी प्रत्येक कर्मचारी को एक उपलब्धी प्राप्तकर्ता के रूप में देखती है, जो अंतर पैदा करने में सक्षम हो। कर्मचारियों का विकास करने और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए समय समय पर उन्हें विविध कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं और आंतरिक स्थानांतरण किए जाते हैं। मानव संसाधन लक्ष्यों को वास्तव में हासिल करने के लिए मानव संसाधन सम्बन्धी कार्यों में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्रशिक्षण देने वाले संगठन के रूप में नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को एक व्यवस्थित और औपचारिक प्रशिक्षण के तहत वरिष्ठ कार्यकारियों के साथ लगाया जाता है ताकि उन्हें कंपनी की संस्कृति के साथ एकीकृत किया जा सके। परियोजना/कार्यालयों में समृद्ध पुस्तकालय कायम किए गए हैं और कार्यकारी अधिकारियों को ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए व्यवसायिक निकायों की सदस्यता प्राप्त करने के प्रति उत्साहित किए जाते हैं।

रोजगार परवर्ती प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने के हिस्से के रूप में एक व्यवस्थित प्रशिक्षण योजना तैयार की गयी है ताकि प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण के जरिये प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिवर्ष न्यूनतम सात कार्य दिवसों के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उच्चतर पदों का दायित्व निभाने के लिए तैयार करना है। टीम भावना पैदा करने के लिए कारपोरेशन हर वर्ष आंतरिक और अंतर परियोजना/कार्यालय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के आयोजन के जरिये कंपनी नेतृत्व क्षमता के निर्माण और कार्यनीतिक अभिमुखीकरण पर भी ध्यान केन्द्रित करती है। लोगों के प्रति उच्च सरोकार प्रदर्शित करने के लिए हमने कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य एवं समाज सुरक्षा प्रणाली विकसित की है ताकि प्रतिबद्धता का उच्च स्तर कायम किया जा सके। कंपनी में कर्मचारियों की छंटनी की दर सबसे कम है। हमने उत्कृष्ट जीवन पद्धति के साथ आधुनिक टाउनशिप विकसित की हैं जिनमें शिक्षा, चिकित्सा और कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए मनोरंजन की सुविधा प्रदान की गयी है। कर्मचारियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने के लिए कारपोरेशन ने विभिन्न स्थानों में अस्पतालों को पैनलबद्ध किया है। दुर्घटनामुक्त कार्य-घंटों के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड कायम किया है। कम्पनी कर्मचारियों की क्षमता और सक्षमता को वर्तमान एवं उभरती हुई व्यापार चुनौतियों के साथ सम्बद्ध बनाने पर जोर देती है।

औद्योगिकी संबंध :

आपके कारपोरेशन में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का माहौल सद्भावपूर्ण रहा। कंपनी ने मानवीय मूल्यों के समाधान के लिए अनुकूल उपाय किये और मुक्त द्वार नीति का अनुसरण किया।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व :

एनएचडीसी समाज की आवश्यकता के प्रति दीर्घ स्थायी प्रतिबद्धता रखता है, जोकि इस विश्वास पर आधारित है कि कोई भी आर्थिक विकास तभी अर्थपूर्ण होता है, जब व्यवसाय से किया लाभार्जन समाज तक पहुंचे। हमारा दृढ़ विचार है कि निगम के लक्ष्य सामाजिक लक्ष्यों के सामान्तर चले। एनएचडीसी वित्तीय विचार से परे कार्य की आवश्यकता से परिचित है और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करता है कि हमारा निगमीय अस्तित्व केवल विद्युत उत्पादन करना ही नहीं है, जहां हम कार्य करते हैं उन समुदायों के जीवन स्तर सुधारने तथा समाज की भलाई के लिए अपनी सपूर्ण पहचान बनाना है।

समाज के रचनात्मक भागीदारी के रूप में आपका निगम सामाजिक दायित्वों के उद्देश्यों को पूरा करने मे ठोस कार्रवाई करता रहा है और इसके द्वारा ही अपने अंश धारकों एवं ग्राहकों का मूल्य संवर्द्धन करता है।

आपके निगम ने एक व्यापक निगमीय सामाजिक दायित्व नीति अपनाई है। नीति के अनुसार निगम ने एक निर्धारित बजट राशि सामुदायिक कल्यण एवं विकास कार्यक्रम हेतु रखी है। सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत समुदायों की भागीदारी तथा उनकी स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल मुहैया कराना, स्वच्छता, महिलाओं एवं अन्य सीमांत समूहों के सशक्तिकरण, आदि

गतिविधियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश राज्य में हमने इन कार्यक्रमों से सामाजिक तथा सामुदायिक पहल की है जिससे हजारों लोगों का सहारा मिला है।

आपके निगम ने अपनी निगमीय कार्य सूची में निगमीय सामाजिक दायित्वों को उच्च स्थान दिया है। निगम इस तरह से व्यवसाय को बढ़ाने व सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए और जहां यह कार्यरत है, वहां के समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम दृढ़ निश्चय के साथ कुछ इस तरह से कार्य करना चाहते है कि व्यवसाय से परे प्रत्येक व्यक्ति के सपने साकार हो सकें।

पर्यावरण :

पर्यावरण संबंधी निगम के उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए एनएचडीसी में वैधानिक दायित्व से परे पर्यावरण संरक्षा और संरक्षण पर अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप दोनों परियोजनाओं, अर्थात् आईएसपी और ओएसपी में परियोजना गतिविधियों के अभिन्न अंग के रूप में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। इससे संसाधन संरक्षण और संसाधनों की बर्बादी को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद मिली है। जल विद्युत परियोजनाएं बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने में पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल माध्यम है। किन्तु परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समय कई तरह के पर्यावरण संकट सामने आते हैं, जिनके लिए पर्यावरण संरक्षा के समुचित उपाय किये गये हैं। इनमें क्षतिपूरक वन रोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, भूकंप वैज्ञानिक अध्ययन, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का निर्माण पुरातत्वीय महत्व के स्मारकों का पुनर्स्थापन/जीर्णोद्धार आदि महत्वपूर्ण हैं। एनएचडीसी ने ताप, सौर एवं पवन परियोजनाओं के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। ताप के लिए प्रौद्योगिकी अपनाते समय एनएचडीसी ने अत्यंत सावधानीपूर्वक सुपर-क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अपनायी है, जो अधिक सक्षम एवं पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि इसमें उत्सर्जन बहुत कम होता है। निगम अपनी व्यापारिक गतिविधियों में ऐसी नीतियां अपनाने, मॉड्यूल लागू करने और फार्मेटों पर निगरानी रखने के प्रति वचनबद्ध है, जो पर्यावरण के अनुकूल हों तथा जिनसे समाज को व्यापक स्तर पर प्रचुर लाभ प्राप्त हो सके।

अक्षत ऊर्जा विकास :

निगम ने अक्षय ऊर्जा अर्थात् जल विद्युत, पवन विद्युत तथा सौर विद्युत ऊर्जा के लिए दीर्घावधि के लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

कंपनी ने गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों यानी पवन विद्युत के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के विस्तार के प्रयास में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (एमपीयूवीएन) के साथ मध्य प्रदेश में 100 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए समझौता किया है। एमपीयूवीएन द्वारा आवंटित स्थलों पर पवन मूल्यांकन अध्ययनों के संचालन के अतिरिक्त, कंपनी ने ऐसे पवन फार्म विकासकों से हित आमंत्रित किये हैं, जिनके पास संभावित पवन स्थल हों, जहां पवन विद्युत परियोजना (100 मेगावाट) का विकास किया जा सके।

इसी प्रकार कंपनी इंदिरा सागर विद्युत परियोजना में उपलब्ध खाली स्थलों में सौर फोटो वॉल्टैक (पीवी) सिस्टम की संस्थापना की संभावनाओं का भी पता लगा रही है।

वित्तीय निष्पादन

प्रचालन के परिणाम :

वित्त वर्ष 2010 की तुलना में वित्त वर्ष 2011 के लिए निगम के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के बारे में विस्तृत वित्तीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण नीचे दिया गया है :

आय

	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
विद्युत की बिक्री (मिलियन यूनिट)	3188.70	3051.43
आय (लाख रुपये में)		
विद्युत की बिक्री	91840	89535
अन्य आय	10735	11058
कुल	102575	100593

कंपनी की आय के अंतर्गत विद्युत की बिक्री से आय और अन्य आय जैसे अधिशेष निधियों पर अर्जित ब्याज, प्रतिभूति ऋणों/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज, आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2010 में हुई 100593 लाख रुपये की आय की तुलना में वित्त वर्ष 2011 में 102575 लाख रुपये की आय हुई, जो 1.97 प्रतिशत अधिक थी।

टैरिफ :

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पावर स्टेशनों से उत्पादित विद्युत के लिए शुल्क की दरें निर्धारित की हैं। वर्ष 2009-14 की अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा दिनांक 19.01.2009 को जारी अधिसूचना संख्या एल-7/145 (160)/2008-सीईआरसी के अंतर्गत एक नया टैरिफ विनियम अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत शुल्कों का निर्धारण वार्षिक नियत प्रभारों (एएफसी) के आधार पर किया जाता है, जिसमें इक्विटी पर लाभ (आरओई), मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रख-रखाव खर्च शामिल है। आरओई की गणना लागू आय कर की दर का इस्तेमाल करते हुए की जायेगी ताकि आयकर के प्रभाव को वसूल किया जा सके। एएफसी को क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन सहित) और ऊर्जा प्रभार के रूप में मासिक आधार पर वसूल किया जाता है। क्षमता प्रभार की वसूली विद्युत उत्पादन के लिए मशीनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। क्षमता प्रभारों के निर्धारण के लिए नार्मेटिव ऐनुवल प्लांट एवेलेबिलिटी फैक्टर (मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक) (एनएपीएएफ) की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो निर्धारण सीईआरसी द्वारा परियोजना के प्रकार के आधार पर प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित किया गया है। हम एनएपीएएफ द्वारा निर्धारित घटक से अधिक प्लांट उपलब्धता घटक हासिल करने और प्लांट के निर्धारित ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन के हकदार हैं।

ऊर्जा की बिक्री :

कारपोरेशन के दोनों विद्युत घरों से उत्पादित विद्युत का एकमात्र लाभार्थी मध्यप्रदेश सरकार है। विद्युत की बिक्री एमपीट्रेडको के साथ किये गये दीर्घावधि विद्युत खरीद समझौतों से अधिशासित है। सीईआरसी द्वारा 2009-14 अवधि के लिए विद्युतघर-वार टैरिफ का निर्धारण लंबित रहते वित्त वर्ष 2011 हेतु बिक्री का निर्धारण उक्त अधिसूचना में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। संरक्षण के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि शुल्क याचिकाएं सीईआरसी की विवेकपूर्ण जांच के अधीन हैं।

वित्त वर्ष 2011 में हमने 1520 मेगावाट की वाणिज्यिक संस्थापित क्षमता के साथ 3,188.70 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की, जो वित्त वर्ष 2010 में हुई 3051.43 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री से बेची गई यूनिटों की संख्या के संदर्भ में 4.50 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष 2011 में विद्युत की बिक्री 91840 लाख रुपये की हुई, जो वित्त वर्ष 2010 मे हुई 89535 लाख रुपये की बिक्री की तुलना मे 2.57 प्रतिशत अधिक है।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री :

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व में पिछले वर्षों से संबंधित बिक्री भी शामिल है, किन्तु उसे चालू वर्ष में गणना में लिया गया है। इसमें शेड्यूल से परे उत्पादन के लिए गैर-शेड्यूल परस्पर-परिवर्तनीय (यूआई) प्रभार शामिल हैं, जो ग्रिड अनुशासन कायम करने के लिए विनियम में निर्धारित आवृत्ति से संबंधित दरों से वसूल किये जाते हैं।

वर्ष दर वर्ष तुलना के प्रयोजन के लिए पिछले वर्षों की बिक्री और यूआई का प्रभाव ऊर्जा की ब्रिक्री से बाहर रखा गया है, ताकि ऊर्जा की समायोजित बिक्री की गणना की जा सके। ऐसे समायोजन के बाद ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व इस प्रकार रहा :

(लाख रुपये में)

	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
सकल बिक्री	91703	90268
घटाएं : मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी)	(137)	733
निवल बिक्री	91840	89535
घटाएं :		
(क) पिछले वर्ष की बिक्री (एएडी का निवल)	1082	3023
(ख) यूआई प्रभार	333	227
समायोजित ऊर्जा की बिक्री	90425	86285

वित्त वर्ष 2011 में पिछले वर्ष की बिक्री (एएडी का निवल) रुपये 1082 लाख (सकल 945 लाख रुपये) शामिल किये जाने की प्रमुख वजह यह थी कि इंदिरा सागर परियोजना के संदर्भ में 31.03.2009 तक की अवधि के लिए शुल्क में संशोधन किया गया।

समायोजित बिक्री में 4.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मुख्य श्रेय एएडी के प्रभाव के अलावा इंदिरा सागर विद्युत परियोजना के शुल्क में संशोधन, कर की बिलिंग (एमएटी की कर की दर में परिवर्तन के कारण वृद्धि) को जाता है।

अन्य आय :

अन्य आय के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रतिभूति ऋण/दीर्घावधि अग्रिमों से प्राप्त आय, अधिशेष निधि के निवेश से आय और विविध आय शामिल है। वित्त वर्ष 2011 में हमारी अन्य आय 10735 लाख रुपये थी, जबकि वित्त वर्ष 2010 में अन्य आय 11058 लाख रुपये थी।

अन्य आय के प्रमुख घटक और उसमें अन्तर के कारण नीचे दिये गये हैं :

(लाख रुपये में)

	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
प्रतिभूति ऋण पर ब्याज	1930	3014
मियादी जमा पर ब्याज	8455	7599
लाभार्थी राज्य से अधिभार	11	163
कर्मचारियों से दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज	55	58
अन्य विविध आय	284	224
कुल	**10735**	**11058**

अन्तर के कारण :

1) चालू वित्त वर्ष के दौरान बकाया की वसूली के कारण प्रतिभूति ऋण पर ब्याज में 1084 लाख रुपये की कमी आई।

2) एफडीआर में बढ़ोतरी के कारण एफडीआर पर बैंक ब्याज में 856 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

3) नियमित भुगतान करने वाले लाभार्थियों के कारण विलंब भुगतान अधिभार में कमी से 152 लाख रुपये प्राप्त हुए।

4) देयताओं के पश्च-लेखन और कुछ प्रावधानों को हटाये जाने के कारण विविध आय में 60 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई।

व्यय

(लाख रुपये में)

	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	6257	5147
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	6984	4618
मूल्यह्रास	25015	24963
ब्याज एवं वित्त प्रभार	25732	28229
प्रावधान और पूर्व अवधि मदें	49	(99)
कुल	**64037**	**62858**

वित्त वर्ष 2011 में हमारे कुल व्यय में वित्त वर्ष 2010 की तुलना में 1.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 64037 लाख रुपये रहा, जो पिछले वर्ष 62858 रुपये था। उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्ययों तथा कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ में बढ़ोतरी की अधिकतर क्षतिपूर्ति ब्याज एवं वित्त प्रभारों में कमी से की गई। हमारी कुल आय की तुलना में कुल व्यय वित्त वर्ष 2011 के दौरान 62.43 प्रतिशत रहा, जबकि वित्त वर्ष 2010 में 62.49 प्रतिशत था। शीर्ष-वार व्यय में बढ़ोतरी/कमी के लिए प्रमुख कारणों का विश्लेषण नीचे किया गया है :

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय :

(लाख रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010	अन्तर
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	6257	5147	1110
अन्तर के प्रमुख कारण :-			
विद्युत घर की परिसंपत्तियों के लिए पहली बार औद्योगिक सर्व जोखिम बीमा पॉलिसी ली गई।			662
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत अतिरिक्त प्रावधान।			298
ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में आर एंड आर व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किये गये।			110
पवन विद्युत के बारे में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण व्यय बट्टे खाते में डाले गये			29
अन्य व्यय			11

कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ :

(लाख रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010	अन्तर
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	6984	4618	2366
अन्तर के प्रमुख कारण :-			
1) कार्यकारी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पीएलआई/पीएलजीआई के बदले पीआरपी हेतु अतिरिक्त प्रावधान			836
2) कार्यकारी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ हेतु (लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश के अधीन) अतिरिक्त प्रावधान।			582
3) एनएचडीसी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी लाभ हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान (संशोधित वेतन और वेतनवृद्धि की दर में संशोधन के कारण)।			394
4) एनएचडीसी में काम करने वाले एनएचपीसी के कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी लाभ के लिए एनएचपीसी द्वारा अतिरिक्त ऋण दिया जाना।			144
5) वर्ष के दौरान ओएसपीएस में आर एंड आर व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाना (पिछले वर्ष पूंजीकृत)।			149
6) दर में बढ़ोतरी और बकाया राशि के भुगतान के कारण स्व-लीज में वृद्धि			95
7) नवम्बर 2010 में वेतन संशोधन लागू होने के कारण पांच महीने (नवम्बर, 2010 से मार्च 2011) के नियमित वेतन में बढ़ोतरी।			166

मूल्यहास :

दिनांक 19.01.2009 को जारी सीईआरसी की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित दरों का अनुपालन करते हुए कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यहास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर प्रभारित किया जाता है। इसमें कुछ वस्तुएं अपवाद हैं, जिनके लिए मूल्यहास कंपनी द्वारा निर्धारित दरों से किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 616 के प्रावधान को देखते हुए विद्युत के उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनियां लेखे तैयार करने के प्रयोजन से मूल्यहास की दरें उक्त अधिनियम की अनुसूची 14 में निर्धारित दरों से भिन्न निर्धारित कर सकती हैं। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 का स्थानापन्न, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्ताव संख्या-23/2/2005-आर एंड आर (वोल्यूम-III) दिनांक 6 जनवरी, 2006 को जारी टैरिफ नीति 2006 में अन्य बातों के अलावा प्रावधान किया गया है कि सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरें और पद्धति टैरिफ और लेखांकन दोनों के लिए लागू होगी। तदनुरूप, एनएचडीसी पावर स्टेशनों के लिए लेखों में मूल्यहास प्रभारित करने के लिए टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित (पावर स्टेशन को छोड़कर अन्य दरें) दरों और पद्धति का अनुसरण करती है।

हमारी मूल्यहास लागत में वित्त वर्ष 2011 में वित्त वर्ष 2010 की तुलना में 0.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 25015 लाख रुपये पर पहुंच गया, जबकि 2010 में यह 24963 लाख रुपये था।

ब्याज और वित्त प्रभार :

हमारे ब्याज और वित्त प्रभार के अंतर्गत मुख्य रूप से सावधि ऋणों पर ब्याज लागत और लाभार्थियों को दी जाने वाली छूट शामिल है। वित्त वर्ष 2011 में ब्याज एवं वित्त प्रभार में 8.85 प्रतिशत की कमी आई और यह वित्त वर्ष 2010 के 28229 लाख रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2011 में 25732 लाख रुपये रह गया।

प्रावधान :

हम केवल संदिग्ध ऋणों, दावों एवं अग्रिमों और अप्रचलित भंडार एवं पुरजों के लिए प्रावधान करते हैं। इन प्रावधानों का आकंलन प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष दर वर्ष आधार पर किया जाता है। इस वर्ष 5 लाख रुपये का मिश्रित प्रावधान एमपीएसईबी को किये गये अधिक निगरानी प्रभारों की वसूली न किये जाने के कारण किया गया, जबकि पिछले वर्ष विद्युत बकाया की वसूली न हो पाने के कारण 48 लाख रुपये के मिश्रित प्रावधान की व्यवस्था की गई थी।

कर के लिए प्रावधान :

वित्त वर्ष 2011 में हमने कर के लिए 7685 लाख रुपये का प्रावधान किया जबकि वित्त वर्ष 2010 में कर के लिए 6418 लाख रूपये का प्रावधान किया गया था। वित्त वर्ष 2011 में कर बढोतरी का कारण कर पूर्व लाभ में बढ़ोतरी और एमएटी की बुनियादी दर में वृद्धि था।

नकदी प्रवाह

(लाख रुपये में)

	वित्त वर्ष 2011	वित्त वर्ष 2010
प्रचालन गतिविधियों से निवल नक़दी अन्तः प्रवाह	85577	86108
निवेश गतिविधियों से निवल नक़दी बाह्य प्रवाह	(3053)	(1761)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नक़दी बाह्य प्रवाह	(52582)	(51893)
नकदी/नकदी समतुल्यों में निवल बढ़ोतरी	29942	32454

तुलन पत्र की मदों का विश्लेषण

निधि का स्रोत पक्ष

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को	अन्तर/	प्रमुख कारण
ऋण निधि	220235	248331	(28096)	ऋणों की अदायगी।
एडी	10101	10238	(137)	इंदिरा सागर परियोजना के संशोधित टैरिफ आदेश के अनुसार एडी में कमी आयी।
विलंबित कर (निवल)	11604	11301	303	वित्तीय अवधि 2009-2014 के लिए नया टैरिफ विनियम लागू होने के बाद, करों की वसूली अब लाभार्थियों से वास्तविक आधार पर नहीं की जाती, अतः वर्ष के दौरान समनुरूप देयता को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

निधि पक्ष का अनुप्रयोग

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को	अन्तर/	प्रमुख कारण
अचल आस्तियां	673806	671364	2442	अवर्गीकृत भूमि में रुपये 1564 लाख की वृद्धि (निवल), रु. 454 लाख के स्टेप अप ट्रांस्फार्मर की खरीद, रु. 279 लाख के डीजी सेट और अन्य पूंजीगत वस्तुओं की खरीद तथा अन्य विविध खरीद।
चालू पूंजीगत कार्य	573	434	139	सड़कों और पुलों के सीडब्ल्यूआईपी में 134 लाख रुपये की बढ़ोतरी।
निर्माण, भंडार एवं अग्रिम	0	3	(3)	अग्रिम की वसूली/समायोजन।
मालसूची	550	402	148	ओ एंड एम गतिविधियों में वृद्धि के कारण पुरजों में बढ़ोतरी।
विविध कर्जदार	30801	39357	(8556)	वर्ष के दौरान वसूली में वृद्धि।
नक़द एवं बैंक शेष	133009	103067	29942	अतिरिक्त राजस्व वसूली।
अन्य परिसंपत्तियां	6636	5459	1177	वृद्धि का मुख्य कारण नियतकालिक जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज में वृद्धि है।
ऋण एवं अग्रिम	4268	3676	592	अग्रिम कर में 753 लाख रुपये की (निवल) वृद्धि में कर्मचारियों को ऋणों/अग्रिमों की वसूली और और संविदाकारों को अग्रिमों की वसूली से (-) 161 लाख रुपये की कमी आयी।
वर्तमान देयताओं और प्रावधान	34853	33979	874	प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान में (-) 1551 लाख रुपये, लाभांश एवं लाभाश कर भुगतान में (-) 2476 लाख रुपये, लेनदारों और अन्य देयताओं के भुगतान में (-)1611 लाख की कमी, जो वेतन संशोधन के लिए प्रावधान में (+)286 लाख रुपये, पीआरपी के लिए प्रावधान में (+)875 लाख रुपये , बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में (+)555 लाख रुपये, प्रस्तावित लाभांश और लाभांश कर के लिए प्रावधान हेतु (+) 4562 लाख रुपये और सीएसआर के लिए प्रावधान में (+) रुपये 275 लाख की बढ़ोतरी से समायोजित किया गया।

अनुलग्नक-क (संदर्भ : पैरा 14 (ख)

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. **कारपोरेट अभिशासन संहिता पर कंपनी का विचार :**

कंपनी बेहतर कारपोरेट प्रयासों के प्रति वचनबद्ध है, जिसका आधार विवेक, खुलापन, निष्पक्षता, व्यवसायीकरण तथा जवाबदेही है। हमारा यह प्रयास है कि हम विभिन्न स्टेकहोल्डरों में आत्मविश्वास पैदा करें ताकि दीर्घावधि सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सके। हमारा विश्वास है कि कारपोरेट अभिशासन से हमारी प्रबंधन पद्धतियों का विकास होगा।

एनएचडीसी में, कारपोरेट अभिशासन प्रणाली प्रतिभागी, पारदर्शी, जिम्मेदारीपूर्ण, विवेकोन्मुखी और समानता पर आधारित है। कंपनी भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट अभिशासन के बारे में जारी सभी दिशा-निर्देशों के अनुपाल के लिए हर संभव प्रयास करती है।

2. **निदेशक मंडल**

एनएचडीसी एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और मध्यप्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है, जिसमें दोनों की इक्विटी भागीदारी क्रमशः 51 और 49 प्रतिशत है। एनएचडीसी के वर्तमान संगम अनुच्छेद के अनुसार कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति एनएचपीसी द्वारा की जायेगी और पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति एनएचपीसी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की सलाह से की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य निदेशकों की नियुक्ति की नियुक्ति का अधिकार भी केवल प्रवर्तकों अर्थात् एनएचपीसी लि. और मध्यप्रदेश सरकार के पास निहित है। बोर्ड के सदस्यों की संख्या 5 से कम और 11 से अधिक नहीं होगी। इन संख्याओं में सभी पूर्णकालिक और अंशकालिक निदेशक शामिल हैं।

कंपनी के संगम अनुच्छेद में यह प्रावधान भी है कि कंपनी में एनएचपीसी और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक अपने पद पर क्रमशः एनएचपीसी और मध्यप्रदेश सरकार की इच्छा अनुसार बने रह सकते हैं। केवल तब तक बने रहेंगे मंडल में प्रबंधक निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की आयु, इनमें जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए की जाती है।

2.1 **बोर्ड का गठन और कार्यकाल**

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में 8 निदेशक हैं, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित एनएचपीसी द्वारा नियुक्ति 1 पूर्णकालिक निदेशक, 2 अंशकालिक निदेशक और 1 स्वतंत्र निदेशक तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नियुक्ति 3 अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। वर्तमान में, बोर्ड और उप-समिति का गठन पूरी तरह कारपोरेट अभिशासन दिशा-निर्देश-2010 के अनुरूप नहीं है। यह मामला स्पष्टीकरण के लिए हमारी धारक कंपनी यानी एनएचपीसी द्वारा लोक उद्यम विभाग को भेजा गया है।

2.2 **बोर्ड की बैठक**

बोर्ड की बैठकों का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है ताकि निदेशकों की व्यापक भागीदारी में मदद पहुंचायी जा सके। किन्तु, इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि बैठकों का आयोजन भोपाल स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जाये।

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की चार बैठकें, 19 मई, 2010, 28 सितम्बर, 2010, 23 दिसम्बर, 2010 और 10 मार्च, 2011 को हुईं।

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या, उनमें निदेशकों की उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की उपस्थिति, निदेशकशिप/कमेटी मेम्बरशिप अर्थात् लेखा समिति एवं अंशधारक शिकायत समिति का विवरण नीचे दिया गया है :

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया	5 जुलाई, 2010 को हुई पिछली वार्षिक आम बैठक की उपस्थिति	31.3.2011 को आयोजित अन्य निदेशक बैठकों की संख्या	31.3.2011 को अन्य कंपनियों में समिति के सदस्यों की संख्या
कार्यकारी निदेशक।					
श्री ए बी एल श्रीवास्तव, सीएमडी।	1	1	लागू नहीं	3	2
श्री के एम सिंह, मुख्य कार्यकारी निदेशक	4	4	हां	शून्य	शून्य
श्री एस के गर्ग*	3	3	हां	2	0
गैर-कार्यकारी निदेशक					
श्री आर के तनेजा, ई.डी. (वित्त), एनएचपीसी।	4	4	हां	शून्य	शून्य
श्री सुधीर कुमार, जेएस (एच), विद्युत मंत्रालय।	4	शून्य	शून्य	6	शून्य
श्री ओ पी रावत, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, एनवीडीडी, मध्य प्रदेश सरकार।	4	3	हां	1	शून्य
श्री रजनीश वैश्य, आईएएस, सदस्य (आर), एनवीडीए, मध्य प्रदेश सरकार।	3	शून्य	नहीं	शून्य	शून्य
श्री एम के जैन, सदस्य (विद्युत), एनवीडीए, मध्य प्रदेश सरकार।	4	4	हां	शून्य	शून्य
श्री आर एस जुलानियॉं, आईएएस, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित।	1	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक (आईडी) /गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक।					
श्री आर जयसीलन,5 $ पूर्व अध्यक्ष -सीडब्ल्यूसी, भारत सरकार।	4	4	नहीं	1	1
श्री रजनीश डोगरे, # मध्य प्रदेश सरकार के नामित।	1	1	नहीं	शून्य	शून्य

* श्री एस के गर्ग, सीएमडी एनएचडीसी सेवानिवृत्ति के बाद 31 दिसम्बर, 2010 से कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त हो गए।

@ श्री आर एस जुलानिया, 26 मई, 2010 से कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त हो गए।

श्री रजनीश डोंगरे, 05 जुलाई, 2010 से कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त हो गए।

$ श्री आर जयसीलन को 24.07.09 से एनएचडीसी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी के निदेशकों का एक दूसरे से परस्पर कोई संबंध नहीं है।

2.3 **निदेशक मंडल का प्रशिक्षण**

कंपनी आवश्यकतानुसार निदेशकों को दस्तावेज एवं पुस्तिकाओं का एक सेट प्रदान करती है, जिसमें कंपनी के कार्यनिष्पादन के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े, संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद, कारपोरेट अभिशासन दिशा निर्देश आदि शामिल होते हैं। इस संदर्भ में होने वाले सेमिनारों/सम्मेलनों के लिए कंपनी के निदेशकों को प्रायोजित भी किया जाता है।

2.4 **कपट और जोखिम प्रबंधन नीति**

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगमित एवं प्रचालनगत उद्देश्यों के अनुरूप और उनसे एकीकृत है। जोखिम प्रबंधन को एक सामान्य व्यापार प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है और विभिन्न समयों पर एक अलग कार्य के रूप में उसे नहीं लिया जाता। कंपनी ने कपट एवं जोखिम प्रबंधन के लिए अलग-अलग नीतियां तय की हैं।

3. **लेखा-परीक्षा समिति**

31 मार्च, 2011 को लेखा-परीक्षा समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

क्र. स.	नाम	पदनाम	श्रेणी
01	श्री आर जयसीलन	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
02	श्री के एम सिंह	सदस्य	पूर्णकालिक निदेशक
03	श्री आर के तनेजा	सदस्य	अंशकालिक निदेशक

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक श्री राजेश डोंगरे के स्थान पर श्री आर जयसीलन की नियुक्ति की गयी। वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की चार बैठकें - 19 मई, 2010, 27 सितम्बर, 2010, 24 दिसम्बर, 2010 और 10 मार्च, 2011 को आयोजित की गयीं। लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं	नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठके जिनमें भाग लिया
1	श्री आर जयसीलन	3	3
2	श्री के एम सिंह	4	4
3	श्री आर के तनेजा	4	4
4#	श्री राजेश डोंगरे	1	1

लेखा-परीक्षा समिति का क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292-क और बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों तथा लेखा-परीक्षा समिति की भूमिका एवं अधिकारों के अनुरूप होने के साथ ही कारपोरेट अभिशासन-2010 के अनुरूप है।

श्री राजेश डोंगरे 05 जुलाई 1010 को कंपनी के निदेशक पद से मुक्त हो गए।

4. **पारिश्रमिक समिति**

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति में निम्नांकित सदस्य थे :

क्र.सं	नाम	पदनाम	श्रेणी
01	श्री आर जयसीलन	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
02	श्री आर के तनेजा	सदस्य	अंशकालिक निदेशक
03	श्री एम के जैन	सदस्य	अंशकालिक निदेशक

वर्ष 2010-11 के दौरान "पारिश्रमिक समिति" की एक बैठक आयोजित की गयी। लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समिति के कार्य क्षेत्र में कार्यपालकों और यूनियन-रहित सुपरवाइजरों के लिए कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन निर्धारित करना शामिल है।

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा और स्वतंत्र निदेशक(ों)/गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों को अदा किए गए सीटिंग शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क. कार्यकारी निदेशक (लाख रु. में)

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कुल
श्री ए बी एल श्रीवास्तव* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	-	-
श्री के एम सिंह मुख्य कार्यकारी निदेशक	28	1	29
श्री एस के गर्ग @	-	-	-

* विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्य भार प्रदान किया है, अतः एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा उन्हें केवल एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पारिश्रमिक दिया जा रहा है।

@ एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया गया। 31.12.2010 को सेवा निवृत्ति के पश्चात् वे एनएचडीसी के सीएमडी पद से कार्य मुक्त हो गए।

ख. स्वतंत्र निदेशक/गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक (रु. में)

निदेशक का नाम	सीटिंग शुल्क
श्री आर जयसीलन	40,000
श्री राजेश डोंगरे #	5,000

5 जुलाई 2010 से कम्पनी के निदेशक पद से कार्य मुक्त हो गए।

5. **आम बैठकें**

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीख, समय और स्थान का विवरण का नीचे दिया गया है:

क) आठवीं वार्षिक आम बैठक 01 अगस्त 2008 को पूर्वाहन 12.30 बजे होटल पैलेस, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित की गयी।

ख) नौवी वार्षिक आम बैठक 23 जुलाई 2009 को पूर्वाहन 12.30 बजे होटल लेक व्यू अशोका, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित की गयी।

ग) 10वीं वार्षिक आम बैठक 05 जुलाई 2010 को पूर्वाहन् 11.15 बजे होटल लेक व्यू अशोका, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित की गयी।

पिछली तीन बैठकों में पारित किए विशेष प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं	बैठक की तारीख	पारित किया गया विशेष प्रस्ताव
1.	22 अप्रैल, 2009 को आयोजित असाधारण आम बैठक	कम्पनी के संगम ज्ञापन के लक्ष्य खंड में संशोधन
2.	17 जून, 2009 को आयोजित असाधारण आम बैठक	कम्पनी के नाम में परिवर्तन
3.	22 अप्रैल, 2009 को आयोजित असाधारण आम बैठक	कम्पनी के संगम अनुच्छेद में संशोधन

6. **प्रकटीकरण**

i. कोई महत्वपूर्ण कारोबार नहीं किया क्योंकि कम्पनी के व्यापक हितों के साथ निदेशकों के बीच संघर्ष की आशंका थी।

ii. सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण का ब्यौरा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 के अनुसार लेखों के हिस्से के रूप में की गई टिप्पणियों के अंतर्गत दिया गया है।

iii. सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखी जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से सम्बन्धित किसी मामले में किसी सांविधिक अधिकारी द्वारा कम्पनी को कोई चेतावनी नहीं दी गयी और कोई जुर्माना नहीं किया गया।

iv. धोखाधड़ी या संभावित धोखाधड़ी, जिसमें कम्पनी का कोई कर्मचारी और एनएचडीसी के साथ किसी प्रकार का बिजनेस करने वाले विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, संविदाकार, परामर्शदाता, सेवा प्रदाता या कोई अन्य पार्टी शामिल हो, की रिपोर्टिंग के लिए एनएचडीसी द्वारा धोखाधड़ी निवारण नीति पहले ही अपनाई जा रही है। इस नीति में धोखाधड़ी की रोकथाम सम्बन्धी तंत्र भी शामिल किया गया है।

v. कम्पनी ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है।

7. **संचार के साधन**

कम्पनी की समूची चुकता पूंजी एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 51:49 के अनुपात में रखी गयी है। कम्पनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठकों और वेबसाइट के जरिये प्रकटीकरण के रूप में शेयरधारकों से संपर्क करती है।

8. **आचार संहिता**

निदेशक मंडल ने कम्पनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए व्यापार संचालन एवं आचरण संहिता निर्धारित की है। इस संहिता (कोड) को कम्पनी की वेबसाइट www.nhdcindia.com पर प्रदर्शित किया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और कम्पनी के महत्वपूर्ण अधिकारियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की घोषणा रिपोर्ट के अनुलग्नक में दी गयी है।

9. **अनुपालन प्रमाण पत्र**

पूर्ण कालिक प्रैक्टिसरत मैसर्स डीपीए एण्ड असोशिएट्स, कम्पनी सचिवों द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गयी है कि कम्पनी ने केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के बारे में अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक की घोषणा।

मैं ए. बी. एल. श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक, एनएचडीसी लिमिटेड एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्यों द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान व्यापार संचालन एवं आचरण संहिता का अनुपालन किया गया है।

हस्ता/-
(ए. बी. एल. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक
डी आई एन : 01601682

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण, एनएचडीसी लिमिटेड
एनएचडीसी परिसर, श्यामला हिल्स
भोपाल

हमने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 को जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश - 2010 और उनके अंतर्गत अनुलंग्नकों में वर्णित दिशा-निर्देशों (जिन्हें इन्हें यहां बाद में 'दिशा-निर्देश' कहा जाएगा) के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड (बाद में जिसे 'कंपनी' कहा जाएगा) में कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी परीक्षा कंपनी द्वारा ऊपर वर्णित दिशा-निर्देशों में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गयी प्रक्रियागत एवं कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्था तक सीमित है। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमें उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी ने ऊपर वर्णित दिशा-निर्देशों में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह भी कहना चाहेंगे कि ऐसा अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही कंपनी के कार्य संचालन में प्रबंधन की प्रभावकारिता की सक्षमता की गारंटी है।

स्थान - भोपाल
तारीख - 04.07.2011

कृते डीपीए असोशिएट्स
कंपनी सचिव,

हस्ता/-
सीएस अमित कुमार जैन
भागीदार
एफसीएस - 6522,
सीपी नम्बर - 7136

अनुलग्नक - क (संदर्भ : पैरा-14 (ग))

ऊर्जा संरक्षण :-

क्र.स.	मांगी गयी जानकारी	उत्तर
(क)	ऊर्जा की बचत के लिए किए गए उपाय	(1) एनएचडीसी कार्यालय भवन और वीआईपी गेस्ट हाउस में सीएफएल लगाए गए हैं। एनएचडीसी परिसर में भी परंपरागत लैम्पों के स्थान पर आउटडोर लाइटिंग के लिए सीएफएल लगाने का प्रस्ताव है। (2.) कार्यालय परिसर में स्प्लिट टाइप एसी लगाए गए हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार ऑन/आफ किया जा सकता है। (3.) उपकरणों का उपयोग करने एवं उपयोग के पश्चात ठीक प्रकार से बंद करने का निर्देश विभिन्न स्थानों पर इंगित किया गया है। (4.) पावर फैक्टर सुधार हेतु एनएचडीसी परिसर में एपीएफसी सिस्टम स्थापित किया गया है।
ख	अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई है, का उपयोग ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।	(1) इंदिरा सागर पावर स्टेशन में पावर फैक्टर सुधार उपकरण लगाया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिकल वितरण प्रणाली की पावर फैक्टर में सुधार किया जा सके। (2) ऊर्जा संरक्षण उपायों के रूप में परियोजना क्षेत्र/पुनर्वास स्थल के आसपास सोलर स्ट्रीट लाइट प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है।
ग	उपरोक्त (क) और (ख) के लिए किए गए उपाय ऊर्जा की खपत और सामान की उत्पादन लागत पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यून करने के लिए किए गए।	उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप विद्युत खपत में कमी आई है। एनएचडीसी अनुसूची में वर्णित उद्योगों की श्रेणी में नहीं है।
घ	प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत और कुल ऊर्जा खपत इस परिशिष्ट के फार्म-ए में संलग्न है।	एनएचडीसी इस अनुसूची में निर्धारित किए गए उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

प्रपत्र-ख

क्र.स.	मांगी गयी जानकारी	उत्तर
क	कंपनी द्वारा वे विशेष क्षेत्र जिनमें अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के कार्य किए गए हैं।	इस वर्ष के दौरान कोई विशेष अनुसंधान एवं विकास कार्य नहीं किया गया।
ख	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास से प्राप्त लाभ।	शून्य
ग	भावी कार्य योजना	इंदिरा सागर/ओमकारेश्वर परियोजना के लगातार चलने और विशेष समस्याओं की पहचान करने के बाद विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं की सलाह से अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जाएगा। "खाली समय / ग्रीष्मकाल के दौरान हेड की क्षति के कारण आईएसपीएस के उत्पादन सयंत्र के निष्पादन पर असर" का अध्ययन।
घ	आर एंड डी पर व्यय (क) पूंजी (ख) आवर्ती (ग) कुल आर एंड डी खर्च जो कि कुल टर्न ओवर का प्रतिशत है।	वर्तमान में अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर कोई विशिष्ट खर्च नहीं किया गया।

प्रौद्योगिकी समावेशन, ग्राह्यता और नवीनीकरण

क्र.स.	चाही गयी जानकारी	जवाब
क	प्रौद्योगिकी समावेशन, ग्राह्यता और नवीनीकरण के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण।	शून्य
ख	उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ यथा उत्पादन में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिष्ठापन आदि।	शून्य

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात की गयी प्रौद्योगिकी।	शून्य

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय

क्र.स.	मांगी गई जानकारी	जवाब
1	निर्यात के क्रियाकलाप; निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय, वस्तु एवं सेवा के विकसित नए निर्यात बाजार और निर्यात योजनाएं।	शून्य
2	विदेशी मुद्रा में कुल आय विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	शून्य शून्य

अनुलग्नक - क (संदर्भ पैरा - 14 (घ))

कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे)

नियमावली, 1975 के साथ पठित (कर्मचारियों का विवरण) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना - शून्य समझी जाए।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण, एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश)

हमने मैसर्स एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश) 31 मार्च, 2011 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ एवं हानि लेखा, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनों और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया कराती है।

भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4ए) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षा के अनुसार और उस जांच के आधार पर जो हमने उचित समझी है तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विर्निष्टि मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

(ii) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

(iii) इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है।

हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।

(iv) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी उनके सामान्य परिपत्र संख्या 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः हमारी राय में इस खंड की अपेक्षों इस कंपनी पर भी लागू नहीं होती हैं।

(vii) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे और अनुसूची 24 में महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों में दी गई अन्य टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं-

(क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2011 को कंपनी की स्थिति का।

(ख) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का।

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

कृते मल्टी असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(हस्ता./-)
(ए के गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं.-84003
एफ आर न. 509955सी

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 14.05.2011

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 मे उल्लिखित)

(i) (क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार इस सत्यापन की आवधिाकता तर्कसंगत है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत किए गए रिकार्डों के अनुसार इस तरह की भौतिक जांच के दौरान उजागर हुई खामियां कोई महत्वपूर्ण नहीं थीं और उन्हें दूर करने के लिए लेखा-बहियों में समुचित व्यवस्था की गई है।

(ग) चूंकि वर्ष के दौरान अचल परिसम्पतित्यों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया, अतः इस कारण से सतत सरोकार के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान मार्गस्थ वस्तुओं को छोड़कर मालसूची का बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।

(ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंधा में तर्कसंगत और पर्याप्त है।

(ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पायी गई है।

(iii) (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य प्राइवेट पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।

(ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते है।

(iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप मालसूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमजोरी सामने नहीं आयी।

(v) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर, हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो। वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन की तर्क-संगतता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार एनएचडीसी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्य प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किन्हीं नियमों के अंतर्गत पब्लिक से कोई जमा-राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

(vii) हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(viii) हमने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(?) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा किए गए बहियों के रखरखाव की स्थिति की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखे और रिकार्ड समुचित रूप से तैयार और अनुरक्षित किए गए हैं। तथापि, हमने सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन लेखा-बहियां का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और बचाव निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2011 को देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई बकाया राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के देयों की राशि 6 लाख़ रुपए (आय कर) है।

(x) कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नही है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।

(xi) अभिलेखों की जांच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर, ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यों को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।

(xiii) कम्पनी एक चिट/निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए इस खंड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xiv) कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है।

(xv) कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) सावधि ऋणों से संबद्ध निधियों के उपयोग की समीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया, जिनके लिए वे उगाहे गये थे।

(xvii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधि का उपयोग दीर्घावधि निवेश के रूप में नहीं किया गया।

(xviii) कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आंवटन नहीं किया है।

(xix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण-पत्र जारी नहीं किया है और इसलिए प्रतिभूति के सृजन या तत्संबधी प्रभार का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार की प्रतिभूति के लिए पब्लिक इश्यू के ज़रिए धन की उगाही नहीं की है, इसलिए किसी पब्लिक इश्यू के ज़रिए उगाहे गए धन के लक्षित इस्तेमाल संबंधी प्रकटीकरण का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(xxi) अपनायी गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन को मिली जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धाड़ी सामने नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते मल्टी असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
हस्ता./-
(ए के गर्ग)
भागीदार
सदस्यता सं.-84003
एफ आर न. 509955 सी

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 14.05.2011

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय ब्यौरों पर अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार की गयी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14 मई, 2011 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय ब्यौरों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है। इसे मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिकों की जांच तक सीमित रखा गया है। इसमें कुछ चुने हुए लेखा रिकॉर्डों की परीक्षा भी की गयी है। लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं आया जिस पर टिप्पणी की जाये या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक रिपोर्ट पेश की जाये।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षरित
(एम के विश्वास)
प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 जून, 2011

तीस्ता- V पावर स्टेशन का विहंगम दृश्य

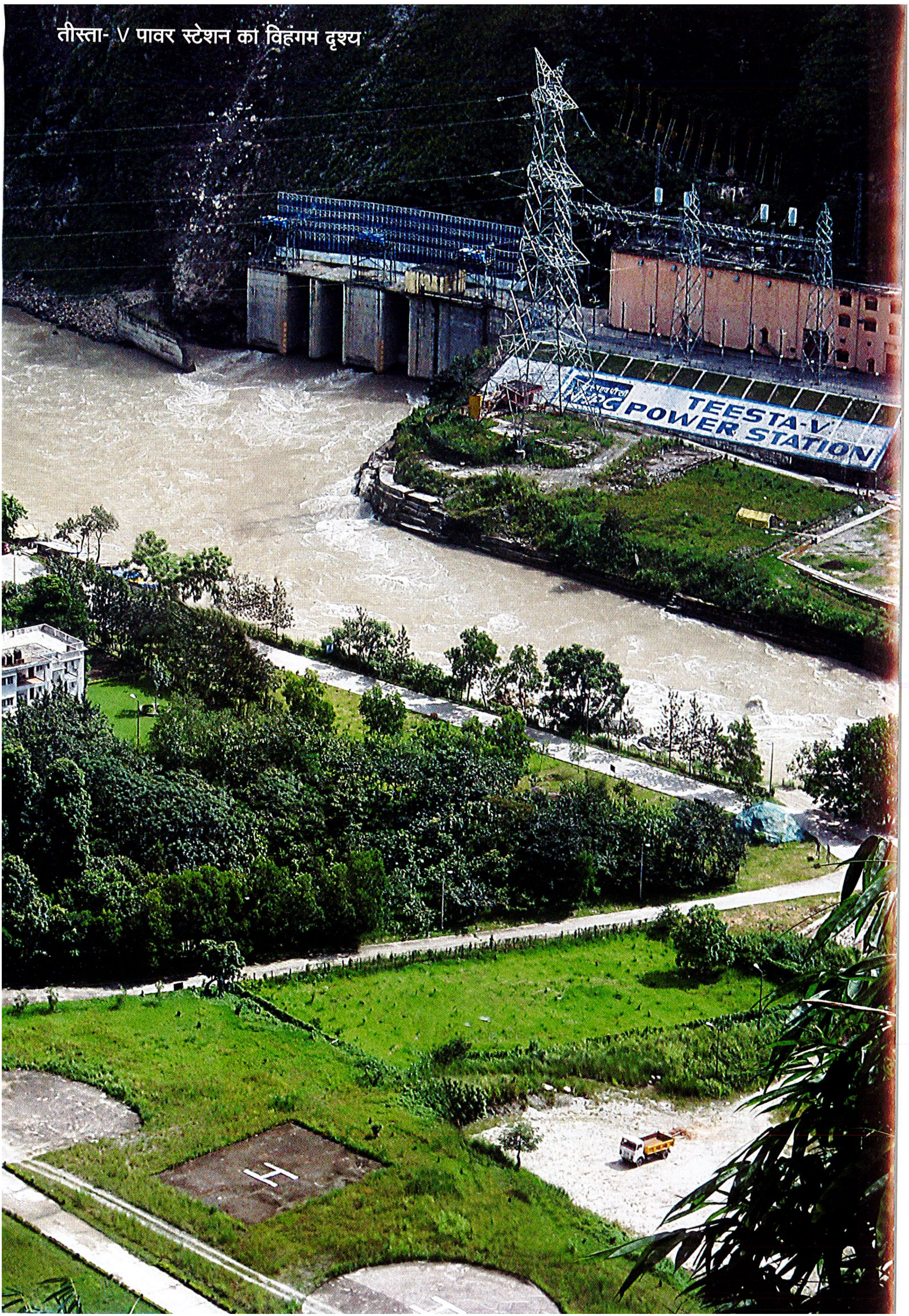

31 मार्च, 2011 के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रुपए में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
निधियों के स्रोत					
क. शेयरधारकों की निधि					
i) शेयर पूंजी	1	196258		196258	
ii) आरक्षी एवं अधिशेष	2	266265	462523	243493	439751
ख. ऋण निधियां					
i) सुरक्षित ऋण	3	220235		248331	
ii) असुरक्षित ऋण	4	-	220235	-	248331
ग. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त राशि			10101		10238
घ. विलंबित कर					
विलंबित कर देयताएं		66217		65136	
घटाएं - प्राप्य विलंबित कर		54613	11604	53835	11301
कुल			**704463**		**709621**
निधियों का उपयोग					
क. स्थिर पूंजी व्यय					
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5				
क) सकल ब्लाक		673806		671364	
घटाएं - मूल्यह्रास		110327		80162	
ख) निवल ब्लाक		563479		591202	
ii) चालू पूंजी कार्य	6	573		434	
iii) निर्माण, भंडार और अग्रिम	7	-	564052	3	591639
ख. निवेश	8		-		-
ग. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9				
i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		-		-	
ii) मालसूची		550		402	
iii) प्रगति पर संविदा कार्य		-		-	
iv) विविध देनदार		30801		39357	
v) नकदी तथा बैंक शेष		133009		103067	
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		6636		5459	
vii) ऋण तथा अग्रिम		4268		3676	
		175264		**151961**	
घटाएं - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10				
i) देयताएं		6697		8308	
ii) प्रावधान		28156		25671	
		34853		**33979**	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां			140411		117982
घ. विविध व्यय (बटटे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)	11		-		-
कुल			**704463**		**709621**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23				
लेखे पर टिप्पणी	24				

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मल्टी असोशिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ताक्षर
आर के तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

हस्ताक्षर
के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

हस्ताक्षर
ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

हस्ताक्षर
ए. के. गर्ग
(भागीदार)
सदस्य संख्या 84003
एफआर न. 509955 सी

हस्ताक्षर
वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
विजय कुमार
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 14.05.2011

एनएचडीसी लिमिटेड

वार्षिक लेखे

लाभ एवं हानि खाता 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
i) बिक्री	12	91703		90268	
घटाएं - टैरिफ समायोजन		-		-	
घटाएं - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	12(क)	(137)	91840	733	89535
ii) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य आय से प्राप्त राजस्व	13		-		-
iii) अन्य आय	14		10735		11058
कुल आय			102575		100593
व्यय					
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15		6257		5147
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	16		6984		4618
iii) मूल्यह्रास	17		25015		24963
iv) ब्याज तथा वित्त प्रभार	18		25732		28229
v) प्रावधान	19		5		48
vi) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	20		-		-
कुल व्यय			63993		63005
कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन			38582		37588
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	21		44		(147)
कर पूर्व लाभ			38538		37735
कराधान हेतु प्रावधान					
i) वर्तमान कर		7685		6418	
ii) छुट-पुट लाभ कर		-			
iii) पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन		138		(1214)	
iv) विलंबित कर		1081		11301	
घटाएं- प्राप्य विलंबित कर समायोजन		(779)	8125	-	16505
कर पश्चात लाभ			30413		21230
पिछले वर्ष के खाते से अग्रेषित शेष			107940		92536
बांड विमोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि			-		-
पूंजी आरक्षी से पश्च लिखित राशि			-		-
अन्य आरक्षित से पश्च लिखित राशि			-		1
स्व-बीमा आरक्षी से पश्च लिखित राशि			-		-
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष			138353		113767
i) पूंजी आरक्षी को अंतरित		-		-	
ii) बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित		-		-	
iii) स्व बीमा निधि को अंतरित		793		3351	
iv) सामान्य आरक्षी को अंतरित		-		-	
v) लाभांश :		-		-	
- अंतरिम		-		-	
- प्रस्तावित		3925		2123	
vi) लाभांश पर कर		-		-	
- अंतरिम		-		-	
- प्रस्तावित		637	5355	353	5827
तुलन-पत्रक को ले जाया गया शेष			132998		107940
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेयर)					
बुनियादी (ईपीएस)			154.96		108.17
तनूकृत (ईपीएस)			154.96		108.17
निर्माण के दौरान व्यय	22				
लेखांकन नीतियां	23				
लेखाओं पर टिप्पणियां	24				

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मल्टी असोशिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ताक्षर
आर के तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

हस्ताक्षर
के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

हस्ताक्षर
ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

हस्ताक्षर
ए. के. गर्ग
(भागीदार)
सदस्य संख्या 84003
एफआर न. 509955 सी

हस्ताक्षर
वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
विजय कुमार
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 14.05.2011

अनुसूची 1 - शेयर पूंजी

(लाख़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2011 के अनुसार	31 मार्च 2010 के अनुसार
प्राधिकृत		
: प्राधिकृत पूंजी : 1000/-रुपए प्रत्येक के 30000000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 30000000)	300000	300000
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त :	196258	196258
1000/- रुपए प्रत्येक के 1,96,25,800 (पिछले वर्ष 1,96,25,800) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर। उक्त में से 1,00,,24,,200 (पिछले वर्ष 1,00,24,200) शेयर धारक कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद को और 96,01,600 (पिछले वर्ष 96,01,600) शेयर मध्यप्रदेश सरकार को आवंटित किये गये हैं।		
टिप्पणी		
उक्त इक्विटी शेयरों में से 74,83,528 (पिछले वर्ष 74,83,528) शेयरों को समझौता ज्ञापन के अनुपालन में नकदी प्राप्त हुए बिना पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों (मध्यप्रदेश सरकार के शेयरों सहित) के रूप में आवंटित किया गया था।		
कुल	196258	196258

अनुसूची-2 : आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को					31 मार्च 2010 को				
	01.04.2010	वर्धन	कटौतियां	समायोजन	31.03.2011	01.04.2009	वर्धन	कटौतियां	समायोजन	31.03.2010
क. बॉण्ड विमोचन आरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. सामान्य आरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. लाभ एवं हानि खाता	107940	30413	5355	-	132998	92536	21230	5827	1	107940
घ. स्व-बीमा आरक्षित	15258	793	-	-	16051	11907	3351	-	-	15258
ङ सहायता अनुदान आरक्षित										
i इंदिरा सागर परियोजना के सिंचाई घटकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सहायता अनुदान के तौर पर समानुपातिक अंशदान।	33413	-	1540	(209)	31664	34917	53	1557	-	33413
ii एनवीडीए लेखे से हस्तांतरित सरदार सरोवर परियोजना हेतु आर्थिक सहायता।	42703	-	1968	(267)	40468	44626	67	1990	-	42703
iii इंदिरा सागर परियोजना के आर एंड आर कार्यों हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अंशदान।	22565	3393	1021	-	24937	22953	500	888	-	22565
iv ओमकारेश्वर परियोजना के सिंचाई घटकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सहायता अनुदान के तौर पर समानुपातिक अंशदान।	16453	-	883	(41)	15529	17516	-	882	(181)	16453
v ओमकारेश्वर परियोजना के आर एंड आर कार्यों हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अंशदान।	5161	-	169	(374)	4618	3745	1598	182	-	5161
कुल	243493	34599	10936	(891)	266265	228200	26799	11326	(180)	243493

अनुसूची-3-ऋण निधियां प्रतिभूत

(लाख़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
सावधि ऋण		
i) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत	220235	248331
ii) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत	-	-
iii) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से दीर्घावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत	-	-
iv) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज-भारतीय मुद्रा-प्रतिभूत (अनुसूची-3 का अनुबंध देखें)	-	-
कुल	220235	248331

टिप्पणी

उपरोक्त बकाया सावधि ऋण चल संपत्ति/अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों को ऋणदाताओं के पक्ष में रेहन रख कर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित किया गया है और सम्बद्ध विद्युत स्टेशन की

अनुसूची-3 का अनुबंध

ऋण निधियां -प्रतिभूत

(लाख़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
दीर्घवधि ऋण		
क. इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन		
i सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 3120 लाख़ रुपए) (30.09.09 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	24960	28080
ii देना बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 2642 लाख़ रुपए) (30.09.09 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	21135	23777
iii देना बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 2250 लाख़ रुपए) (31.03.10 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	18854	18667
iv एचडीएफसी बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 3726 लाख़ रुपए) (30.09.09 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	29804	33530
v एचडीएफसी बैंक (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 2239 लाख़ रुपए) (31.03.10 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	19032	18802

अनुसूची-3 का अनुबंध *(जारी)*

ऋण निधियां -प्रतिभूत (लाख़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2011 को
vi	यूनाइटिड बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 650 लाख़ रुपए) (30.09.09 से 20 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)	5200	5850
vii	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	-	3750
viii	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	1125
	उप जोड़ (क)	118985	133581
ख.	ओमकारेश्वर विद्युत स्टेशन		
i	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (एक वर्ष के भीतर चुकौती हेतु देय 13500 लाख़ रुपए)	101250	114750

अनुसूची-3 का अनुबंध *(जारी)*

ऋण निधियां -प्रतिभूत (लाख़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2011 को
(15.01.2009 से प्रारंभ होने वाली 20 समान अध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाने वाला)		
उप जोड़ (ख)	101250	114750
कुल (क/ख)	220235	248331

अनुसूची-3 ऋण निधियां अपप्रतिभूत

(स्दलू ग्ह थ्मे)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2011 को
कुल	-	-

अनुसूची 5- अचल परिसंपत्तियां

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				विशुद्ध ब्लॉक	
		01.04.2010 के अनुसार	संवर्धन/ समायोजन अंतर यूनिट हस्तांतरण के कारण	संवर्धन/ समायोजन अन्य के कारण	कटौती/ समायोजन अंतर यूनिट हस्तांतरण के कारण	कटौती/ समायोजन अन्य के कारण	31 मार्च, 2011 को	01.04.2010 के अनुसार	अवधि के लिए	समा-योजन*	31 मार्च, 2011 को	31 मार्च, 2011 को	31 मार्च, 2010 को
		1	2 क	2 ख	3 क	3 ख	4	5	6	7	8	9	10
1	भूमि-फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भूमि-लीजहोल्ड	176	-	-	-	-	176	26	6	-	32	144	150
3	भूमि-अवर्गीकृत/उपयोग का अधिकार	224217	-	2313	-	(749)	225781	24126	7875	-	32001	193780	200091
4	भवन	65662	-	306	-	(263)	65705	8525	2211	(242)	10494	55211	57137
5	सड़कें और पुल	1172	-	10	-	(123)	1059	231	40	(123)	148	911	941
6	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	216612	-	70	-	(3)	216679	23911	11446	-	35357	181322	192701
8	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	156435	-	523	-	(2)	156956	20902	8275	(3)	29174	127782	135533
9	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	2412	-	1	-	(1)	2412	298	128	-	426	1986	2114
10	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	295	-	73	-	(1)	367	36	17	(1)	52	315	259
11	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	321	-	92	-	(1)	412	86	18	(1)	103	309	235
12	निर्माण उपकरण	572	-	14	-	(2)	584	206	64	1	271	313	366
13	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	237	-	-	-	-	237	20	8	-	28	209	217
14	विद्युतीय संस्थापनाएं	9	-	-	-	-	9	5	-	-	5	4	4
15	वाहन	123	-	7	-	(12)	118	88	5	(10)	83	35	35
16	विमान/नौकें	15	-	-	-	(2)	13	13	1	(2)	12	1	2
17	फर्नीचर और फिक्सचर	462	-	21	-	(14)	469	171	32	(11)	192	277	291
18	कम्प्यूटर	231	-	11	-	(21)	221	181	19	(20)	180	41	50
19	संचार उपकरण	50	-	1	-	(4)	47	14	3	(2)	15	32	36
20	अन्य उपकरण	234	-	32	-	(8)	258	90	18	(7)	101	157	144
21	अनुसंधन और विकास	-	-	6	-	-	6	-	1	-	1	5	-
22	अगोचर आस्तियां (सॉफ्टवेयर)	6	-	75	-	-	81	6	25	-	31	50	0
23	अन्य आस्तियां	207	-	21	-	(5)	223	58	13	(4)	67	156	149
24	उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	1792	-	112	-	-	1904	1059	381	41	1481	423	733
25	गौण मूल्य की अचल आस्तियां झ750 और ढ5000 रुपये।	110	-	11	-	(48)	73	110	10	(47)	73	0	0
26	अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	14	-	2	-	-	16	-	-	-	-	16	14
कुल		671364	0	3701	0	(1259)	673806	80162	30596	(431)	110327	563479	591202
पिछले वर्ष के आंकड़ें		669404	3	5973	(3)	(4013)	671364	49903	30462	(203)	80162	591202	619501

"अवर्गीकृत भूमि /उपयोग का अधिकार पर निर्मित 443010 लाख रुपये के (पिछले वर्ष 442341 लाख रुपये) पूंजीगत कार्यों सहित अचल आस्तियां संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

टिप्पणी

वर्ष के लिए मूल्यहास	30596
लाभ व हानि खाते में भारित	25015
ईडीसी में भारित	-
सहायता अनुदान आरक्षित में भारित	5581

* 'पूर्व अवधि मदों और वर्ष के दौरान अन्य समायोजनों को दर्शाते हैं।

** इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय को पूरी तरह से लेखांकन नीति 2.3 और व्यय को लेखांकन नीति संख्या 5.8 के अनुसार दर्ज किया जायेगा।
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौतियों को दर्शाते हैं।

अनुसूची-6-चालू पूंजी कार्य

(लाख रुपये में)

	विवरण	01.04.2010 के अनुसार पूंजीकृत	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2011 के अनुसार
i)	भवन	213	326	-	(316)	223
ii)	सड़कें और पुल	-	145	-	(10)	135
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-
iv)	बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग आदि	-	72	-	(70)	2
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	469	-	(469)	-
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	47	2	(47)	(2)	-
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	-	16	-	(16)	-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-	92	-	(92)	-
ix)	निर्माण उपकरण	-	10	-	(10)	-
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-	-	-	-	-
xi)	संस्थापना का इंतज़ार कर रही अन्य परिसंपत्तियां	3	-	-	(3)	-
xii)	अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
xiii)	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	58	54	-	(112)	-
xiv)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	113	129	(29)	-	213
xv)	आर एंड आर तथा पूरक वृक्षारोपण पर व्यय	-	-	-	-	-
xvi)	निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (ईडीसी)	-	-	-	-	-
	कुल	**434**	**1315**	**(76)**	**(1100)**	**573**
	पिछले वर्ष के आंकड़े	**684**	**856**	**(93)**	**(1013)**	**434**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौतियों को दर्शाते हैं।

अनुसूची 7 निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को		31 मार्च, 2010 को	
क. निर्माण भंडार (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित)				
1. भंडार तथा कलपुर्जे	-		-	
2. खुले औजार	-		-	
3. रद्दी मालसूची	-		-	
4. परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	-		-	
5. संविदाकारों/फॅब्रिकेटरों को जारी सामग्री	-		-	
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान * 1	-		-	
उप जोड़	-		-	-
ख) पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
1. प्रतिभूत (अच्छे माने गए)			-	
2. अप्रतिभूत- बैंक गारंटी के प्रति (अच्छे माने गए)			-	
3. अप्रतिभूत अन्य (अच्छे माने गए)			3	
4. अप्रतिभूत -संदिग्ध समझे गए			-	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान * 2			-	
उप जोड़	-			3
कुल	-			3
* प्रावधानों के ब्यौरे				
1 **निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन-अनुसूची 19 (iv)	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित-अनुसूची 14 ई (डी) के अनुसार	-		-	
अंतिम शेष	-	-		-
2 **संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार			-	
वर्ष के दौरान वर्धन-अनुसूची 19 (ii)			-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि			-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित-अनुसूची 14 ई (बी) के अनुसार			-	
अंतिम शेष	-	-	-	-

अनुसूची 8 - निवेश

लाख रुपये में

विवरण	शेयर/बांड/प्रतिभूतियों की संख्या वर्तमान वर्ष/(पिछले वर्ष)	प्रति शेयर/बांड/प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपये में)	31 मार्च 2011	31 मार्च 2010
दीर्घावधि (व्यापार - जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों)				
क. उद्धृत			-	-
इक्विटी शेयर /				
उप-जोड़ (क)				
ख. अनुद्धृत			-	-
(क) अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर				
(ख) बांड्स				-
बांड्स /				
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त राज्य सरकार विशेष बॉण्ड				
उप-जोड़ (ख)				
/ डी-मैट रूप में				
उद्धृत निवेश				
(i) संचयी लागत				
(ii) संचयी बाजार मूल्य				
- एनएससी उद्धृत			-	-
- बी.एससी उद्धृत				
अनुद्धृत निवेश				
संचयी लागत			-	-
कुल			-	-

अनुसूची -9 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च , 2011 को			31 मार्च , 2010 को		
क. निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		-	-		-	-
ख. माल सूचियां (प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)						
i) भंडार तथा कल पुर्जे		376			305	
ii) खुले औजार		8			1	
iii) कबाड़ माल सूची		17			24	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ		62			19	
v) निर्माण स्थल पर सामान		97			63	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान		-			-	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जों के लिए प्रावधान *1		(10)	550		(10)	402
ग. चालू पूंजी कार्य						
i) चालू निर्माण कार्य (ग्राहकों की ओर से)		-			-	
ii) चालू परामर्शी कार्य (ग्राहकों की ओर से)		-	-		-	-
घ. विविध देनदार						
i) 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण						
अच्छे समझे गए (एनएचडीसी, एमपीट्रेडकं. और एमपीसेब के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौत के अनुसार ईएमआई के जरिए वसूली योग्य)		13523			24963	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए		-			-	
ii) अन्य ऋण		-			-	
- अच्छे माने गए		14420			8363	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए		-			-	
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *2		-			-	
बिजली की बिक्री के लिए देनदार-बिल न किए गए		2858	30801		6031	39357
ङ नकद एवं बैंक शेष						
i) हाथ में नकदी (2.02 लाख रुपए के हस्तगत/मार्गस्थ चैक, ड्राफ्ट, स्टाम्प्स शामिल हैं, पिछले वर्ष 5 लाख रुपए)		3			11	
ii) बैंक शेष						
अधिसूचित बैंकों के साथ						
- चालू खाते में		5261			2398	
बचत खाते में (स्व-बीमा आकस्मिकताओं के लिए निर्धारित जमा राशि सहित)		127745			100658	
अन्य बैंकों के साथ						
- चालू खाते में		-			-	
- बचत खाते मे		-	133009		-	103067
च. अन्य वर्तमान देयताएं						
i) जमा राशियों पर प्रोदभूत ब्याज		4673			3374	
ii) अन्य		1144			871	
iii) अन्य एजेंसियों से वसूली योग्य दावे		892			1282	
घटाएं - संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान *3		(73)			(68)	
iv) स्व - बीमा आरक्षी से वसूली योग्य दावे		-	6636		-	5459
छ. ऋण तथा अग्रिम						
क) ऋण						
(i) कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)						
- प्रतिभूत	863			819		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	55			107		
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
(ii) उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-	918		-	926	
ख) अग्रिम (नकदी अथवा मूल्य हेतु वस्तु रूप में वसूली योग्य)						
i) धारक कंपनी						
- प्रतिभूत	-			-		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-			-		
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
ii) संविदाकार तथा आपूर्तिकर्ता						
- प्रतिभूत	-			-		
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)						
- बैंक गारंटियों से कवर किए गए	8			14		
- अन्य	44			132		
अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
iii) कर्मचारी						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-			59		
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
iv) अन्य अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-			-		
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			-		
घटाएं - संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान '4	-			-		
v) अद्ध अन्य वसूली योग्य	-	52		-	205	
ग) जमा						
अग्रिम आय कर और स्रोत पर काटा गया कर	21520			17649		
घटाएं - चालू कराधान हेतु प्रावधान *5	18222	3298	4268	15104	2545	3676
कुल			175264			151961

कोष्टकों में आंकड़े कटौतियों को दर्शाते हैं

(लाख रुपये में)

अनुसूची -9 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम *(जारी)*

	31.03.2011	31.03.2010
गैर- अधिसूचित बैंकों के साथ वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे	0	0
निदेशकों से देय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे		
अवधि के अंत में देय राशि	3	7
वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम राशि	7	7

उन कंपनियों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - की राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

धारक कंपनी की ओर वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया के ब्योरे		31.03.2011		31.03.2010
एनएचपीसी लिमिटेड		(208)		(270)
प्रावधानों के ब्यौरे				
अप्रचलित भंडार तथा कलपुर्जों हेतु प्रावधान *1				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10		10	
अनुसूची 19 के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि-अनुसूची 14 ई (डी) के अनुसार	-		-	
अंतिम शेष		10		10
सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
अनुसूची 19 के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि-अनुसूची 14 ई (ए) के अनुसार	-		-	
अंतिम शेष		-		-
खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	68		22	
अनुसूची 19 के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन	5		47	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		1	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि-अनुसूची 14 ई (सी) के अनुसार	-		-	
अंतिम शेष		73		68
संदेहास्पद ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान *4				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
अनुसूची 19 के अनुसार वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
कराधान हेतु प्रावधान *5				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	15104		16067	
वर्ष के दौरान वर्धन	7823		6418	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	4705		6167	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		1214	
अंतिम शेष		18222		15104

(लाख रुपये में)

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

विवरण		31 मार्च, 2011 को		31 मार्च, 2010 को
क. देयताएं				
1. विविध देनदार				
(क) लघु औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)	-		-	
(ख) मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)	-		-	
(ग) अन्य	4976		6442	
2. जमा/एजेंसी पर व्यय न की गई राशि	-		-	
3. जमा राशि/प्रतिधारण राशि	749		750	
4. जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	-		-	
घटाएं - जमा कार्यों पर खर्च राशि	-		-	
5. ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	561		636	
6. ग्राहकों/ठेकेदारों से अग्रिम/जमा	-		-	
घटाएं - परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में व्यय की गई राशि	-		-	
7. सहायता अनुदान -जिनका उपयोग लंबित है।	-		-	
8. अनुषंगी/धारक कंपनी की ओर बकाया	208		270	
9. विदेशी मुद्रा खाते में उतार-चढाव से विलंबित आय	-		-	
10. अन्य देयताएं	203		210	
कुल देयताएं (क)		6697		8308
ख. प्रावधानों के ब्यौरे				
1. प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2123		4592	
वर्ष के दौरान वर्धन	3925		2123	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2123		4592	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		3925		2123
2. प्रस्तावित लाभांश पर कर				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	353		781	
वर्ष के दौरान वर्धन	637		353	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	353		781	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		637		353

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान (जारी)

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2011 को			31 मार्च, 2010 को	
3. मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3522			2355		
वर्ष के दौरान वर्धन	1199			1175		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1389			8		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-		
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम कर	561			1037		
अंतिम शेष		2771			2485	
4. प्रोत्साहन/पीआरपी हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	225			234		
वर्ष के दौरान वर्धन	1083			247		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	197			204		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	11			52		
अंतिम शेष		1100			225	
5. छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	331			403		
वर्ष के दौरान वर्धन	284			164		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	46			236		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-		
अंतिम शेष		569			331	
6. उपदान हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	232			206		
वर्ष के दौरान वर्धन	245			32		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	16			6		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-		
अंतिम शेष		461			232	
7. आरईएचएस हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	107			82		
वर्ष के दौरान वर्धन	53			25		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-		
अंतिम शेष		160			107	
8. अवकाश यात्रा रियायत हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	36			37		
वर्ष के दौरान वर्धन	29			44		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	25			45		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	11			-		
अंतिम शेष		29			36	
9. अवकाश यात्रा रियायत पर एम.सी. हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	38			47		
वर्ष के दौरान वर्धन	34			19		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	4			28		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-		
अंतिम शेष		68			38	
10. टीटीए (सेवा निवृत्ति बैगेज भत्ता) हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	20			25		
वर्ष के दौरान वर्धन	12			-		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			5		
अंतिम शेष		32			20	
11. प्रावधान-अन्य						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	3600			3692		
वर्ष के दौरान वर्धन	-			-		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	41			92		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-		
अंतिम शेष		3559			3600	
12. कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-			-		
वर्ष के दौरान वर्धन	275			-		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-		
अंतिम शेष		275			-	
13. प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16121			21298		
वर्ष के दौरान वर्धन	-			-		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1551			1509		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			3668		
अंतिम शेष		14570			16121	
कुल प्रावधान (ख)			28156			25671
कुल (क/ख)			34853			33979

अनुसूची - 11 विविध व्यय के लिए प्रावधान

(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को		31 मार्च, 2010 को	
प्रारंभिक व्यय		-		
अन्य विलंबित राजस्व व्यय	-	-	-	-
शेयर जारी करने का व्यय (आईपीओ)	-	-	-	-
समायोजन प्रतीक्षित व्यय	-		-	
घटाएं-बट्टे खाते में डाले जाने वाले परियोजना खर्च की स्वीकृति के लिए प्रावधान	-	-	-	-
बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	1		1	
घटाएं -जांच लंबित हानियों के लिए प्रावधान	(1)	-	(1)	-
कुल		-		-

अनुसूची 12 - बिक्री

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
विद्युत की बिक्री	88144	80205
बिल न की गई बिक्री	2614	6031
पिछले वर्ष की बिक्री	945	4032
विद्युत की बिक्री (एमएटी)	-	-
विद्युत की बिक्री (एफबीटी)	-	-
घटाए - विद्युत के उत्पादन से आय - चालू होने से पूर्व (अनुसूची 22 1 (प) को अंतरित)	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	91703	90268

अनुसूची 12क - मूल्यहास के प्रति अग्रिम

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान	-	733
घटाएं - वर्ष के दौरान पश्च लिखित	137	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	(137)	733

अनुसूची 13 - संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
संविदा आय	-	-
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से आय	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	-	-

अनुसूची 14 - अन्य आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) दीर्घावधि निवेश से आय	-	-
क) व्यापार		
- अनुषंगियों से लाभांश	-	-
- लाभांश-अन्य	-	-
- ब्याज सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
ख) गैर-व्यापार	-	-
- लाभांश-अन्य	-	-
ii) अन्य आय	-	-
क) ब्याज	-	-
- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-	-
- इंडियन बैंक (सकल) (स्रोत पर कर कटौती रु. 867 लाख, पिछले वर्ष रु. 1010 लाख)	8455	7307
- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	55	58
- लाभग्राही राज्यों से ब्याज (स्रोत पर कर कटौती रु. 193 लाख, पिछले वर्ष रु. 178 लाख)	1930	3014
- अन्य (स्रोत पर कर कटौती रु. शून्य, पिछले वर्ष रु. 33 लाख)	-	292
ख) विलंब भुगतान अधिभार	11	163
ग) परियोजना के अंतरण पर लाभ	-	-
घ) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	2
ङ) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है #	78	76
च) विनिमय दर अंतर	-	-
छ) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव समायोजन (ऋण)	-	-
ज) -अन्य (स्रोत पर कर कटौती रु. 0.15 लाख, पिछले वर्ष रु. 0.48 लाख)	206	146
कुल	10735	11058

अनुसूची 14 - अन्य आय (जारी)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22 ई (ii), 22 आई (i) से (vi) तथा 22 जे (i))	-	-
घटाएं - संविदा, तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	10735	11058
# प्रावधान/देयताओं का ब्यौरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है।		
क) खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	-
ख) खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-	-
ग) खराब तथा संदिग्ध दावे	-	-
घ) भण्डार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	-	-
ङ) भण्डार तथा कलपुर्जो में कमी	-	-
च) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	-	-
छ) निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान	-	-
ज) मजदूरी संशोधान हेतु प्रावधान	-	-
झ) लंबित जांच हानियों के लिए प्रावधान	-	-
ञ) प्रोत्साहन/पीआरपी हेतु प्रावधान	11	52
ट) शुल्क समायोजन के लिए प्रावधान	-	-
ठ) अन्य प्रावधान / देयताएं जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	67	24
कुल	78	76

अनुसूची 15 - उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) भंडार एवं कलपुर्जो की खपत	256	255
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण :		
- भवन	493	424
- मशीनरी	562	484
- अन्य	946	651
iii) किराया/भाड़ा खर्च	369	295
iv) दरें और कर	36	12
v) बीमा	672	11
vi) स्वः बीमा आरक्षित से खर्च अदायगी	-	-
vii) सुरक्षा व्यय	390	414
viii) विद्युत प्रभार	1078	1053
ix) यात्रा एवं वाहन	107	112
x) स्टाफ कार पर व्यय	21	34
xi) टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	48	48
xii) विज्ञापन एवं प्रचार	58	65
xiii) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	15	19
xiv) चंदा	-	-
xv) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	63	51
xvi) पुस्तकें व पत्रिकाएं	6	2
xvii) परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	164	72
xviii) परामर्शी प्रभार -विदेशी	-	-
xix) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	-	-
xx) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-	600
xxi) बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय	-	-
xxii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	1	2
xxiii) बट्टे खाते डाले गए स्थगित राजस्व व्यय	-	-
xxiv) बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय	-	-
xxv) बट्टे खाते डाले गए सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय	29	-
xxvi) बट्टे खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे	-	-
xxvii) बट्टे खाते डाले गए भंडार	-	-
xxviii) बट्टे खाते डाली गयी अचल परिसम्पत्तियां	-	1
xxix) पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	1	-
xxx) कारपोरेट सामाजिक दायित्व/स्थायी विकास व्यय	425	127
xxxi) अन्य सामान्य खर्च	509	407
xxxii) विनिमय दर अंतर	-	-
xxxiii) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव समायोजन (ऋण)	-	-
xxxiv) लेखा परीक्षा खर्च	8	8
xxxv) निदेशक खर्च	-	-
xxxvi) अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
कुल	6257	5147
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22ख, 22ग, 22ई(i), तथा 22 जे (i i))	-	-
घटाएं - संविदा और परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	6257	5147

अनुसूची 16 - कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) वेतन, मजदूरी, भत्ता।	5789	3838
ii) उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	772	430
iii) स्टाफ कल्याण व्यय	423	350
iv) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-	-
कुल	6984	4618
घटाएं: ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 22ए तथा 22जे (3))	-	-
घटाएं: संविदा तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	6984	4618

अनुसूची 17 - मूल्यह्रास

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	30596	30462
कुल	30596	30462
घटाएं: ईडीसी को अंतरित (देखें अनुसूची - 22 जी तथा 22जे (4))	-	-
घटाएं: संविदा तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	-	-
घटाएं: सहायता अनुदान से अंतरित-आरक्षी (बट्टे खाते में डाले गए अनुदान) (अनुसूची 2 देखें)	5581	5499
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	25015	24963

अनुसूची- 18 ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) निम्नलिखित पर ब्याज -		
(क) भारत सरकार से ऋण	-	-
(ख) बॉण्ड	-	-
(ग) विदेशी ऋण	-	-
(घ) सावधि ऋण	24923	27407
(ङ) नकदी ऋण सुविधों/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
(च) अन्य ब्याज प्रभार	-	-
ii) ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	-	-
iii) हेजिंग कारोबार पर हानि	-	-
iv) बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
v) बट्टे खाते में डाला गया शेयर इश्यू व्यय	-	-
vi) ग्राहकों को छूट	798	789
vii) प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
viii) ऋण पर गांरटी शुल्क	-	-
ix) रॉयल्टी	-	-
x) लाभग्राही राज्यों को ब्याज	-	-
xi) बैंक प्रभार	3	3
xii) अन्य वित्त प्रभार	8	30
कुल	25732	28229
घटाएं - ईडीसी को अंतरित करके पूंजीकृत किए गए ब्याज एवं वित्त प्रभार (देखें अनुसूची - 22 डी तथा 22जे (5))	-	-
घटाएं -संविदा तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित ब्याज एवं वित्त प्रभार (देखें अनुसूची - 20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	25732	28229

अनुसूची- 18 ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	-	-
ii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-	-
iii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	5	47
iv) भंडार तथा कलपुर्जो के मूल्य में कमी	-	-
v) भंडार तथा कलपुर्जो में कमी	-	-
vi) निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
vii) प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	-	-
viii) अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान	-	1
ix) प्रावधान किए गए अन्य व्यय	-	-
कुल	5	48
घटाएं - ईडीसी को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 22 एफ)	-	-
घटाएं - संविदा तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित प्रावधान (देखें अनुसूची - 20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	5	48

अनुसूची - 20 संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) प्रत्यक्ष व्यय	-	-
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	-	-
- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान	-	-
- कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
iii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	-	-
- भवन	-	-
- मशीनरी तथा निर्माण उपकरण	-	-
- अन्य	-	-
iv) प्रशासन तथा अन्य व्यय	-	-
- किराया/किराया प्रभार	-	-
- यात्रा एवं वाहन	-	-
- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	-	-
- बीमा	-	-
- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	-	-
- विज्ञापन एवं प्रचार	-	-
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	-
- लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-	-
- अन्य व्यय	-	-
- दरें और कर	-	-
- सुरक्षा	-	-
- विद्युत	-	-
- आकस्मिकताएं	-	-
- परामर्शी प्रभार	-	-
- ईआरवी	-	-
v) मूल्यह्रास	-	-
vi) ब्याज तथा वित्त प्रभार	-	-
vii) निर्माण संविदाओं पर हानि	-	-
viii) प्रावधान	-	-
ix) चालू कार्य	-	-
- निर्माण संविदा	-	-
- परामर्शी संविदा	-	-
x) निगमित कार्यालय व्यय	-	-
कुल व्यय	-	-
घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली	-	-
वर्ष के दौरान निवल व्यय	-	-
पूर्वावधि समायोजन	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	-	-

अनुसूची - 21 पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
i) विद्युत की बिक्री	-	-
ii) मूल्यहास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	-	-
iii) देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-	-
iv) अन्य	-	5
व्यय		
i) वेतन तथा मजदूरी	2	1
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	-	-
iii) ब्याज	-	-
iv) अन्य	-	1
v) मूल्यहास	42	(144)
कुल	44	(147)
घटाएं - ईडीसी को अंतरित व्यय - (देखें अनुसूची 22एच तथा 22 जे(7)) पूर्वावधि व्यय	-	-
घटाएं - पूर्वावधि आय	-	-
कुल	-	-
घटाएं - संविदा तथा परामर्शी कार्य को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)	-	-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल	44	(147)

अनुसूची - 22 - निर्माण के दौरान व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
i) - वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	-	-
ii) - उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	-	-
iii) -स्टाफ कल्याण व्यय	-	-
iv) - अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	-	-
उप जोड़	-	-
ख मरम्मत तथा अनुरक्षण		
i) भवन	-	-
ii) मशीनरी	-	-
iii) अन्य	-	-
उप जोड़	-	-
ग प्रशासन तथा अन्य व्यय		
i) किराया/किराया प्रभार	-	-
ii) दरें और कर	-	-
iii) बीमा	-	-
iv) सुरक्षा व्यय	-	-
v) विद्युत प्रभार	-	-
vi) यात्रा एवं वाहन	-	-
vii) स्टाफ कार पर व्यय	-	-
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	-	-
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	-	-
x) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार	-	-
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	-
xii) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-	-
xiii) डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार		
- स्वदेशी	-	-
- विदेशी	-	-
xiv) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	-	-

अनुसूची - 22 - निर्माण के दौरान व्यय (जारी)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
xv) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-	-
xvi) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-	-
xvii) बटटेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	-	-
xviii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-
xix) अन्य सामान्य व्यय	-	-
उप जोड़	-	-
घ. ब्याज तथा वित्त प्रभार		
i) निम्नलिखित पर ब्याज -		
(क) भारत सरकार का ऋण	-	-
(ख) बॉण्ड	-	-
(घ) सावधि ऋण	-	-
(ख) सावधि ऋण	-	-
(ङ) नक़द ऋण सुविधा/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
(च) ब्याज लागत में समायोजित समझे गए विनिमय अंतर	-	-
ii) हेजिंग कारोबार पर हानि	-	-
iii) बांड निर्गम सेवा व्यय	-	-
iv) प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
v) ऋण पर गांरटी शुल्क	-	-
vi) अन्य वित्त प्रभार	-	-
उप जोड़	-	-
ङ विनिमय दर अंतर (निवल)		
i) विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)	-	-
ii) घटाएं - विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)	-	-
उप जोड़	-	-
च. प्रावधान	-	-
उप जोड़	-	-
छ. मूल्यहास	-	-
उप जोड़	-	-
ज पूर्व अवधि समायोजन		
i) पूर्व अवधि व्यय	-	-
ii) घटाएं - पूर्व अवधि आय	-	-
उप जोड़	-	-
झ. घटाएं प्राप्तियां और वसूलियाँ		
i) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	-	-
ii) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	-	-
iii) विविध प्राप्तियां	-	-
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
v) ग) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान	-	-
vi) घ) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न	-	-
उप जोड़	-	-
ञ) जोड़ें : निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
i) अन्य आय	-	-
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	-	-
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	-	-
iv) मूल्यहास	-	-
v) ब्याज तथा वित्त प्रभार	-	-
vi) प्रावधान	-	-
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)	-	-
उप जोड़	-	-
चालू पूंजी कार्य को अंतरित राशि (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ)-ञ)-झ	-	-

अनुसूची - 23 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन संबंधी परम्पराएं**

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते हैं।

2. **अचल परिसंपत्ति**

2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन संपत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

2.3 जहाँ न तो भूमि और परिसंपत्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंधा में अस्थायी रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तातंरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.6 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत अधिप्राप्त की जाने वाली/बनाई जाने वाली परिसंपत्तियो को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. **मशीनरी कलपुर्जे**

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जो को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जो की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी हास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्य हास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जो की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी हास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्य हास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जो के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जो की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जो के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जो के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जो की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जो की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जो की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को "भंडार एवं कलपुर्जे" माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. **चालू पूंजीगत कार्य**

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय" (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. **मूल्यहास तथा परिशोधान**

5.1 किसी परिसम्पत्ति का मूल्यहास उसी वर्ष से यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वह इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यहास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है :-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी-11.25 प्रतिशत
(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण-30 प्रतिशत

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या 35 वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है।

5.6 पट्टे पर धारित भूमि का ऋण शोधन पट्टे की अवधि अथवा 30 वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यहास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधान परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यहास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यहास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जायेगा।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो के प्रति क्षति के लिए लेखे में प्रावधन किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000/- रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी की गई, किंतु वर्ष के अंत तक स्थल पर अनुप्रयुक्त रही भंडार सामग्री को इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंधा में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंधा में विदेशी मुद्रा के प्रति वसूली/धान वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. स्वबीमा

तुलन पत्र की तारीख को विद्युत स्टेशनों के सकल ब्लाक का 0.5 प्रतिशत लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के जरिए वर्ष दर वर्ष आधार पर 'स्व-बीमा आरक्षी' को स्थानांतरित किया जाता है ताकि निर्दिष्ट आकस्मिकताओं के लिए परिसंपत्तियों की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सके। धन निर्धारित किया जाता है (26.06.2010 से इसका प्रचालन बंद कर दिया गया है, कृपया लेखों पर टिप्पणी संख्या 11 और 12 देखें)।

12. विविध

12.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधन नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

12.2 पावर स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

12.3 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चो और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

12.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

13. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

14. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मधय समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षो में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

15. सहायता अनुदान

"सिंचाई और आर एंड आर कंपोनेन्ट" के लिए मध्यप्रदेश सरकार से और "सरदार सरोवर कंपोनेन्ट" के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त अंशदान की राशि, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से संबद्ध न होने के कारण, प्रारंभ में सहायता-अनुदान-आरक्षी के रूप में समझी गई और बाद में उसे उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जैसा कि ऐसे अंशदान से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास बट्टे खाते डाला जाता है।

अनुसूची-24 लेखे पर टिप्पणियां

1. क) निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधन नहीं किया गया हैः-

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31/03/2011 को	31/03/2010 को
क) निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है-		
- पूंजीगत कार्य	26590	20367
- भूमि मुआवजा मामले	146660	187185
- अन्य	3	228
विवादित आयकर की मांग	6	शून्य
विवादित बिक्री कर मांग	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	**173259**	**207780**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) जिन मामलों में पंचाट/अदालत के निर्णय प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु अभी कंपनी के परीक्षणाधीन हैं, उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में जारी रखा गया है और बहियों में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

ङ) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति शून्य रुपए (31.03.2009 को शून्य रुपए) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।

2. क) पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिम की निवल) 3918 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5310 लाख रुपये) है। इसमें रेलवे अपवर्तन कार्यो हेतु निष्पादित न की गई 3461 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3461 लाख रुपये) की अनुमानित राशि शामिल है।

ख) भूमि हेतु मुआवजे और अन्य संबंधित व्यय के प्रति पूंजीगत प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि 6993 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8578 लाख रुपये) है।

3. मध्यप्रदेश सरकार ने संयुक्त उद्यम में भागीदार होने के चलते सीसीईए अनुमोदन के अनुसार विभिन्न लेखे पर नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार योगदान दिया है।

क) इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन

(राशि लाख रुपये में)

निधि के स्रोत	01/04/2010 को	अप्रैल 10 से मार्च 11 के दौरान	31/03/2011 को
1. वस्तु रूप में नकदी/ समायोजित व्यय	125782	1831	127613
2. प्राप्त नकदी	54720	1077	55797
3. ओएसपीएस से हस्तांतरित राशि	856	शून्य	856
कुल	**181358**	**2908**	**184266**
निधि का उपयोग			
1. इक्विटी पूंजी	66000	शून्य	66000
2. सिंचाई घटक	38065	(209)	37856
3. एसएसपी घटक	48640	(267)	48373
4. अत्यधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	25066	3393	28459
5. वसूले गये विद्युत प्रभार	279	शून्य	279
6. सिंचाई/ओएसपीएस की इक्विटी के प्रति अग्रिम	3308	शून्य	3308
7. समायोजन हेतु लंबित/ एनवीडीए को देय राशि	शून्य	(9)	(9)
कुल	**181358**	**2908**	**184266**

ख) ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना

(राशि लाख रुपये में)

निधि के स्रोत	01/04/2010 को	अप्रैल 10 से मार्च 11 के दौरान	31/03/2011 को
1. एनवीडीए द्वारा किया गया व्यय समायोजित	8233	15	8248
2. प्राप्त नकदी	41476	शून्य	41476
3. सिंचाई/ओएसपी की इक्विटी के प्रति अग्रिम	3308	शून्य	3308
कुल	**53017**	**15**	**53032**
निधि का उपयोग			
1. इक्विटी पूंजी	30016	शून्य	30016
2. सिंचाई घटक	17837	(41)	17796
3. अत्यधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	5445	(374)	5071
4. आईएसपीएस को हस्तांतरित राशि	856	शून्य	856
5. समायोजन हेतु लंबित राशि/एनवीडीए को देया	(1137)	430	(707)
कुल	**53017**	**15**	**53032**

4. कंपनी ने 2009-14 की अवधि के लिए इंदिरा सागर पावर स्टेशन के संदर्भ में टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी में याचिका दायर कर दी गई है जबकि ओमकारेश्वर पावर स्टेशन के संदर्भ में ऐसी याचिका अभी दायर की जानी है। टैरिफ याचिकों सीईआरसी की विवेकपूर्ण जांच के अधीन रहने को देखते हुए इन दोनों पावर स्टेशनों के संदर्भ में बिक्री संतुलन सिद्धांत अपनाते हुए अस्थायी आधार पर हिसाब में ली गई है। किन्तु, वर्ष के दौरान बिलिंग सीईआरसी द्वारा अनुमोदित और 31 मार्च, 2009 को लागू (ओएसपीएस के मामले में अस्थायी) दरों से की गई है। वास्तव में वर्ष के दौरान बिक्री में बिल की गई राशि और 2009-14 की अवधि के लिए लागू नए टैरिफ मानदंड के आधार पर परिकलित राशि के अंतर के रूप में 26.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 60.31 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है।

5. सीईआरसी ने 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत टैरिफ का नियमन करते हुए मूल्यहास की दरें संशोधित की थी और मूल्यहास की गणना की पद्धति भी प्रदान की थी। उपरोक्त टैरिफ नियमन के अनुसार किसी प्रचालन इकाई का वाणिज्यिक प्रचालन प्रांरभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष तक के लिए मूल्यहास की गणना निर्दिष्ट मूल्यहास-दरों से की जायेगी और उसके बाद प्रचालन इकाई के उपयोगी जीवन काल के लिए परिसंपत्तियों के शेष मूल्यहास योग्य मूल्य के परिशोधन के आधार के आधार पर इसकी गणना की जायेगी, जिसमें इकाई का जीवन काल उसके वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से 35 वर्ष माना जायेगा।

वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने अपने पावर स्टेशनों के संदर्भ में 01.04.2009 से सीईआरसी की अधिसूचना 2009-14 के अनुरूप मूल्यहास प्रभारित करने की पद्धति में संशोधन किया। चूंकि दोनो पावर स्टेशनों को अभी वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की अपनी-अपनी तारीख से 12 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई है, अतः कंपनी के लाभ एवं हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त 'मूल्यहास एवं परिशोधन' तथा 'मशीनरी पुरजे' संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में भी उपयुक्त शाब्दिक संशोधन किया गया है ताकि जहां कहीं आवश्यक हो 'मूल्यहास की दर एवं पद्धति' के तथ्य को प्रकट किया जा सके।

6. (क) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों तथा कंपनी की ओर से एनवीडीए द्वारा किए गए व्यय हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिन्हें चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति/लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।

(ख) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और सविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधाान/ पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है।

(ग) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियों में भूमि विस्थापितों को किए गए मुआवजे के भुगतान में से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एलए के अंतर्गत स्रोत पर न की गई कर कटौती के रूप में वसूली योग्य 9 लाख रुपये (पिछले वर्ष 9 लाख रुपये) और विस्थापितों को दोहरा भुगतान की गई 12 लाख रुपये (पिछले वर्ष 12 रुपये) की राशि शामिल है, जिसके लिए पहले ही प्रावधान किया गया है।

7. कारपोरेशन ने मध्यप्रदेश के बेतुल जिले मे कुकरू क्षेत्र में संभावित पवन ऊर्जा स्थल पर काम बंद करने का फैसला किया है और तदनुरूप सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पर व्यय की गई 29 लाख रुपये की राशि, तत्संबंधी प्रचलित लेखांकन नीति के अनुसार, इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की गई है।

8. लोक उद्यम विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ न. 15(3)/2007-डीपीई (जीएम)-जीएल-99 दिनांक 09.04.2010 के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार पिछले वर्ष के निवल मुनाफे के तय प्रतिशत के रूप में सीएसआर बजट तैयार करना होगा।

तदनुरूप एचएचडीसी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2010-11 में सीएसआर व्यय के लिए वित्त वर्ष 2009-10 के कर उपरांत लाभ की 2 प्रतिशत राशि निर्धारित की। रु. 425 लाख की बजट राशि में से कोरपोरेशन ने 150 लाख रुपये खर्च किए और इस तरह 275 लाख रुपये की बकाया राशि को भावी वर्षों में खर्च करने का प्रावधान किया।

9. वर्ष के दौरान कार्यकारी श्रेणी के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान 01.01.2007 से अस्थायी आधार पर लागू किए गए। इसके अलावा सुपरवाइजर और कामगार श्रेणी के कर्मचारियों के संदर्भ में 01.01.2007 से संशोधित वेतनमान लागू करने के बारे में यूनियन और प्रबंधन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किन्तु, इसका कार्यान्वयन अभी लंबित है। वेतन संशोधन के अंतिम कार्यान्वयन के लंबित रहते युक्ति संगत अनुमान के आधार पर वर्ष की बहियों में 1199 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1175 लाख रुपये) का और प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य-निष्पादन आधारित वेतन-योजना को बोर्ड की मंज़ूरी के लंबित रहते, इस योजना हेतु 987 लाख़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

10. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार रहा :

(लाख़ रुपये में)

	वर्ष के 2010-11 लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
(i) मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(ii) मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	शून्य	शून्य
(iii) निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv) चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(v) अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	8	(20)

11. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारम्भ/संशोधित/शाब्दिक संशोधन किया गया है, जिका वर्ष के लाभ पर प्रभाव निम्नांकित रूप में रहा :

नीति सं.	विवरण	वर्ष 2010-11 के लाभ पर प्रभाव
1	**नीति संख्या 3.1(क), 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.5, 5.7 और 5.9 में शाब्दिक संशोधन** : पावर स्टेशन के संदर्भ में मूल्यहास की गणना के लिए दर और पद्धति को अपनाने को देखते हुए इन नीतियों में उपयुक्त शाब्दिक संशोधन किया गया है। उपरोक्त टैरिफ नियमन के अनुसार किसी प्रचालन इकाई का वाणिज्यिक प्रचालन प्रांरभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष तक के लिए मूल्यहास की गणना निर्दिष्ट मूल्यहास-दरों से की जायेगी और उसके बाद प्रचालन इकाई के उपयोगी जीवन काल के लिए परिसंपत्तियों के शेष मूल्यहास योग्य मूल्य के परिशोधन के आधार के आधार पर इसकी गणना की जायेगी, जिसमें इकाई का जीवन काल उसके वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से 35 वर्ष माना जायेगा।	दोनो पावर स्टेशनों को अभी वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने की अपनी-अपनी तारीख से 12 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई है, अतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2	**नई पालिसी संख्या 5.10 : -** परिसंपत्ति के जीर्णोद्वार/आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय के पूंजीकरण के लिए नई नीति शुरु की गई, ताकि बेहतर प्रकटीकरण के लिए परिसंपत्ति की कार्यावधि और/या उसकी सक्षमता में वृद्धि की जा सके।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि परिपाटी को नीति में तब्दील किया गया है।
3	**नीति संख्या 7.2 में संशोधनः**-मरम्मत न किए जा सकने वाले और अप्रचलित भंडार एवं कलपुर्जों हेतु लेखों में व्यवस्थित आधार पर प्रावधान किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
4	**नीति संख्या 9.2 में शाब्दिक संशोधन** : एलटीसी को दीर्घावधि कर्मचारी लाभ से बाहर करने के बाद नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया।	कर-पूर्व लाभ में 36 लाख रुपये की वृद्धि हुई।
5	**नीति संख्या 10.1(घ) में शाब्दिक संशोधनः** सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित मूल्यहास की पद्धति के अनुरूप मूल्यहास के प्रति अग्रिम संबंधी लेखांकन नीति में संशोधन किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
6	**नीति संख्या 11 में 26.06.2010 से संशोधनः** 26.06.2010 से सम्पूर्ण औद्योगिक जोखिम बीमा पालिसी प्राप्त करने के बाद, निगम ने लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के माध्यम से पावर स्टेशनों के तुलन-पत्रक की तारीख को सकल ब्लाक के 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से स्व-बीमा आरक्षी संबंधी लेखांकन नीति को छोड़ दिया।	कर-पूर्व लाभ में 662 लाख रुपये की वृद्धि हुई।
7	**नीति संख्या 14 में शाब्दिक संशोधन** : विलंबित कर आस्तियों की पहचान की जाती है और उसे उपयुक्त निश्चितता की बजाय वास्तविक निश्चितता के आधार पर अग्रेषित किया जाता है।	कोई प्रभाव नहीं

12. पावर स्टेशनों की परिसंपत्तियों के लिए 26.06.2010 से सम्पूर्ण जोखिम औद्योगिक बीमा पालिसी प्राप्त करने के बाद, निगम ने पावर स्टेशनों के तुलन-पत्रक की तारीख को सकल ब्लाक के 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से स्व-बीमा आरक्षी को समानुपातिक आधार पर बना दिया।

13. (क) एनएचडीसी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान 31.03.2011 के अनुसार वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वर्तमान में एनएचडीसी में नियुक्त एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और केवल एचएचपीसी से प्राप्त जानकारी/सलाह के आधार पर लाभ एवं हानि खाते से खर्च में हिस्सेदारी डेबिट कर दी गई है। मधयप्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के लिए किसी प्रावध्सान की आवश्यकता नहीं है। 31.03.2011 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए "कर्मचारी लाभ" के संबंध में मानक-15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है :-

तालिका 1 : प्रमुख मान्यताएं

	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार
मृत्युदर तालिका	इंडियन अश्योर्ड लाइव्स मोर्टेलिटी (1994-96) अंतिम तालिका	मानक तालिका एलआईसी (1994-96) अंतिम तालिका
छोड़ने की दर	2%	2%
छूट दर	8.20%	8.10 प्रतिशत (इसी तारीख को सरकारी बांड पर बाज़ार लाभ)
मुआवजा स्तर में वृद्धि की दर	7.5%	5%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कर्मचारियों का प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	22	23

तालिका-2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2011 के अनुसार			31.03.2010 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के शुरू में पीवीओ	232	331	107	206	403	82
ब्याज लागत	19	26	9	16	31	6
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्तमान सेवा लागत	70	118	20	40	40	18
अदा किया गया लाभ	(16)	(46)	शून्य	(6)	(236)	शून्य
बीमांकिक (लाभ)/हानि	156	140	24	(24)	90	1
एनएचपीसी से प्राप्त शेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य
वर्ष के अंत में पीवीओ	461	569	160	232	331	107

तालिका-3 और 4 लागू नहीं।

तालिका-5 मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2011 के अनुसार			31.03.2010 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि-दायित्व	156	140	24	(24)	90	1
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि-योजना परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल लाभ/हानि	156	140	24	(24)	90	1
वर्ष के लिए मान्य (बीमांकिक (लाभ)/हानि	156	140	24	(24)	90	1
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तालिका-6 तुलन-पत्र में मान्य राशि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2011 के अनुसार			31.03.2010 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	461	569	160	232	331	107
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त-पोषण की स्थिति	(461)	(569)	(160)	(232)	(331)	(107)
न माने गए बीमांकिक लाभ/ हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में मानी गई निवल देयता	461	569	160	232	331	107

तालिका-7 लाभ एवं हानि लेखे में मान्य राशि

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2011 के अनुसार			31.03.2010 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्तमान सेवा लागत	70	118	20	40	40	18
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज लागत	19	26	9	16	31	6
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के लिए निवल बीमांकिक लाभ/हानि	156	140	24	(24)	90	1
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में लिए गए व्यय	245	284	53	32	161	25

तालिका-8 तुलन-पत्र में मान्य देयता संचलन

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2011 के अनुसार			31.03.2010 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेज्युइटि)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
प्रारंभिक निवल देयता	232	331	107	206	403	82
उक्त के अनुसार व्यय	245	284	53	32	161	25
एनएचपीसी से प्राप्त शेष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य
अदा किया गया लाभ	(16)	(46)	शून्य	(6)	(236)	वर्तमान सेवा लागत
अंतिम निवल देयता	461	569	160	232	331	107

(ख) छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते के कारण देयता क्रमशः 68 लाख रुपये और 32 लाख रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 38 और 20 लाख रुपये) है।

(ग) 01.01.2007 से संशोधन लागू होने के बाद, यात्रा अवकाश रियायत दीर्घावधि लाभों की श्रेणी से बाहर हो गया है अतः बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए गए तत्संबंधी 36 लाख रुपये के प्रारंभिक प्रावधान को अदा/प्रत्यावर्तित राशि के प्रति समायोजित कर दिया गया है क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। चूंकि ब्लाक 2008-09 के लिए एलटीसी का दावा 2011-12 तक किया जा सकता है अतः 01.01.2008 से 25.11.2008 की अवधि के लिए अल्पावधि कर्मचारी लाभ के रूप में 29 लाख रुपये का नया प्रावधान किया गया है।

(घ) कंपनी की भविष्य निधि योजना आरपीएफसी द्वारा अधिशासित है और यह परिभाषित अंशदान योजना है। वर्ष के लिए अदा किया गया/देय अंशदान खर्च के रूप में लिया जाता है और वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि के रूप में प्रभारित किया जाता है।

14. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) निगम के दो पावर स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

15. इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है -

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम
श्री एस के गर्ग	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.12.2010 तक)
श्री ए बी एल श्रीवास्तव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.01.2011 से)
श्री के एम सिंह	मुख्य कार्यकारी निदेशक

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 29 लाख़ रुपये (पिछले वर्ष 15 लाख रुपये) दिया गया और 31.03.2011 को कम्पनी की ओर बकाया राशि 3लाख़ रुपये (पिछले वर्ष 7 लाख़ रुपये) थी।

16. कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाओं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची के अंतर्गत 170 लाख़ रुपये (विगत वर्ष 75 लाख रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में 30 लाख रुपये (पिछले वर्ष 29 लाख रुपये) के लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची के अंतर्गत किराया/किराया प्रभार के रूप मे दर्शाया गया है।

17. प्रति शेयर अर्जन की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं:-

विवरण	वर्ष 2010-11 के लिए		वर्ष 2009-10 के लिए	
	प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत)	प्रति शेयर अर्जन (कम किया गया)	प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत)	प्रति शेयर अर्जन (कम किया गया)
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ (₹)	304,12,92,813	304,12,92,813	212,29,41,683	212,29,41,683
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	19625800	19625800	19625800	19625800
प्रति शेयर अर्जन (₹)	154.96	154.96	108.17	108.17
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (₹)	1000	1000	1000	1000

18. "आय पर करों हेतु लेखांकन" के बारे में कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में, वर्तमान वर्ष के दौरान 302 लाख रुपये (पिछले वर्ष 11301 लाख रुपये) की विलंबित कर देयता का प्रावधान किया गया है। संचित विलंबित कर देयता के मद-वार ब्योरे निम्नानुसार हैं -

(राशि लाख रुपये में)

विलंबित कर देयता/परिसंपत्ति		31.03.2011 को रुपये	31.03.2010 को रुपये
I	विलंबित कर देयता बही मूल्यहास और कर मूल्यहास का अंतर	66496	66611
	घटाएं : विलंबित कर आस्तियां		
II	समाहित न किया गया संचित मूल्यहास (अग्रसारित किये जाने के लिए)	शून्य	1280
III	संदिग्ध ऋणों तथा अन्य के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
IV	कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	279	195
	निवल विलंबित कर देयता	66217	65136
V	निवल विलंबित कर देयता -लाभार्थियों से वसूली योग्य सीमा तक	54613	53835

19. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2010 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

20. निदेशकों को अदा किया गया/अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 20090-10 के लिए
i	वेतन एवं भत्ते	23	11
ii	भविष्य निधि में अशंदान	2	1
iii	आवासीय परिसर हेतु किराया	3	2
iv	अन्य लाभ	1	1
v	स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क	0.45	0.27

उपरोक्त आंकड़ों में उपदान, अवकाश नकदीकरण, पीआरएमएस, और अवकाश नकदीकरण पर सामान भत्ता एवं ईपीएफ के लिए प्रावधान शामिल नहीं हैं क्योंकि ये लाभ समूचे कारपोरेशन के लिए बीमांकिक आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा उपरोक्त आंकड़ों में अन्य अल्पावधि कर्मचारी लाभ भी शामिल नहीं हैं, जो एकमुश्त आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

21. सांविधिक लेखा-परीक्षको को पारिश्रमिक

(लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
i) लेखा परीक्षा शुल्क	4.26	5
ii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	1.28	1
iii) प्रमाणीकरण शुल्क	0.99	1
iv) अन्य मामले	शून्य	शून्य
v) लेखा परीक्षा व्यय	0.26	शून्य

ख) लागत लेखा परीक्षक

(लाख रुपये में)

क) लेखा परीक्षा शुल्क	0.93	1
ख) लेखा परीक्षा व्यय	0.09	शून्य

22. उत्पादित तथा बिक्री की गई ऊर्जा के संबंध में मात्रात्मक ब्योरे -

विवरण	वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
लाइसेंस क्षमता (मेगावॉट)	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थापित क्षमता (मेगावॉट)	1520	1520
वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)	3196.65	3071.22
वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट)	3188.70	3051.43

23. निम्नांकित के संदर्भ में जानकारी -

(लाख रुपए में)

क्र. स.	विवरण	वर्ष 2010-11 के लिए	वर्ष 2009-10 के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	शून्य
	ii) कलपुर्जे	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ज्ञान	शून्य	शून्य
	ii) ब्याज	शून्य	शून्य
	iii) अन्य विविध मामले (क) पूंजी कार्य	शून्य	शून्य
	(ख) यात्रों	शून्य	शून्य
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटको का मूल्य		
	i) आयातित	शून्य	शून्य
	ii) देशीय	256	255
घ)*	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	शून्य	शून्य
	ii) अन्य	शून्य	शून्य

* बीमांकिक आधार ** नकद आधार।

24. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

क्र. स.	विवरण	(लाख रुपए में)
(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि।	शून्य
(ii)	उपरोक्त (ग) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज।	शून्य
(iii)	सहमत समय से 15 दिन अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि।	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौतीयोग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

25. परिसमाप्त क्षति, यदि कोई हो, का लेखांकन वसूली प्रभावी होने पर किया जाता है और मामले को प्रबंधन द्वारा निपटाया गया समझा जाता है।

26. पावर स्टेशनों को सीओ प्रबंधन व्यय उनकी स्थापित क्षमता की भारित औसत के अनुपात में आवंटित किए जाते हैं।

27 पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

आर के तनेजा
निदेशक
डीआईएन 0077493

के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 01601682

वी के त्रिपाठी
कम्पनी सचिव

विजय कुमार
महा प्रबंधक (वित्त)

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मल्टी असोशिएट्स
सनदी लेखाकार

ए. के. गर्ग
भागीदार
सदस्यता सं.-84003
एफआरएन-509955सी

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 14 मई, 2011

कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I. **पंजीकरण विवरण**

पंजीकरण संख्या: 1 0 1 4 3 3 7

राज्य कोड: 1 0

तुलन पत्र की तिथी: 3 1 | 0 3 | 2 0 1 1

II. **वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (लाख रुपये में)**

सार्वजनिक निर्गम: शू न्य	राइट निर्गम: शू न्य
बोनस निर्गम: शू न्य	निजी नियोजन: शू न्य

III. **निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति (लाख रुपये में)**

निधियों के स्रोत: 7 3 9 3 1 6	कुल परिसंपत्तियां: 7 3 9 3 1 6

निधियों के स्रोत

कुल देयताएं: 1 9 6 2 5 8	आरक्षित तथा अधिशेष: 2 6 6 2 6 5
प्रदत्त पूंजी: 2 2 0 2 3 5	अनारक्षति ऋण: शू न्य

निधियों का प्रयोग

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां: 5 6 4 0 5 2	निवेश: शू न्य
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां: 1 4 0 4 1 1	विविध व्यय: शू न्य
संचित हानि: शू न्य	

IV. **कंपनी का कार्य निष्पादन (लाख रुपये में)**

कारोबार: 9 1 8 4 0 #	कुल व्यय: 6 4 0 3 7
कर-पूर्व लाभ: 3 8 5 3 8	कर उपरांत लाभ: 3 0 4 1 3
प्रति शेयर अर्जन रुपये में: 1 5 4 . 9 6	लाभांश राशि (लाख रुपये में): 3 9 2 5

इसमें 10735 लाख रुपये की अन्य आय शामिल नहीं है

V. **कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम**

I. उत्पाद विवरण: ज ल वि द्यु त का उ त्पा द न

मद कोड संख्या: –

II. उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या: –

III. उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या: –

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मल्टी असोशिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ताक्षर
ए. के. गर्ग
(भागीदार)
सदस्य संख्या 84003
एफआर न. 509955 सी

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 14.05.2011

हस्ताक्षर
आर के तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

हस्ताक्षर
के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

हस्ताक्षर
ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

हस्ताक्षर
वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
विजय कुमार
महा प्रबंधक (वित्त)

नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	38538		37735	
जोड़ें -				
- पूर्वावधि सहित मूल्यह्रास	25057		24819	
- अन्य प्रावधान/समायोजन	5		48	
- मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	(137)		733	
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (लाभ)	1		0	
- छूट के अतिरिक्त ब्याज एवं वित्त प्रभार	24934		27440	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		88398		90775
कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(147)		(21)	
विविध देनदारों में (वृद्धि/कमी)	8556		7542	
ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि/कमी)	7991		4891	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि/कमी)	(1603)		(1486)	
चालू देयताओं और प्रावधन में (वृद्धि/कमी)	(9035)	5762	(8825)	2101
		94160		92876
अदा किए गए अग्रिम कर	8583		6768	
	-	8583	-	6768
		85577		86108
प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह (क)				
ख निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों का क्रय और सीडब्ल्यूआईपी का पूंजीकरण	(1818)		(1011)	
चालू पूंजी कार्य	(1239)		(764)	
निर्माण भंडार और अग्रिम	3		9	
परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	1		5	
निवेश क्रियाकलापो में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)		(3053)		(1761)
ग वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी इश्यू से प्राप्तियां	-		-	
शेयर पूंजी जमा से प्राप्तियां			-	
ऋण से प्राप्तियां	4875		198853	
ऋण का पुनभुगतान	(32970)		(219605)	
एसएसपी और सिंचाई घटक के लिए मध्यप्रदेश सरकार से प्राप्त निधियां	2923		1672	
अदा किया गया लाभांश	(2123)		(4592)	
अदा किया गया लाभांश कर	(353)		(781)	
अदा किया गया ब्याज और वित्तीय प्रभार	(24934)		(27440)	
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		(52582)		(51893)
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)(क/ख/ग)		29942		32454
नकदी तथा नकदी तुल्य (प्रारंभिक शेष)		103067		70613
नकदी तथा नकदी तुल्य (अंतिम शेष)		133009		103067

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकदी तथा नकदी-तुल्यों में 16051 लाख रुपये (31.03.2010 को 15517 लाख रुपये) की राशि शामिल है जो निगम द्वारा स्वबीमा आरक्षित के प्रति धारित है, जो अन्यथा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. 148500 लाख रुपये के कुल स्वीकृत ऋण में से 31.3.2011 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 2126 लाख रुपए है (7001 लाख)
3. वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर प्राप्त नकदी (करों को छोड़कर) 1 लाख रुपये (31.03.2009 को 5 लाख रुपये) है।
4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर
आर के तनेजा
निदेशक
डीआईएन 00077493

हस्ताक्षर
के एम सिंह
मुख्य कार्यकारी निदेशक
डीआईएन 02223301

हस्ताक्षर
ए बी एल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 01601682

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मल्टी असोशिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ताक्षर
ए. के. गर्ग
(भागीदार)
सदस्य संख्या 84003
एफआर न. 509955 सी

हस्ताक्षर
वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
विजय कुमार
महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 14.05.2011

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

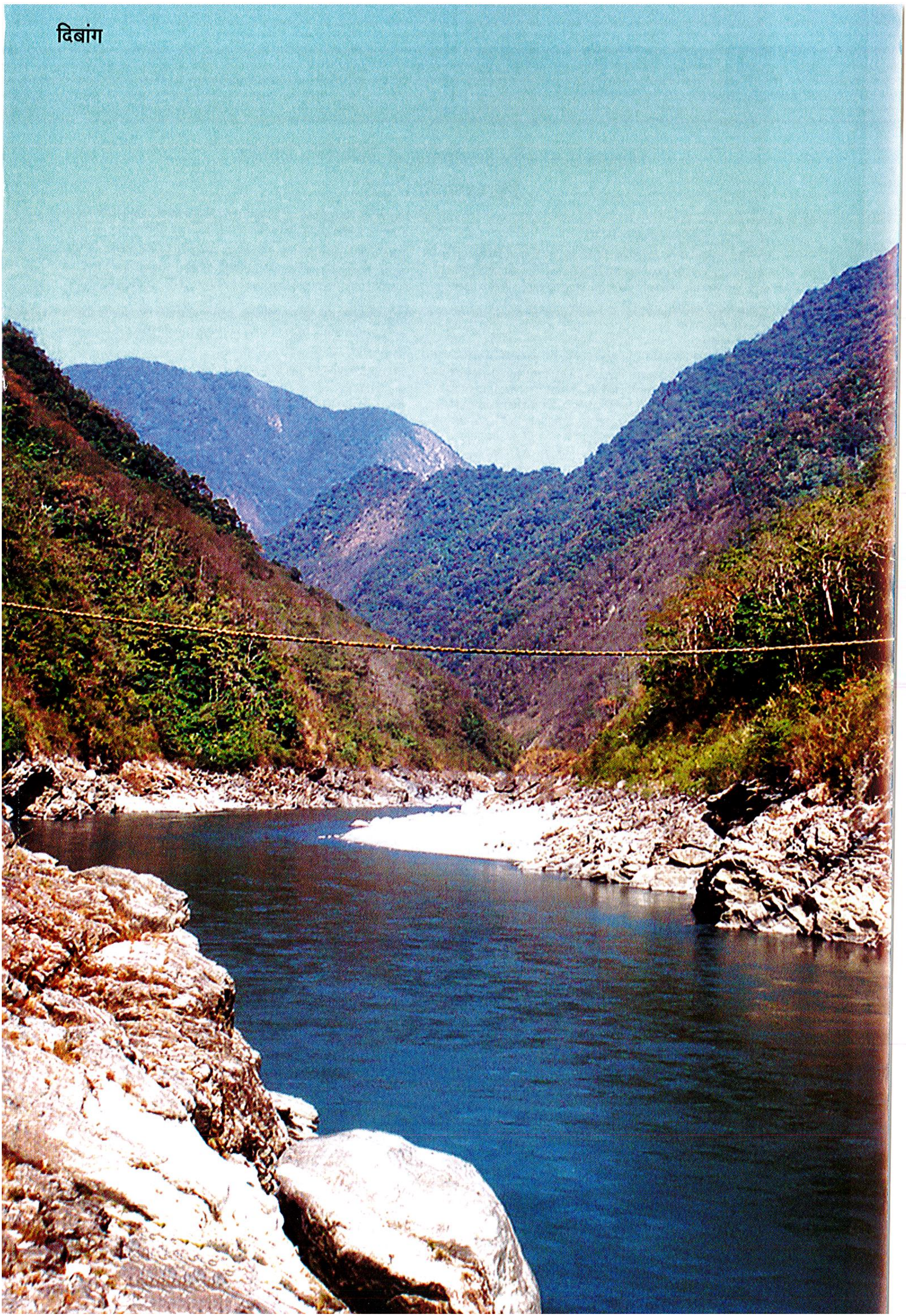

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,
लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. (एलडीएचसीएल) के निदेशक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा के साथ कंपनी के निष्पादन के बारे में दूसरी वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. **कंपनी के कार्यों का विवरण**

क. परिचालन समीक्षा

वर्ष के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा परियोजना के स्थलाकृतिगत सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया और बैराज स्थल तक इसे पूरा किया गया। बैराज स्थल से विद्युत घर तक सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सीआईएसएमएचई, दिल्ली ने लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के बारे में ड्राफ्ट ईआईए और ईएमपी रिपोर्टें तथा कार्यकारी सारांश प्रस्तुत कर दिया है। कार्य शर्तों के अनुरूप ड्राफ्ट ईआईए और ईएमपी रिपोर्टें तथा कार्यकारी सारांश अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार किया गया है, जिसे सदस्य सचिव, मणिपुर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भेज दिया गया ताकि उस पर जन सुनवाई आयोजित की जा सके। एमएसपीसीबी के सदस्य सचिव ने 07 जून, 2011 को तामेंगलोंग जिले के थांगल गांव में जन सुनवाई आयोजित करने के बारे में अधिसूचना प्रकाशित की थी और तदनुरूप करीब 700 ग्राम निवासियों की उपस्थिति में 07 जून, 2011 को जन सुनवाई आयोजित की गयी। 13 जून, 2011 को जन सुनवाई की रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दी गयी।

एलएचडीसी लिमिटेड के पक्ष में मंजूरी के हस्तांतरण संबंधी आवेदन सीईए को प्रस्तुत किया गया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मार्च 2011 में 211.5 हेक्टेयर वन भूमि को रूपांतरित करने की मंजूरी प्रदान की जिस पर लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किया जाना है।

कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं है। वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के स्वरूप में अथवा कंपनी के हित संबंधी व्यापार की श्रेणी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है।

ख. वित्तीय समीक्षा

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है :-

वित्तीय विशेषताएं (रुपये में)

विवरण	2010-11	2009-10
बिक्री	शून्य	शून्य
मूल्यहास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ	41591127	(11627350)
मूल्यहास	शून्य	शून्य
मूल्यहास के बाद किंतु ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	41591127	(11627350)
ब्याज एवं वित्त प्रभार	शून्य	शून्य
मूल्यहास और ब्याज के बाद किंतु कर से पूर्व लाभ	41591127	(11627350)
कर	14515744	शून्य
मूल्यहास, ब्याज और कर के उपरांत लाभ	27075383	(11627350)
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि खाते का अधिशेष	शून्य	शून्य
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	27075383	(11627350)
विनियोजन		
बॉड विमोचन रिजर्व से अंतरित	-	-
स्व बीमा आरक्षी को अंतरित	-	-
लाभांश पर कर पश्च लिखित	-	-
स्व बीमा से पश्च लिखित राशि	-	-
आरक्षी	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-
सामान्य आरक्षी को अंतरित	-	-
आरक्षी एवं अधिशेष को ले जाया गया शेष लाभांश	27075383	(11627350)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रोत्साहकों से प्राप्त धनराशि इक्विटी अंशदान के रूप में भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा के रूप में जमा करा दी है और 36471302/- रु. ब्याज के रूप मे कमाए हैं। रु. 2,70,75,383/- की राशि आरक्षी एवं अधिशेष खाते में अंतरित की गयी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

2. **वित्त वर्ष के अंत तक किए गए ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धतों जिनका प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ा हो।**

कंपनी ने 29.4.2011 को आयकर की बकाया राशि जमा कराई है, जिसे 31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया है। मणिपुर सरकार ने दिसम्बर 2010 में शेयर अनुप्रयोग राशि के रूप में 10 करोड़ रुपये जमा करा दिए थे। कम्पनी के बोर्ड ने एनएचपीसी लिमिटेड को देय रुपये 28,46,15,400/- की राशि, को स्वीकृत इक्विटी भागीदारी अनुपात के अनुसार इक्विटी में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुरूप बोर्ड ने मणिपुर सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड को शेयर आवंटित कर दिए हैं।

3. **ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बर्हिगमन**

कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्योरे का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की और विदेशी मुद्रा का कोई बहिर्गमन नहीं किया।

4. **कर्मचारियों के ब्योरे**

समीक्षाधीन अवधि के अंतर्गत कोई ऐसा कर्मचारी नहीं रहा जिसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) जिसे कम्पनी (कर्मचारियों के ब्योरे) नियम 1975 के साथ पढ़े जाने के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो।

5. **सांविधिक लेखा परीक्षक**

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स शरद जैन असोशिएट्स, चार्टर्ड अकान्टेंट्स, नयी दिल्ली, को वर्ष 2010-11 हेतु कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया।

6. **कारपोरेट अभिशासन**

कारपोरेट अभिशासन के बारे में निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में एक पृथक विवरण और इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-I के रूप में अनुपालन प्रमाण पत्र तथा अनुलग्नक-II के रूप में प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की गयी है।

7. **लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एलडीएचसीएल, इम्फाल के वित्तीय परिणामों के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कम्पनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां क्रमशः अनुलग्नक- III और IV के रूप में संलग्न की गयी हैं। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से सम्बद्ध में बताया गया है कि मूल्यांकन वर्ष 2010-11 के दौरान आयकर की राशि छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया थी। ऐसा एक लेखांकन त्रुटि के कारण हुआ जो लेखाबंदी के समय प्रकाश में आयी। इस कर को अब जमा करा दिया गया है।

8. **लेखा परीक्षा समिति**

कंपनी के बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। इस समिति के संघटन सम्बन्धी सूचना और अन्य विवरण कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

9. **निदेशकों के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण**

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के अनुसार निदेशक एतद् द्वारा निम्नांकित की पुष्टि करते हैं :

i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में प्रचलित लेखांकन मानकों का इस्तेमाल किया गया है और महत्वपूर्ण विचलन होने की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं, जिनके आधार पर वित्त वर्ष 2010-11 के अंत में कारपोरेशन की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश की जा सकी है;

iii) निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने पर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है ; और

iv) निदेशकों ने सतत सरोकार के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;

10. **निदेशक मंडल**

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद-40 के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष कंपनी के अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। तदनुरूप, एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस के गर्ग 31 दिसम्बर 2010 को सेवा निवृत्ति तक कम्पनी के अध्यक्ष रहे। उनके बाद एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए बी एल श्रीवास्तव को कम्पनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में निम्नांकित सदस्य हैं :

1.	श्री ए बी एल श्रीवास्तव	अध्यक्ष
2	श्री लियांग्सी पॉल गोन्मेई	निदेशक
3.	श्री डी के राय	निदेशक
4.	श्री पी सी वैश्य	निदेशक
5.	श्रीमती कल्याणी मिश्रा	निदेशक

आभार

कम्पनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेषकर विद्युत मंत्रालय, एनएचपीसी लिमिटेड, मणिपुर सरकार और उसके मंत्रालयों, विभागों/बोर्डों, कम्पनी के लेखा परीक्षकों और बैंकरों से प्राप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के प्रति विशेष रूप से आभरी है। बोर्ड को यह विश्वास भी है कि कम्पनी के कर्मचारी आने वाले वर्षों में अपना उत्कृष्ट योगदान जारी रखेंगे।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से
हस्ता/-
(ए बी एल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
डीआईएन संख्या: 01601682

तारीख : 02.08.2011
स्थान : फरीदाबाद

कम्पनी (बोर्ड के निदेशकों की रिपोर्ट के विवरण सम्बन्धी प्रकटीकरण) नियम 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के बारे में निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध।

क. ऊर्जा का संरक्षण :

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय;

ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं किए गए।

ख) ऊर्जा की खपत कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई, लागू किए जा रहे हों :

ऊर्जा की खपत बहुत कम है, इसलिए खपत में कमी के लिए कोई प्रस्ताव लागू नहीं किया जा रहा है।

ग) उपरोक्त क) और ख) पर वर्णित उपायों के प्रभाव से ऊर्जा की खपत में कमी और नतीजतन वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर उसका प्रभाव;

लागू नहीं

(घ) अनुसूची में वर्णित उद्योगों के संदर्भ में अनुलग्नक के प्रपत्र क के अनुसार ऊर्जा की कुल खपत और प्रति यूनिट उत्पादन के अनुसार ऊर्जा खपतः

लागू नहीं

ख. प्रौद्योगिकी आमेलन

(ङ) प्रौद्योगिकी आमेलन में किए गए प्रयासों का ब्योरा संलग्न प्रपत्र ख में दिया गया है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन

(च) निर्यात से सम्बन्धित गतिविधियां; निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय; उत्पाद एवं सेवाओं के लिए नए बाजारों का विकास और निर्यात योजनां;

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की निर्यात की कोई योजना नहीं है।

(छ) कुल विदेशी मुद्रा प्रयुक्त और अर्जित

शून्य

विवरण		करोड़ रु. में 2010-11	करोड़ रु. में 2009-10
1.*	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य :		
	i) पूंजीगत सामान	शून्य	शून्य
	ii) हिस्से पुर्जे	शून्य	शून्य
2.*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जानकारी	शून्य	शून्य
	ii) ब्याज	शून्य	शून्य
	iii) अन्य विविध	शून्य	शून्य
3.*	प्रचालन इकाइयों में प्रयुक्त किए गए हिस्से पुर्जों और उपकरणों का मूल्य		
	- आयातित	शून्य	शून्य
	- स्वदेशी	शून्य	शून्य
4.**	**विदेशी मुद्रा अर्जन**		
	i) ब्याज आय	शून्य	शून्य
	ii) अन्य	शून्य	शून्य

* बीमांकिक आधार

** नकद आधार

प्रपत्र- ख

1. **विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया।**

   कम्पनी द्वारा कोई अनुसंधान एवं विकास कार्य नहीं किया गया।

2. **उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप अर्जित लाभ।**

   लागू नहीं

3. **2011-12 के लिए भावी कार्य योजना।**

   वर्ष 2011-12 के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की कोई योजना नहीं है।

4. **अनुसंधान एवं विकास पर व्यय**

   वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार

1. **प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण**

   प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण :

   प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए।

2. **उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात् उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदिः**

   लागू नहीं

3. **पिछले पांच वर्ष के दौरान आयात की गयी प्रौद्योगिकी**

   शून्य

अनुलग्नक- I

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,

मैसर्स लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड।

हमने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड। ('कंपनी') में कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी परीक्षा कंपनी द्वारा ऊपर वर्णित दिशा-निर्देशों में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गयी प्रक्रियागत एवं कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्था तक सीमित है। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमारे द्वारा किए गए परीक्षण तथा कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर और अपनी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी, इसके अधिकारियों और एजेंटों ने वित्त वर्ष के दौरान निम्नांकित बिन्दुओं को छोड़कर, ऊपर वर्णित दिशा-निर्देशों में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है :

1. कंपनी का स्वतंत्र निदेशक मंडल नहीं है।
2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सभी लागू कानूनों के साथ अनुपालन संबंधी रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है।
3. कंपनी ने प्रत्येक तिमाही में एक बोर्ड की एक बैठक आयोजित की है। किन्तु, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, प्रथम और दूसरी तिमाही बैठक के बीच तीन महीने से अधिक का अंतराल रहा है।
4. कंपनी ने अभी तक बोर्ड के सभी सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कोई आचार-संहिता निर्धारित नहीं की है।
5. कंपनी के निदेशक मंडल के लिए कोई औचारिक बोर्ड चार्टर विवरण नहीं है, जिसमें सामूहिक रूप में बोर्ड की तथा निदेशकों की अलग-अलग भूमिका एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो।
6. कंपनी ने अपने नए बोर्ड सदस्यों के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। किन्तु, उसके सभी निदेशकों में एनएचपीसी लिमिटेड के नामित सदस्य, प्रधान सचिव (विद्युत), मणिपुर सरकार और केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी शामिल होने के कारण, वे सभी व्यापार मॉडल और जोखिम के स्वरूप आदि से भली-भांति परिचित है।
7. बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, अतः उसकी लेखा-परीक्षा समिति में कंपनी का कोई स्वतंत्र सदस्य या अध्यक्ष नहीं है।
8. कंपनी ने अभी तक पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।
9. कंपनी ने अभी तक कपट और धोखाधड़ी को उजागर करने वालों (यानी विशल ब्लोवर्स) के बारे में कोई नीति स्वीकार नहीं की है, किन्तु यह अनिवार्य नहीं है।
10. कंपनी ने कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार नहीं की है।

हम यह भी कहना चाहेंगे कि ऐसा अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही कंपनी के कार्य संचालन में प्रबंधन की प्रभावकारिता या सक्षमता की गारंटी है।

कृते **पी सी जैन एंड कंपनी**
कंपनी सचिव,

पी. सी. जैन
(प्रोप्राइटर)
सीपी नम्बर - 3349

स्थान - फरीदाबाद
तारीख - 02.08.2011

अनुलग्नक-1

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

कारपोरेट अभिशासन से अभिप्राय उन कानूनों, पद्धतियों और निहित नियमों से है, जो विवेकपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय करने, विशेष कर इसके दावेदारों, शेयरधारकों, ऋणदाताओं, ग्राहकों, सरकार और कर्मचारियों से संबंधित निर्णय करने में कंपनी की क्षमता को निर्धारित करते हैं। लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड ("एलडीएचसीएल") की प्रबंधन समिति हर समय अपने सभी शेयरधारकों के सर्वोत्कृष्ट हित में कार्य करने का प्रयास करती है और हाल ही में निगमित कंपनी होने के नाते शेयरधारकों के लाभ के लिए बेहतर कारपोरेट अभिशासन अपनाने की प्रक्रिया में है।

1. **अभिशासन संहिता के बारे में कंपनी का दर्शन :**
   i) प्रचालन में समुचित नियंत्रण प्रणाली अपनाना और बोर्ड को पारदर्शितापूर्ण ढंग से समयबद्ध आधार पर जानकारी उपलब्ध कराना ताकि बोर्ड कंपनी के प्रबंधन के उत्तादायित्व पर निगरानी रख सके।
   ii) उद्यम और राष्ट्र की संपदा के निर्माण के लिए व्यापार उद्यम की सक्षमता में वृद्धि करना।
   iii) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी और बोर्ड के सदस्य कारपोरेट मूल्यों में योगदान कर सकें और उन्हें अपने आचरण में अपना सकें।

2. **निदेशक मंडल का संघटन और श्रेणी :**

(i) **बोर्ड का संघटन**

कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") में पांच निदेशक हैं, जो सभी गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। वर्तमान में कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन और उसमें निदेशकों की संख्या तथा अन्य कंपनियों (लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति) में निदेशकों द्वारा धारित पदों का ब्यौरा इस प्रकार है :

नाम	कार्यकारी/ गैर कार्यकारी/ स्वतंत्र	धारित अन्य निदेश-कशिप	अन्य समिति पद #	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
श्री ए बी एल श्रीवास्तव*	गैर-कार्यकारी	2	शून्य	2
श्री लियांगसी पॉल गोंमेई	गैर-कार्यकारी	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती कल्याणी मिश्रा	शून्य	शून्य	शून्य	
श्री डी के राय**	शून्य	शून्य	शून्य	
श्री पी सी वैश्य**	शून्य	शून्य	शून्य	

* श्री ए बी एल श्रीवास्तव, को 01 जनवरी, 2011 को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

** श्री डी के राय और श्री पी सी वैश्य ने 17 फरवरी, 2011 को कंपनी में कार्यभार संभाला।

\# निदेशकों द्वारा धारित निदेशकशिप, जैसा कि ऊपर वर्णित है, में वैकल्पिक निदेशकशिप, विदेशी कंपनियों में निदेशकशिप और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में निदेशकशिप शामिल नहीं है।

31 मार्च, 2011 को बोर्ड में शामिल निदेशकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

श्री ए बी एल श्रीवास्तव (डीआईएन : 01601682) : 56 वर्षीय श्रीवास्तव कंपनी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बिजनेस फाइनेंस और कामर्स में स्नातकोत्तार उपाधि प्राप्त की है। वे इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स आफ इडिया के सदस्य हैं। हमारी कंपनी में कार्यभार संभालने से पहले वे फरवरी 2008 से एनएचपीसी के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में विभिन्न पदों पर काम किया है। वे आरईसी बिजली वितरण कंपनी के बोर्ड में भी रहे हैं, जो आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। एनएचपीसी में उन्होंने कंपनी के विकास और उसकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान किया है। वे संसाधन जुटाने, वित्तीय पुनर्गठन, कंपनी के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्रोतो से धन एकत्र करने और उसके अनुकूलतम उपयोग सहित समूचे परियोजना वित्त पोषण के लिए जिम्मेदार रहे हैं। श्री ए बी एल श्रीवास्तव कंपनी में समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कायम करने के लिए प्रयत्नशील हैं ताकि एलडीएचसीएल कारपोरेट अभिशासन पद्धतियां अपनाने में सक्षम हो सकें। वे मई 2008 से पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में भी एक नामित निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।

श्री श्रीवास्तव आरईसी और एनएचपीसी लिमिटेड के विनिवेश कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए, इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस आफ इंडिया (आईसीएआई) ने उन्हें प्रतिष्ठित स्पेशल अचीवर अवार्ड - 2010 से सम्मानित किया। उन्होंने जनवरी 2011 में, हमारी अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड (मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम) के साथ एनएचपीसी में सीएमडी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

श्री लियांगसी पॉल गोंमेई (डीआईएन संख्या 02302356) : 57 वर्षीय श्री गोंमेई हमारे निदेशक हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तार उपाधि प्राप्त की है। वे 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वे मणिपुर सरकार में प्रधान सचिव (विद्युत) के पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले उनके पास प्रधान सचिव (जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्र विकास) और अन्य विभिन्न पदों जैसे निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क तथा पर्यटन, उपायुक्त, तामेंगलोंग, निदेशक, जनजातीय कल्याण, निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सचिव, सहकारिता, अजा एवं तकनीकी, वाईएएस, बागवानी एवं मृदा संरक्षण, आयुक्त, कृषि एवं बागवानी, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जीएडी और जनजातीय विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, का कार्यभार रहा है।

श्रीमती कल्याणी मिश्रा (डीआईएन संख्या 02695750) : 40 वर्षीय श्रीमती मिश्रा हमारी निदेशक हैं। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेशवर से विश्लेषणात्मक एवं अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तार उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरूआत भारतीय आर्थिक सेवा (1999 बैच) के अधिकारी के रूप में की। वे वर्तमान में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में उपसचिव, हाइड्रो-1/आरटीआई, के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे उपनिदेशक, औद्योगिक संबंध (नीति), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उपनिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्य, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सहायक निदेशक (आयोजना), उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार जैसे कई पदों पर काम कर चुकी हैं।

श्री डी के राय (डीआईएन संख्या 03435949) : 57 वर्षीय श्री राय हमारे निदेशक हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक उपाधि प्राप्त की है। उन्हें जल क्षेत्र में 30 वर्ष का व्यापक अनुभव है। कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे कंपनी की स्थापना के समय से ही इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। वे जनवरी 2009 से जनवरी 2011 तक एनएचपीसी लिमिटेड की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक लोकतक पावर स्टेशन के अध्यक्ष पद पर भी रहे। उन्हें जल विद्युत परियोजनाओं की चुनौतियों से निपटने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तार क्षेत्र में स्थित एनएचपीसी लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं में सेवा की है और उन्हें जल विद्युत क्षेत्र में परियोजना विकास से लेकर कार्यान्वयन तक विभिन्न पदों पर काम करने का व्यापक अनुभव है।

श्री पी सी वैश्य (डीआईएन- 03440470) : 50 वर्षीय श्री वैश्य हमारे निदेशक हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कामर्स में डिग्री प्राप्त की है। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया के सदस्य हैं। वे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने सीए इंटरमीडिएट और फाइनल, दोनों परीक्षाओं में अखिल भारतीय स्तर पर रैंक हासिल किया है। उन्हें 28 वर्ष से अधिक का व्यावसायिक अनुभव है, जिसमें करीब 13 वर्ष का अनुभव विद्युत क्षेत्र से संबद्ध है। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र सहित राज्यस्तरीय प्रतिष्ठानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनके पास उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही परियोजना का अतिरिक्त कार्यभार था। उन्हें निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य की दो संयुक्त उद्यम कंपनियों का निदेशक भी नियुक्त किया गया और वे उस पद पर 1998 में एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले तक काम कर रहे थे।

(ii) **गैर-कार्यकारी निदेशक का पारिश्रमिक और प्रकटीकरण :**

कंपनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान किसी निदेशक को किसी प्रकार के सीटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

(iii) **बोर्ड बैठकें, समिति बैठके और प्रक्रियाएं :**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की कुल चार बैठकें हुईं, जो पहले से निर्धारित थीं। कंपनी ने हर तीन महीने में बोर्ड की कम से कम एक बैठक आयोजित की। कंपनी का व्यापार संचालित करने के लिए इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। किंतु, सभी बड़े फैसले बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। विभिन्न गतिविधियों के बारे में बोर्ड को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है/प्रगति की स्थिति से अवगत कराया जाता है।

वर्ष के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों का ब्योरा इस प्रकार है :

क्र.स	तारीख	बोर्ड के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	17 मई, 2010	5	5
2	08 सितम्बर, 2010	5	5
3	08 दिसम्बर, 2010	5	5
4	28 फरवरी, 2011	5	4

वर्ष के दौरान बोर्ड की पहली और दूसरी बैठक के बीच तीन महीने से अधिक अंतर था। वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम और निदेशक की श्रेणी	2010-11 के दौरान बैठकों में उपस्थित	
	बोर्ड बैठक	पिछली वार्षिक आम बैठक
श्री एस के गर्ग (गैर-कार्यकारी)$	3	हां
श्री ए बी एल श्रीवास्तव (गैर-कार्यकारी)$	1	हां (शेयरधारक के रूप में)
श्री विजय कुमार (गैर-कार्यकारी)*	3	हां
श्री के के जोशी (गैर-कार्यकारी)*	3	हां
श्री डी के राय (गैर-कार्यकारी)**	1	हां (सीईओ के रूप में)
श्री पी सी वैश्य (गैर-कार्यकारी)**	1	लागू नहीं
श्री लियांग्सी पॉल गोंमेई (गैर-कार्यकारी)	4	नहीं
श्रीमती कल्याणी मिश्रा (कार्यकारी निदेशक)	3	हां

$ श्री एस के गर्ग की सेवानिवृत्ति के पश्चात् श्री ए बी एल श्रीवास्तव को एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 01 जनवरी, 2011 से कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया।

* एनएचपीसी लिमिटेड ने 10 फरवरी, 2011 से श्री विजय कुमार और श्री के के जोशी का नामांकन वापस ले लिया।

** श्री डी के राय और श्री पी सी वैश्य ने 17 फरवरी, 2011 को कंपनी के बोर्ड में कार्यभार संभाला।

कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनिवार्य बनाए जाने को देखते हुए सभी लागू कानूनों के बारे में अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नही रखी जा सकी। किंतु, चालू वित्त वर्ष से आवधिक अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

(iv) आचार संहिता :

कंपनी कारोबार की नैतिकता के उच्चतम मानदंडों के अनुसार कार्यव्यापार संचालित करने के प्रति वचनबद्ध है और प्रचलित कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कार्य व्यापार संचालन एवं आचार संहिता तैयार की जा रही है।

(v) जोखिम प्रबंधन :

निदेशक मंडल ने यह सुनिश्चित किया है कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली कारपोरेट एवं प्रचालन गत लक्ष्यों के साथ एकीकृत और समनुरूप हो। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यापार पद्धति के रूप में समझा जाता है और निर्धारित समयों पर किसी पृथक कार्य के रूप में नहीं लिया जाता।

3. लेखा परीक्षा समिति :

कंपनी के निदेशक मंडल ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार निम्नांकित गैर-कार्यकारी निदेशक लेखापरीक्षा समिति में शामिल थे। :

i) श्री पी सी वैश्य	गैर-कार्यकारी निदेशक और समिति के अध्यक्ष
ii) श्री लियांग्सी पॉल गोंमेई	गैर-कार्यकारी निदेशक
iii) श्रीमती कल्याणी मिश्रा	गैर-कार्यकारी निदेशक
iv) श्री डी के राय	गैर-कार्यकारी निदेशक

कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है इसलिए समिति के अध्यक्ष सहित कोई भी सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

बैठकें और उपस्थिति :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कुल चार बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	तारीख	समिति के सदस्यों की संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	17 मई, 2010	3	3
2	08 सितम्बर, 2010	3	3
3	08 दिसम्बर, 2010	3	2
4	28 फरवरी, 2011	4	3

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही:

सदस्य का नाम	2010-11 के दौरान बैठकों में उपस्थिति
श्री विजय कुमार*	3
श्री डी के राय **	1
श्री पी सी वैश्य**	1
श्री लियांग्सी पॉल गोंमेई	4
श्रीमती कल्याणी मिश्रा	2

*श्री विजय कुमार 10 फरवरी, 2011 को लेखा परीक्षा समिति से कार्य मुक्त हो गये।
** डी के राय और श्री पी सी वैश्य को बोर्ड द्वारा 28 फरवरी, 2011 को छठी बैठक में लेखा परीक्षा समिति का सदस्य बनाया गया।

समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण पर निगरानी रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय ब्योरा सही, सक्षम और विश्वसनीय है।
2. लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के बारे में बोर्ड से अनुशंसा करना।
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गयी किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन करना।
4. वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने से पहले, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन समिति के साथ उनकी समीक्षा करना:
   क. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा-217 के खंड (2एए) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों के दायित्व विवरण से संबंधित अपेक्षित मामले;
   ख. लेखा नीतियों एवं प्रक्रिया में यदी कोई परिवर्तन हो तो उसका कारण बताएं
   ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करने के आधार पर लगाए गए अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
   घ. लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय ब्योरों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण समायोजन;
   ङ वित्तीय विवरणों से सम्बन्धित कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन;
   च. किसी सम्बन्धित पार्टी ट्रांजैक्शन का प्रकटीकरण; और
   छ. लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शामिल किए गए मुद्दे।
5. तिमाही वित्तीय विवरणों को बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन समिति के साथ उनकी समीक्षा करना।
6. विभागीय लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में प्रबंधन समिति के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करना जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की व्यवस्था और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिर्पोटिंग ढांचा, आंतरिक लेखा परीक्षा की कवरेज और आवृत्ति जैसे विषय शामिल है। 8. विभागीय लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किन्हीं महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर विचार-विमर्श करना और तत्सम्बन्धी अनुवर्ती कार्रवाई करना।
9. किसी संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता अथवा विभागीय नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण विफलता जैसे मामलों में विभागीय लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गयी किसी प्रकार की आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और ऐसे मामले की जानकारी बोर्ड को देना।
10. लेखा परीक्षा प्रारंभ होने से पहले लेखा परीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना तथा लेखा परीक्षा पूरी होने के बाद उनके साथ फिर से विचार-विमर्श करना ताकि किसी चिंताजनक मुद्दे का पता लगाया जा सके।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयर धारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने की स्थिति में) और ऋणदाताओं को भुगतान में किसी महत्वपूर्ण विफलता के कारणों का पता लगाना।
12. किसी प्रकार की अनियमितता का भंडाफोड़ करने की व्यवस्था यानी विश्लिल ब्लोवर मैकेनिज्म की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना।
13. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा सम्बन्धी टिप्पणियों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. संसद की सार्वजनिक उद्यम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, विभागीय लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संवाद के लिए एक मुक्त वातावरण प्रदान करना।

16. कंपनी में सभी सम्बन्धित पक्ष ट्रांजैक्शनों की समीक्षा करना। इस प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को निर्दिष्ट कर सकती है जो सम्बन्धित पक्ष ट्रांजैक्शनों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

    स्पष्टीकरणः "सम्बन्धित पक्ष ट्रांजैक्शन्स" शब्द का अर्थ वही होगा जो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 में निहित है।

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षा के साथ लेखा परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि कवरेज की पूर्णता, व्यर्थ के प्रयासों में कमी, और लेखा परीक्षा संसाधनों का कारगर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन समिति के साथ निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना :

    - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की उपयुक्तता, और - स्वतंत्र लेखा परीक्षक और विभागीय लेखा परीक्षक के सम्बद्ध निष्कर्ष और सिफारिशें और उनके बारे में प्रबंधन समिति के जबाव।

19. प्रबंधन समिति, विभागीय लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नांकित विषयों पर विचार करना और समीक्षा करना :

    - लेखा परीक्षा सम्बन्धी पिछली सिफारिशों सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्षों;
    - किसी अपेक्षित जानकारी तक पहुंच अथवा गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंध सहित परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।

20. लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषयों में वर्णित किसी अन्य कार्य को अंजाम देना।

लेखा परीक्षा समिति के अधिकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए के अनुसार है। कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में काम करता है।

4. **कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं है।**

5. **पारिश्रमिक समिति**

   कंपनी ने अभी किसी पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

6. **आम बैठकें**

   कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक नयी दिल्ली में 8 सितम्बर 2010 को अपराह्न 2.30 बजे आयोजित की गयी। लेखा समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक में मौजूद थे।

   6.1 पिछले तीन वर्षों में पारित किए गए विशेष प्रस्तावों का ब्योराः

क्र.स.	बैठक का ब्योरा	पारित विशेष प्रस्ताव
1.	17 मई 2010 को आयोजित असाधारण आम बैठक	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन

   समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मत पत्र के जरिये कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक आम बैठक जुलाई- अगस्त 2011 के महीने में आयोजित किए जाने की संभावना है।

7. **प्रकटीकरणः**

   (i) **सम्बन्धित पार्टी ट्रांजैक्शन :** प्रोत्साहकों या निदेशकों या प्रबंधन समिति आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण किस्म का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जिससे कम्पनी के व्यापक हितों के साथ कोई संघर्ष होने की आशंका हो।

   (ii) कंपनी की स्थापना के बाद से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से सम्बन्धित किसी मामले में किसी सांविधिक अधिकारी द्वारा कम्पनी को कोई चेतावनी नहीं दी गयी और कोई जुर्माना नहीं किया गया।

   (iii) **अनियमितता को प्रकाश में लाने की (विशॅल ब्लोवर) नीति :** कम्पनी ने कोई विशॅल ब्लोवर नीति नहीं अपनाई है। किन्तु, किसी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

   (iv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान असूचीबद्ध केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए केन्द्रीय लोक उद्यमों से सम्बन्धित कारपोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देशों को अनिवार्य बनाया गया। इसलिए कंपनी इन सभी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की अपेक्षाएं पूरी करने की प्रक्रिया में है।

   (v) स्थापना के बाद से कम्पनी को कोई अध्यक्षीय दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया।

   (vi) लेखा-बहियों में किसी ऐसे व्यय को डेबिट नहीं किया गया, जो कार्य व्यापार के प्रयोजन के लिए न किए गए हों।

   (vii) ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो व्यक्तिगत प्रकार हो और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

   (viii) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय खर्च की तुलना में वित्तीय व्यय और उसमें वृद्धि के कारणों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र.स.	विवरण	कुल व्यय का प्रतिशत	वृद्धि का कारण
1.	प्रशासनिक व्यय	89 प्रतिशत	पहली बार पूरे वर्ष (2010-11) सम्बन्धी लेखा परीक्षा आंकड़े।
2.	कार्यालय खर्च	11 प्रतिशत	

   (ix) **लेखांकन व्यवहार :** कंपनी ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया है। किन्तु, विचलन होने पर, यदि कहीं हो, उसे टिप्पणियों में वर्णित किया गया है, जो लेखों का अभिन्न अंग है।

   (x) **निदेशकों को पारिश्रमिक :**

   निदेशकों को कोई पारिश्रमिक या सीटिंग शुल्क नहीं दिया गया।

8. **संचार के साधन**

   कम्पनी के वार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी सदस्यों को भौतिक रूप में उपलब्ध कराई जाती है। कंपनी को तिमाही परिणाम प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

9. **लेखा परीक्षा उपयुक्तता**

   लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक को छोड़कर, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2010-11 के लिए आयकर की बकाया राशि 6 महीने से अधिक थी, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी, सुझाव या आपत्ती का उल्लेख नहीं किया गया है। आयकर सम्बन्धी टिप्पणी एक लेखांकन सम्बन्धी त्रुटि का परिणाम थी, जो लेखाबंदी के समय नोटिस में आयी। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां निदेशकों की रिपोर्ट के साथ अन्यत्र संलग्न है।

10. **बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण**

    लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत उत्पादन के व्यापार में संलग्न है। कंपनी के बोर्ड ने एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक, प्रधान सचिव (विद्युत), मणीपुर सरकार के प्रतिनिधि और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसलिए वे कंपनी के बिजनेस मॉडल, व्यापार के जोखिम के स्वरूप आदि के साथ भलीभांति परिचित हैं।

11. **अनुपालन प्रमाण पत्र**

    पूर्ण कालिक कार्यरत कंपनी सचिवों, मैसर्स पीसी जैन एण्ड कंपनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गयी है कि कम्पनी ने केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन दिशा-निर्देश-2010 के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर

(ए बी एल श्रीवास्तव)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या- 01601682

तारीख : 02.08.2011

स्थानः फरीदाबाद

अनुलग्नक - 2

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. **औद्योगिक ढांचा और विकास**

विद्युत अर्थव्यवस्था, विशेष कर भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था, में महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, क्योंकि उच्च एवं परिष्कृत जीवन स्तर, सस्ती, समुचित एवं भरोसेमंद विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर है। अन्य वस्तुओं से भिन्न आपूर्ति एवं मांग की गतिशीलता विद्युत पर लागू नहीं होती क्योंकि इसे स्टोर नहीं किया जा सकता। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन में अग्रणी भूमिका है, जहां केन्द्र ओर राज्य सरकारें कुल संस्थापित क्षमता का 81 प्रतिशत विद्युत उत्पादन करती हैं। 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है जो वर्तमान 19 प्रतिशत का योगदान कर रहा है।

विद्युत की कमी (विशेषकर पीक-पावर) और जल-ताप विद्युत के प्रतिकूल मिश्रण के अलावा भारतीय विद्युत क्षेत्र को वर्षों से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे विषम शुल्क, कमजोर एवं घटिया वितरण तंत्र, व्यापक तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां आदि शामिल हैं। राज्य विद्युत बोर्डों की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए निजी निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करते हुए संकोच करते हैं। इसी प्रकार उत्पादित विद्युत की बिक्री से अर्जित लाभ को पुनः निवेश करने में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी बाधा महसूस करते हैं।

हाल के वर्षों में विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय विद्युत नीति की शुरूआत, जिसमें "2012 तक सबके लिए बिजली" और 2011-12 तक प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता 1000 यूनिट तक बढ़ाने की व्यवस्था है।

2. **शक्तियां और कमजोरियां :**

हमारा मानना है कि कंपनी की प्राथमिक प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियां इस प्रकार है :

ग्राहकों के साथ दीर्घावधि के विद्युत खरीद समझौते :

कंपनी और मणिपुर सरकार के बीच विद्युत खरीद समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जाने वाले हैं, जिसके अनुसार परियोजना से उत्पादित समूची विद्युत मणिपुर सरकार खरीदेगी।

सक्षम एवं प्रतिबद्ध कार्मिक

विकासकों के बीच हुए समझौते के अनुसार लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कार्मिक मूल संगठनों अर्थात एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान में सभी कार्मिक एनएचपीसी लिमिटेड से लिए गए हैं, जो जल विद्युत विकास के क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। कार्मिकों को इस उद्योग में व्यापक अनुभव है। कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारियों का कौशल, उनकी औद्योगिक जानकारी और प्रचालनगत अनुभव कंपनी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं।

मूल संगठनों की सुदृढ डिजाइन एवं इंजीनियरी टीम :

मूल कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कंपनी को भलीभांति सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके पास परियोजना डिजाइन के लिए विभागीय टीम है और उसके पास अवधारणात्मक स्तर से लेकर परियोजनाओं से उत्पादन शुरू होने तक के लिए प्रबल इंजीनियरी क्षमताएं हैं। इस टीम की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परियोजना परामर्शदाता उपलब्ध हैं। कंपनी के इंजीनियरों ने सुरंग डिजाइन में अनुभव और विशेषज्ञता हासिल की है और वे परिवर्तित एवं अनुमान न लगाई जा सकने वाली भौगोलिक स्थितियों के लिए डिजाइन तैयार करने में सक्षम हैं। इंजीनियरों को विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञतापूर्ण विश्लेषण, डिजाइन एवं कम्प्यूटर एडिड डिजाइन (सीएडी), साफ्टवेयर अनुप्रयोगों का अनुभव है। उनके मौलिक एवं पूरी तरह एकीकृत दृष्टिकोण के फलस्वरूप उनके पास ऐसा कौशल एवं जानकारी उपलब्ध है, जिससे वे किसी भी डिजाइन संबंधी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

3. **अवसर**

जल-ताप विद्युत मिश्रण की बिगड़ती स्थिति, व्यस्तता के समय बिजली की कमी में बढ़ोत्तरी, विषम आवृत्ति अंतराल, जल प्रबंधन की समस्याएं आदि ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने नीति निर्माताओं का ध्यान जल विद्युत के विकास की ओर आकर्षित किया है। जल विद्युत से न केवल स्वच्छ ऊर्जा पैदा होती है बल्कि पेयजल आपूर्ति, सिचाई, नौकायन, रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी, औद्योगिक विकास, क्षेत्र के लोगों के लिए मनोरंजन सुविधा पैदा करने में भी मदद मिलती है। भारत सरकार ने अपने विकास कार्यक्रम में त्वरित जल विद्युत के विकास के उपायों पर विशेष बल दिया है। पूर्वोत्तर भारत में 58,971 मेगावाट जल विद्युत की अदोहित क्षमता मौजूद है और देश के इस अर्द्धविकसित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का उत्कृष्ट विकल्प जल विद्युत विकास को समझा जा रहा है।

4. **खतरे, जोखिम और चिंताएं**

प्रबंधन समिति के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निम्नांकित खतरे, जोखिम और चिंताएं विद्यमान हैं :

पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी

पर्यावरण संबंधी मंजूरी, वन संबंधी मंजूरी और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (जहां कहीं लागू हो) से मंजूरी प्राप्त करने लिए कड़े मानदंड और दुरूह प्रक्रियों निर्धारित की गयी हैं, जिनसे परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब होता है। इससे क्षमता संवर्धन कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है।

भूमि अधिग्रहण :

जल विद्युत परियोजना पर्वतीय और कठिन भू-भाग पर स्थित है, जिसके लिए ढांचागत कार्यों और जल भराव सहित परियोजा घटकों के लिए व्यापक भूभागों की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और तत्संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता है।

भौगोलिक आकस्मिकताएं :

इस क्षेत्र में भौगोलिक आकस्मितकताएं विशेषकर भूमिगत कार्यों में आकस्मिक घटनाएं आम बात है, जिससे परियोजना के समय और लागत में बढ़ोत्तरी होती है।

प्राकृतिक आपदाएं :

जल विद्युत परियोजना चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए भू-स्खलनों, पर्वतीय ढाल के गिरने और सड़के बंद होने, बाढ़ तथा बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण कार्यक्रम में गंभीर बाधाएं आती है।

आकस्मिक बाधाएं

परियोजना का विकास, आकस्मिक बाधाओं एवं विलम्ब के कारण प्रभावित हो सकता है। इसमें विकासधीन परियोजना की वास्तविक लागत और अनुमानित लागत में काफी अंतर हो सकता है।

सीईआरसी के टैरिफ विनियमों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रचालन के नकदी प्रवाह और परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु स्थितियों के कारण जल के प्रवाह में उतार चढ़ाव के कारण उत्पादन क्षमता पर व्यापक असर पड़ सकता है, जिससे राजस्व एवं लाभ में भी महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव आ सकते हैं।

5. **क्षेत्र वार अथवा उत्पाद वार कार्य निष्पादन :**

कारपारेशन 66 मेगावाट की प्रस्तावित स्थापित क्षमता वाली लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का स्थलाकृति विषयक सर्वेक्षण कर रहा है।

6. **दृष्टिकोण**

जल विद्युत विकास के क्षेत्र में निवेशकों/निष्पादकों के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं। संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में सुधार के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इनमें 2001 में सीईए द्वारा संभावित जल-विद्युत स्थलों की रैंकिंग के लिए अध्ययन, विद्युत अधिनियम 2003 बनाया जाना, मई 2003 में 50,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता हासिल करने के उपाय शुरू करना और 2008 में जल नीति की घोषणा जैसे उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बदलते माहौल से देश में जल विद्युत के विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे।

7. **आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता :**

निगम ने अधिकारों के विशेष प्रत्यायोजन की व्यवस्था अपनाई है। नियमबद्ध प्राधिकरण/उत्तरदायित्व के संदर्भ में संगठनात्मक ढांचा भली-भांति परिभाषित है, जिसमें विशेष श्रेणीबद्धता स्तर अपनाया गया है। एनएचपीसी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा करे, जिसमें योग्य और अनुभवी व्यक्तियों का स्टाफ मौजूद है।

8. **प्रचालनगत कार्य निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा :**

क) कार्य निष्पादन

कंपनी लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य में संलग्न है, जिसके लिए कंपनी के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है। इस निधि को नियमकालिक जमा के रूप में अनुसूचित बैंकों में रखा गया है, जिस पर कंपनी को ब्याज प्राप्त होता है।

ख) परियोजना का निष्पादन

परियोजना के लिए सर्वेक्षण कार्य : बैराज क्षेत्र तक भूमि को समतल करने का काम पूरा हो चुका है। अगले कार्यकारी सत्र में एसओआई द्वारा शेष कार्य पूरा किया जाएगा।

वन संबंधी मंजूरी : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए पत्र संख्या 8-35/2010 - एफसी, दिनांक 03-03-2011 के माध्यम से 211.50 हेक्टेयर वन भूमि के रूपांतरण की अनुमति से अवगत कराया गया है।

पर्यावरण संबंधी मंजूरी : एमएसएमसीबी ने तामेंगलोंग जिले के थांगल गांव में 07-06-2011 को जन सुनवाई का आयोजन किया और अपनी रिपोर्ट 13-06-2011 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव को भेज दी।

एलडीएचसी लिमिटेड के पक्ष में सहमति को हस्तांतरण : एलएचडीसी लिमिटेड के पक्ष में सहमति के हस्तांतरण संबंधी आवेदन सीईए को प्रस्तुत करा दिया गया है।

9. **नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में विकास :**

आपकी कंपनी का यह मानना है कि सुप्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की टीम कंपनी के सतत विकास एवं सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंपनी के सभी कर्मचारी एनएचपीसी लिमिटेड से तैनात किए जा रहे हैं। एनएचपीसी लिमिटेड की प्रशिक्षण नीति के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए हैं।

औद्योगिक संबंध और स्टाफ कल्याण

कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच औद्योगिक संबंध सदभाव एवं सामंजस्यपूर्ण रहे हैं। हड़ताल/तालाबंदी के कारण कार्यदिवसों की कोई हानि नहीं हुई। स्टाफ कल्याण गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्मिकों को उनकी कार्य शर्तों से संबंधित क्षेत्रों, कल्याण आदि में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों और खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कार्यपालकों और अकार्यपालकों दोनों के लिए सुसज्जित क्लबों की व्यवस्था की गयी है।
- बुनियादी ढांचा तैयार करते हुए अथवा आउट सोर्सिंग के जरिए मनोरंजन के लिए केबल टीवी जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गयी हैं।
- लोकतक परियोजना के आसपास केन्द्रीय विद्यालयों के जरिए शैक्षिक सुविधा प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा सहायता और हास्टल सब्सिडी कर्मचारियों के बच्चों को प्रदान की जा रही हैं।
- सुयोग्य विभागीय चिकित्सकों और पैरामेडिल स्टाफ के साथ लोकतक में अस्पताल/औषधालय सुविधा कायम की जा रही है। अस्पताल के साथ कर्मचारियों और उनके परिवारों को देश के विभिन्न पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार की पात्रता भी प्रदान की गयी है।

अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षण

कंपनी अजा/अजजा और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक- आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार के साथ प्रोत्साहक समझौते की शर्तों के अनुसार चूंकि स्टाफ प्रोत्साहकों द्वारा प्रदान किया जाना है, इसलिए कंपनी द्वारा कोई भर्ती नहीं की जा रही है किंतु दोनों प्रोत्साहक भारत सरकार द्वारा आरक्षण एवं छूट के बारे में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं।

अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा निम्नांकित तालिका में दिया गया है।

समूह	31.03.2011 को कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व					
		अजा	अजा प्रतिशत	अजजा	अजजा प्रतिशत	अपिव	अपिव प्रतिशत
कुल	23	0	0	3	13	0	0

विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कोई शारीरिक विकलांग कर्मचारी नहीं था।

10. **पर्यावरण संरक्षण और संरक्षा, प्रोद्यौगिकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा गतिविधियां, विदेशी मुद्रा परिरक्षण :**

कंपनी पर्यावरण के संरक्षण और परियोजना स्थल के आसपास की गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मानव मात्र की बहुमूल्य विरासत प्रकृति के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। निर्माण गतिविधियों का यदि कोई प्रतिकूल असर पड़ता है तो उसे क्षतिपूरक वृक्षा रोपण, जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार, वन्य जीव संरक्षण, हरित भूमि विकास, मत्स्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, डम्पिंग स्थलों और खनन क्षेत्रों को फिर से हरा भरा बनाने, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आदि उपायों के जरिए कम किया जाता है।

11 **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व :**

आपकी कंपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व (सीएसआर) के प्रति वचनबद्ध है और पर्यावरण तथा नैतिक चेतना के साथ व्यवहार करने का प्रयास करती है। कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन, कर्मचारी कल्याण और पर्यावरण के प्रति वचनबद्धता के क्षेत्र मे उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाई हैं। आपकी कंपनी का पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यक्रम का लक्ष्य, उन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, जो परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले हों या जिन पर उसका अन्यथा विपरीत असर पड़ने जा रहा हो। आपकी कंपनी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की नीति के कार्यान्वयन के जरिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के प्रति वचनबद्ध है।

सावधानी पूर्ण वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित प्रगतिगामी विचार एवं वक्तव्य तर्कसंगत परिकल्पनाओं पर आधारित हैं और वे विभिन्न जोखिमों एवं अनिश्चितताओं के अधीन हैं, जिनके कारण इन विवरणों में प्रदर्शित निष्कर्षों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को चाहिए कि वे इस रिपोर्ट में और समय समय पर जारी होने वाली कंपनी की अन्य रिपोर्टों में प्रकाशित जानकारी की ध्यानपूर्वक समीक्षा करें। कंपनी यह दायित्व वहन नहीं करेगी कि वह भावी घटनाओं या अन्य आधारों पर मिलने वाली नई जानकारी को सार्वजनिक रूप में अद्यतन या संशोधित करे।

वित्तीय आकड़े कंपनी के लेखा परीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/
(ए बी एल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
डीआईएन : 01601682

तारीख : 2 अगस्त, 2011
स्थान : फरीदाबाद

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

अनुबंध-III

सदस्यगण लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

हमने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उससे सम्बद्ध 31 मार्च, 2011 की अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाता, नक़दी प्रवाह विवरण और निर्माण के दौरान व्यय लेखे की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनों और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है, और हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4 ए) की शर्तो के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2004 (यथा संशोधित) की अपेक्षानुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।
2. उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

   (ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और निर्माण के दौरान व्यय लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है।

   (घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और निर्माण के दौरान व्यय लेखा कंपनी अधिनियम 1956 की धरा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।

   (घ) कंपनी कार्य विभाग ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी अधिसूचना संख्या 8/5/2001-सीएल.वी के माध्यम से अधिसूचित किया है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (च) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचनों तथा स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे तत्संबंधी टिप्पणियों (अनुसूची-24) तथा महत्त्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों (अनुसूची-23) के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं-

      (i) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2011 को कंपनी की स्थिति का।

      (ii) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में वर्ष के लिए उसी तिथि को कंपनी के लाभ का, और

      (iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में वर्ष के लिए उसी तिथि को कंपनी के नकदी प्रवाह।

      (iv) निर्माण के दौरान व्यय लेखा के मामले में वर्ष के लिए उसी तिथि को कंपनी के निवल व्यय का।

कृते शरद जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ आर पंजीकरण संख्या 015201 एन)

(शरद जैन)
भागीदार
सदस्यता सं.-083837

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 09 मई, 2011

शाखा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 में उल्लिखित)

1. (क) कम्पनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्योरे तथा अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए है।

   (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, क्योंकि सत्यापन का एक तय कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप के अनुरूप है। इस सत्यापन के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण विसंगति नजऱ नहीं आयी।

   (ग) चूंकि इस अवधि के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए चालू महत्त्व आधार पर वित्तीय विवरण को तैयार किया जाना, इससे प्रभावित नहीं हुआ है।

2. (क) हमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

   (ख) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।

   (ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में लेखा-बहियों के रिकार्ड की तुलना में कोई विसंगति नहीं पायी गई है।

3. (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मो या अन्य प्राइवेट पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।

   (ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मो या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए है। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ङ), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते है।

4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची और अचल परिसंपत्तियों के क्रय के बारे में एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। परियोजना निर्माणाधीन होने के कारण इस अवधि में वस्तु एवं सेवाओं की कोई बिक्री नहीं की गई।

5. (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो।

   (ख) उपरोक्त उप-खंड (क) को देखते हुए यह उप-खंड लागू नहीं होता।

6. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और अन्य संगत प्रावधानों में कवर होने वाले किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

7. कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उसके आकार एवं व्यापार के स्वरूप के अनुरूप है।

8. कंपनी निर्माणावस्था में है इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित लागत रिकार्डो के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

9 (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार लेखा-परीक्षाधीन अवधि में भविष्य निधि अंशदानों की जानकारी नियमित रूप से इसकी धारक कपंनी, एनएचपीसी लिमिटेड के कारपोरेट कार्यालय को भेजी जा रही है ताकि उसे एनएचपीसी कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कराया जा सके और हमें दी गयी जानकारी के अनुसार ये अंशदान जमा कराने की वास्तविक तारीख देय होने की तारीखों के भीतर रही है तथा जहां तक पीएफ और ईडीएलआई पर प्रशासनिक प्रभार का प्रश्न है, वे देय होने पर निर्धरित तारीख से पहले उपयुकत अधिकारियों के पास जमा कराए गए है और जैसा कि हमें जानकारी दी गई है वर्ष 2010-11 के लिए आय कर को छोड़ कर, निवेशक शिक्षा और सरंक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि बकाया नहीं है। 6 महीने की अवधि से अधिक बकाया सांविधिक देयों का विवरण नीचे दिया गया है :

सांविधिक का नाम	देय का नाम	अवधि	राशि	देय तिथि	भुगतान की तारीख
आय कर अधि-नियम, 1961	आय कर	मूल्यांकन वर्ष 2010-11	रु. 11,93,544	31 मार्च, 2010	29.04.2011

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क तथा उपकर की कोई राशि देय नहीं है और तत्संबधी कोई विवाद बकाया नहीं है।

10. आदेश का खंड 4(10) कंपनी पर लागू नहीं होता।

11. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से कोई ऋण स्वीकार नहीं किया है। अतः आदेश का खंड 4(11) कंपनी पर लागू नहीं होता।

12. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर, ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यों को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।

13. कम्पनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए आदेश का खंड 4(13) कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसलिए आदेश का खंड 4(14) कंपनी पर लागू नहीं होता।

15 हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमें दी गए सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने किसी सावधि ऋण का उपयोग नहीं किया।

17. हमें दी गए सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर किसी धन की उगाही नहीं की है।

18. वर्ष के दौरान कपंनी ने, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों और कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।

19. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कोई ऋण पत्र जारी नही किया है।

20. कम्पनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू से धन उगाही नहीं की है।

21. हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी प्रकाश में नहीं आयी है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते शरद जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार

(शरद जैन)
भागीदार
सदस्यता सं.-083837

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 09 मई, 2010

अनुलग्नक-IV

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, मणिपुर के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, मणिपुर के वित्तीय ब्योरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय ब्यौरों पर अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार की गयी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09 मई, 2011 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, मणिपुर के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय ब्यौरों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है। इसे मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिकों की जांच तक सीमित रखा गया है। इसमें कुछ चुने हुए लेखा रिकॉर्डों की परीक्षा भी की गयी है। अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण मामले को प्रकाश में लाना चाहता हूं, जो मेरी जांच के दौरान सामने आया और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनिवार्य है :

तुलन पत्रक

स्थिर पूंजी व्यय

अचल आस्तियां (अनुसूची-5)

सड़क एवं पुल रु. 42,28,714

उपरोक्त के अंतर्गत थांगल गांव में हेलिपैड/प्लेग्राउंड पर खर्च किए गए रुपये 40.01 लाख (सकल ब्लाक मूल्य रु. 44.81 लाख) शामिल हैं, जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं। ऐसे व्यय कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए उन्हें बट्टे खाते में डाला जाना चाहिए। ऐसे व्यय को अचल परिसंपत्तियों पर व्यय में शामिल करने से अचल परिसंपत्तियों और वर्ष के लाभ में रुपये 40.01 लाख का अधि-विवरण हुआ है।

कपंनी की लेखांकन नीति संख्या 2.3 और 5.8 भी सही नहीं है, जिनमें कंपनी के स्वामित्व में न आने वाली परिसंपत्तियों पर व्यय को अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजी कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है।

चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची-9)

नकदी एवं बैंक जमा

खाते में राशि रु. 68,19,95,991

कंपनी अधिनियम 1956 की छठी अनुसूची के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार कंपनी ने 68.20 करोड़ रुपये की इस्तेमाल न की गयी शेयर पूंजी को अलग से प्रकट नहीं किया और यह राशि 31 मार्च, 2011 को अनुसूचित बैंकों में जमा के रूप में रखी गयी।

हस्ताक्षर

(एम के बिस्वास)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली के पदेन सदस्य।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 12 जुलाई, 2011

31 मार्च, 2011 के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची संदर्भ	31 मार्च, 2011			31 मार्च, 2010		
निधियों के स्रोत							
क. शेयरधारकों की निधि							
i) शेयर पूंजी	1		600000000			600000000	
ii) शेयर पूंजी जमा	1क		384615400			-	
iii) इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि							
iv) आरक्षित तथा अधिशेष	2		15448033	1000063433		-	600,000,000
ख. ऋण निधियां							
i) प्रतिभूत ऋण	3			-			-
ii) अप्रतिभूत ऋण	4			-			-
ग. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम में प्राप्त आय				-			-
घ. विलंबित कर देयता							
विलंबित कर देयताएं निवल				-			-
घटाएं - प्राप्य विलंबित कर				-			-
कुल				**1000063433**			**600000000**
निधियों का उपयोग							
क. स्थिर पूंजी व्यय							
i) स्थिर परिसंपत्तियां	5						
क) सकल ब्लाक		29013078			28918580		
घटाएं - मूल्यह्रास		19423545			18934536		
ख) निवल ब्लाक			9589533			9984044	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		389504010			322008235	
iii) निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	7		15611933	414705476		3802921	335795200
ख. निवेश	8			-			-
ग. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	9						
i) निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		-			-		
ii) मालसूची		-			-		
iii) प्रगति पर संविदा कार्य		-			-		
iv) विविध देनदार		-			-		
v) नकदी तथा बैंक शेष		682096447			600486366		
vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		10350310			4731466		
vii) ऋण तथा अग्रिम		1104752	693551509		5706503	610924335	
घटाएं - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	10						
i) देयताएं		89410513			353317824		
ii) प्रावधान		18783039	108193552		5029061	358346885	
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां				585357957			252577450
घ. विविध व्यय (बटटेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)	11			-			11627350
कुल				**1000063433**			**600000000**
लेखांकन नीतियां	23						
लेखाओं पर टिप्पणियां	24						

अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते शरद जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या : 015201एन)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(ए बी एल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
एलडीएचसीएल
डीआईएन-01601682

(पी सी वैश्य)
निदेशक
एलडीएचसीएल
डीआईएन-03440470

(शरद जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 083837

(वी के कर्ण)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एलडीएचसीएल

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
एलडीएचसीएल

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 09/05/2011

31 मार्च, 2011 के अनुसार लाभ एवं हानि लेखे

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची संदर्भ		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
आय					
i) बिक्री	12		-		-
घटाएं - शुल्क समायोजन					
घटाएं - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	12क		-		-
ii) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य आय	13		-		-
iii) अन्य आय	14		36471302		-
कुल आय			36471302		-
व्यय					
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	15		-		11627350
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	16		-		-
iii) मूल्यह्रास	17		-		-
iv) ब्याज तथा वित्त प्रभार	18		-		-
v) प्रावधान	19		-		-
vi) संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य व्यय	20		-		-
कुल व्यय			-		11627350
कर पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन			36471302		(11627350)
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	21		5119825		-
कर पूर्व लाभ			41591127		(11627350)
कराधान हेतु प्रावधान					
i) वर्तमान कर		12634751		-	
ii) छुट-पुट लाभ कर		-		-	
iii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		1880993		-	
iv) विलम्बित कर		-		-	
घटाएं- प्राप्य विलंबित कर समायोजन		-	14515744	-	-
कर पश्चात लाभ			27075383		(11627350)
पिछले वर्ष के खाते से अग्रेनीत शेष					
बॉण्ड विमोचन आरक्षित से पश्च लिखित राशि					
पूंजी आरक्षित से पश्च लिखित राशि					
अन्य आरक्षी से पश्च लिखित राशि					
स्व बीमा आरक्षी से पश्च लिखित राशि					
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष			27075383		(11627350)
i) पूंजी आरक्षित को अंतरित			-		-
ii) बॉण्ड विमोचन आरक्षित को अंतरित			-		-
iii) स्व बीमा निधि को अंतरित			-		-
iv) सामान्य आरक्षी को अंतरित			-		-
v) लाभांश			-		-
- अंतरिम			-		-
- प्रस्तावित			-		-
vi) लाभांश पर कर			-		-
- अंतरिम			-		-
- प्रस्तावित			-		-
तुलन-पत्र को ले जाया गया शेष			27075383		(11627350)
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, 10 रुपयं प्रति शेयर)					
बुनियादी			0.45		(0.19)
तनुकृत			0.43		(0.19)
(देखें नोट 16, अनुसूची '24')					
निर्माण के दौरान व्यय	22				
लेखांकन नीतियां	23				
लेखे पर टिप्पणी	24				
अनुसूची 1 से 24 इस लेखे का अभिन्न अंग है।					

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते शरद जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या : 015201एन)

(शरद जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 083837

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 09/05/2011

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(ए बी एल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
एलडीएचसीएल
डीआईएन-01601682

(पी सी वैश्य)
निदेशक
एलडीएचसीएल
डीआईएन-03440470

(वी के कर्ण)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एलडीएचसीएल

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
एलडीएचसीएल

अनुसूची-1 शेयर पूंजी

(राशि रुपये में)

प्राधिकृत	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
प्राधिकृत :		
10/-रुपए प्रत्येक के 23,00,00,000 (23,00,00,000) इक्विटी शेयर	2300000000	2300000000
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त :		
i) 10 रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 4,44,00,000 (4,44,00,000) शेयर एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा धारित किए गए हैं (5 नामितों के ज़रिए 5 नम्बर इक्विटी शेयर सहित)	444000000	444000000
ii) 10 रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,56,00,000 (1,56,00,000) शेयर मणिपुर सरकार द्वारा धारित किए गए हैं (1 नामित के ज़रिए 100 (100) इक्विटी शेयर सहित)	156000000	156000000
कुल	600000000	600000000

अनुसूची-1ए शेयर आवेदन निधि

विवरण	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
शेयर आवेदन निधि-एनएचपीसी लिमिटेड	284615400	Nil
शेयर आवेदन निधि-मणिपुर सरकार	100000000	Nil
कुल	384615400	Nil

अनुसूची 2-आरक्षित तथा अधिशेष

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को				31 मार्च, 2010 को			
	01.04.2010 को	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2011 को	23.10.2009 को	वर्धन	कटौती/ समायोजन	31.03.2010 को
शेयर प्रीमियम लेखा	-	-	-	-	-	-	-	-
पूंजीगत आरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-
बांड मोचन आरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि खाते पर	(11627350)	27075383	-	15448033	-	(11627350)	-	(11627350)
स्व-बीमा आरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	(11627350)	27075383	-	15448033	-	(11627350)	-	(11627350)

अनुसूची 3 -ऋण निधियां -सुरक्षित

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
क. बांड	-	-
ख. सावधि ऋण	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 4 -ऋण निधियां -असुरक्षित

विवरण	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
क. सावधि ऋण	-	-
ख. भारत सरकार से ऋण	-	-
ग. बांड/डिबेंचर	-	-
घ. अल्पावधि ऋण	-	-
ङ. अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-

अनुसूची - 5 - अचल परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.04.2010 को	संवर्द्धन/ समायोजन अंतर यूनिट खाते में अंतरण के कारण	संवर्द्धन/ समायोजन अन्य के कारण	कटौती/ समायोजन अंतर यूनिट खाते में अंतरण के कारण	कटौती/ समायोजन अन्य के कारण	31.03.2011 को	01.04.2010 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2011 को	31.03.2011 को	31.03.2010 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि-लीजहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि-अवर्गीकृत/उपयोग का अधिकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	5336923	-	-	-	-	5336923	1904008	130052	-	2034060	3302863	3432915
सड़कें और पुल	4763741	-	-	-	-	4763741	375918	159109	-	535027	4228714	4387823
रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र तथा मशीनरी - सब - स्टेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र तथा मशीनरी-ट्रांसमिशन लाइनें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	94554	-	-	-	-	94554	59198	4992	-	64190	30364	35356
निर्माण उपस्कर	7472225	-	-	-	-	7472225	6,763,183	-	-	6763183	709042	709042
वॉटर सप्लाई सिस्टम् ड्रेनेज एवं सिवरेजा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इलेक्ट्रीकल स्थापन्न	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहन	5630248	-	-	-	-	5630248	5067223	-	-	5067223	563025	563025
निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर	895154	-	-	-	-	895154	800527	26784	-	827311	67843	94627
कम्प्यूटर	1198916	-	67964	-	-	1266880	1081571	28023	-	1109594	157286	117345
संचाय उपकरण	108455	-	-	-	-	108455	87600	3897	-	91497	16958	20855
कार्यालय उपकरण	689432	-	-	-	-	689432	478294	39833	-	518127	171305	211138
अनुसंधान और विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अगोचर आस्तियां (सॉफ्टवेयर)	-	-	7850	-	-	7850	-	2616	-	2616	5234	-
अन्य आस्तियां	1240102	-	8890	-	-	1248992	828924	83914	-	912838	336154	411178
उन आस्तियों पर व्यय जो एलडीएचसीएल के स्वामित्व में नहीं है।**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गौण मूल्य की अचल आस्तियां झ750 श्रौर ढ5000 रुपये।	1488830	-	9794	-	-	1498624	1488090	9789	-	1497879	745	740
अप्रचलित/अधिशेष आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**28918580**	-	**94498**	-	-	**29013078**	**18934536**	**489009**	-	**19423545**	**9589533**	**9984044**
पिछले वर्ष	-	28707261	211319	-	-	28918580	-	715888	18218648	18934536	9984044	-

* अवर्गीकत भूमि/उपयोग का अधिकार पर निर्मित रु. शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) मूल्य के भूमिगत कार्यों सहित अचल आस्तियों को सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है।

नोट :
ङ पूर्व अवधि मदों और वर्ष के दौरान अन्य समायोजनों को दर्शाता है।
ङङ इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय को पूरी तरह से लेखांकन नीति संख्या 2.3 के अनुसार दर्ज किया जायेगा और मूल्यहास लेखांकन नीति संख्या 5.7 के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।
मूल्यहास का मिलान अनुसूची 17 के अंतर्गत 'वर्ष के दौरान मूल्यहास' से किया जायेगा। (9300 अलावा 9-3-99-99)
अचल आस्तियों की अनुसूचियों का अनुबंध

1. अंतर यूनिट अंतरणों के कारण संवर्द्धन/समायोजन

परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष	परामर्श संख्या	सकल ब्लाक संवर्द्धित/समायोजित
	शून्य		

2. अन्य के कारण संवर्द्धन/समायोजने

परिसंपत्तियों का विवरण	लेखा शीर्ष	सकल ब्लाक संवर्द्धित/समायोजित
सोनी-वाइयो-लैपटाप माडल न. वीपीसीईबी 34 ईएन	41-18-01	40990
कैनन एलबीपी 3300 लेजर प्रिन्टर	41-18-03	20374
एचपी लेजर जेट 1020 प्लस	41-18-03	6600
सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट आफिस होम एंड बिजनेस 2010	41-22-01	7850
हेयर रेफ्रिजेरेटर 180 लीटर्स	41-25-05	8890
इमरजेंसी लैंप-फिलिप उदय मिनि	41-28-01	1395
बीटल कॉलर एसडी फोन मॉडन न. पी 65	41-28-01	3000
सीगेट एचडीडी 500 जीबी 6.3 सीएम प्रोटेबल हार्ड ड्राइव	41-28-01	4399
हॉट प्लेट 1000 वाट	41-28-01	1000
	कुल	**94498**

3. अंतर यूनिट अंतरणों के कारण कटौती/समायोजन

परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष	परामर्श संख्या	सकल ब्लाक संवर्द्धित/समायोजित
	शून्य		

4. अन्यों के कारण अचल परिसंपत्तियों में कटौती/समायोजन

परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष	सकल ब्लाक कटौती/समायोजित
	शून्य	

5. सलाल/लोकतक/बैरासूल से भिन्न पावर स्टेशनों से अंतरित परिसंपत्तियों का ब्योरा-जहां निर्माण अवधि के दौरान सकल ब्लाक मूल्य लागत में से मूल्यहास कम करते हुए लिया जाना है।

पावर स्टेशन का नाम	परिसंपत्तियों का ब्योरा	लेखा शीर्ष	मूल लागत	सकल ब्लाक अंतरित	मूल्यहास के लिए प्रावधान अंतरित	डब्ल्यूडीची अंतरित
			शून्य			

6. सलाल/लोकतक/बैरासूल से भिन्न पावर स्टेशनों से अंतरित परिसंपत्तियों का ब्योरा-जहां निर्माण अवधि के दौरान सकल ब्लाक मूल्य लागत में से मूल्यहास कम करते हुए लिया जाना है।

पावर स्टेशन का नाम		परिसंपत्तियों का ब्योरा	लेखा शीर्ष	मूल्यहास के लिए प्रावधान अंतरित	अस्थायी अवमूल्यन	डब्ल्यूडीची अंतरित
			शून्य			

अनुसूची-6-चालू पूंजी कार्य

(राशि रुपये में)

	विवरण	प्रारंभिक शेष	संवर्द्धन	समायोजन	पूंजीकृत	अंतिम शेष
i)	भवन	1948004	-	-	-	1948004
ii)	सड़कें और पुल	-	-	-	-	-
iii)	रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-
iv)	हाइड्रोलिक कार्य (बांधा, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग आदि)	-	-	-	-	-
v)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	-	-	-	-
vi)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-	-	-	-	-
vii)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	-	-	-	-	-
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-	-	-	-	-
ix)	निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
x)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-	-	-	-	-
xi)	संस्थापना का इंतज़ार कर रही अन्य परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
xii)	अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
xiii)	उन आस्तियों पर व्यय जो एलडीएचसीएल के स्वामित्व में नहीं हैं।*	25297123	1117043	-	-	26414166
xiv)	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	-	-	-	-	-
xv)	प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	-	-	-	-	-
xvi)	निर्माण के दौरान व्यय (इस अनुसूची का अनुलग्नक देखें)	294763108	61258907	5119825	-	361141840
	कुल	**322008235**	**62375950**	**5119825**	**-**	**389504010**
	घटाएं : प्रावधान के लिए	-	-	-	-	-
	कुल	**322008235**	**62375950**	**5119825**	**-**	**389504010**
	पिछले वर्ष		5421203	316587032	-	322008235

* नोट इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय को पूरी तरह से लेखांकन नीति संख्या 2.3 के अनुसार दर्ज किया जायेगा।

अनुसूची 7 निर्माण भण्डार तथा अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
क. निर्माण भंडार (लागत पर मूल्यांकित तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार)				
i) भंडार तथा कलपुर्जे	257198		274921	
ii) खुले औजार	-		-	
iii) रद्दी मालसूची	-		-	
iv) परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	-		-	
v) संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री	-		-	
घटाएं - निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान ङ1	129000		-	
उप जोड़		128198		274921
ख. पूंजीगत व्यय हेतु अग्रम				
i) प्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-		-	
ii) अप्रतिभूत -(अच्छे माने गए)				
-बैंक गारंटी के प्रति	-		-	
-अन्य	15483735		3528000	
iii) अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	151747		1531747	
घटाएं - संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान''2	151747		1531747	
उप जोड़		15483735		3528000
कुल		15611933		3802921
*** प्रावधानों का ब्योरा**				
1 **निर्माण भंडारों हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार				
वर्ष के दौरान वर्धन अनुसूची 19(IV)	129000			
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि 14 (ई)				
अंतिम शेष		129000		
2 **संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1531747			
वर्ष के दौरान वर्धन अनुसूची 19(II)			1531747	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि				
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि 14 (ई)	1380000			
अंतिम शेष		151747		1531747

अनुसूची 8 निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	शेयर/बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या वर्तमान वर्ष / (गत वर्ष)	प्रति शेयर /बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपये में)	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
दीर्घावधि (व्यापार - जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो)				
क उद्धृत				
इक्विटी शेयर $			-	-
उप जोड़ (क)			-	-
ख अनुद्धृत			-	-
उप जोड़ (ख)			-	-
कुल (क/ख)			-	-

अनुसूची 9 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
क. निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज		-		-
ख. माल सूचियां				
(प्रबंधन द्वारा यथामूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)				
i) भंडार तथा कलपुर्जे	-		-	
ii) खुले औजार	-		-	
iii) कबाड़ माल सूची	-		-	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ	-		-	

अनुसूची 9 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम *(जारी)*

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
v) निर्माण स्थल पर सामान	-		-	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान	-		-	
घटाएं - अप्रचलित भंडार और कलपुर्जों के लिए प्रावधान '	-		-	
कुल		-		-
ग. चालू कार्य				
i) चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	-		-	
ii) चालू परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)	-		-	
		-		-
घ. विविध देनदार (अंसरक्षित				
i) 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण	-		-	
- अच्छे माने गए	-		-	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए	-		-	
ii) अन्य ऋण	-		-	
- अच्छे माने गए	-		-	
- संदेहास्पद माने गए तथा प्रावधान किए गए	-		-	
घटाएं - संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान *	-		-	
कुल		-		-
घ. नकद एवं बैंक शेष				
i) हाथ में नकदी (रु. शून्य (पिछले वर्ष शून्य रुपयें) के हस्तगत चैक, ड्राफ्ट और मोहरों सहित)	40866		40471	
ii) बैंक शेष				
अधिसूचित बैंकों के साथ				
- चालू खाते में	59590		465895	
- जमा खाते में	681995991		599980000	
अन्य बैंकों के साथ (प्रत्येक बैंक के साथ अलग-अलग)				
- चालू खाते में	-		-	
- जमा खाते में	-		-	
कुल		**682096447**		**600486366**
च. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां				
i) प्रोदभूत ब्याज				
- जमा	10346916		4731342	
ii) अन्य	-		-	
iii) विभिन्न एजेंसियों से प्राप्य दावे	3394		124	
कुल		**10350310**		**4731466**
छ. ऋण तथा अग्रिम				
अ) ऋण				
i) कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)				
-प्रतिभूत	866655		-	
-अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	202627		189150	
-अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-			
ब) अग्रिम			-	
(नकदी अथवा मूल्य हेतु वस्तु रूप में वसूली योग्य				
i) अनुषंगी कम्पनी				
- प्रतिभूत			-	
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-			
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)			-	
ii) संविदाकार तथा आपूर्तिकर्ता			-	
- प्रतिभूत	-		-	
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)				
- बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	-		-	
- अन्य	-		-	
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)				
iii) कमचारी			-	
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	35470		5128870	
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)			-	

अनुसूची 9 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम *(जारी)*

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
iv) अन्य अग्रिम				
- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)			-	
- अप्रतिभूत (संदेहास्पद माने गए)	-		-	
घटाएं - संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों हेतु प्रावधान	-		-	
v) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव परिसंपत्तियां			-	
vi) विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढाव खाते पर विलंबित व्ययं				
vii) अन्य प्राप्य				
म) **जमा**	-			
अग्रिम आय कर				
घटाएं - कराधान हेतु प्रावधान	-		388483	
कुल		1104752		5706503
कुल		693551509		610924335
निदेशकों की ओर देय ऋण तथा अग्रिमों के ब्यौरे				
i) वर्ष के अंत में देय राशि				
ii) वर्ष के दौरान किसी समय पर अधिकतम बकाया राशि		-		-
उन कंपनियों द्वारा अग्रिम जिनमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है - की राशि शून्य रुपए		-		-
वर्ष के दौरान किसी समय पर धारक कम्पनी के साथ अधिकतम शेष राशि का ब्योरा				
एनएचपीसी लिमिटेड	(88797447)		(349038209)	
अप्रचलित भंडार तथा कलपुर्जों हेतु प्रावधान *1				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार				
वर्ष के दौरान वर्धन अनुसूची 19(ii)	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि -अनुसूची 14 (ई) के अनुसार	-		-	
अंतिम शेष	-	-	-	-
सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान *2				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार				
वर्ष के दौरान वर्धन अनुसूची 19(i)	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि -अनुसूची 14 (ई) के अनुसार	-		-	
अंतिम शेष	-	-	-	-
खराब तथा संदेहास्पद दावों हेतु प्रावधान *3				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार				
वर्ष के दौरान वर्धन अनुसूची 19(iii)	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि -अनुसूची 14 (ई) के अनुसार	-		-	
अंतिम शेष	-	-	-	-
सदेहास्पद ऋण एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान *4				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार				
वर्ष के दौरान वर्धन अनुसूची 19(ii)		-		-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि -अनुसूची 14 (ई) के अनुसार	-		-	
अंतिम शेष	-	-	-	-
कराधान हेतु प्रावधान *5				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार				
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष	-	-	-	-

अनुसूची 10 वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
क. देयताएं				
i) विविध देनदार				
(क) सूक्ष्म और लघु औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय)	-		-	
(ख) मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के कुल बकाया देय (30 दिन से अधिक हेतु देय - शून्य रुपए)	-		-	
(ग) अन्य	458,734		3,655,956	
ii) जमा / एजेंसी की व्यय न की गई राशि	-		-	
iii) जमा / धारिता राशि	56,599		26,567	
iv) जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	-		-	
घटाएं - जमा कार्यों पर खर्च राशि	-		-	
v) ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु देय नहीं ब्याज	-		-	
vi) परियोजना की लागत/संविदाकारों के प्रति अग्रिम	-		-	
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में प्राप्य राशि।	-		-	
vii) सहायता अनुदान-जिनका उपयोग लंबित है।	-		-	
viii) धारक कम्पनी (एनएचपीसी लिमि.) की ओर बकाया	88,797,447		349,038,209	
ix) विदेशी मुद्रा में उतार-चढाव से विलंबित देयताएं	-		-	
x) विदेशी मुद्रा उतार-चढाव खाते से विलंबित आय	-		-	
xi) अन्य देयताएं	97,733		597,092	
कुल देयताएं (क)		89,410,513		353,317,824
ख. प्रावधान				
i) कराधान हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	10,605,870		-	
वर्ष के दौरान समायोजित	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		10,605,870		-
ii) प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
iv) मजदूरी संशोधान हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार (2009-10 में एनएचपीसी लिमिटेड से अंतरित)	4,577,688		2,731,604	
वर्ष के दौरान वर्धन	5,767,808		1,846,084	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	542,717		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि -अनुसूची 14 (ई) के अनुसार	174,651		-	

अनुसूची 10 वर्तमान देयताएं और प्रावधान *(जारी)*

(राशि रुपये में)

	विवरण		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
	अंतिम शेष	9,628,128			
	घटाएं -अदा किया गया अग्रिम कर	2,807,903			
	अंतिम प्रावधान		6,820,225		4,577,688
v)	**उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार (2009-10 में एनएचपीसी लिमिटेड से अंतरित)	451,373		206,516	
	वर्ष के दौरान वर्धन	1,267,304		299,373	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	322,736		26,569	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि -अनुसूची 14 (ई) के अनुसार	128,637		27,947	
	अंतिम शेष		1,267,304		451,373
vi)	**अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		-		-
vii)	**उपदान के लिए प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		-		-
viii)	**आरईएचएस हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		-		-
ix)	**अवकाश यात्रा रियायत हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	89,640		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		89,640		-
x)	**अवकाश यात्रा रियायत पर एम.सी. हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		-		-
xi)	**टीटीए (सेवा निवृत्ति बैगेज भत्ता) हेतु प्रावधान**				
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		-		-

अनुसूची 10 वर्तमान देयताएं और प्रावधान *(जारी)*

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
xii) अन्य -प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
xiii) परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
xiv) आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
xv) हेजिंग कारोबार पर हानि हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
xvi) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
xvii) निजी उपयोग में लाई गई विद्युत हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
xviii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
कुल प्रावधान (ख)		18,783,039		5,029,061
कुल (क+ख)		108,193,552		358,346,885

अनुसूची 11 विविध व्यय (बट्टेखाते में न डाले गए अथवा समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
i) प्रारंभिक व्यय	-		11627350	
लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित			11627350	-
ii) अन्य विलंबित राजस्व व्यय	-	-		-
iii) शेयर जारी करने का व्यय	-	-		-
iv) समायोजन प्रतीक्षित व्यय	-	-		-
घटाएं -बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति वाले परियोजना व्यय के लिए प्रावधान	-	-		-
v) बट्टे खाते में डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	-	-		-
घटाएं -जांच लंबित हानियों के लिए प्रावधान	-	-		-
लाभ एवं हानि खाता				
प्रारंभिक शेष	11627350			-
अवधि के लिए हानि	-			11627350
आरक्षित एवं अधिशेष को अंतरित	-11627350	-		
कुल		-		11627350

अनुसूची 12 विविध व्यय

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
विद्युत की बिक्री	-		-	
घटाए - विद्युत के उत्पादन से आय - चालू होने से पूर्व (अनुसूची 22 1 (i) को अंतरित)	-		-	
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		-		-

अनुसूची - 12क मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
वर्ष के दौरान	-		-	
घटाएं - वर्ष के दौरान पश्च लिखित	-		-	
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		-		-

अनुसूची - 13 संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से आय

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
संविदा आय	-		-	
परामर्शी कार्यों से आय	-		-	
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		-		-

अनुसूची - 14 अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
i) **दीर्घावधि निवेश से आय**				
क) **व्यापार**	-	-	-	-
ख) **गैर-व्यापार**	-	-	-	-
ii) **अन्य आय**				
क) ब्याज				
- इंडियन बैंक (सकल) (स्रोत पर की गई कर कटौती रु. 3521391/-, पिछले वर्ष रु. 388483)	36471302		5119825	
- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	29270			
- लाभग्राही राज्यों से ब्याज			-	
- अन्य			-	
ख) विलंब भुगतान अधिभार	-		-	
ग) परियोजना की बिक्री पर लाभ	-		-	
घ) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			-	
च) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	-		-	
छ) विनिमय दर अंतर	4234524		27947	
ज) विदेशी मुद्रा उतार-चढाव समायोजन (ऋण)	-		-	
झ) अन्य	26278		2080	
कुल		40761374		5149852
जमा करें/(घटाएं) :कारपोरेट/क्षेत्रीय कार्यालय का शेयर		-		-
कुल		40761374		5149852
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22 ई (ii), 22 आई (ii) से (iv) तथा 22 जे (i))		4290072		5149852
घटाएं - संविदा और परामर्शी व्यय को अंतरित आय (देखें अनुसूची - 20)		-		-
घटाएं :ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय (अनुसूची 10)		-		-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		36471302		-

(राशि रुपये में)

अनुसूची - 14 अन्य आय *(जारी)*

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
# प्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है।			
क) खराब तथा संदिग्ध ऋण			
ख) खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	1380000		-
ग) खराब तथा संदिग्ध दावे	-		-
घ) भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	-		-
ङ) भण्डार तथा कलपुर्जों में कमी	-		-
च) आकसिमकमताओं हेतु प्रावधान	-		-
छ) निवश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-		-
ज) मजदूरी संशोधान हेतु प्रावधान	174651		-
झ) लंबित जांच हानियों के लिए प्रावधान	-		-
त) उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	128637		27947
थ) टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधन	-		-
द) अन्य प्रावधान / देयताएं जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	2551236		-
कुल	4234524		27947

अनुसूची - 15 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
i) भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	-		-	
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण				
-भवन	635093		235989	
-मशीनरी	18558		0	
-अन्य	391671		103687	
iii) किराया/भाड़ा खर्च	-		15000	
iv) दरें और कर	48180		0	
v) बीमा	49962		24746	
vi) स्वः बीमा आरक्षित से खर्च अदायगी	-		-	
vii) सुरक्षा व्यय	-		-	
viii) विद्युत प्रभार	-		-	
ix) यात्रा एवं वाहन	756917		14432	
x) स्टाफ कार पर व्यय	217305		-	
xi) टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	22595		2287	
xii) विज्ञापन एवं प्रचार	1660		-	
xiii) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	9000		-	
xiv) दान	-		-	
xv) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	69489		5954	
xvi) पुस्तकें व पत्रिकाएं	1699		-	
xvii) परामर्शी प्रभार -स्वदेशी	13890		-	
xviii) परामर्शी प्रभार -विदेशी	-		-	
xix) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	-		-	
xx) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
xxi) बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय	-		-	
xxii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		-	
xxiii) बट्टे खाते डाले गए स्थगित राजस्व व्यय	-		-	
xxiv) बट्टे खाते डाले गए प्रारम्भिक व्यय	-		11627350	
xxv) बट्टे खाते डाले गए सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय	-		-	
xxvi) बट्टे खाते डाले गए खराब ऋण/अग्रिम/दावे	-		-	
xxvii) बट्टे खाते डाले गए भंडार	-		-	
xxviii) बट्टे खाते डाली गयी अचल परिसम्पत्तियां	-		-	
xxix) पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	-		-	
xxx) अन्य सामान्य खर्च	624742		8325	
xxxi) विनिमय दर अंतर	-		-	
xxxii) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव समायोजन (ऋण)	-		-	
xxxiii) लेखा परीक्षा खर्च	53238		44739	
xxxiv) निदेशक खर्च	-		-	
xxxv) अनुसंधान एवं विकास व्यय	-		-	
कुल		2913999		12082509
जमा करें/(घटाएं) :कारपोरेट/क्षेत्रीय कार्यालय का शेयर				-
कुल		2913999		12082509
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय (देखें अनुसूची 22ख, 22ग, 22ई(i), 22 आई(i) तथा 22 जे (ii))		2913999		455159
घटाएं - संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)		-		-
घटाएं : डिपोजिट कार्यों में हस्तांतरित खर्च (अनुसूची 10)		-		-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		-		11627350

अनुसूची - 16 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते	37830657		7149610	
ii) उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	16026916		1520915	
iii) स्टाफ कल्याण व्यय	8140967		568502	
iv) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	-		-	
कुल		61998540		9239027
जमा करें/(घटाएं) :कारपोरेट/क्षेत्रीय कार्यालय का शेयर		-		-
कुल		61998540		9239027
घटाएं - ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 22ए तथा 22जे (3))		61998540		9239027
घटाएं - संविदा, तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित कर्मचारी लागत (देखें अनुसूची - 20)		-		-
घटाएं - डिपोजिट कार्यों से वसूली योग्य (अनुसूची 10)		-		-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		-		-

अनुसूची - 17 मूल्यह्रास

विवरण		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	489009		715888	
जमा करें/(घटाएं) :कारपोरेट/क्षेत्रीय कार्यालय का शेयर	-		-	
कुल		489009		715888
घटाएं - ईडीसी को अंतरित (देखें अनुसूची - 22 जी तथा 22जे (4))		489009		715888
घटाएं - संविदा तथा परामर्शी कार्यों को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)		-		-
घटाएं : डिपोजिट कार्यों से वसूली योग्य (अनुसूची 10)		-		-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		-		-

अनुसूची - 18 ब्याज तथा वित्त प्रभार

विवरण		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
i) निम्नलिखित पर ब्याज -				
क) भारत सरकार से ऋण	-		-	
ख) बॉण्ड	-		-	
ग) विदेशी ऋण	-		-	
घ) सावधि ऋण	-		-	
ङ) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-		-	
च) अन्य वित्त प्रभार	-		-	
ii) ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	-		-	
iii) हेजिंग कारोबार पर हानि			-	
iv) बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय	-		-	
v) बटटेखाते में डाले गए शेयर इश्यू व्यय			-	
vi) उपभोक्ताओं को छूट	-		-	
vii) प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
viii) ऋण पर गांरटी शुल्क	-		-	
ix) रॉयल्टी	-		-	
x) लाभग्राही राज्यों को ब्याज	-		-	
xi) बैंक प्रभार			-	
xii) अन्य वित्त प्रभार	18431		2457	
	-		-	
कुल		18431		2457
जमा करें/(घटाएं) :कारपोरेट/क्षेत्रीय कार्यालय का शेयर		-		-
कुल		18431		2457
घटाएं - ईडीसी को अंतरण द्वारा पूंजीकृत ब्याज एवं वित्त प्रभार (देखें अनुसूची 22डी तथा 22जे (5))		18431		2457
घटाएं - संविदा तथा परामर्शी व्यय को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)		-		-
घटाएं : डिपोजिट कार्यों से वसूली योग्य (अनुसूची 10)		-		-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		-		-

(राशि रुपये में)

अनुसूची - 19 प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
i) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध ऋण	-		-	
ii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा	-		-	
iii) प्रावधान किए गए खराब तथा संदिग्ध दावे	-		-	
iv) भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	129000		-	
v) भण्डार तथा कलपुर्जों में कमी	-		-	
vi) निवेश के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान	-		-	
vii) प्रावधान किए गए परियोजना व्यय	-		-	
viii) अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान	-		-	
ix) अन्य खर्चों के लिए प्रावधन	-		-	
कुल		129000		-
जमा करें/(घटाएं) :कारपोरेट/क्षेत्रीय कार्यालय का शेयर		-		-
कुल		129000		-
घटाएं - ईडीसी को अंतरित व्यय - (देखें अनुसूची 22एफ तथा 22जे (6))		129000		-
घटाएं - संविदा तथा परामर्शी व्यय को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)		-		-
घटाएं : डिपोजिट कार्यों से वसूली योग्य (अनुसूची 10)		-		-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		-		-

(राशि रुपये में)

अनुसूची - 20 संविदा,परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
i) **प्रत्यक्ष व्यय**		
ii) **कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ**		
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		
- उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान		
- स्टाफ कल्याण व्यय		
iii) **मरम्मत तथा अनुरक्षण**		
- भवन		
- मशीनरी तथा निर्माण उपकरण		
- अन्य		
iv) **प्रशासन तथा अन्य व्यय**		
- किराया/किराया प्रभार		
- यात्रा एवं वाहन		
- स्टाफ कार तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय		
- बीमा		
- टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक		
- विज्ञापन एवं प्रचार		
- मुद्रण एवं स्टेशनरी		
- लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक		
- अन्य व्यय		
- दरें तथा कर		
- सुरक्षा		
- विद्युत	शून्य	शून्य
- आकस्मिकताएं		
- परामर्शी प्रभार		
- ईआरवी		
v) **मूल्यह्रास**		
vi) **ब्याज तथा वित्त प्रभार**		
vii) **- निर्माण संविदाओं पर हानि**		
viii) **प्रावधान**		
ix) **कार्य प्रगति पर**		
- निर्माण संविदा		
-परामर्श संविदा		
x) **निगमित/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय :**		
क) अन्य आय		
ख) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय		
ग) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ		
घ) मूल्यह्रास		
च) ब्याज और वित्त प्रभार		
छ) प्रावधान		
ज) पूर्व अवधि समायोजन (निवल)		
कुल व्यय		
xi) घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूली		
वर्ष के दौरान निवल व्यय		
xii) पूर्वावधि समायोजन		
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		

अनुसूची - 21 पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
आय				
i) विद्युत की बिक्री	-		-	
ii) मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	-		-	
iii) देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-		-	
iv) अन्य	5119825		-	
उप जोड़		5119825		-
व्यय				
i) वेतन तथा मजदूरी	-		-	
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	-		-	
iii) ब्याज और वित्त प्रभार	-		-	
iv) अन्य	-		-	
v) मूल्यह्रास	-		-	
उप जोड़		-		-
कुल		5119825		-
जमा करें/(घटाएं) :कारपोरेट/क्षेत्रीय कार्यालय का शेयर	-			-
कुल				-
घटाएं - ईडीसी को अंतरित व्यय - (देखें अनुसूची 22एच तथा 22 जे(6))			-	
पूर्वावधि व्यय	-			
घटाएं - पूर्वावधि आय	-			-
घटाएं - संविदा तथा परामर्शी कार्य को अंतरित व्यय (देखें अनुसूची - 20)				-
घटाएं : डिपॉजिट कार्यों से वसूली योग्य	-			-
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया कुल		5119825		-

अनुसूची - 22 वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
क. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
i) - वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	37830657		7149610	
ii) - उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	16026916		1520915	
iii) - स्टाफ कल्याण व्यय	8140967		568502	
iv) - अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	-		-	
उप जोड़		61998540		9239027
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण				
i) - भवन	635093		235989	
ii) - मशीनरी	18558		-	
iii) - अन्य	391671		103687	
उप जोड़		1045322		339676
ग. प्रशासन तथा अन्य व्यय				
i) किराया/किराया प्रभार	-		15000	
ii) दरें और कर	48180		0	
iii) बीमा	49962		24746	
iv) सुरक्षा व्यय	-		-	
v) विद्युत प्रभार	-		-	
vi) यात्रा एवं वाहन	756917		14432	
vii) स्टाफ कार पर व्यय	217305		-	
viii) टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	22595		2287	
ix) विज्ञापन एवं प्रचार	1660		-	
x) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार	9000		-	
xi) मुद्रण एवं स्टेशनरी	71188		5954	
xii) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	53238		44739	
xiii) डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार				
-स्वदेशी	-		-	
-विदेशी	-		-	
xiv) प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	-		-	
xv) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-		-	
xvi) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-		-	
xvii) बटटेखाते में डाली गई परिसंपत्तियों/पदार्थ पर हानि	-		-	
xviii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		-	
xix) अन्य सामान्य व्यय	638632		8325	
उप जोड़		1868677		115483

(राशि रुपये में)

अनुसूची - 22 वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय *(जारी)*

	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
घ. ब्याज तथा वित्त प्रभार				
i) निम्नलिखित पर ब्याज -				
क) भारत सरकार से ऋण	-		-	
ख) बॉण्ड	-		-	
ग) विदेशी ऋण	-		-	
घ) सावधि ऋण	-		-	
ङ) नकदी ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-		-	
ii) ब्याज लागत को समायोजित माने गए विनिमय अंतर	-		-	
iii) हेजिंग कारोबार पर हानि	-		-	
iv) बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय	-		-	
v) प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
vi) ऋण पर गांरटी शुल्क	-		-	
vii) अन्य वित्त प्रभार	18431		2457	
उप जोड़		18431		2457
ङ विनिमय दर अंतर (निवल)				
i) विनिमय दर अंतर (डेबिट शेष)	-		-	
ii) घटाएं - विनिमय दर अंतर (क्रेडिट शेष)	-		-	
उप जोड़		-		-
च. प्रावधान	129000			
उप जोड़		129000		
छ. मूल्यह्रास	489009		715888	
उप जोड़		489009		715888
ज. पूर्व अवधि समायोजन (निवल)				
i) पूर्वावधि व्यय	-		-	
ii) घटाएं - पूर्व अवधि आय	-		-	
उप जोड़		-		-
झ. घटाएं प्राप्तियां और वसूलियौ				
i) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	-		-	
ii) ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	-		5119825	
iii) विविध प्राप्तियां	55548		2080	
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
v) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/प्रावधान	4234524		27947	
vi) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न	-		-	
उप जोड़		4290072		5149852
ञ. जोड़ें-निगम कार्यालय/ईडी कार्यालय प्रबंधन व्यय				
i) अन्य आय	-		-	
ii) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	-		-	
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	-		-	
iv) मूल्यह्रास	-		-	
v) ब्याज तथा वित्त प्रभार	-		-	
vi) प्रावधान	-		-	
vii) पूर्वावधि समायोजन (निवल)	-		-	
उप जोड़		-		-
कुल (क+ख+ग+घ+ड+च+छ+ज+झ+ञ) (अनुसूची-6 को अंतरित)		61258907		5262679

अनुसूची - 23 महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **लेखांकन संबंधी परम्पराओं**

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते हैं।

2. **अचल परिसंपत्तियां**

2.1 अचल परिसंपत्तिया अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन संपत्ति पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई है।

2.3 जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व है, वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।

2.4 भूमि संबंधी मुआवजे और अन्य खर्चों के लिए किए गए अस्थायी भुगतान भूमि की लागत के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधा जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।

2.6 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत प्राप्त की जाने वाली/बनाई जाने वाली परिसंपत्तियो को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. **मशीनरी कलपुर्जे**

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी हास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्य हास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी हास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्य हास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जो के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।

(ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जो की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य कलपुर्जो को "भंडार एवं कलपुर्जे" माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. **चालू पूंजीगत कार्य**

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता हैं। अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और परियोजना के चालू हो जाने पर उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को "निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (ईडीसी)" पर प्रभारित किया जाता है।

4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. **मूल्यहास तथा परिशोधन**

5.1 किसी परिसम्पत्ति का मूल्यहास उसी वर्ष से यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वह इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यहास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है :-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी- 11.25 प्रतिशत

(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण- 30 प्रतिशत

5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।

5.3 5000- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य 1 रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या 35 वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है।

5.6 पट्टे पर धारित भूमि का ऋण शोधन पट्टे की अवधि अथवा 30 वर्ष, इनमें में जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यहास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यहास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यहास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।

5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यहास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जायेगा।

6. **निवेश**

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. **माल सूची**

7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जो का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जो के प्रति क्षति के लिए लेखे में प्रावधान किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000/- रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखे पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी की गई, कितु वर्ष के अंत तक स्थल पर अनुप्रयुक्त रही भंडार सामग्री को इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. **विदेशी मुद्रा में कारोबार**

8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखे में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. **कर्मचारी लाभ**

9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. **राजस्व**

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा के प्रति वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

(घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।

10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. **विविध**

11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।

11.2 पावर स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

11.3 50,000/- रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षो के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

11.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. **ऋण लागत**

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. **आय पर कर**

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप मे की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेणित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियो को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखे को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभार्य है।

अनुसूची-24 लेखे पर टिप्पणियां

(31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखों का अनुलग्नक एवं हिस्सा)

1. आकस्मिक देयताएं :-

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	31/03/2011 को अंतिम शेष	31/03/2010 को अंतिम शेष
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है- - पूंजीगत कार्य - भूमि मुआवजा मामले - अन्य	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
विवादित आयकर मांग	शून्य	शून्य
विवादित उत्पाद शुल्क मांग	शून्य	शून्य
विवादित बिक्री कर मांग	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

2. मणिपुर सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड (कारपोरेशन) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों के अनुसार कारपोरेशन की लोकतक डाउनस्ट्रीम पनबिजली परियोजना 22 अक्टूबर, 2009 को इसकी सभी अचल परिसंपत्तियों, सीडब्ल्यूआईपी, निर्माण भंडार और अग्रिमों, चालू आस्तियों (रोकड़ एवं बैंक शेष सहित) और चालू देयताओं के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी (कारपोरेशन की अनुषंगी कंपनी) के रूप में परिवर्तित कर दी गयी, जिसका निगमीकरण 23 अक्टूबर, 2009 को चालू महत्त्व आधार पर लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के नाम एवं शैली के अंतर्गत किया गया। 22 अक्टूबर, 2009 के अनुसार कारपोरेशन की लोकतक डाउनस्ट्रीम पनबिजली परियोजना की आस्तियों और देयताओं का सकल मूल्य कंपनी द्वारा 23 अक्टूबर, 2009 को उसे हस्तांतरित आस्तियों के सकल मूल्य के रूप में समाहित किया गया। मूल्य हास का सकल मूल्य भी, जहां कहीं लागू हो, 22.10.2009 तक एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कपंनी को हस्तांतरित मूल्य हास के सकल मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।
3. पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि शून्य रुपये है।
4. भारत सरकार के संकल्प संख्या 23/02/2005-आरएंडआर (वोल्यूम-3) दिनांक 6 जनवरी, 2006, जिसके तहत टैरिफ नीति अधिसूचित की गई है, के पैरा 5.3 के उप-पैरा (ग) के अनुसार सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरें टैरिफ और लेखांकन दोनों के प्रयोजन के लिए लागू होंगी।
   कंपनी अधिनियम, 1956 की xiv अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार वर्ष के लिए मूल्यहास रु. 1,82,785/- बैठता है, जो सीईआरसी द्वारा तय दरों (पिछले वर्ष रु. 4,84,321) की तुलना में कम है।
5. (क) पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध लेनदार और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम धन के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है।
   (ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।
6. कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित हैं, इसे देखते हुए तर्कसंगत अनुमान के आधार पर 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की बहियों में 00.58 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. 0.45 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है।
7. (क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है -

(करोड़ रुपये में)

		31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	23.10.2009 से 31.03.2010 तक
(i)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(ii)	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iii)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	शून्य	शून्य

   (ख) वर्ष के दौरान 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (ईडीसी)' को अंतरण के द्वारा पूंजीकृत ऋण लागत की राशि शून्य करोड़ रुपय (पिछले वर्ष करोड़ रुपये) रुपये है।
8. कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्पस) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में कंपनी की कोई लीजिज व्यवस्था नहीं है।
9.

(करोड़ रुपये में)

		31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	23.10.2009 से 31.03.2010 तक
क)*	सीआईएफ आधार पर आकलित आयात का मूल्य: i) पूंजीगत वस्तुएं ii) कल पुर्जे	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय : i) जानकारी ii) ब्याज iii) अन्य विविध मामले	शून्य	शून्य
ग)*	प्रचालन इकाइयों में इस्तेमाल किए गए कल पुर्जों और घटकों का मूल्य: i) आयातित ii) देशी:	शून्य	शून्य
घ)**	विदेशी मुद्रा में आय : i) ब्याज ii) अन्य	शून्य	शून्य

*प्रोद्भवन आधार पर
**रोकड़ आधार पर

10. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं-

सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए वर्ष में प्रोद्भवन तथा चुकाया न गया ब्याज।	शून्य
तिमाही के दौरान वितरण/सेवाएं प्रदान करने की तारीख से सहमत समय अथवा 15 दिन से अधिक देरी से भुगतान की गई मूल राशि के साथ अदा किए गए ब्याज की राशि।	शून्य
पिछले लेखा वर्ष से अग्रेनीत ब्याज की राशि, ऐसे ब्याज पर वर्ष के लिए ब्याज सहित।	शून्य

11. लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा इस प्रकार है :

(राशि रुपये में)

क्र. स.	विवरण	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	23.10.2009 से 31.03.2010 तक
1.	लेखा परीक्षा शुल्क (सेवा कर सहित)	22,060	11,030
2.	लेखा परीक्षा व्यय	31,178	33,709
	कुल	**53,238**	**44,739**

12. निदेशकों को देय पारिश्रमिक का ब्यौरा इस प्रकार है :

(राशि रुपये में)

क्र. स.	विवरण	31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	23.10.2009 से 31.03.2010 तक
1.	वेतन एवं भत्ते	शून्य	शून्य
2.	भविष्यनिधि में अंशदान	शून्य	शून्य
3	आवासीय भवनों के लिए किराया	शून्य	शून्य
4	अन्य लाभ	शून्य	शून्य
5	स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग शुल्क	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

13. इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी ''आय पर करों हेतु लेखांकन'' संबंधी लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में वर्ष के दौरान स्थगित कर देयता के लिए प्रावधान शून्य रुपये है क्योंकि वर्ष के दौरान समय संबंधी कोई अंतराल पैदा नहीं हुआ।

14. वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारम्भ/संशोधित/पुनः प्रारूपित किया गया है :

नीति सं.	विवरण	वर्ष के लाभ पर प्रभाव
नीति सं. 5.5	अगोचर परिसंपत्तियों के परिशोधन संबंधी लेखांकन नीति में संशोधित किया गया।	कोई प्रभाव नहीं।
नीति सं. 5.10	अचल परिसंपत्तियों के जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण संबंधी लेखांकन नीति में परिवर्धन किया गया।	कोई प्रभाव नहीं।
नीति सं. 10.1 (घ)	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम संबंधी लेखांकन नीति में संशोधन।	कोई प्रभाव नहीं।
	स्व-बीमा संबंधी लेखांकन नीति को हटाना।	कोई प्रभाव नहीं।

15. इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है -

क) संबंधित पक्ष

(i) **संयुक्त उद्यम पक्ष :**

एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार।

वर्ष के दौरान संबद्ध पक्ष के साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया।

16. **प्रति शेयर अर्जन**

की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैः-

(राशि रुपये में)

क्र. स.	विवरण		31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	23.10.2009 से 31.03.2010 तक
1.	अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ		2,70,75,383	(1,16,27,350)
2.	हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	- बुनियादी	6,00,00,000	6,00,00,000
		- तनुकृतङ	6,25,75,342	6,00,00,000
3.	प्रति शेयर अर्जन	- बुनियादी	00.45	(00.19)
		- तनुकृत	00.43	(00.19)
4.	प्रतिशेयर अंकित मूल्य		10	10

*इसमें मणिपुर सरकार से शेयर आवेदन निधि के रूप रुप में प्राप्त 10.00 करोड़ रुपये शामिल है।

17. **पूर्व अवधि मदें :**

पूर्व अवधि वस्तुओं से संबंधित किराये और अन्य व्यय के रूप में देय रुपये 24,21,385 और रुपये 1,25,891 चालू वर्ष के खातों में पश्च लिखित किए गए हैं।

18. पिछले वर्ष के लेखों में संदिग्ध ऋण के लिए किए गए रु. 13,80,000 के प्रावधान को चालू वर्ष में पश्च लिखित किया गया है।

19. कंपनी के भंडार एवं कल-पुर्जे अधिकतर किफायती और मरम्मत न किए जाने वाले हैं। अतः उनके अप्रचलन के लिए 50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

20. लेखा-बहियों में आयकर के लिए वित्त वर्ष 2009-10 हेतु 18,80,993.00 रुपये और वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 1,26,34,751 रुपये का प्रावधान किया है।

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते शरद जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण 015201 एन)

(शरद जैन)
भागीदार
सदस्यता सं.-083837

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(ए बी एल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
एलडीएचसीएल
डीआईएन 01601682

(पी सी वैश्य)
निदेशक
एलडीएचसीएल
डीआईएन 03440470

(वी के कर्ण)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एलडीएचसीएल

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
एलडीएचसीएल

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 09.05.2011

तुलनपत्र का सार एवं 31.03.2011 को कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

(लाख रुपये में)

पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या: यू 4 0 1 0 1 ए म ए न 2 0 0 9 जी ओ आ ई 0 0 8 2 4 9

राज्य कोड: 1 2

तुलन-पत्र की तिथि: 3 1 | 0 3 | 2 0 1 1

वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी

सार्वजनिक निर्गम: शून्य

राइट निर्गम: शून्य

बोनस निर्गम: शून्य

निजी नियोजन: शून्य

सरकारी सहभाग: शून्य

निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति

कुल देयताएं: 1 1 0 8 2 . 5 7

कुल परिसंपत्तियां: 1 1 0 8 2 . 5 7

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी: 6 0 0 0 . 0 0

आरक्षित तथा अधिशेष: 1 5 4 . 4 8

शेयर आवेदन निधि: 3 8 4 6 . 0 0

आरक्षित ऋण: शून्य

अनारक्षित ऋण: शून्य

निधियों का प्रयोग

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां
(चालू पूंजी कार्यों और पूंजी कार्यों के प्रति अग्रिम सहित): 4 1 4 7 . 0 5

निवेश: 0 0 0

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां: 5 8 5 3 . 5 8

विविध व्यय: 0 0 0

संचित हानि: शून्य

कंपनी का कार्य निष्पादन

कारोबार (सकल राजस्व): 4 1 5 . 9 1

कुल व्यय: 0. 0 0

कर-पूर्व लाभ/(हानि): 4 1 5 . 9 1

कर उपरांत लाभ: 2 7 0 . 7 5

प्रति शेयर अर्जन रुपये में: 0. 4 5

लाभांश दर: शून्य

कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम

i) उत्पाद विवरण: शून्य

मद कोड संख्या

ii) उत्पाद विवरण: शून्य

मद कोड संख्या

iii) उत्पाद विवरण: शून्य

मद कोड संख्या

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते शरद जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या : 015201 एन)

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

(ए बी एल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
एलडीएचसीएल

(पी सी वैश्य)
निदेशक
एलडीएचसीएल

शरद जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 083837

(वी के कर्ण)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एलडीएचसीएल

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
एलडीएचसीएल

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 09/05/2011

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क) संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व शुद्ध लाभ	36,471,302		(11,627,350)	
- समायोजन				
- ब्याज से आय	(36,471,302)		11,627,350	
बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक खर्च				
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व लाभ	-		-	
कार्यशील पूंजी में बदलाव				
ऋण एवं पेशकीयों में कमी	4,601,751		(5,706,503)	
अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि	(5,618,844)		(4,731,466)	
वर्तमान देयताओं में वृद्धि	(263,907,311)		353,317,824	
प्रावधानों में वृद्धि	13,753,978		5,029,061	
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी	(251,170,426)		347,908,916	
अदा किया गया आयकर	14,515,744		-	
संचालन गतिविधियों से कुल आय (क)		(265,686,170)		347,908,916
ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद	(94,498)		(28,918,580)	
प्रगति पर कार्य से पूंजी में वृद्धि	(67,006,766)		(303,073,699)	
भंडार और कलपुर्जों में वृद्धि	(11,809,012)		(3,802,921)	
ब्याज आय	36,471,302		-	
ब्याज आय (पूर्व अवधि)	5,119,825			
पूंजी निवेश से कुल आय (ख)		(37,319,149)		(335,795,200)
ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
विविध व्यय	-		(11,627,350)	
शेयर पूंजी में लगाई गई राशि	384,615,400		600,000,000	
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध आय (ग)		384,615,400		588,372,650
नकद समतुल्य से कुल आय में वृद्धि (क + ख + ग)		81,610,081		600,486,366
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी के समान राशि		600,486,366		-
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समान राशि		682,096,447		600,486,366

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते शरद जैन असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ पंजीकरण संख्या : 015201एन)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(ए बी एल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
एलडीएचसीएल

(पी सी वैश्य)
निदेशक
एलडीएचसीएल

शरद जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या 083837

(वी के कर्ण)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एलडीएचसीएल

(विपिन जैन)
कंपनी सचिव
एलडीएचसीएल

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 09/05/2011

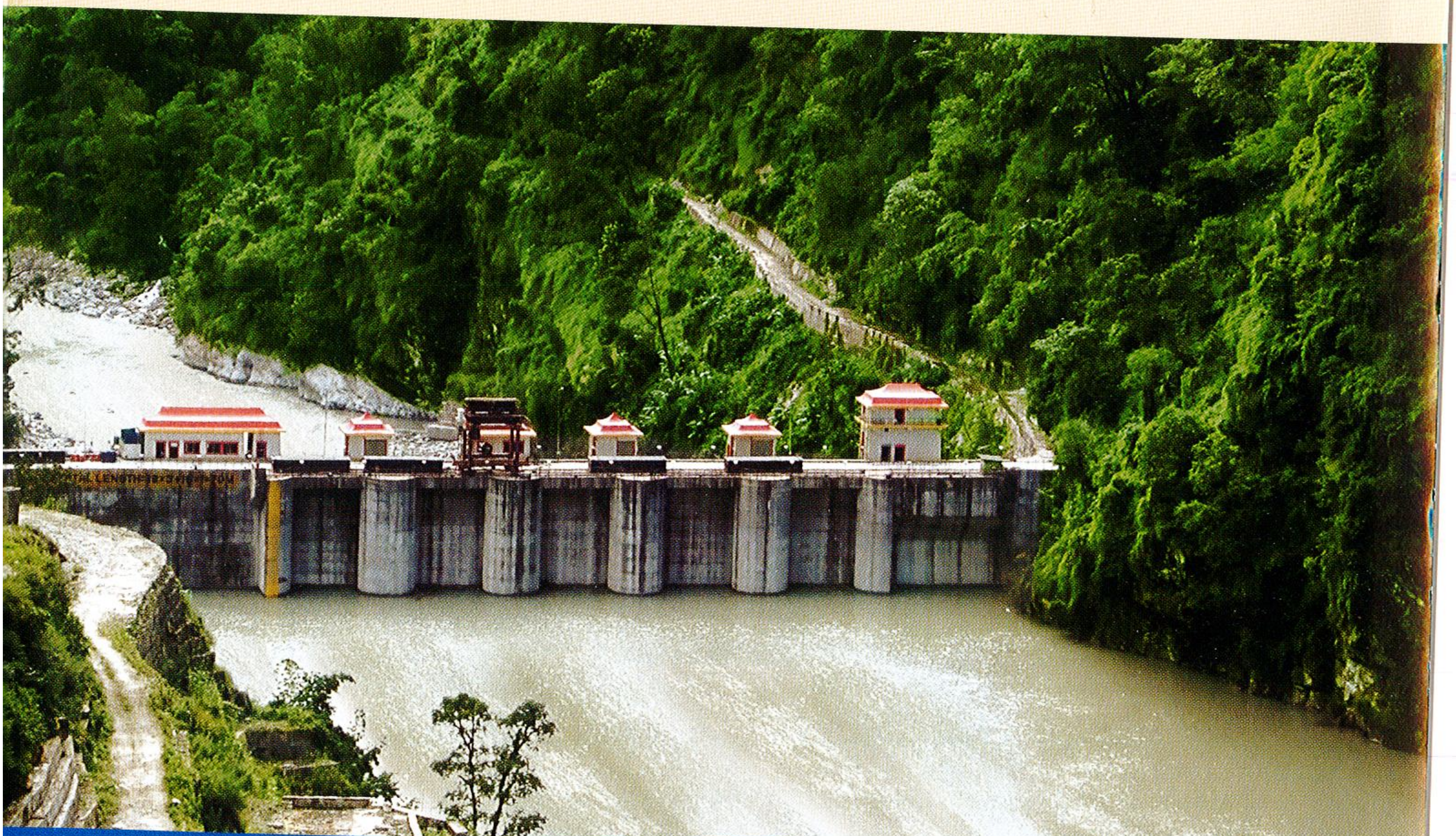

510 मेगावाट तीस्ता-V पावर स्टेशन (सिक्किम) बाँध का अपस्ट्रीम दृश्य

520 मेगावाट पार्बती- III परियोजना (हिमाचल प्रदेश)- सर्ज गैलरी में लाइनिंग कार्य

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर - 33, फरीदाबाद - 121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector - 33, Faridabad - 121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com